अंक : 114 वर्ष : 29 जुलाई–सितंबर 2006

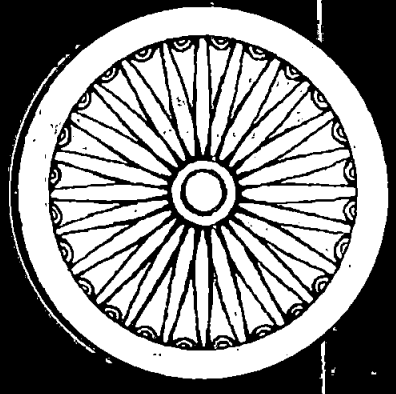

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

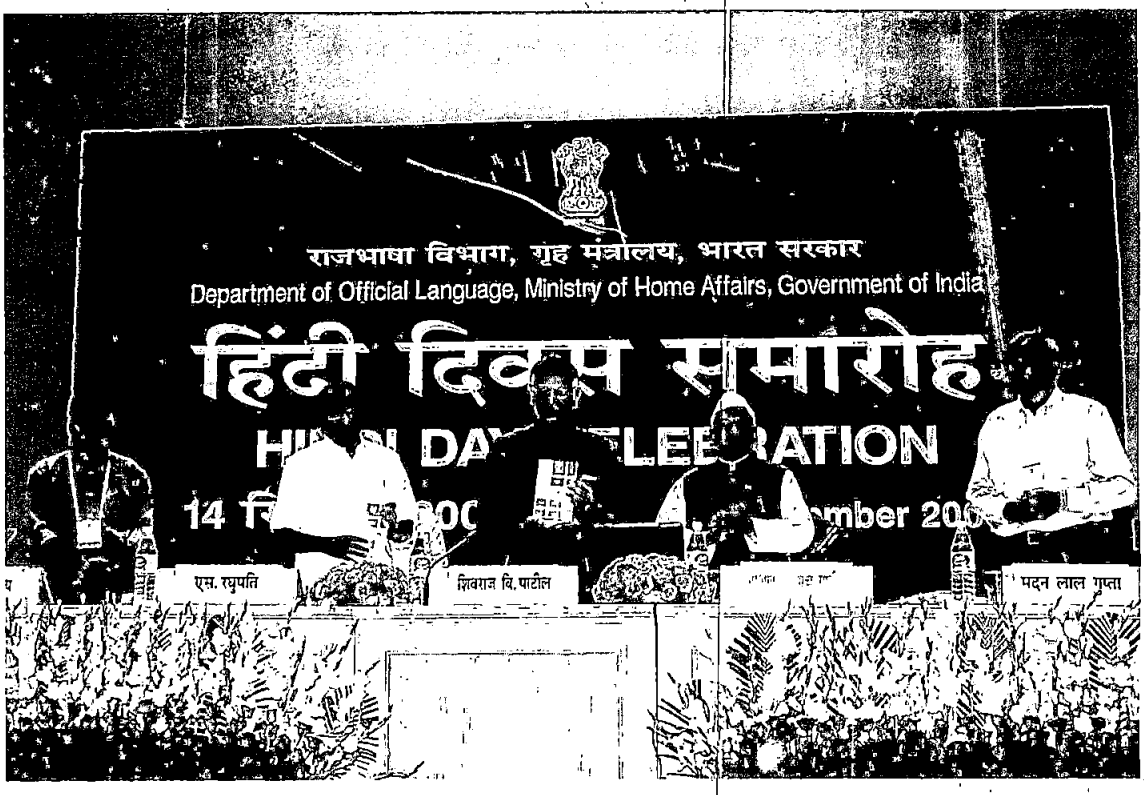

राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह में "अंतर्गति" पुस्तिका का विमोचन करते हुए माननीय गृहमंत्री श्री शिवराज वी. पाटील ।

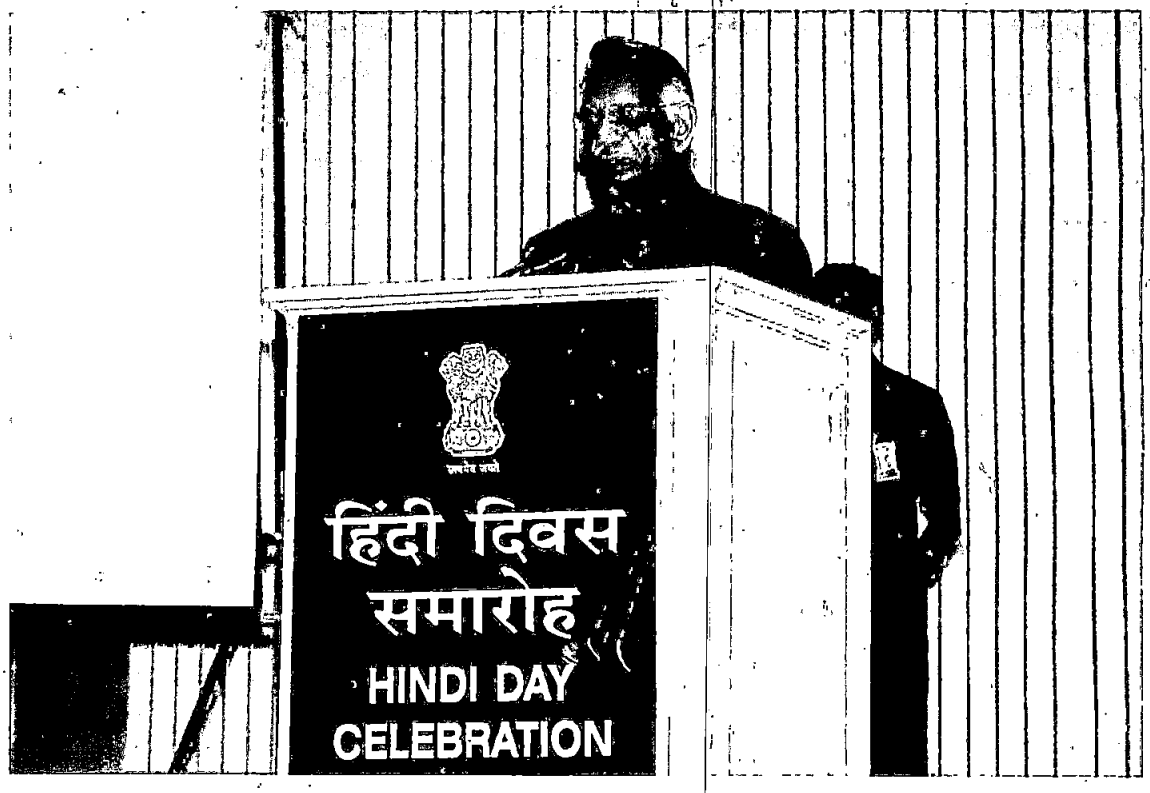

राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह में माननीय गृहमंत्री श्री शिवराज वी. पाटील भाषण करते हुए ।

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे
–निराला

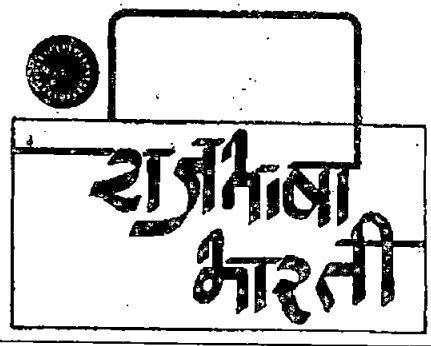

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 29

अंक : 114

जुलाई–सितंबर, 2006

❑ संपादक
बिजय चंद्र मंडल
निदेशक (अनुसंधान)
दूरभाष : 24617807

❑ उप संपादक
डॉ० राजेंद्र प्रताप सिंह
दूरभाष : 24698054

❑ संपादन सहायक
शांति कुमार स्याल
दूरभाष : 24698054

❑ नि:शुल्क वितरण के लिए

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

❑ पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (द्वितीय तल),
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

ईमेल–ru-ol@mha.nic.in
patrika—ol@mha.nic.in
पोर्टल–www.rajbhasha.gov..in.

विषय-सूची

		पृष्ठ
❑ रंक से राजा एक न हुआ	मदन लाल गुप्त	1
❖ चिंतन		
1. राष्ट्रभाषा या राजभाषा–एक चिंतन	–पी. के. मिश्रा	4
2. अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में परसर्गों एवं विशेषणों की भूमिका और अर्थ परिवर्तन	–डॉ. दलसिंगार यादव	7
3. अनुवाद एवं पारिभाषिक शब्दावली	–डॉ. रामचंद्र राय	9
4. एक हिंदी अधिकारी के अनुभव	–स्वयं प्रकाश	11
❖ साहित्यिकी		
5. डॉ. बालशौरि रेड्डी–दक्षिण भारत में हिंदी के प्रकाश पुंज	–डॉ. दामोदर खड़से	13
❖ पुरानी यादें – नए परिप्रेक्ष्य		
6. पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का कथा–चिंतन	–अपूर्वा बेनर्जी	14
7. धर्मवीर भारती की कविता में व्यंग्य	–डॉ. विभा शुक्ला	17
❖ प्रबंधन		
8. मानव संसाधन–प्रबंधन एवं सफलता	–ललन चतुर्वेदी	21
❖ बैंकिंग		
9. इंटरनेट बैंकिंग	–आर. ए. वोहरा	24
❖ पत्रकारिता		
10. देहाती सरोकार से कितना जुड़ा है मीडिया	–अरविंद कुमार सिंह	26
❖ विज्ञान		
11. लोकप्रिय विज्ञान लेखन का फलक एवं स्वरूप	–डॉ. दिनेश मणि	34
❖ संस्कृति		
12. शब्द ब्रह्म की उपासना	–प्रो. शशिकांत पशीने 'शाकिर'	36

3492 HA/06—1A

विषय-सूची	पृष्ठ

❖ **राजभाषा संबंधी गतिविधियां :**

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 41

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 49

(ग) कार्यशालाएं 61

(घ) हिंदी दिवस 72

❖ **संगोष्ठी/सम्मेलन** 82

❖ **पुरस्कार** 87

❖ **प्रशिक्षण** 89

❖ **आदेश-अनुदेश** 91

❖ **पाठकों के पत्र** 92

रंक से राजा एक न हुआ

(पत्रिका का शुरूआती पन्ना परंपरागत रूप से "संपादकीय" के लिए निर्धारित होता है परंतु राजभाषा भारती का यह अंक इसका विशिष्ट अपवाद है। इस अंक में संपादकीय के स्थान पर राजभाषा विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव श्री मदन लाल गुप्त का अग्रलेख "रंक से राजा एक न हुआ" दिया जा रहा है।)

एक स्टेटमेंट बचपन से सुनता आया हूं कि शनि ग्रह फल दे तो रंक को राजा बना देता है। बचपन में बड़ों की कही किसी बात पर विश्वास न करने का प्रश्न ही नहीं उठता। पर सच मानीए पचास से ज्यादा बरस हो गये हैं पर मेरी जानकारी में एक भी रंक राजा नहीं बना है। कृपालु पाठकों को अन्यथा जानकारी हो तो सूचना भेजकर मुझे अनुग्रहीत करें। हां, इस बात के मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है कि शनि की कृपा का इन्तजार करते हुए कई राजा रंक अवश्य हो गये हैं। जब कोई काम नहीं करेगा तो भला फले-फूलेगा कैसे?

इन पचास बरसों में मैंने हजारों को लखपति, सैंकड़ों को करोड़पति बनते और लाखों को सफलता की सीढ़ियां चढ़ते देखा है। जो लोग शनि को प्रसन्न करने के चक्कर में न पड़कर सरस्वती का नियमित पूजन करते रहे हैं वो सफल भी हुये हैं, लखपति भी बन गये हैं और करोड़पति भी। मैं तो सिर्फ पचास बरस की बात कर रहा हूं। पर कमोवेश यह बात आज तक के इतिहास पर लागू होती है जो इस बात का साक्षी है कि मनुष्य ने अपनी मेहनत और मेधा के बल पर अप्रतिम उपलब्धियां हासिल की हैं। मानव समाज को सुसंस्कृत समाज बनाया है। शिक्षा का चलन, प्रसार और प्रचार किया है। कौशल का निरन्तर विकास किया है। ज्ञान और विज्ञान सभी क्षेत्रों में आश्चर्यजनक प्रगति की है।

दरअसल ज्योतिष जैसे विषय का अध्ययन भी शुद्ध वैज्ञानिक स्तर पर हो सकता है। पर उसका जैसा उपयोग भारतीय समाज में हुआ है उसमें धूर्तता, ठगी और बेईमानी ज्यादा हुई है बनिस्पत इसके कि वह व्यक्ति और समाज के हित में कोई काम करे। इससे एक विषय का अध्ययन करने वाले, उस क्षेत्र में खोजबीन करने वाले, अपने निष्कर्षों का समाज में प्रयोग करके परीक्षण करने वाले विद्वानों का अनादर हुआ है। जिन्होंने ज्योतिष को बतौर पेशा अपनाया वो भ्रम फैलाने, झूठ बोलने, ठगी करने से भी नहीं चूके। जब कोई ज्योतिषी या ज्योतिष के नाम पर भविष्यवाणी करने वाला शनि की साढ़े साती या राजा से रंक और रंक से राजा जैसी भ्रामक बात करता है तो उसे अन्धविश्वास फैलाने का प्रयास ही कहा जाएगा। शनि की ये साढ़े साती उनको भी लगी होगी जिन्होंने अच्छी पढ़ाई-लिखाई करके न केवल तालीम हासिल की वरन् इल्म भी सीखा और आज या तो अच्छे औहदे पर तैनात अफसर, वैज्ञानिक, डाक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, फौजी अफसर, उद्योगपति, व्यवसायी, अभिनय करने वाले, गायक, संगीतकार, चित्रकार या अन्य कोई अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब लोग अपना जीवन तो सुधार चुके हैं साथ ही समाज की सेवा कर रहे हैं और लोगों की वाहवाही या दुआएं इकठ्ठी कर रहे हैं। उधर ज्योतिषी के चक्कर में अच्छा भला सोमवीर (या सूर्यप्रकाश) शनिवार से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। नतीजतन जनाव का स्वास्थ्य चौपट हुआ। स्वास्थ्य बिगड़ा तो माली हालत कौन सी हैल्थी रहीं? उधर घर-गृहस्थी भी ठीक से जम नहीं पाई। बच्चे बेचारे अलग से परेशान हैं। लगता है बारी-बारी से घर के हरेक सदस्य का नम्बर लग जाता है। तभी तो ये साढ़े साती अभी तक असर डालती नजर आ रही है।

आदमी भ्रमजाल में एक बार फंस जाये तो निकलना आसान नहीं है। जैसे जंगल में शेर आदि हिंसक पशु शिकार की तलाश में घात लगाये बैठे रहते हैं तो मौका पाते ही पलभर में जीते-जागते हिरण या अन्य प्राणि को लपक लेते हैं, उसी तरह मानव समाज में भी होता है। यहां भी बड़े-बड़े दुकानदार आदमी को फांसने की घात लगाए बैठे रहते हैं। ठगी के सारे धंधों में ज्योतिष का धंधा सबसे ज्यादा अहिंसक,

नगणय पूंजी से शुरू किया जाने वाला, शत-प्रतिशत नहीं सहस्त्र-प्रतिशत लाभ देने वाला, शून्य जोखिम भरा, समादरणीय और प्रभावी है। ठगी के ज्यादातर धंधों में अपने शिकार (victim) को मार कर सबूत नष्ट करने की परम्परा रही है। ज्योतिष के धंधे में इसके ठीक उल्टे अपने यजमान को मरने नहीं देने की परम्परा है। यजमान जिंदा रहे तो ज्योतिषी का धंधा भी चलता रहे। अगर आदमी शतायु भी हो तो शनि की दशा या महादशा से निकलने के ज्यादा से ज्यादा बाहर अवसर पाएगा। इतनी बार तो आप अगर मरीज (जैसे एड्स के मरीज) को भी आश्वासन देंगे तो वह भी जी जाएगा। एक बार आश्वासन दे देंगे तो दूसरी बार देने की नौबत साढ़े सात साल बाद आएगी। इस बीच में जातक के जीवन में ही नहीं उसके सगे संबंधियों-दुश्मनों के जीवन में अनेक परिवर्तन आएंगे जो उसे प्रभावित किए बिना नहीं रह पाएंगे। जातक को मिले मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, दैहिक, व्यवसायिक सुख, लाभ, उन्नति के लिये वो अवश्य ही ज्योतिषी महोदय के बताए शनि शांति के प्रयासों को ही श्रेय देगा। साथ ही उसकी राय भी मांगेगा कि अब आगे शनि की दृष्टि उस पर कैसी रहेगी। एक बार ग्राहक प्रभावित हो जाए तो फिर लाभ ही लाभ होता है: ब्राण्ड लायल्टी का। जातक तो आता ही है साथ ही दूसरे ग्राहकों को भी भेजता है। साढ़े साती तो आखिर किसी को भी लग सकती है न?

एक बात अवश्य ही तय है। अगर आदमी जरा सी ज्योतिष सीख ले और अपनी प्रैक्टिस जमाने में सफल हो जाए तो उसकी साढ़े साती क्या उसकी शनि की महादशा भी कुछ ही महीनों में समाप्त हो जाए। इस प्रैक्टिस को जमाने के लिए पूंजीगत लागत ज्यादा नहीं है। बस कुछ वस्त्रादि, एकाध माला, अंगुठियां, थोड़ा चंदन वगैरहा चाहिए । हां संस्कृत के साथ-साथ थोड़ी वघार देने के लिए अंग्रेजी की जरूरत अवश्य रहती है । इससे दुकान अच्छी तरह चल निकलती है। इतना इन्तजाम आदमी खुद कर ले तो बेहतर हैं। यूं तो बैंकों से सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध है। अनेक फाईनेंस कारपोरेशन स्वनियोजन के लिए सस्ती दरों पर ऋण देते हैं। पर सबसे बढ़िया काम है कि अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ढंग से तैयार की जाए और बिजनेस ऐस्टाब्लिशमेंट के लोकेशन की साईट सोच समझकर तय की जाए । अगर किसी तरह लुटियन की दिल्ली में बने लुटियन के बंगलों में से किसी एक के गैराज या सर्वेंट क्वार्टर में पैर टिकाने की जगह मिल जाए तो गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि शनि सचमुच रंक को राजा बना देगा भले ही बंगले का मालिक राजा अगले चुनाव में रंक बन जाये या साहिब रिटायर ही कर जाएं और कोई पोस्ट रिटायरमेंट पोस्ट ही न मिले। ऐसा कुछ हो भी जाए तो हम इस बात की गारंटी तो कर ही सकते हैं कि इस्टेट डायरेक्टरेट आपको किसी भी हालत में दर-बदर नहीं करेगा-साढ़े साती उसे भी सताती है। और एक बार आपको ये राज मालूम हो जाए कि उसे साढ़े साती सता रही है तो नकेल आपके हाथ में, जैसा चाहें इस्तेमाल कर लें ।

जब भरपूर लाभ दृष्टिगोचर हो रहा है तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट कपड़ा, लत्ता, अंगराग-आभूषण पर लगाना कोई बड़ी बात तो है नहीं । एक जोड़ी रेशमी कुर्ता-धोती, गले में कंठी माला, थोड़ी सी रोली-चंदन, एक पत्रा, छोटा सा आसन और बस आपके चेहरे पर ज्योतिषियोचित भाव मुद्रा । चल गया न काम? आप निष्ठा-लगन-पूजा अर्चना के चक्कर में पड़े तो रह जाएंगे मात्र विप्र। कुछ करना है तो जरा संस्कृत में अंग्रेजी का छोंक लगाइये। तुरंत लाभ होगा ।

इस विद्या ने ऐसे-ऐसे लोगों को सफलता सुंघा दी है जिन्होंने जिंदगी में कभी सफल होने का स्वप्न तक नहीं देखा । इसीलिए तो कहने वाले कह गए कि शनि जब फल देता है तो रंक को । भला हो ज्योतिष विद्या का और भला हो शनि की दशा/महादशा का जिसके कारण कुछ लोग अपने ऊपर के अधिकारियों के कंधों पर चलकर चीफ साहिब या मंत्री जी की गोद में जा बैठते हैं और कभी उनका हाथ चाटने लग जाते हैं तो उन ही पर हाथ साफ कर जाते हैं। ज्योतिष की आड़ में मीठी-मीठी बातें किसे अच्छी नहीं लगेगी। समझदार ज्योतिषी तो वही है जो ठकुर सुहाती भविष्यवाणी ऐसी मनमोहक भाषा में करे कि जिसके सम्मोहन को कोई दूसरी तर्क की या नीति की भाषा भंग ही न कर सके। साथ ही साढ़े साती का भय दिखा कर अपनी सीट साढ़े सात साल तक के लिए पक्की अवश्य कर ले । ये कार्यकाल जाहिर तौर पर राज्यसभा की सदस्यता के कार्यकाल से ज्यादा है। कोई अक्खड़-लक्खड़ टाईप जनप्रतिनिधि ही होगा जो साढ़े साती का खतरा मोल लेकर जन सेवा से शीघ्र ही वंचित होना चाहेगा ।

अब ज्योतिषाचार्य जाने और जातक जानें कि उन्हें ज्योतिष और शनि की साढ़े साती का करना क्या है। जब तक वे किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचे, हम दोहरा लें कि हमें क्या करना है।

हम शिकवे-गिले-आलोचना के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते। इन्हीं के रहते आ घेरती है शनि की साढ़े ।

अत: हम अपने मैनीफैस्टो की तरफ लौटते हैं और अपना एक्शन प्लान खुलासा कर रहे हैं। हम दोहरा रहे हैं कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। कोई विश्वास करे या अविश्वास हमें इससे कोई वास्ता नहीं है। हम सिर्फ इस बात की तरफदारी कर रहें हैं कि भारत में हर बच्चे को स्तरीय शिक्षा आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरा कर प्राइवेट स्कूल या अंग्रेजी स्कूलों को महिमामंडित करने का कुप्रयास नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा अगर सही प्रकार दी जाए और उसका स्तर विश्व स्तर का हो तो कोई कारण नहीं कि भारत 2020 तक विश्व में एक महाशक्ति बनकर अपना लोहा न मनवा ले। ध्यान रहे कि सार्वजनिक सेवा का करीब-करीब शत प्रतिशत भार इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़े विद्यार्थी वहन कर रहे हैं। चाहे शिक्षण, प्रशिक्षण हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हों या फिर कृषि/सिंचाई सेवाएं करने वाले ज्यादातर इन्हीं सरकारी स्कूलों की पैदाईश है। फौज और अर्ध-सरकारी बल, पुलिस और न्यायविद सभी सरकारी स्कूलों में पढ़कर अपनी-अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। अलबत्ता वकील बहुत से पब्लिक स्कूल/विदेशों में शिक्षित हुए। पर मुकदमें वो भी हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लड़ रहे है। जिसके कारण उन्हें यहां की जिंदगी को समझने (पढ़ने-लिखने) का प्रयास करना पड़ता है।

शिक्षण-प्रशिक्षण के साथ-साथ हमें चरित्र निर्माण भी करना होगा। आज राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा पात्र नहीं है जो पूरे देश के लिए अनुकरणीय हो। नई पीढ़ी के सामने कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, कोई निर्धारित दिशा नहीं है। ऐसा 1947 के पहले था। ऐसा 1947 के बाद था। कुछ लोगों को भले ही यह संतोष हो कि उन्होंने देश को लक्ष्य विहीन करने की उपलब्धि हासिल की है पर कुछ लोगों को ऐसे नाजुक दौर में भी देश की चिंता बराबर बनी रहती है। किंतु दृष्टि भले ही उनकी राष्ट्र पर हो, दिशा पूरे देश के लिए इस वक्त किसी के पास नहीं है। एक अजीब किस्म की बंदरबाट चल रही है। मूल्यों का ह्रास हो रहा है। मूल्यों की बात करने वालों का नम्बर लग चुका। स्थितियां राष्ट्रीय स्तर पर उतनी ही तेजी से बदली हैं जितनी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे है। एक तरफ आतंक की दहशत है तो दूसरी और तकनीकी विकास बेहद तेज गति से हो रहा है। डरा हुआ आदमी किसी दूसरे ग्रह पर आसरा ढूंढ रहा है जहां वो अपने दुश्मनों से महफूज रह सके। ऐसे हालात में कोई चीज आदमी को आदमी बनाए रख सकेगी तो वह है उसका चरित्र। चारित्रिक दृढ़ता आदमी का एकमात्र परिचय है।

शिक्षित और चरित्रवान भारतवासी रोजगार के अनेक साधन पैदा करने में सफल होगा। गरीबी हटाना हमारा उद्देश्य न रहकर सार्वजनिक सम्पन्नता हमारा लक्ष्य रहेगा। हर हाथ को काम होगा तभी हम व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध हो सकेगा। तब हम शनि की साढ़े साती की चिंता में समय, शक्ति, धन बर्बाद न करके, राष्ट्र निर्माण का पुनीत कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे।

यह उचित समय है जब हर मां-बाप अपने बच्चों को व्यक्तिश: आदेश दें कि प्रत्येक अपनी शिक्षा पूरी करे। जितनी अवधि में एक व्यक्ति शनि की साढ़े साती उतारेगा उतने ही समय में दसवीं पास दूसरा व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकेगा। कोई दक्ष, कोई सुविज्ञ, कोई कुशल, कोई चतुर यानि नाना प्रकार के व्यक्ति नाना प्रकार के गुण और विद्या से परिपूर्ण हो चुकेंगे। ऐसे कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं आज? एक भी नहीं। विद्या और विद्या प्रदत्त गुणों से सम्पन्न एक भी व्यक्ति बे-रोजगार नहीं हैं। हां, केवल डिग्री लिए, अकुशल या अध -कुशल व्यक्ति रोजगार ढूंढ रहे हैं। कुछ सफल तो कुछ असफल रह जाते हैं। लेकिन केवल ग्रहों के चक्कर में पड़ा व्यक्ति सिर्फ घूमता ही रहता है, भटकता रहता है।, भटकाया जाता रहता है। जबकि बारहवीं पास करने के बाद साढ़े सात साल का सफलतापूर्वक किया गया अध्ययन अवश्य ही रंक को राजा बनाने की क्षमता रखता है, बना भी देता है।

–मदन गुप्त

3492 HA/06—2A

चिंतन

राष्ट्रभाषा या राजभाषा–एक चिंतन

—पी. के. मिश्रा*

हम जानते हैं कि भाषा न केवल व्यक्ति के भावों एवं विचारों के परस्पर विनिमय का माध्यम होती है, बल्कि वह उसके सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षों एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्व की अस्मिता का आधार होती है। भाषा के महत्व की यह कसौटी केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि समूचे राष्ट्र की अस्मिता की पहचान के लिए भी लागू होती है। क्योंकि किसी राष्ट्र का निर्माण केवल एक निश्चित क्षेत्र एवं उसमें रहने वाली जनसंख्या से नहीं होता है। उसके लिए भाषा, साहित्य, संस्कृति, धर्म और दर्शन आदि पांच विधायक तत्वों का होना अनिवार्य होता है। राष्ट्र की संपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए एक ऐसी भाषा जो समूचे राष्ट्र के लोगों के बीच भावों और विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम बन सके, राष्ट्रभाषा कहलाती है। यह राष्ट्रभाषा उस देश विशेष की राष्ट्रीयता की पहचान तो होती ही है, साथ ही वह वहां के नागरिकों को एक दूसरे से जोड़ने वाली तथा सरकारी काम-काज का आधार भी होती है। विशेषकर भारत जैसे विविध भाषा-भाषी क्षेत्रों वाले देश में।

व्यापक प्रयोग एवं लोगों के बीच लोकप्रियता के कारण हिंदी भारत की स्वयंसिद्ध राष्ट्रभाषा है। इसी आवश्यकता के अनुकूल संविधान सभा में व्यापक विचार-विमर्श के बाद संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। सामान्यत: राजभाषा और राष्ट्रभाषा इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। दक्षिण भारत के नेताओं ने भी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने संबंधी संविधान सभा के निर्णय के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया था।

यहां यह जान लेना उपयुक्त होगा कि हिंदी भाषा देश के सबसे बड़े क्षेत्र में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने के कारण ही उस राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर सकी, न कि भारत की सर्वश्रेष्ठ भाषा होने के कारण।

दरअसल, जिसे हम भारतीय नवजागरण कहते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी–बहुभाषा–भाषी, 'भारत में आपसी संवाद के लिए एक सामान्य भाषा की आवश्यकता का अनुभव करना और फलस्वरूप हिंदी को इस कार्य के लिए सार्वाधिक उपयुक्त समझना। यह सर्वविदित तथ्य है कि बंगाल के राजाराम मोहन राय, केशवचन्द्र सेन, बंकिम चन्द्र जैसे बौद्धिकों से लेकर गुजरात के स्वामी दयानन्द सरस्वती तक ने उन्नीसवीं सदी में ही हिंदी को समस्त भारतवर्ष की संपर्क भाषा के रूप में अपनाने पर जोर दिया था। कालांतर में इसे ही राष्ट्रभाषा कहा जाने लगा। राष्ट्रभाषा कहने से इनका आशय यही होता था कि प्रांत अपनी-अपनी भाषाओं को सुरक्षित रखते हुए भारतीय स्तर पर अंतर प्रांतीय संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का व्यवहार करेंगे। अपने अन्तर प्रांतीय संपर्क भाषा के लिए अपेक्षित गुणों को समाहित करने वाली हिंदी आगे चलकर राजभाषा के नाम से जानी गई।

हमें यह मालूम होना चाहिए कि स्वतंत्रता आन्दोलन में लोकमान्य तिलक एवं महात्मा गांधी ने हिंदी के व्यापक प्रचार एवं प्रभाव को देखकर राजनीतिक चिंतन को जनता तक पहुंचाने के लिए हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बनाया, बल्कि यह आवाज भी लगाई कि वे जनता के दुश्मन हैं जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तथा नेशनल कांग्रेस की रणनीति में हिंदी को राजभाषा बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम था । वे जानते थे कि केवल हिंदी के माध्यम से ही स्वतंत्रता के महत्व का बोध जनता को कराया जा सकता है। पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे पश्चिम परस्त व्यक्ति ने भी हिंदी

*उप महानिरीक्षक (प्रशासन), सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय, 10 केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-03

3492 HA/06—2B

के राष्ट्रीय स्वरूप को समझा था और अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए उन्हें हिंदी में भाषण करना सीखना पड़ा था। आजादी की लड़ाई के दौरान हिंदी भाषा ही देश के लोगों में राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करने वाली भाषा थी । इसीलिए बापू ने इसके विकास और विस्तार को अपने रचनात्मक कार्यक्रमों में सम्मिलित करके दक्षिण भारत में इसके प्रचार के लिए 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचारिणी सभा' की स्थापना की और इस कार्य के लिए अपने पुत्र देवदास गांधी को वहां भेजा । महात्मा गांधी स्पष्ट रूप से कहा करते थे कि "हिंदी का प्रश्न मेरे लिए देश की आजादी का प्रश्न है" ।

परन्तु भारत को आजादी मिलते ही हिंदी विरोध के स्वर मुखर होने लगे । हिंदी को राजभाषा का पद देने के साथ ही उसके साम्राज्य स्थापन संबंधी आशंकाएं प्रकट की जाने लगी । संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाते समय अहिंदी भाषा भाषियों को अनेक सुविधाएं दी गईं, अनेक आश्वासन दिए गए और फिर भी उसका संवैधानिक रूप इस प्रकार स्वीकार किया गया जो संदेह और विवाद का प्रश्न बना रहा । देश के आजाद होने के बाद संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी 14 सितम्बर 1949 के दिन देश की राजभाषा स्वीकार की गई, किंतु उसी के साथ अनुच्छेद 343 (2) के अनुसार आगामी 15 वर्षों तक हिंदी के साथ अंग्रेजी का पूर्ववत् प्रयोग चालू रहने का प्रावधान किया गया । आशा बंधी थी कि 26 जनवरी 1965 के बाद हिंदी को उसका अधिकार मिल जाएगा, परंतु इस बीच में भाषाइ आधार पर अलग प्रांतों के निर्माण की राजनीति ने राष्ट्रीयता की भावना को एक सूत्र में पिरोने वाली हिंदी को उपेक्षा के नेपथ्य में धकेल दिया । हिंदी इस देश की राजभाषा कभी न हो, इसके लिए अंग्रेजी के पक्षधर विविध प्रकार की आपत्तियां उठाते रहे । इसी को दृष्टिगत रखते हुए सन् 1963 में एक राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सरकारी काम-काज एवं संसद की कार्यवाही में हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी के प्रयोग को भी आवश्यक माना गया ।

बाद में सन् 1976 में राजभाषा नियम बनाकर सभी राज्यों को तीन श्रेणियों में बांटा गया और तदनुसार हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की नीति बनाई गयी । सन् 1975 में स्वतंत्र राजभाषा विभाग की स्थापना की गई । इसके साथ ही विभिन्न मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समितियां भी बनाई गई । सरकारी कर्मचारियों को हिंदी भाषा का पर्याप्त ज्ञान कराने के लिए हिंदी शिक्षण योजना शुरू की गई और प्रोत्साहित करने हेतु कुछ आर्थिक लाभ का भी प्रावधान किया गया ।

लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति यह रही, कि इतने सारे संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के बावजूद आज तक हिंदी को वह स्थान प्राप्त नहीं हो सका है, जो किसी राजभाषा का होना चाहिए । इसलिए स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसे कौन से तत्व हैं जो हिंदी भाषा के विकास और विस्तार में बाधक बने हुए हैं । इसके लिए कुछ तत्व बताए जा सकते हैं । यह हैं -अंग्रेजी के प्रति विशेष मोह एवं आकर्षण, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन, प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा की आशंका, वर्गीय हित तथा भाषा का राजनीतिक इस्तेमाल ।

इस संदर्भ में एक प्रसंग उल्लेखनीय है । वह यह कि 17 जनवरी 1989 को भोपाल में संपन्न विश्व कविता समारोह में इंग्लैण्ड के साठ वर्षीय कवि स्टीफन स्पेंडर ने समारोह के माहौल, भारतीयों की मानसिकता और भारतीय बुद्धिजीवियों पर चढ़े विदेशी मुलम्मे पर टिप्पणी की थी कि भारत अकेला देश है जो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, पर वास्तविक अर्थों में अभी तक उससे बाहर नहीं आ सका । आजादी के इतने लम्बे वर्षों बाद भी पूरी तरह आजाद नहीं हो सका । भारतीय लोग अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गए लेकिन अंग्रेजी भाषा के प्रेम में फंस गए । अंग्रेजी के प्रति भारतीयों का यह प्यार एक त्रासदिक प्यार है । यही हाल दो शताब्दी पूर्व यूरोप का भी था । अठारहवीं सदी तक वे भी लैटिन भाषा के प्यार-पाश में पड़े रहे, लेकिन जो लैटिन यूरोपीय देशों में लिखी जाती है वह रोमवासियों की समझ में भी नहीं आएगी । भारत में जो अंग्रेजी बन रही है, उसमें अंग्रेजी बहुत कम है, अंग्रेजी को अपने ज्ञान और प्रतिष्ठा से जोड़ने में भारत की बहुत बड़ी हानि हो रही है ।

श्री स्पेंडर ने 1952 और 1989 की अपनी भारत यात्रा का अंतर बताते हुए कहा कि तब और अब की पीढ़ी की मानसिकता में बहुत बड़ा अंतर आ गया है । तब यहां के

लोगों को अपने पूर्वजों, नेताओं तथा परंपराओं का पता था। अब की पीढ़ी विदेशी लोगों को जानती है। परंतु भारत के श्रेष्ठ पुरूषों के विषय में कुछ बता पाने में उसे अपने दिमाग पर जोर देकर बार-बार यही सोचना पड़ता है कि जैसे उन्हें पता तो है किंतु इस समय स्मरण नहीं आ रहा है। जबकि उन्हें पता नहीं होता, वह पता होना मात्र दिखावा होता है।

यह अपने आप में अटपटा है कि किसी देश के देश भक्त कहे जाने वाले लोग अपने देश की राष्ट्रीय भाषा के विरुद्ध युद्ध करें और विदेशी भाषा का चंदन अपने मस्तक पर लगाकर गर्व के साथ घोषणा करते हुए घूमें कि इस देश को उसकी पांच हजार वर्ष प्राचीन संस्कृति के गौरव से जोड़ें। तो वे यह नहीं जानते कि मानसिक गुलामी से ग्रस्त कोई गूंगा देश अपने भविष्य की चादर नहीं बन सकता। अंग्रेजी भाषा वाला देश शेक्सपियर का तो हो सकता है, राम, कृष्ण, कालिदास, भवभूति, विक्रमादित्य और गांधी का नहीं। जो देश अंग्रेजी पढ़ सकता है, जिस देश को अंग्रेज केवल एक दशक में काम चलाऊ बाबूगिरी के लिए अंग्रेजी सिखा सकते हैं, उसी देश को उनकी अपनी भाषा सिखाने से परहेज किया जा रहा है और अट्ठावन वर्ष में भी वह अपनी राष्ट्रीय संपर्क भाषा नहीं बना पाया।

स्वराष्ट्र में स्वभाषा का मर्म सभी जानते हैं। एकांत में सभी मानते हैं कि प्रशासन चलाने में, विज्ञान, तंत्रशास्त्र की शब्दावली और शोधकार्य में भारतीय भाषाएं सक्षम है। सभी भाषाओं की माँ संस्कृत केवल मूर्च्छित है, मरी नहीं है। लेकिन सड़क पर या संसद में आते ही उनका स्वार्थ बाधक बन जाता है। भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा के प्रश्नों को प्रशासन की तकनीकी और वोट राजनीति के शब्दजाल में फांस दिया जाता है कि इतना विशाल देश, इतनी विविध समस्याएं, इतनी अलग-अलग भाषाएं कैसे चलेगा यह देश अंग्रेजी के बिना ? भारतीय भाषाओं का उपयोग करेंगे तो परीक्षाओं की गोपनीयता भंग हो जाएगी। अलग-अलग भाषाओं के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के लिए कहां से आएंगे इतने निष्पक्ष परीक्षक? वरीयता, श्रेष्ठता और गुणदोष का आधार समाप्त हो जाएगा। इसी को कहते हैं हारा हुआ, थका हुआ मानस। यही है आत्म निंदा का साक्षात् स्वरूप। देश भावनाओं एवं संकल्पों में जीता है। तकनीकी की तुलना पर तोले जाने वाले देश का कोई भविष्य नहीं होता है। यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है कि दो प्रतिशत अंग्रेजी समझने वाले लोग देश को संभाल सकते हैं, लेकिन करोड़ों की संख्या में अन्य भारतीय भाषाओं का सहज उपयोग करने वाले लोग और सत्तर-पचहत्तर करोड़ की संख्या में हिंदी समझने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। सच ही है कि भारत विडम्बनाओं का देश बन गया है। उसकी सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा तो है लेकिन कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। वह अपना रामकाज विदेशी भाषा में चलाता है। इंग्लैण्ड के कवि स्पेंडर का तमाचा खाकर भी हमें होश नहीं आता कि अपनी बात अपनी भाषा में कहें, अपना रामकाज अपनी भाषा में चलायें।

भाषायी विविधता को एक सूत्र में पिरोने की प्रतिभा एवं क्षमता भारत की भाषाओं में है। सर्वसम्मति से हम अपनी एक संपर्क भाषा बना सकते हैं। पचास से अधिक देशों में 1800 वर्ष रहने के बाद पच्चीस से अधिक भाषाएं बोलने वाले और हिब्रू न जानने वाले यहूदी यदि अपने देश में विदेशी भाषा के अपने समस्त प्रमाण-पत्र एक दिन और एक साथ चौराहे पर जलाकर एक ही दिन में राष्ट्रभाषा का निर्माण कर सकते हैं, तो अंग्रेजी के प्रति समर्पित लोग भी प्रयत्न करने पर एक भारतीय भाषा को अखिल भारतीय संपर्क भाषा या राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में सीख सकते हैं। यह काम आजादी के शुरू के वर्षों में ही हो सकता था, नहीं किया गया। इसी का परिणाम है कि हम आजाद भी हैं और गुलाम भी हैं।

आजाद हिंदुस्तान की गुलाम मानसिकता की बानगी कुछ एक उदाहरणों से आसानी से मिल सकती है। मसलन, घर आए मेहमान के स्वागत में दो-चार अंग्रेजी के रटे-रटाये शब्दों और वाक्यों का प्रयोग आज तकरीबन हर आधुनिक मध्यम वर्गीय परिवार में होने लगा है। अपने घर के छोटे बच्चों के द्वारा दो-चार इंग्लिश शब्दों के अर्थ तथा इंग्लिश कविताओं के वाचन का प्रदर्शन आम बात हो गयी है। यही नहीं हम अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय हिंदी के वाक्यों में अंग्रेजी के दो-चार शब्दों को बलात् ठूंसकर देते हैं। और इस प्रकार हिंदी और इंग्लिश दोनों को विकृत

(शेष पृष्ठ 10 पर)

अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में परसर्गों एवं विशेषणों की भूमिका और अर्थ परिवर्तन

—डॉ. दलसिंगार यादव*

वर्षों से अनुवाद कार्य से जुड़ा होने के कारण अक्सर इस समस्या का सामना करना पड़ा है और आज भी दुविधा की स्थिति में पड़ जाता हूँ। "दो शब्दों की क्रियाओं" और "दो या अधिक ज्ञात अर्थों वाले" छोटे-छोटे शब्दों से बनी भिन्न अर्थ देने वाली अभिव्यक्तियों के कारण अनुवाद कार्य चुनौतीपूर्ण हो जाता है । तमाम संदर्भों तथा अंग्रेजी व्याकरण की पुस्तकों और शब्दकोशों के अध्ययन के पश्चात् कुछ बातें प्रस्तुत कर रहा हूँ । आशा है इससे अनुवाद से जुड़े लोगों को कुछ दिशा मिलेगी ।

किसी ने कहा है कि अंग्रेजी के मामले में सबसे मुश्किल बात "प्रीपोज़ीशंस" है । अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही इस समस्या से जूझते रहते हैं । विद्यार्थी गलती करने से नहीं चूकते और अध्यापक उन्हें दुरूस्त करने की ज़हमत से नहीं बच पाते ।

परसर्गों के प्रयोग में दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है-एक, उनका तर्कसंगत या अर्थसम्मत ढंग से तथा दूसरी, वाक्य में उनके प्रयोग का स्थान । यदि इन दोनों बातों का निर्वाह होता है तो वाक्य का अर्थ समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है । कहीं-कहीं पर तो परसर्गों के प्रयोग से अर्थ की स्पष्टता में कोई कठिनाई नहीं होती है, जैसे, "On the table" "in the table", "under the table", "near the table" परंतु "in time", "on time", "in may opinion", "on second thought", "call up", "call down", "call on", "call off" । इन्हें हमें प्रीपोज़ीशन के रूप में नहीं बल्कि शब्द भंडार के रूप में, जैसे, man, woman, boy आदि की तरह याद करना होगा ।

अंग्रेजी सीखने की प्रक्रिया में आप अन्य वक्ताओं की भांति प्रीपोज़ीशनों का प्रयोग करते रहे होगें । आप कुछ खास शब्दों के साथ, उनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कुछ खास प्रीपोज़ीशनों का ही प्रयोग करते रहे होंगे, जैसे, "dispose of" "in spite of", "impart with"। इन प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि प्रीपोजीशन सदैव पहले ही नहीं बल्कि बाद में तथा कहीं-कहीं तो अलग-अलग भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे, she runs them down" । इसका दूसरा प्रयोग "she runs down her friends" । इन दोनों वाक्यों में अर्थगत अंतर है । इसे "प्रीपोजीशनों के साहचर्य" के नियम से जाना जाता है । यहां अंग्रेजी के उन शब्दों की सूची व उनके अर्थ दिया जाना संभव नहीं है जिनका उपयोग विभिन्न अर्थवाले वाक्यांश बनाने में किया जाता है । व्याकरण की दृष्टि से वे शब्द सदैव प्रीपोज़ीशन नहीं होते हैं ।

महत्वपूर्ण प्रीपोज़ीशन (पूर्वसर्ग) व उनसे बनने वाले फ्रेज़

कुछ महत्वपूर्ण पूर्वसर्गों की सूची दी जा रही है जो स्वतंत्र रूप से अर्थ देने के अलावा फ्रेज़ के रूप में भिन्न अर्थ देते हैं :-

about, above, across, against, ahead, along, around, as, at, away, back, before, behind, below, by, down, for, forward, from, in, inside, into, like, of, off, on, out, outside, over, past, through, to, under, with, within, without, up.

यदि व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये शब्द सदैव पूर्वसर्ग के रूप में ही प्रयुक्त नहीं होते हैं । अक्सर इनका प्रयोग क्रिया विशेषण या अन्य वाग्भेदों के रूप में भी होता है । कभी-कभी निपात (particles) के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है और कभी-कभी इन्हें फंक्शन के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है ।

*उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, गार्मेंट हाउस, वर्ली, मुंबई-400018

3492 HA/06—3A

अक्सर फ्रेज़ में एक से अधिक पूर्वसर्ग होते हैं । अत: उन पूर्वसर्गों को फ्रेज के साथ ही याद किया जाना है । नीचे के वाक्य देखें :

When did you get back ?	आप कब लौटे ?
When did you get to this country ?	आप इस देश में कब लौटे ?
When did you get back from that country ?	आप उस देश से कब लौटे ?
When did you get back to this country from that country ?	आप उस देश से इस देश में कब लौटे ?

अनुवाद करते समय बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो दो शब्दों की होती हैं । ऐसे प्रयोग 'मुहावरे' के रूप में प्रयुक्त होते हैं और वे एक साथ मिलकर प्रचलित अर्थ और परंपरागत शब्दों के अर्थ से भिन्न अर्थ देते हैं । दो शब्दों की क्रियाएं जब क्रिया और पूर्वसर्ग से मिलकर बनती हैं तो वे दोनों शब्दों के अलग-अलग परंपरागत अर्थ से भिन्न अर्थ देती हैं, जैसे, "She likes to run down the stairs" इस वाक्य में "run" का परंपरागत अर्थ है "ऊँचाई से नीचे की ओर" । परंतु "run down" का अर्थ एकदम भिन्न है, "किसी के बारे में कटु या अप्रिय बोलना" । अब अगर अर्थ की दृष्टि से दोनों वाक्यों की तुलना करें तो पहले वाक्य में "run" और "down" दोनों मिलकर एक क्रिया नहीं बनते हैं। इसमें "down" एक स्वतंत्र शब्द है जो "दिशा" प्रदर्शित करता है जबकि दूसरे वाक्य में "she likes to run down his friends" का अर्थ है कि "वह अपने मित्रों को नीचा दिखाना चाहती है" ।

अत: अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करते समय इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो अनुवाद में आसानी होगी ।

विशेषणों के उपयोग में अक्रमत्व दोष व अर्थ निष्पत्ति

अंग्रेजी में modifier कोई शब्द या शब्द समूह होता है जो अन्य शब्द समूह या उप वाक्य का अर्थ बदल देता है या उसके अर्थ को विनिर्दिष्ट (स्पेसिफिक) बना देता है । यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है । गलत स्थान पर मॉडिफायर के प्रयुक्त होने से अभिप्रेत अर्थ तथा वास्तविक रूप से वांछित अर्थ में भारी अंतर ला देता है । पाठक के रूप में आप उसका आशय समझ लेते हैं कि कहने वाला क्या कहना चाहता है ? हम संदर्भ से अर्थ ग्रहण कर लेते हैं । यह वाक्य देखें, "I request you to kindly relieve me from my responsibility" जैसा कि मैंने ऊपर लिखा कि संदर्भ से आशय समझ लिया जाता है । परंतु यदि आप इसका विश्लेषण करें तो कुछ और ही अर्थ निकलता है । आपने "kindly" शब्द का प्रयोग किया है शिष्टाचार प्रदर्शित करने तथा अपने बॉस के प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए । परंतु आपने kindly शब्द को relieve के साथ प्रयोग किया है जो क्रिया के विशेषण के रूप में आया है । इसका मतलब यह है कि बॉस मुझे kindly relieve करें rudely नहीं । इसका अर्थ निकलता है कि आप अपने बॉस को, अनजाने में, अच्छा बर्ताव करने का सबक दे रहे हैं । अत: सावधानी बरतें और वाक्य इस प्रकार "I kindly request you to relieve me from my responsibility, लिखें । हम बिना kindly शब्द के लिखें तो भी उसमें आदर और शिष्टाचार है क्योंकि 'request' शब्द अपने आप में शिष्ट शब्द है । निम्नलिखित वाक्य देखें और इनका अर्थ समझें :–

- Useless and flat, Monty removed the bicycle.
- Boiled in oil, Sumit enjoy olives.

पहले वाक्य में मॉन्टी वह वस्तु है जो बेकार है ।

दूसरे वाक्य में तेल में उबला हुआ सुमित ऑलिव्स का मजा लेता है ।

हम दिन प्रतिदिन ऐसे ही प्रयोग करते रहते हैं जो अनजाने में अर्थ का अनर्थ करते हैं । "He went to the barber to cut his hair" (नाई का बाल काटने गया है) । इसमें भूमिका ही बदल गई है । व्याकरण की भाषा में इसे अक्रमत्व दोष कहा जाता है । अत: सही अर्थ निष्पत्ति के लिए विशेषण शब्दों या पूरक शब्द/शब्द समूह को सही स्थान पर रखा जाए । ■

3492 HA/06—3B

अनुवाद एवं पारिभाषिक शब्दावली

–डॉ. रामचन्द्र राय*

अनुवाद में पारिभाषिक शब्दावली की विशेष भूमिका रहती है । क्योंकि किसी विषय विशेष का अनुवाद करते समय पारिभाषिक शब्दावली की सहायता लेनी पड़ती है । पारिभाषिक शब्दावली के बिना उस विषय विशेष के शब्दों के प्रयोग के बिना उस विषय-विशेष का बोधगम्य नहीं होता है ।

पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के टेकनीकल शब्द का पर्याय है । कोश ग्रंथों के अनुसार टेकनीकल का अर्थ of a particular Art, Science, Craft or about Art अर्थात् विशिष्ट कला, विज्ञान, शिल्प अथवा कला विषयक होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पारिभाषिक शब्द वह है जो किसी ज्ञान-विज्ञान के विषय विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा सुनिश्चित अर्थ के बोध के लिए प्रयोग किया जाता है ।

शब्द दो प्रकार के होते हैं सामान्य एवं विशेष शब्द । सामान्य शब्द की कोई सीमा नहीं होती है किंतु विशेष शब्द की एक सीमा होती है जिसका प्रयोग विषय विशेष के प्रयोग के लिए किया जाता है । उदाहरणस्वरूप अंग्रेजी के एक शब्द मोटिव को लिया जाए । मोटिव का सामान्य अर्थ ध्येय माना जाता है किंतु विषय-विशेष अर्थात् कला के क्षेत्र में मोटिव का अभिप्राय विषयवस्तु होता है । इस प्रकार पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य यह होता है कि जो शब्द मानविकी, कला-संगीत, समाज शास्त्र, कृषि, चिकित्सा आदि से संबंधित क्षेत्रों में विषय विशेष के अर्थ को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं ।

संविधान की धारा 351 में भारत की सामासिक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए आठवीं अनुसूची में विनिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों का आत्मसात् करते हुए, जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उनके शब्द भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत और गौणत: अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें ।

संविधान की इन धाराओं के अनुसार ही पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण भी आवश्यक है । भाषा वैज्ञानिक ने स्वीकार भी किया है कि भारत की समस्त भाषाओं में आर्यकुल की भाषाओं के अतिरिक्त द्रबिड़ या अग्निकुल की भाषाओं एवं बोलियों में संस्कृत मूल के शब्द कमोवेश विद्यमान हैं । इसलिए संस्कृत आधारित शब्द लगभग सभी भारतीय भाषाओं को स्वीकार्य है । उदाहरणस्वरूप पानी एवं तेजाब को देखा जाए । पानी के लिए जल एवं तेजाब के लिए अम्ल सभी भारतीय भाषाओं में स्वीकार्य है ।

पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के विकास के साथ-साथ उसकी तकनीकी शब्दावली के लिए जिसकी आवश्यकता प्रयोजनमूलक भाषाओं के लिए चाहे वह बंगला, मराठी, गुजराती आदि क्यों न हों, अनुभव की गई । फलस्वरूप हिंदी में प्रशासन, विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण एवं प्रचलन हुआ ।

पारिभाषिक शब्दों की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता होती है। हिंदी भाषा मूल संस्कृत होने के कारण, उसमें संस्कृत के पारिभाषिक शब्दों का बाहुल्य है । आज के भूमंडलीकरण के युग में संपूर्ण विश्व एक छत के नीचे आने के लिए प्रयासरत है । इसलिए भारतीय भाषाओं को विशेषकर हिंदी को इस भूमंडलीकरण के युग में अपने को उसके समकक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता है । भारतीय आर्य भाषाओं के मूल संस्कृत में यह क्षमता है । उसके पास विषय विशेष के लिए अपने शब्द भी निर्धारित हैं किंतु हम लोग अपनी अदूरदर्शिता के कारण इसके प्रयोग से हिचकते हैं । पश्चिमी भाषाओं के अनुकरण पर अपनी भाषाओं में शब्द ढूंढने का

*रूपान्तर, रतनपल्ली (नार्थ), शान्तिनिकेतन-731235 (पश्चिम बंगाल)

प्रयास करते हैं । फलस्वरूप कभी-कभी इसका रूपान्तरण करते समय अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं । क्लिष्ट एवं दुर्बोध्य शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को बोधगम्य से दूर ले जाते हैं । उदाहरणस्वरूप इस शब्द को लिया जा सकता है–अंग्रेजी का शब्द रिसोर्स पर्सन है जो मानविकी एवं समाज विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी में इसका प्रयोग हम मार्गदर्शक अथवा विषय-विशेष के लिए करते हैं । किंतु हमारे यहां इसके लिए निपुण/सुविज्ञ शब्द हैं जो रिसोर्स पर्सन का समानार्थक है ।

सामान्यत: विशेषज्ञ से यह अभिप्राय लिया जाता है जो किसी विषय-विशेष में दक्षता रखता हो । किंतु अंग्रेजी में इसका पर्यावाची शब्द स्पेसलिस्ट है । इस स्पेसलिस्ट का अर्थ सामान्यत: चिकित्सा विज्ञान के किसी रोग या औषध के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त व्यक्ति का बोधक होता है ।

भारतीय भाषाओं में पारिभाषिक शब्दावली को हम संस्कृत के शब्दों के माध्यम से समानता ला सकते हैं । क्योंकि संस्कृत में ये शब्द उपलब्ध हैं । अंग्रेजी का एक शब्द Election है । इसका प्रचलित अर्थ हिंदी में चुनाव है। अन्य भाषाओं में इसके लिए अलग-अलग शब्द हैं किंतु चुनाव शब्द के बदले निर्वाचन शब्द प्रयोग करते हैं तब वह सभी भाषाओं से मिलती है । चुनाव शब्द का आगे विकास नहीं हो सकता है किंतु निर्वाचन शब्द से बहुत से शब्द का निर्माण हो सकता है । उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत है :

निर्वाचन	Election
निर्वाचक	Elector
निर्वाचकीय	Electoral
निर्वाचित	Elected
निर्वाचन सूची	Electoral Roll
निर्वाचन समिति	Election Committee
निर्वाचन आयोग	Election Commission

इस प्रकार एक ऐसी पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता है जो राष्ट्र के निर्माण एवं विकास में भाषा सेतु का कार्य करे । अंग्रेजी के पास शब्द भंडार सीमित हैं । अंग्रेजी में एक ही शब्द विभिन्न अर्थों के द्योतक होते हैं । अंग्रेजी का अत्यन्त ही लोकप्रिय शब्द है Uncle जिसका प्रयोग काका, मामा सभी के लिए करते हैं । किंतु भारतीय भाषा विशेषकर काका शब्द पिताजी के भाई एवं मामा मां के भाई का बोध कराता है । इसी प्रकार अंग्रेजी का एक शब्द मीट है जिसका सामान्य अर्थ भेंट, मुलाकात है । इसी मीट शब्द के साथ आईएनजी जोड़ देने पर मीटिंग कर देने पर इसका अर्थ बैठक हो जाता है । यही नहीं किसी संगोष्ठी/सम्मेलन के लिए मीट शब्द का प्रयोग करते हैं । उदाहरणस्वरूप पोएट मीट/राईटर मीट को लें । किंतु हिंदी में दोनों के लिए अलग-अलग शब्द हैं । उदाहरणस्वरूप पोएट मीट के लिए कवि संगोष्ठी एवं राईटर मीट के लिए लेखक सम्मेलन प्रचलित है । ■

(पृष्ठ 6 का शेष)

करके हिंग्लिश का धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं । आप इसे क्या कहेंगे- "मैं अपने फादर को रिसीव करके एग्जेक्ट 09 पी एम पर स्टेशन पहुंच रहा हूं । यार, डॉन्ट वरी, मैं देख लूंगा" ।

स्वागत समारोह ठेठ हिंदी शैली में और शब्दावली वेलकॉम की, भाषा का यह विरोधाभास हिंदी को कौन सी दिशा देगा ? अपने किसी पत्र में अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति हिंदी में करने के बाद उसके ऊपर पता अंग्रेजी में लिखकर हम अपनी किसी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं । हमारी अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा में धन्यवाद, खेद तथा 'क्षमा करें' के स्थान पर थैंक्स, सॉरी, एक्सक्यूज जैसे अंग्रेजी के शब्द बड़ी तेजी से प्रयुक्त हो रहे हैं ।

हम अंग्रेजी अखबार और अंग्रेजी पत्रिकाएं केवल पढ़ते ही नहीं है बल्कि इनकी खबरों एवं विषय-सामग्री को अधिक प्रामाणिक मानते हैं, जबकि हिंदी समाचार पत्र-पत्रिकाओं की खबरों को अप्रामाणिक एवं कोरी लफ्फाजी मानते हैं । यह कैसा राष्ट्र प्रेम है ? भाषायी अस्मिता के बोध का यह कौन सा उज्जवल पक्ष है ? आज हमारे अपने जीवन में इंग्लिश के प्रति इतनी ललक है कि हम हिंदी को भी अंग्रेजी बनाकर बोलते हैं । मसलन, क्या आपको मेरे address का पता है? क्या हम भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की इन पंक्तियों को अपने राष्ट्रीय जीवन का मूल मंत्र बना सकते हैं ?

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल ।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को सूल ।।

❖

एक हिंदी अधिकारी के अनुभव

—स्वयं प्रकाश*

1983 में भारत सरकार के एक बड़े उपक्रम में हिंदी अधिकारी के रूप में मेरा चयन हुआ और मेरी पहली तैनाती उड़ीसा के एक पिछड़े और आदिवासी बहुल जिले सुन्दरगढ़ में हुई जहाँ मुझे एक खान परियोजना में काम करना था। वहां लगभग डेढ़ हजार आदमी काम करते थे, जिनमें से मात्र पचास-साठ हिंदी भाषी थे। शेष उड़िया, बंगला, तमिल या मलयालम भाषी थे। निकटस्थ रेलवे स्टेशन पचपन किलोमीटर दूर था, प्रधान कार्यालय से टेलीफोन से बात करने के लिए डेढ़ सौ किलोमीटर दूर राउरकेला जाना पड़ता था। सब्जी लेने के लिए गुरुवार की हाट में नाव से जाना पड़ता था और कर्मचारी ही नहीं, कम्पनी के अधिकारी भी झोंपड़ियों में रहते थे। सांप-बिच्छुओं के बीच--क्योंकि कॉलोनी अभी बनी नहीं थी।

हिंदी अधिकारी के रूप में मेरा प्रमुख काम अहिंदी भाषी कर्मचारियों को सरकारी कामकाज की हिंदी सिखाना था। इसके अतिरिक्त अनुवाद, पत्राचार में जहाँ संभव हो हिंदी की मिक्दार बढ़ाना, धारा 3(3) की अनुपालना सुनिश्चित करना और समय-समय पर राजभाषा से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करना वगैरह भी मेरे काम थे।

तीन दिक्कतें

अहिंदी भाषियों को हिंदी सिखाने के क्रम में मुझे मुख्यत: तीन प्रकार की दिक्कतें आयीं। पहली यह कि मुझसे पूछा गया कि हिंदी को 'राष्ट्रभाषा' किसने और क्यों बनाया? हम तो हिंदी नहीं जानते। जानना चाहते भी नहीं। हमारा काम उसके बिना बड़े मज़े से चल रहा है। हमें जीवन भर उड़ीसा से बाहर नहीं जाना है। हिंदी सीखने से हमें क्या फायदा होगा? इसकी बजाय तो आप ही हमसे उड़िया क्यों नहीं सीखते? यहां परियोजना लगानी है तो आप लोगों को उड़िया सीखकर आना चाहिए था। हिंदी वाले कोई भी अन्य भारतीय भाषा सीखना नहीं चाहते, तो हम हिंदी क्यों सीखें?

दूसरी दिक्कत यह आयी कि हम हिंदी भाषी वहां पहुंचते ही उत्तर भारतीय व्यापारियों, नेताओं, नौकरशाहों और फिल्म अभिनेताओं से आइडेन्टिफाइ हो गए। एक तरह से उसी कौम के नुमाइन्दे मान लिए गए जिसका रंग साफ, कद ऊंचा, गाल भरे हुए और नीयत खोटी है। वरना उनकी ज़मीन का 'सोना-रूपा' उन्हीं से निकलवाकर कहीं और (अपने देश) क्यों ले जाते? संयोग से हमारी कंपनी का तो मुख्यालय भी राजस्थान में ही था। कुल मिलाकर स्थानीय मजदूरों में भावना यह थी कि हिंदी शोषकों की भाषा है। व्यापारियों, ब्याज पर पैसा चलाने वाले सूदखोरों, वस्तुएं गिरवी रखने वाले खून चूसने वालों की भाषा है। ये लोग सिर्फ एक लोटा डोर लेकर हमारे देश में आये थे और हमें लूटकर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाकर बैठ गए हैं। लेकिन अब हम जागृत हो गये हैं। अब हम उनका सब कुछ बलपूर्वक छीन लेंगे और उन्हें लोटा-डोर देकर ही वापस भेजेंगे। हमारे यहां हिंदी-फिंदी नहीं चलेगी।

तीसरी दिक्कत स्वयं हिंदी के व्याकरण को लेकर आई। हिंदी में क्लीत लिंग या नपुंसक लिंग क्यों नहीं होता? बेजान चीज़ों को आप किस तर्क से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग घोषित करते हैं? ट्रक आता है तो बस आती क्यों है? टेलीफोन रखा है तो टेबल रखी क्यों है? राम खाता है सही है तो पिताजी खाता है में क्या गलती है? हम लोग लाइट जलता है बोलते हैं तो आप लोग हंसते क्यों हैं? यह भाषा नियम अनुसार चलती है या आपकी सनक से? कुछ अपवाद तो हम याद रख सकते हैं लेकिन जहां सारा मामला ही यादृच्छिक हो वहां क्या किया जाए? और यह 'चलता है' क्या होता है? ऐसा भी चलता है और वैसा भी चलता है। और तो और आपकी भाषा का नाम भी एक तरीके से नहीं लिखा जाता है। बिंदी भी चलती है और आधा न भी चलता है। साहब सुनिए, आपकी हिंदी न वैज्ञानिक है न विकसित, न उसका साहित्य हमारे साहित्य से ज्यादा प्राचीन या

*3/33, ग्रीन सिटी, ई-8, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)

3492 HA/06—4A

समृद्ध । फिर भी हिंदी सीखने से इनक्रीमेण्ट लगेगा । क्यों?

संवेदनशीलता

मैं हिंदी अधिकारी होने के साथ-साथ हिंदी का एक लेखक भी था, इसलिए ज़रूरी था कि इन सवालों-प्रतिक्रियाओं-भावनाओं-आपत्तियों पर भड़कने और कानून तथा संविधान का हवाला देने की बजाय संवेदनशीलता से विचार करूं। और ऐसा करने पर मुझे महसूस हुआ कि बावजूद भावोद्रेक के–जिनके कारण सामाजिक–राजनीतिक–आर्थिक और मनोवैज्ञानिक हैं–मूल रूप में इनकी सभी आपत्तियां सही हैं और न सिर्फ मेरे यहाँ रहने के लिए बल्कि एक लेखक के रूप में मेरी सुव्यवस्थित सोच के लिए भी इन पर तर्कसंगत विचार आवश्यक है ।

यह वह समय था जब उड़ीसा में सारे सूचनापट्ट, नामपट्ट, मील पत्थर, बिल, रसीद, पत्रशीर्ष, बीजक आदि उड़िया में और सिर्फ़ उड़िया में कर दिए गए थे । राज्य सरकार और कलेक्टर कार्यालय से जो भी पत्र आते थे सिर्फ़ उड़िया में आते थे । एकाध को छोड़कर सारे उपलब्ध समाचार पत्र भी उड़िया में थे । लोग हिंदी अच्छी तरह समझते थे, हिंदी फिल्में देखते थे, हिंदी फिल्मों के गाने सुनते-गाते थे, लेकिन किसी हिंदी भाषी के सामने पड़ते ही उनकी जातीय अस्मिता का बोध विकराल रूप में जागृत हो उठता था और वे सिर्फ और सिर्फ उड़िया में सारा कार्य व्यवहार करने की जिद में आ जाते थे ।

मैंने इसी प्रकार की भावनाओं का सामना विशाखापत्तनम और चैन्नई में भी किया था । यह चाहे जितना अप्रिय और अवसादग्रस्त करने वाला क्यों न हो, पर था यथार्थ । इससे नज़रें चुराना संभव नहीं था ।

मैने परियोजना के मुट्ठी भर हिंदी भाषियों के साथ मंत्रणा की कि क्यों न हम अहिंदी भाषियों कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण की कक्षाएं आरम्भ करने से पहले हिंदी भाषी (व अन्य इच्छुक) कर्मचारियों के लिए उड़िया भाषा की कक्षाएं आरम्भ करें । भाषा सीखना तो अच्छी बात है । इससे प्रबंधन में भी आसानी होगी । संवाद और संचार सीधा और सुगम होगा । ग़लतफमियां नहीं पनपेंगी । अब सरकारी वायदों के अनुसार कार्यालय समय में उड़िया शिक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन मेरे आग्रह करने पर महाप्रबंधक किसी तरह मान गए और एक उड़िया भाषी भूवैज्ञानी को उड़िया सिखाने का कार्यभार सौंपा गया। इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा और आगे चलकर हिंदी कक्षाएं चलाने में परेशानी नहीं आई ।

इसी तरह हिंदी दिवस समारोह आयोजित करने से पहले मैंने महाकवि उपेन्द्रनाथ 'भंज' जयंती समारोह आयोजित किया, नियम तोड़कर बैनर में सबसे ऊपर उड़िया लिखवाई और सबसे नीचे हिंदी, और इस कार्यक्रम में संभलपुर, राजनाँद गाँव और राउरकेला से भी उड़िया विद्वानों और साहित्यकारों को आमंत्रित किया ।

अनुभव

एक व्यक्ति के अनुभव दूसरे के लिए भी उपयोगी हों यह ज़रूरी नहीं, फिर भी अनुभवों को सांझा जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह सुगम रास्ते तैयार होते हैं । मेरा अनुभव है कि –

1. हिंदी को अन्य भारतीय भाषियों के पास राजभाषा होने के दंभ के साथ नहीं, बल्कि छोंटी बहन की विनम्रता से जानना चाहिए । क्योंकि हिंदी सचमुच सभी भारतीय भाषाओं में सबसे छोटी है ।

2. हिंदी को बड़ा या महान साबित करने के लिए अंग्रेजी को छोटा या तुच्छ साबित करना कतई जरूरी नहीं है। हिंदी अंग्रेज़ी की प्रतिद्वंदिता एक दूषित मनोवृत्ति है जिसका नुकसान हिंदी और हिदी भाषियों को उठाना पड़ता है ।

3. पचास साल की अवधि काफ़ी होती है । अब हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के मानकीकरण की दिशा में गंभीरता से काम शुरू होना चाहिए ।

4. हिंदी की स्वीकार्यता प्रेम से ही बन सकती है, संविधान की धाराओं के उल्लेख से नहीं । अपने व्यवहार से उड़िसा में मैं उन हिंदी हठी ध्वजधारकों के कर्मों का प्रायशिचत् कर रहा था, जिनकी ज़िद के चलते हिंदी 'सत्याग्रह' की भाषा बन गयी थी । ■

साहित्यिकी

डा. बालशौरि रेड्डी — दक्षिण भारत में हिंदी के प्रकाश पुंज

—डॉ. दामोदर खड़से*

डॉ. बालशौरि रेड्डी जी से मिलना एक नए उत्साह और भरपूर ऊर्जा की मुलाकात होती है। पिछले दिनों मैं अपने साथी जी. विनोद के साथ डॉ. रेड्डी से उनके निवास पर मिला। किसी भी दृष्टि से उम्र उन्हें झुका नहीं पाई है । 75 वर्ष की उम्र में भी वही उत्साह, वही स्फूर्तिपूर्ण व ऊर्जापूर्ण वाणी से हिंदी के बारे में उनकी आशा बहुत प्रेरणादायी है । उनका विश्वास मुलाकात करने वाले हर व्यक्ति को प्रेरित करता रहता है।

डॉ. रेड्डी ने अपनी मुलाकात में देश-विदेश में घट रही हिंदी की विभिन्न घटनाओं से सराबोर संवाद में मुझे सहभागी बनाया। चेन्नै में बैठकर भी हिंदी जगत में, दिल्ली में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या स्थिति है इन सारी बातों से वे जुड़े रहते हैं । यहां तक कि विदेशों में हिंदी को लेकर क्या गतिविधियां चल रही हैं यह बहुत सूक्ष्मता से जानते हैं । लेखक के रूप में उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हिंदी जगत में अपना विशिष्ट महत्व रखता है । उपन्यास और कथा साहित्य में उनका योगदान पाठकों के लिए एक नए विषय और शैली की यात्रा होती है। बाल-साहित्य में उनका योगदान विशेष उल्लेखनीय लगता है। बाल मनोविज्ञान को सामने रखकर लेखन करने वाले महत्वपूर्ण लेखकों में उनका नाम बहुत ऊपर है । बाल-मन पर संस्कार देने में उनकी कृतियां बहुत प्रभावी है । बच्चों की कल्पनाशक्ति को नए पंख सौंपकर एक नया आकाश और उड़ान भरने की उद्दाम इच्छाशक्ति जगाने में उनका साहित्य अनायास ही अपनी भूमिका निभाता है ।

दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार-प्रसार करने वाले वे एक शलाका पुरूष हैं । दक्षिण भारत में हिंदी की स्वीकार्यता को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए उनका समर्पण, उनके प्रयास और पहल किसी से छिपे नहीं हैं। पिछले दिनों पुणे में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय हिंदी साहित्य सम्मेलन में मुझे उनके साथ परिसंवाद में भाग लेने का मौका मिला । अपने वक्तव्य में उन्होंने जिस प्रकार की स्थितियों का हवाला देते हुए संभावनाओं की बात कही, वह उनके भीतर बैठे हुए एक दृष्ट की ही नजर हो सकती है । देश के विभिन्न भागों में कार्यक्रमों में भाग लेकर वे अपने इस प्रचार कार्य को निरंतर वे गति देते रहे हैं ।

कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जब अपनी सफलता का शिखर छूता है तो वह सामान्य लोगों की पहुंच से ऊपर उठ जाता है । फिर उससे मिलना, बातें करना, विचार-विर्मश करना लगभग दुर्लभ हो जाता है । लेकिन डॉ. रेड्डी का व्यक्तित्व इतना मिलनसार और हंसमुख है कि सफलता की विशिष्ट ऊंचाई हासिल करने के बाद भी वे आम लोगों से उनकी भाषा में, उनकी तरह बातें करते है । यह उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू है जो उन्हें ऊंचा बना देता है ।

उनके निवास का अपना ग्रंथालय, हिंदी साहित्य की एक अक्षुण्ण निधि है। दुर्लभ पुस्तकों का भंडार उनके पास है । मुझे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में उनके साहित्य पर कई शोधकर्ताओं ने पीएच.डी. की उपाधि हासिल की है । उनके साहित्य के विभिन्न पहलुओं को उन्होंने अपने शोध प्रबंध में समेटा है । ऐसे व्यापक व्यक्तित्व की सहजता और स्वाभाविकता को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता

(शेष पृष्ठ 33 पर)

*सहायक महाप्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केंद्रीय राजभाषा विभाग, लोक मंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे-411005

पुरानी यादें-नए परिप्रेक्ष्य

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का कथा-चिन्तन

-अपूर्वा बैनर्जी*

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का समग्र रचना-संसार बहुत व्यापक है । वह अनेक विधाओं में अभिव्यक्ति पाता रहा है । काव्य, निबंध, नाटक, संस्मरण, संपादकीय लेखन, पत्र-लेखन एवं सूत्रों, गद्यकाव्य आदि के क्षेत्रों में उनका प्रदेय बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन उनका कथा-साहित्य एक ऐसा विषय है जिस पर अब तक अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है । मैंने उनकी कहानियों को पढ़ते हुए यह अनुभव किया है कि अन्य विधाओं की तरह कथा-माध्यम के प्रति भी वे बहुत गंभीर लगाव अनुभव करते रहे हैं । अपने प्रदीर्घ रचनाकाल में उन्होंने लगभग 45-50 कहानियाँ लिखी हैं, जो संख्या में अधिक न होते हुए भी उनकी स्वतंत्र जीवन-दृष्टि का परिचय देती हैं ।

माखनलाल जी द्विवेदी-युग के साहित्यकारों की पंक्ति में आते हैं । इस युग के दो श्रेष्ठतम कथाकार प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद हैं । दोनों कथाकारों की कहानियाँ भिन्न-भिन्न प्रकृति पर आधारित हैं । प्रेमचंद की अधिकतर कहानियों का विषय गाँव की जिंदगी से निःसृत है, उनकी बहुतेरी कहानियाँ कस्बाई जिंदगी, जमींदारों और साहूकारों से जुड़ी समस्याओं और परिवेश की उपज है । मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मानव-चरित्र के सूक्ष्म उद्घाटन की क्षमता से भी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों को विशिष्ट बनाया है ।

जहाँ प्रेमचंद का रुझान जीवन के चारों ओर फैले यथार्थ में था, वहाँ प्रसाद रूमानी स्वभाव के कथाकार थे । प्रसाद जी की कहानियों में जीवन के सामान्य यथार्थ को प्रच्छन्न, अतीत के गौरव, कल्पना की ऊँची उड़ान और काव्यात्मक चित्रण को अधिक महत्व मिला है । उनकी कहानियों में प्रेम और करुणा का, त्याग और बलिदान का, दार्शनिकता और चित्रात्मकता का प्राधान्य है । मोटे तौर पर कह सकते हैं कि प्रेमचंद की प्रवृत्ति का बड़ा हिस्सा बहिर्मुखी है और प्रसाद का अन्तर्मुखी ।

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का कथाकार दोनों से भिन्न भूमि पर है । उनमें प्रेमचंद की यथार्थमुखी सामाजिक चेतना और प्रसाद की प्रेम करूणा और बलिदान की आत्मगत अभिव्यक्ति का अद्भुत समन्वय है । इस समन्वय में दोनों महान साहित्यकारों का अंशतः भी पूर्व-बोध नहीं होता । माखनलाल जी की समाज चेतना अधिक वास्तविक और गहरी है । भारतीय नारी का संघर्षों से जूझता, न्याय के लिये जड़पता, अन्याय और चारित्रिक शोषण के विरूद्ध प्राणों को न्योछावर कर देने वाला जो स्वरूप माखनलाल जी में मिलता है, वैसा अन्यत्र सहज नहीं मिल सकता । नारी के ऐसे यथार्थ और तेजस्वी चित्रण की वजह से ही मेरा ध्यान उनकी कहानियों की ओर गया । तमाम कहानियों को पढ़ते हुए मैंने अनुभव किया कि संख्या में अल्प होने के बावजूद ये कहानियाँ लेखक ने बड़े ही मनोयोग और भीतरी अनिवार्यता के साथ लिखी हैं । मुहब्बत का रंग, कच्चा रास्ता, जमनिया, दगा नहीं देंगे, जेल का साथी आदि कुछ कहानियाँ तो इतनी असाधारण हैं कि प्रतीत होता है कि यदि स्वाधीनता से पूर्व के युग के कहानी-साहित्य के इतिहास में इनमें से कुछ का उल्लेख नहीं होता है तो इतिहास को अधूरा ही माना जाना चाहिए । ये कहानियाँ जिन व्यक्तियों और परिस्थितियों को लेकर लिखी गई हैं, वे अपनी सीमाओं के बावजूद समग्र पूर्व-स्वाधीनता युग का परिचय देती हैं ।

उनकी "मुहब्बत का रंग" कहानी पढ़ कर मन चकित हो उठा । अपने पुत्र की मृत्यु पर रंगरेज रहमान जिस तरह

*हिंदी विभाग, डेली कॉलेज, इन्दौर-452 001 (मध्य प्रदेश)

दूसरे बालक को अपने पुत्र की प्रीति सौंपता है, और उसके लिए जिस प्रकार की सामंतवादी निरंकुशता का शिकार होता है, उसे पढ़कर वात्सल्य की नई छवि सामने आती है । यह छवि नई और वास्तविक होने के साथ द्विवेदी युग के पाठकों और कथाकारों के लिये अपरिचित भी है । इसी तरह ''कच्चा रास्ता'' कहानी में गाड़ीवान रामधन स्टेशन पर पहुँच कर भी तथाकथित राष्ट्रनेता से मजदूरी नहीं लेता । कहानी बताती है कि नेता जी बैलगाड़ी को तेज गति से दौड़ाने के लिये रामधन की चाबुक लेकर बाएं तरफ के बैल को जिस जगह मारते हैं, वहाँ वह हाथ फेरते हुए संकेत से कहता है कि हुजूर इस जगह आपके द्वारा अंकित चोट से ही मुझे आपकी याद आती रहेगी । अपने जानवरों के प्रति भारतीय किसान की आत्मीयता का यह दृश्य बेहद सजीव है । 'दगा नहीं देंगे' कहानी में रोती हुई औरत के पास चीन के महापुरुष कन्फ्यूशियस दयाभाव से जा पहुँचते हैं । वहाँ उन्हें मालूम होता है कि उक्त औरत के जवान पति को शेर खा गया है । वे पूछते है—क्या अब तुम्हारे ससुर को घर की जिम्मेदारी सँभालनी पड़ेगी । औरत कहती है कि उन्हें भी शेर खा गया है ।—तो फिर क्या तुम्हारे ससुर के पिता हैं । औरत कहती है कि उन्हें भी शेर खा गया था । कन्फ्यूशियस परेशान हो कर कह उठते हैं कि बेटी यदि यह जंगल इतना भयानक है तो क्यों न तुम किसी नजदीक के गाँव या शहर में चली जाओ । इस पर कथाकार लिखते हैं कि औरत ने ऊपर से नीचे तक साधु को देखा और कहा कि नहीं बाबा, हम न किसी गाँव जाएंगे न शहर—हम इन वृक्षों, इन बेलों, इन नदियों, इन सरोवरों को दगा नहीं देंगे । ये कहानी नॉस्टेल्जिया का एक अभिनव पक्ष प्रस्तुत करती है और यह प्रीति का एक नया आयाम भी है । कहानी के ये प्रसंग प्रमाणित करते हैं कि जिस समय हिंदी साहित्य की प्रणय-कथाएँ अपनी श्रेष्ठताओं के बावजूद एक बँधे हुए ढर्रे पर रची जाती रही हैं, उस समय चतुर्वेदी जी की अन्तर्दृष्टि समग्र जीवन को भेदती हुई मानव-प्रेम की वैविध्यमयी गहनता को व्यक्त करती है ।

मुझे आश्चर्य होता है कि जो व्यक्ति इतना मौलिक है और इतना जीवन-क्षेत्र अपनी कहानियों में समेटे हुए है, उसके कहानीकार व्यक्तित्व पर हिंदी समीक्षा लगभग खामोश है । उनकी कहानियों में समय जरूरत से ज्यादा जीवित है उन्हें ध्यान से पढ़ने और समझने पर हम पाते हैं कि शाश्वत की सूक्ष्म रेखाओं ने उनकी संपूर्ण कहानियों को लपेट रखा है । यही कारण है कि उन्हें आज भी खारिज नहीं किया जा सकता । इस दृष्टि से 'जेल का साथी', 'आत्मसमर्पण', 'नटबेड़नी', 'हत्यारी', 'सन्देह', 'जमनियाँ' आदि कहानियों को परखा जा सकता है ।

'जेल का साथी' पूर्व-स्वाधीनता युग के लेखन सेनानी के कारागार जीवन की झाँकी है । इस कैदी को कालकोठरी की सजा मिली है । एक संघर्षमय सामाजिक जीवन वाले व्यक्ति के लिये यह आरोपित एकांत कितनी बड़ी यातना है, कितनी बड़ी असह्य व्यथा है —यह इस कहानी से ज्ञात होता है । ऐसे में बिल्ली का एक बच्चा एकांत बाँटने आता है और जब वह किसी वजह से नाराज होता है तो कितनी आत्मव्यथा होती है, कैसा पश्चाताप होता है, यही इस विरल मर्मस्पर्शी कहानी में बताया गया है । आज हम स्वतंत्र हैं पर एकांत की यातना किसी को भी, कहीं भी, किसी भी वजह से सहनी पड़ सकती है ।

इसी तरह 'आत्मसमर्पण' दो मित्रों की कहानी है । एक कमल है दूसरा क्रांतिकारी बब्बू । कमल क्रांतिकारियों के रहस्यों की सूचना शासन को दे देता है । इस अक्षम्य अपराध के लिये क्रांतिकारी दल बब्बू को उसके प्रिय मित्र की हत्या करने का आदेश देता है । बब्बू अपनी कर्तव्य-निष्ठा का प्रमाण देते हुए कमल की हत्या कर देता है और आत्मसमर्पण कर देता है । सच्चे प्रेम और उससे भी बड़े कर्तव्यभाव की यह टकराहट कहानी को स्मरणीय बनाती है । प्रसाद जी की 'पुरस्कार' कहानी में भी यह द्वंद्व है, पर माखनलाल जी ठोस यथार्थ का चित्रण करते हैं, और प्रसाद जी महत्वाकांक्षी ऐश्वर्यमय जीवन का । माखनलाल जी की 'नट बेड़नी,' 'हत्यारी', 'संदेह' जैसी कहानियाँ नारी-जीवन के कठोर यथार्थ को प्रकट करती हैं । इनमें नारी कल्पनालोक की परी नहीं हैं, कठोर जीवन की भूमिका निभाने वाली अपराजेय शक्ति है ।

माखनलाल जी की कथा-संबंधी मान्यताओं से भी इस विधा के प्रति उनके विशेष झुकाव का परिचय मिलता है । 11 मार्च, 1933 के 'कर्मवीर' में 'विशाल भारत' के कहानी अंक की समीक्षा उन्होंने स्वयं लिखी थी । उसी

3492 HA/06—5A

समीक्षा से कहानी के कुछ संदर्भ उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत हैं –''साहित्य का शिल्पी कविता की अपेक्षा कहानी में अधिक खुलता है, वहाँ वह अपनी निर्मित दुनिया की वायु तरंगों पर बंधन रहित होकर दौड़ सकता है'', ''उत्थान हो या पतन, प्रत्येक मानव अनेक कहानियों का एक सजीव संग्रह है'', ''जो कहानी-जीवन के रहस्य के जानकार, आते हुए जमाने को देख सकने वाले और आँखों और कानों से परे की वस्तु की ओर संकेत करने वाले होते हैं, समाज उनके चरणों में बैठ कर उनका होने लगता है'', ''मानव-मन की हर बात जानने की साध हर बात की एक कहानी सुनकर पूरी होती है''।

कहानी के महत्व को स्थापित करते हुए माखनलाल जी लिखते हैं–''यदि कहानी में युग लिखा गया हो तो पीढ़ियों के रक्त पर भी कहानी रंग चढ़ाने लगती है याने कहानी का आश्रय लेकर साहित्य एक युग से दूसरे युग तक यात्रा करता है ।'' कहानी के भीतर निहित शाश्वत को जिन शब्दों में माखनलाल जी व्यक्त करते हैं, वह उल्लेखनीय है–''कहानी में ईश्वरत्व से बढ़कर बल होता है । भगवान की इस सृष्टि में पैदा हुआ पागल कब पैदा हुआ, कब मर गया कौन जानता है पर यदि वह किसी कहानी में पैदा हुआ और उसी में मरा तो युगों-युगों तक उसकी जानकारी रहेगी ।'' उनके अनुसार कहानी में तीन बातें साथ चलनी चाहिएं–कथानक का उत्थान-पतन, अनुभवों की चमक, तथा परिणाम से बचने की बहुत बड़ी सावधानी याने न तो कहानी में उपदेश हो न निर्णय । वह अपनी निहित स्वतंत्र व्यंजना को कायम रखे । कहानी में परिणाम देखना उसका पतन करना है । इस बारे में ये पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं – समुद्र से मिलने के लिये जो नदी निकली है, यदि उसे गिरना है तो नीचे बहेगी और उसी के लिए लाचार होगी । परिणाम का स्वभाव सदा नीचे ही बहना है । संभवत: माखनलाल जी का तात्पर्य है कि कहानी के समापन में पाठक की हिस्सेदारी उसे अधिक प्राणवान बना देती है । जैसा कि स्वयं उनकी कहानियों में है ।

हिंदी के विख्यात कथापुरुष श्री जैनेन्द्र का एक पत्र माखनलाल जी की ही कहानियों के संदर्भ में रचनावली भाग-8 में दिया गया है । वे लिखते हैं ''.....अभी नर्मदाप्रसाद खरे ने जबलपुर से रेवा मासिक पत्रिका भेजी और शुरू में ही आपकी कहानी पढ़ी । खूब ही चीज है । लगता है कहीं मैं पहले आपकी रचनाओं के साथ अन्याय तो नहीं करता रहा ? आपका साक्षात्कार तो जैसे अब मुझे हो रहा है ।''

जैनेन्द्र जी की तरह ही नंददुलारे वाजपेयी, डॉ. रामविलास शर्मा, अज्ञेय, परसाई, फिराक, शरद जोशी–जैसे आधुनिक रचनाकारों ने भी माखनलाल जी के साहित्य प्रदेय पर पुनर्विचार करने के संदर्भ में अपने सकारात्मक मन्तव्य दिए हैं । श्रीयुक्त श्रीकांत जोशी द्वारा संपादित माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली के प्रकाशन के बाद नई पीढ़ी के साहित्यकारों ने भी स्वीकार किया है कि माखनलाल जी का जितना प्राप्य उन्हें मिलना चाहिए था, वह उन्हें न सिर्फ साहित्य में बल्कि राजनीति और पत्रकारिता में भी नहीं मिला । आज जब पत्र-पत्रिकाओं में उन पर लेख प्रकाशित होते हैं, साहित्यिक समारोह आयोजित होते हैं, तो आशा बंधती है कि हमारे समस्त साहित्य-विश्व में देर से ही सही, माखनलाल जी के अप्रतिम रचना-व्यक्तित्व का आकलन हो सकेगा, उनके साहित्य का उचित विश्लेषण हो सकेगा और उनकी प्रतिभा न्याय पा सकेगी । ■

हिंदी के माध्यम से सारे भारत को एकता के धागे में पिरोया जा सकता है

(दयानन्द सरस्वती)

धर्मवीर भारती की कविता में व्यंग्य

—डॉ. विभा शुक्ला*

व्यंग्य द्वारा समाज की विकृतियों को सुधारने का कार्य भी युगों से हो रहा है । प्रचलित कुरीतियों, तत्कालीन सामाजिक बुराइयों एवं राजनैतिक भ्रष्टाचारों को उजागर करने में व्यंग्य की अहम् भूमिका रही है । कवि के अन्तर्मन में विश्रृंखलित मानव जीवन के प्रति जो आक्रोश और पीड़ा होती है, वह व्यंग्य के माध्यम से ही परिलक्षित होती है । मानव जीवन की विभीषिकाओं, असफलताओं आदि को पाठक के लिए बोधगम्य बनाने और उसे यथार्थ परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए कवि प्राय: व्यंग्य का आश्रय लेता है । व्यंग्य के द्वारा काव्य में वर्णित तथ्य का प्रभाव सीध पाठक के मर्म पर पड़ता है और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पाठक की भावात्मक एवं मानसिक स्थितियों में परिवर्तन होता है । यही काव्य की वास्तविक सफलता है जिसे 'भारती' ने परिवेशबोध के द्वारा अभिव्यक्ति दी है 'भारती' का कवि एक जागरूक नागरिक की भाँति अपने परिवेश से परिचित है । वह दासता की जंजीरों का अर्थ भली-भाँति समझता है और आसन्न संकट को संवेदना के धरातल पर महसूस करता है । यहां कवि की दृष्टि यथार्थवादी है ।

'वैसे तो भारती मूलत: प्रणय के कवि हैं, उनका कवि हृदय मॉसल उपभोग का समर्थक रहा है, किन्तु उनकी रचनाओं में जटिल स्थितियों को समझने या जी सकने की जो अनवरत कोशिश है, वह कहीं भी रचना प्रक्रिया के लिए अनिवार्य प्रकृतिगत माँगों की उपेक्षा नहीं करती'।[1] इसलिए यथार्थ की भूमि पर लिखी इनकी कविताएँ चिन्तन प्रधान हैं ।-और युग जीवन के संदर्भो को व्यंग्य के माध्यम से अभिव्यक्ति देती हैं ।

बौद्धिक और वैज्ञानिक परिवेश में विकसित हुई नई कविता के कवि 'भारती' का काव्य मात्र भावुकता से पूर्ण नहीं है, इसलिए कवि ईश्वर धर्म देवता और पूजा के प्रति पूर्णत: समर्पित नहीं होता, बल्कि अंधी आस्तिकता व बुद्धि के दिवालिये पन पर कई प्रश्न चिह्न उपस्थित करता है । निराकार परमेश्वर के अस्तित्व और आस्तिकता से उत्पन्न संकट की विडम्बना पूर्ण स्थिति का 'भारती' ने बड़ा सजीव चित्रण किया है –

'तुम चलते हो बिना चरण
सुनते हो बिना श्रवण
देखते हो बिना नयन
ढूढते हैं तुमको
सब संत और साधक जन।
पाकर ले आते तुम्हें
मेले में ठेले से
हाट में नुमाइशों में'
'तम्बू गाड़ करते हैं
तुम्हारा प्रदर्शन
भोंपू पर कहते हैं
एक है अजूबा ।'[2]

उपर्युक्त पंक्तियों ने कवि ने अंधी आस्तिकता का रोजगार करने और गाँठ के अधूरों और आंखों के अंधों की करुण विडंबना को अभिव्यक्ति दी है ।

स्वार्थी और तटस्थ मनोवृत्ति के लोग संघर्ष से उपलब्ध तमाम सुख सुविधाओं का उपभोग तो करते हैं किन्तु न स्वयं संघर्ष करते हैं और न ही संघर्ष को समर्थन देते हैं । आज की क्लीव नागरिकता पर किया गया व्यंग्य कितना सार्थक है –

'अग्नि नहीं थी जब
तब हमने नहीं कहा
कि जाओ अग्नि लाओ तुम
और अग्नि जब आयी'
हमने नहीं कहा कि अग्नि नहीं लेंगे हम ।[3]

*प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हिंदी), शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दतिया-475661 (म.प्र.)

स्वतंत्रता के पश्चात् देश की राजनीति दूषित हो गई । नेता का कार्य जन कल्याण नहीं रहा । वह अपनी कुर्सी बचाने के लिए दूसरों से लिखवाए भाषणों को गला फाड़-फाड़ कर पढ़ने में ही अपनी सफलता समझने लगा । सत्ता के रोग से पीड़ित नेता समाज -सुधार व देश की प्रगति कैसे कर सकता है? इसीलिए कवि नेताओं की बीमारी से चिंतित है । ऐसी बीमारी जो सारे राष्ट्र में फैल रही है । इसका उन्मूलन करने के लिये वह स्वास्थ मंत्रालय से अपील कर रहा है–

'वे जो उन्माद ग्रस्त रोगी से
मंचो पर जाकर चिल्लाते हैं
बकते हैं
भीड़ में भटकते हैं'
वात, पित्त, कफ के बाद
चौथे दोष अहम् से पीड़ित हैं
बस्ती-बस्ती में
नए अहम के अस्पताल खुलवाओ
वे सब बीमार हैं,
डरो मत तरस खाओं ।'[4]

आधुनिक वैज्ञानिक युग में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को विभिन्न प्रलोभनों, योजनाओं व संधियों के द्वारा गुलाम बनाने का षड़यंत्र रचता है । सदियों से भारत को इन विदेशियों से संघर्ष करना पड़ा । कभी ये व्यापारी बन कर आए तो कभी संस्कृति का आदान प्रदान करने वाले । उद्देश्य इनका एक ही रहा–भारत की परतंत्रता । नए ढंग से गुलामी को पेश करने वाले ये विदेशी अनेकों बार यहाँ आ चुके थे –

'ढंग है नया
लेकिन बात यह पुरानी है
घोड़ों पर रख कर या थैली में भर कर
या रोटी से ढ़ँक कर या फिल्मों में रंग कर
वे जंजीरे, केवल जंजीरे ही लाए हैं,
और भी पहले वे कई बार आए हैं ।'[5]

'भारती' ने प्रसिद्ध पौराणिक चरित्रों के माध्यम से आधुनिक मानव की विकृतियों पर बड़े मार्मिक व्यंग्य किए हैं । समसामयिक परिस्थितियों विघटित जीवन मूल्यों, विस्थापित व्यक्तित्व और मनुष्य के प्रच्छन्न रूप पर 'वाणभट्ट' व 'वृहन्नला' के माध्यम से व्यंग्य किया है । 'वाणभट्ट' में कवि ने आधुनिक मनुष्य की धन लौलुपता एवं मुद्रा मंजुषा की सत्यता, महाराग व अतीन्द्रिय सुख की ओर से विमुखता पर बड़ा तीखा व्यंग्य किया है –

'सत्य है राजा हर्षवर्धन के हाथों से मिला हुआ
पान का सुगन्धित एक लघु बीड़ा
चाहे वह जूठा हो
पर उस पर लगा हुआ वर्कदार सोना था ।'[6]

आधुनिक मानव संघर्ष से विमुख तथा भयभीत, चाटुकार एवं छदमवेशी हो गया है । उसका निराश्रित व दोहरा व्यक्तित्व दूसरों को धोखा देता हुआ अपनी वास्तविकता को छिपाए रहता है –

'मैं जो हूँ नृपति विराट का विश्वस्त दास
नृत्य, गीत, कविताओं, कलाओं का ज्ञाता
किंतु हर दम भयाक्रान्त
मेरा अज्ञातवास खुल न जाए ।'[7]

अज्ञातवास के समय भयाक्रान्त अर्जुन की ओजस्विता कायरता में बदल गई थी । विख्यात गाण्डीव शाखा पर टंगा रहा और वे विश्वस्त दास बने रहे । ठीक यही स्थिति आज कवियों एवं बुद्धिजीवियों की है, जो मुर्खो से घिरे हैं' और अपनी प्रसिद्धि के आकांक्षी है । इतना ही नहीं शासनतंत्र की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है । उसकी प्रसिद्धि व गुणगान भी इसी प्रकार होता है जैसे –

'व्यास यह लिखेंगे कि
अन्यायी दुर्योधन ने जब हमला बोला था,
विराट नगरी पर
मैंने भी प्रदर्शित किया था शौर्य ।
कैसा लगेगा तुम्हें
तब तुम यह जानोगे
कि यह तो लिखाया था मैंने ही
पांवो पड़-पड़ बूढ़े व्यास के ।'[8]

सत्य की महत्ता समाज में कितनी है ? नई पीढ़ी के लिए उसकी क्या उपयोगिता है ? सत्य की अपेक्षा झूठे युद्धों में विश्वास करने वाली एवं झूठे ध्येय बनाकर हार कर भी जीतने का अभिमान करने वाली नई पीढ़ी पर व्यंग्य –

'दो हमको फिर झूठे युद्ध
दो हमको फिर झूठे ध्येय
हारेंगे फिर यह है तय
फिर उसको मानेंगे हम प्रभु की हार
अपने को मानेंगे फिर अपराजेय ।'[9]

शासन की हुकूमत । प्रहरियों की तटस्थता । सब कुछ रक्षित करने के बाद भी युद्ध प्रेमी देशों के पास बचा ही क्या है ? प्रहरी आदेशों का आँखे बन्द कर और विवेक शून्य होकर पालन करते हैं, देश की संस्कृति राख हो चुकी है, फिर भी देश जीत का दावा करता है । बाहर से जीता राष्ट्र अन्दर से कितना खोखला होता है । वैज्ञानिक संहारक शक्तियाँ क्या मन का बोझ हल्का कर सकती हैं ? हिंसा के द्वारा क्या अपने व परायों को जीता जा सकता है ?

'भाले हमारे ये
ढालें हमारी ये
निरर्थक पड़ी रही
अंगो पर बोझ बनी
रक्षक थे हम केवल
लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था ।'[10]

हिंसा हमेशा अंधी होती है । महाभारत का युद्ध भी अंधों का था । आज भी जब दो राष्ट्र अपनी मर्यादा छोड़कर युद्धायोजन करते हैं तब वे भौतिक संस्कृति की होड़ व अहं में अंधे होते हैं और अंधी रूढ़ियों का पोषण करते हैं । कितना कुछ घटित होता है पर वे सत्ता के मद में अंधे होने के कारण देख नहीं सकते –

'देखेंगे कैसे वे
अंधे हैं
कुछ भी क्या देख सके
अब तक
वे ?'[11]

आधुनिक शासनतंत्र की अराजकता अव्यवस्था सर्वविदित है । कवि भी इस अव्यवस्था से क्षुब्ध है । वह इस अराजकता पर व्यंग्य करता है –

'हम जैसे पहले थे, वैसे अब भी हैं
शासक बदले
स्थितियाँ बिल्कुल वैसी हैं
इससे तो पहले के ही शासक अच्छे थे
अंधे थे, लेकिन वे शासन तो करते थे ।'[12]

अन्तिम पंक्तियों में यह स्पष्ट किया गया है कि हर आने वाली शासन व्यवस्था पिछली शासन व्यवस्था से हीन होती है । क्योंकि नया शासक शासन नहीं करता, पुरानी व्यवस्था पर दोषारोपण करता है व अपनी कुर्सी के लिए चिंतित रहता है । उपर्युक्त पंक्तियों में 'अंधायुग' के प्रहरियों की पीड़ा वैयक्तिक नहीं है, अपितु आधुनिक स्वतंत्र देश के प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा है ।

आधुनिक शासन व्यवस्था की एक और समस्या 'भाई भतीजा वाद' है जिसे कवि ने 'अंधायुग' की निम्न पंक्तियों में व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति दी है –

'पर वह संसार
स्वत: मेरे अंधेपन से उपजा था
मैंने अपने वैयक्तिक संवेदन से जो जाना था.....
..... कौरव जो मेरी मॉसलता से उपजे थे
वे ही थे अन्तिम सत्य ।'[13]

इस प्रकार 'अंधायुग' में भी संक्रान्ति युगीन स्थितियों पर व्यंग्य किए गए हैं । 'इसके अंतराल में व्यंग्य की अंतर्वर्तनी धारा प्रवाहित है । जिसके माध्यम से इसमें आगत मूल्यों का आभास मिलता है ।'[14] वैसे तो संपूर्ण काव्य ही आज की विसंगतियों और विघटन को अभिव्यक्ति देता है । पर इसमें कई स्थलों पर त्रासदी की नाटकीय अभिव्यक्ति व्यंग्य के द्वारा ही हुई है । नाटक में वर्णित दो प्रहरी त्रासद व्यंग्य की अभिव्यक्ति में विशेष सफल हुए हैं ।

'भारती' की रचनाओं में चिंतनशीलता के कारण कहीं-कहीं प्रेम संबंधों में भी व्यंग्य की अभिव्यक्ति हुई है । ये व्यंग्य प्रेम में बिछोह की स्थिति आने से अधिक मार्मिक बन गए हैं । कवि की प्रिया का हृदय इतना कोमल है कि वह पत्र में लिखे हास को सह नहीं पाती । किंतु कोमलता के साथ ही उसके हृदय की कठोरता व्यंग्य द्वारा –

'अरे पर जाने क्या-क्या आज,
भूल लिख गया तुम्हारे पास
मृदुल तुम किसलय सी अनमोल
न सह पाओगी मेरा हास ।'15

3492 HA/06—6A

युगीन परिस्थितियों एवं वास्तविकताओं के समक्ष प्रेम का कोई मूल्य नहीं । इसे राधा के माध्यम से कवि ने 'कनुप्रिया' में अभिव्यक्ति दी है । यहाँ राधा ने कृष्ण के युद्धायोजन पर व्यंग्य किए हैं –

'क्या ये सब सार्थक हैं ?
चारों दिशाओं से उत्तर को
उड़-उड़ कर जाते हुए
गिद्धों को क्या तुम बुलाते हो ?
(जैसे बुलाते थे, भटकी हुई गायों को) ?'[16]

विगत दो महायुद्धों से त्रस्त व्यक्ति अब युद्ध पर विश्वास नहीं करता । 'कनुप्रिया' के माध्यम से राधा ने कृष्ण के युद्ध व इतिहास निर्माण की अमानुषिक घटनाओं पर तीखा व्यंग्य किया है –

'कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व
मैंने भी गली-गली सुने हैं ये शब्द
अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो
मैं इन्हें सुन कर कुछ भी नहीं पाती प्रिय ।'[17]

दूसरी पंक्ति का 'गली-गली' व्यंग्य की सटीक अभिव्यक्ति करता है । राधा का कनु से यह प्रश्न कि 'सार्थकता क्या है ?' अपने में एक व्यंग्य छिपाए हुए है । यह ऐसा सार्थक व्यंग्य है कि जिसकी अर्थध्वनि बहुत दूर तक जाती है ।

भारती द्वारा कनुप्रिया में अभिव्यक्त व्यंग्य तीखे, चुटीले एवं सशक्त हैं, जिसका कारण राधा का उनसे अनभिज्ञता व्यक्त करना है । राधा की भोली, भावुक एवं सहज स्थिति ने व्यंग्यों को मार्मिक बना दिया है ।'

नोट :—

1. शेर जंग गर्ग, स्वातत्रोत्तर कविता में व्यंग्य, पृष्ठ–329
2. धर्मवीर भारती, धर्मयुग 4 दिसंबर, 1996, पृष्ठ–10
3. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष', पृष्ठ–5
4. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष', पृष्ठ–46
5. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ–48
6. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ–50
7. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ–51
8. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ–52
9. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ–20
10. धर्मवीर भारती, 'अंधायुग', पृष्ठ–14
11. धर्मवीर भारती, 'अंधायुग', पृष्ठ–17
12. धर्मवीर भारती, 'अंधायुग', पृष्ठ–17
13. धर्मवीर भारती, 'अंधायुग', पृष्ठ–17-18
14. रघुवंश, 'साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य', पृष्ठ–187
15. धर्मवीर भारती, 'ठंडालोहा' पृष्ठ–37
16. धर्मवीर भारती, 'कनुप्रिया', पृष्ठ–68
17. धर्मवीर भारती, 'कनुप्रिया', पृष्ठ–70

■

''सरलता से सीखी जाने योग्य भाषाओं में हिंदी सर्वोपरि है''

(लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक)

प्रबंधन

मानव संसाधन-प्रबंधन एवं सफलता

—ललन चतुर्वेदी*

आज का युग प्रबंधन का युग है । व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामुदायिक संस्थागत कार्यों में प्रबंधन के महत्व को अब भलीभांति समझा जाने लगा है । गंभीरतापूर्वक देखा जाए तो प्रबंधन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और इसके सभी पहलुओं पर सम्यक् एवं समुचित रूप से ध्यान दिए बगैर वांछित सफलता अर्जित नहीं की जा सकती । सवाल यह उठता है कि प्रबंधकीय दायित्व से संबद्ध चुनौतियों का कुशलतापूर्वक सामना कैसे किया जाए ? इस घोर यांत्रिक युग में जिसे सुगम शब्दों में कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है, प्रबंधकीय दायित्व का निर्वहन मानव को ही करना पड़ता है । इस दृष्टि से मानवीय संबंध प्रबंधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर गौर किए बिना प्रबंधक क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल है । प्रख्यात प्रबंधन विशेषज्ञ पार्किन्सन एवं रूस्तमजी इस संदर्भ में लिखते हैं – 'लोगों के साथ संतोषजनक रूप से काम करना मैनेजमेंट के काम का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है – सारा काम इसी पर टिका है क्योंकि किसी भी जगह मशीनों, माल व दूसरी चीजों के साथ कोई भी काम लोगों के माध्यम से ही किया जा सकता है ।' वह मानवीय संबंध को महत्ता देते हुए यहां तक कह देते हैं कि 'मैनेजमेन्ट' मानवीय संबंध ही हैं । सचमुच प्रबंधन को सफलता तभी मिलती है जब प्रबंधक लोगों के साथ अच्छी तरह से निभाए । इस संबंध में निजी संपर्क का कोई विकल्प नहीं है । निजी संपर्क में व्यवहार की शालीनता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और यदि प्रबंधक में संवेदनशीलता का अभाव है तो सब किया-कराया बेकार चला जाएगा । परंतु इसका यह अर्थ कतई नहीं कि पग-पग पर समझौता किया जाए । प्रबंधक को कार्य हित में समय-समय पर अपने दृढ़ इरादे का भी प्रदर्शन करना आवश्यक होता है । हां, इस वक्त भी वाक्संयम रखना जरूरी होता है । एक अहम चीज और भी उल्लेखनीय है कि प्रबंधक को अपने कर्मचारियों के निजी सुख-दुख पर ध्यान रखना चाहिए । प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच बढ़ती दूरी कभी किसी संस्था के हित में नहीं हो सकती । एक अच्छा अधिकारी सदैव अपने कर्मचारियों को यह अहसास दिलाता है कि वह उनके कल्याण में रुचि रखता है । परंतु यह भी ध्यातव्य है कि अपने कर्मचारियों से कभी झूठे वायदे न करे । आम तौर पर देखा यह जाता है कि जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसके सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी भी उसकी प्रशंसा के पुल बांध देते हैं लेकिन सेवाकाल के दौरान सदैव उससे उनकी शिकायत बनी रहती है । यह अच्छी स्थिति नहीं है । पार्किन्सन एवं रूस्तमजी बिलकुल ठीक लिखते हैं – 'प्रशंसा मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया, सबसे सस्ता और शायद सबसे अच्छा नुस्खा है।

अनावश्यक कुंठा :

कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि कर्मचारी किसी संगठन में काम करते-करते वर्षों बिता देता है लेकिन उसकी प्रोन्नति नहीं हो पाती है । ऐसी स्थिति में वह कुंठाग्रस्त होने लगता है । यह स्वाभाविक है लेकिन उसकी यह कुंठा उसके भी हित में नहीं होती । एक अच्छा प्रबंधक उन्हें अभिप्रेरित करने की कोशिश करता है । उसे यह समझाना ज्यादा उपयुक्त होगा कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की एक खास भूमिका होती है और उसे अपनी भूमिका को ठीक ढंग से निभाना चाहिए । क्या यह उसके लिए किसी पुरस्कार या प्रोन्नति से कम है । जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा अधिकारी बनकर हम समस्त उपलब्धियों को पा लें । हम जिस क्षेत्र में रहें जिस काम को करें, संपूर्णता में करें । सबसे बड़ी संतुष्टि यही है । सबसे बड़ी उपलब्धि यही है ।

मानव संसाधन विकास :

अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष लॉरेन्स एप्ली ने वर्षों पूर्व एक महत्वपूर्ण बात कही थी - 'मैनेजमेंट

* केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय रेशम बोर्ड, नागरी, रांची-835303 (झारखंड)

चीजों कों निर्देशन नहीं है - मैनेजमेंट लोगों का विकास है ।' एप्ली स्पष्ट तौर पर मानव संसाधन विकास की बात करते हैं । सचमुच एक अच्छा अधिकारी अपनी पूरी टीम को प्रशिक्षण, प्रोत्साहन एवं अन्य संसाधनों से समृद्ध कर वांछित लक्ष्य प्राप्त करता है । अच्छे कर्मचारी किसी प्रबंधन के संपत्ति होते हैं । वे समय-समय पर अपने बहुमूल्य सुझावों से प्रबंधन को लाभान्वित करते रहते हैं । अच्छे अधिकारी उनके सुझावों पर अमल करते हैं । उन्हें चापलूसों को पहचानने की कला भी आनी चाहिए । आमतौर पर कोई अति व्यस्त अधिकारी गलत निर्णय ले सकता है । अत: ऐसे क्षणों में उसके पास स्वतंत्र, निर्भीक सहकर्मी की उपस्थिति आवश्यक हो जाती है जो उसे सही सुझाव दे सके । आशय यह कि उच्चाधिकारी को अपने विवेक संपन्न कर्मचारी के सुझावों को गंभीतापूर्वक लेना चाहिए । वे कर्मचारियों की सोच के बारे में जानें एवं बातचीत का विकल्प सदैव खुला रखें । प्रबंधन विशेषज्ञ बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आपसी संपर्क और बातचीत स्थापित करना किसी भी संस्थान के मुश्किल कामों में से एक होता है ।

नियंत्रणाधिकार :

प्रबंधन का एक बुनियादी सिद्धांत यह भी है कि एक कर्मचारी का सिर्फ एक ही नियंत्रक अधिकारी (बॉस) हो । सेना के संदर्भ में बहुधा यह बात कही जाती है कि कई सुयोग्य सेनापतियों से एक अकुशल सेनापति ज्यादा कारगर सिद्ध होता है । कर्मचारियों के अलग-अलग नियंत्रक होने से विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे कार्यालय की कार्य-संस्कृति पर भी असर पड़ता है । अगर प्रबंधन की तकनीकी पदावली का प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि जिम्मेदारी का दायरा (एस्पेन ऑफ मैनेजीरियल रिस्पांसेबिलिटी) कम से कम कर लक्ष्य पर आधारित मैनेजमेंट (गोल ओरियेन्टेड मैनेजमेंट) लागू करना चाहिए ।

भाषायी पहलू :

प्रबंधन के क्षेत्र में भाषायी कौशल की महत्ता को नजरंदाज नहीं किया जा सकता । अक्सर एक ही संगठन में हमें विभिन्न स्तरों पर एवं विभिन्न लोगों से संपर्क करना होता है । ऐसी स्थिति में जटिल तकनीकी भाषा के प्रयोग से बचना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि आसानी से संवाद स्थापित हो सके एवं कार्य निष्पादन में तीव्रता लायी जा सके । इसके साथ ही वाचन से लेकर लेखन के स्तर पर भी प्रभावोत्पादक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए । आमतौर पर लोगों की नजरें दूसरों की गलतियों पर कुछ ज्यादा ही जाती रहती हैं जबकि हमारी नजरें अगर लक्ष्य पर हों तो ज्यादा लाभ मिलेगा । वस्तुत: एक विवेक संपन्न अधिकारी अपने अधीनस्थों की छोटी-मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर सदैव अपना ध्यान लक्ष्य पर केन्द्रित करते हैं । एक अच्छा प्रबन्धक हर गलती को सकारात्मक दृष्टि से देखता है एवं सदैव प्रयासरत रहता है कि उस गलती की पुनरावृत्ति से बचा जाए । होना तो यह चाहिए कि हम अपने अधीनस्थों को यह समझाएं कि उसके कार्य का राष्ट्रीय विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान है ? इससे उनका प्रोत्साहन होगा और वह अधिक रुचि लेकर बेहतर ढंग से कार्य निबटाएगा । इस क्रम में यह भी बतलाना जरूरी है कि जिन्हें हम काम सौंपते हैं उन्हे स्वतंत्रतापूर्वक काम करने देना चाहिए । बीच-बीच में बेवजह उनकी चौकसी करना काम में बाधा डालना ही होगा । यहां महात्मा गांधी की एक उक्ति मुझे याद आती है, 'जब बहुत से मनुष्यों से काम लेना हो तो उन पर अविश्वास करना गलत है ।' इससे एक सकारात्मक दृष्टि विकसित होती है । इन सबके बावजूद प्रबंधन के समग्र हित में समयानुरूप कड़े निर्णय लेने से भी परहेज न करें ।

टीम वर्क एवं विकेंद्रीकरण :

प्रबंधकीय सफलता का एक गुर यह भी है कि कार्यों के विकेंद्रीकरण से वांछित लक्ष्य की प्राप्ति में आसानी होती है। पर इस संदर्भ में विभागीय संरचना को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक दृष्टिकोण से निर्णय लेना उपयुक्त होगा। केवल यह ध्यान रखना जरूरी होगा कि टीम के हर सदस्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित भूमिका दी जानी चाहिए। साथ ही यह भी याद रखें कि आम तौर पर छोटी टीम बेहतर ढंग से कार्य करती है।

नेतृत्व का प्रभाव :

यद्यपि कोई संगठन अधिकारियों/कर्मचारियों के समूह द्वारा संचालित होता है परंतु व्यावहारिक सत्य यह है कि अच्छा नेतृत्व ही उसे सफल या असफल बनाता है। यही कारण है कि संगठन के प्रमुख को सफलता या असफलता के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है। एक अच्छा अधिकारी (प्रबंधक) समग्र कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित कर देता है। कोई जरुरी नहीं कि इसके सारे कर्मचारी प्रतिभावान हों। वह ऐसा 'सिस्टम' विकसित करता है कि औसत कर्मचारियों की टीम से बढ़िया परिणाम प्राप्त

कर लेता है । यहीं पर अच्छे मानवीय संबंधों की महत्ता दिखाई देती है । वह अपने नायाब तरीकों से मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेता है । वह बदलती परिस्थितियों के साथ बदलना भी जानता है तथा परिस्थितियों को बदलने में भी सिद्धहस्त होता है । अपने सहकर्मियों के प्रति नर्म स्वभाव रखना उनसे मित्रता स्थापित करना अच्छी चीज है लेकिन काम के मामले में उनसे दूरी बनाए रखना भी जरूरी है । सर्वोपरि बात यह है कि अच्छा प्रबंधक कभी हार नहीं मानता । अगर एक तरीके से काम नहीं हुआ तो दूसरा तरीका भी तो ढूंढा जा सकता है । मतलब–'जहां चाह वहां राह ।'

रचनात्मक निर्णय :

एक अच्छे प्रबंधन की पहली विशेषता यह होती है कि वहां सही समय पर रचनात्मक निर्णय लिए जाते हैं। प्रबंधन की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि छोटे-मोटे निर्णय लेने के लिए कनिष्ठ अधिकारियों को भी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इससे कार्य निष्पादन में तीव्रता आती है। प्रबंधन के जानकार यह मानते हैं कि निर्णय लेना मैनेजमेंट विकास के लिए सबसे अच्छा प्रशिक्षण है। यह सोचना भूल है कि किसी समस्या को लंबे समय तक लंबित रखने से लोग उसे भूल जायेंगे। वस्तुतः इसके दुष्परिणाम ही होते हैं। हां, इतना अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निर्णय संपूर्ण तथ्यों एवं लाभालाभ पर विचार करते हुए लिया जाना चाहिए। निर्णय लेने के प्राधिकार का विकेंद्रीयकरण कर कोई प्रबंधक अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। एक अच्छा प्रबंधक रोजमर्रा के कार्यों को निबटाने के बजाय भविष्य के लिए काम करता है, योजनाएं बनाता है। वह कामों की प्राथमिकता तैयार करता है। सारे कामों में अपना हाथ नहीं डालता। इस प्रकार वह अपना अति महत्वपूर्ण समय अतिशय महत्व के कामों के लिए देता है। वह सारे कामों के पीछे (नेपथ्य में) रहता है, एक कुशल निर्देशक की तरह। प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्जु की यह बात सदैव याद रखनी चाहिए–'सबसे अच्छा नेता वही है जिसके होने का लोगों को पता ही नहीं चले।' एक अच्छे प्रबंधक का मस्तिष्क इस विचार से ओत-प्रोत रहता है।

कार्यप्रणाली में प्रबंधन :

आमतौर पर हम 'सिस्टम' शब्द का प्रयोग करते हैं। एक अच्छा 'सिस्टम' विकसित करना प्रबंधक का पहला कर्तव्य है इसके लिए उपर्युक्त प्रविधियों से गुजरना अपेक्षित है स्वस्थ्य-कार्य प्रणाली में नियंत्रण की भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता लेकिन अपने मातहतों पर नियंत्रण रखने के लिए मैमोरेन्डम कभी कारगर हथियार नहीं हो सकता। सर्वदा स्मरणीय है कि विश्वास से ही विश्वास अर्जित किया जा सकता है। यह भी गौर करने लायक है कि अनावश्यक हस्तक्षेप नकारात्मक होता हैं इसकी जगह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दें। टीम भावना के लिए सदैव सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखना जरूरी है। सचमुच, तभी उद्देश्य पर आधारित मैनेजमेंट प्रणाली की इतनी प्रशंसा की जाती है।

समय की महत्ता :

व्यक्तिगत जीवन या किसी संगठन में जब तक समय के महत्व को नही समझा जाता, उन्नति नहीं हो सकती। अकसर संगठनों में अनावश्यक या गैर जरूरी कार्यों पर तथा औपचारिकताओं को पूरा करने में बहुत सा समय निकल जाता है। इससे वांछित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। जरूरत इस बात की होती है कि अनावश्यक एवं लगातार बैठकों, सेमिनारों आदि के आयोजन पर फिजूल का समय खर्च न किया जाए। हमेशा ध्यान रखें कि समय सीमित है। समय का नुकसान श्रम, मेधा एवं धन का नुकसान है। यह व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय क्षति है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती।

मानव प्रबंधन :

ऊपर कहा गया है कि एक अच्छा कार्मिक परिसंपत्ति होता है। जरूरत इस बात की होती है कि हम उन्हें पहचाने, उनका मूल्यांकन करें। इसके लिए उनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों, उनकी क्षमताओं पर विचार करना जरूरी होता है। दूसरों से बेहतर ढंग से काम लेना या काम करवा लेना भी एक टेकनीक है। इस टेकनीक को जाने बगैर सफलता कैसे मिल सकती है? एक अच्छा प्रबंधक किसी पर आरोप लगाने से बचते हैं बल्कि अपनी स्वच्छ छवि दूसरों पर आरोपित कर उनसे मनोवांछित काम करवा लेते हैं। बहुधा कम योग्य या अकुशल कर्मचारियों की सराहना कर हम उन्हें मुख्य धारा में ला सकते हैं। हमें चाहिए कि अपने कार्मिकों की क्षमता एवं ज्ञान का भरपूर लाभ उठाएं। नेपोलियन की इस बात की सच्चाई पर गौर कीजिए–"बुरे सिपाही कभी नहीं होते, केवल बूरे अफसर होते हैं।" गलती मानवीय भूल है। मनुष्य में सुधार की अनन्त संभावनाएं हैं। आपसी समझ-बूझ से खुशनुमा माहौल में सारी गलतियों के परिष्कार का प्रयास सदैव प्रशंसनीय होता है।

उपर्युक्त मूलभूत बिंदुओं पर गौर करते हुए स्वस्थ कार्यप्रणाली विकसित कर कोई संगठन निश्चित रूप से वांछित लक्ष्य प्राप्त कर सकता है एवं दूसरे संगठनों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। ■

3492 HA/06—7A

इंटरनेट बैंकिंग

—आर. ए. वोहरा*

संचार माध्यमों में इन्टरनेट बीसवीं सदी का सबसे बड़ा क्रान्तिकारी चमत्कार है । इन्टरनेट सुविधा ने हमारी जीवन शैली को बदल दिया है । विकसित देशों में कई कर्मचारियों को कार्यालय जाने की जरूरत नहीं । वे घर बैठे बैठे ई-मेल और इन्टरनेट के जरिये कार्यालय का काम पूरा करते हैं । इन दिनों मोबाइल ऑफिस का दौर है । कार्यालय से घर या कहीं दौरे पर निकले अथवा किसी पर्यटन स्थल पर मौज-मस्ती करते लैपटॉप पर ब्लू-टूथ तकनीक के सहारे ई-मेल/इन्टरनेट के जरिए समस्त काम निर्बाध रूप से पूरे होते रहते हैं । इन्टरनेट ने भौगोलिक दूरियां समाप्त कर दी हैं और समस्त विश्व एक विश्वग्राम में तब्दील हो गया है । दिन ब दिन इन्टरनेट का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है । बैंक अधिकाधिक संख्या में इन्टरनेट के जरिए अपने उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराकर अपने ग्राहकों के और निकट आ रहे हैं । भारत में अब ज्यादातर बैंक ऑनलाइन हो चले हैं । घर बैठे ही आप अपने खाते की स्थिति जान सकते हैं । कुल मिलाकर यह एक बड़ी सुविधा बन गई है । बैंक ग्राहक स्थान व समय सीमा से परे अपने खाते परिचालित कर सकते हैं । इन्टरनेट की शक्ति व सुविधा से ग्राहक अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से अपने कई बैंकिंग कार्य कर सकता है । इन्टरनेट बैंकिंग सेवा की मदद से भारत में अभी निम्नलिखित बैंकिंग लेने-देन किए जा सकते हैं :

चालू/बचत खाते की जानकारी

—खाता शेष

—पूरे भारत में स्वयं के खाते में उपलब्ध राशि का अंतरण

—एक ही शाखा में अन्य पक्ष को अंतरण

—नया खाता खोलना

—माँग ड्राफ्ट अनुरोध

—स्थायी अनुदेश

—जारी किए गए चेकों की स्थिति/स्टॉप पेमेन्ट/एफडी/एफडी नवीनीकरण

—नए चेक बुक चेकों के लिए अनुरोध और अन्य सुविधाएँ

उपर्युक्त के अलावा उपलब्ध अन्य सेवाएं निम्नानुसार हैं :

रेल टिकट आरक्षण/क्रेडिट कार्ड गेटवे

मोबाइल रिचार्जिंग/उपयोगी सेवाओं के बिलों का भुगतान/प्रेजन्टमेंट

एलआईसी एवं अन्य बीमा प्रीमियम भुगतान

म्यूचुअल फंड निवेश

लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते में अंशदान भेजना

क्रेडिट कार्ड की देय राशियों का भुगतान

अपने कर जमा करना

धर्मार्थ दान

रेडक्रॉस तथा ऐसे अन्य संगठनों को दान

ग्राहक सेवा

ई-मेल/संदेश/एस.एम.एस. अलर्ट्स

डिमैट खाते की जानकारी

डिमैट खाता संख्या और उससे संबद्ध बैंक खाता संख्या

होल्डिंग की स्थिति

अधिकांश बैंकिंग लेन-देन पूरा करने के लिए ये सेवाएँ पर्याप्त हैं । आप विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न बैंकों में खोले गए खातों के बीच निधियों का अंतरण भी कर सकते हैं । यह सेवा प्राप्त करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी किसी भी शाखा से संपर्क किया जा सकता है । अभी

*आई.डी.बी.आई. लि., जीवन निधि बिल्डिंग, भूतल, एल.आई.सी. कंप्लेक्स, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302005

3492 HA/06 - 7D

लगभग सभी बैंकों की इन्टरनेट बैंकिंग सेवा नि:शुल्क है । बैंक की साइट वेरी साइन द्वारा प्रमाणित होती है जो इस बात का प्रमाण है कि यह साइट ऑनलाइन लेन-देन करने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है ।

नेट बैंकिंग कितनी जोखिमपूर्ण ?

जहां एक ओर इंटरनेट ने इंसान की जिंदगी को आसान बनाया है वहीं जोखिमों को भी बढ़ाया है । आज इंटरनेट के माध्यम से आप दुनिया में कहीं से भी ऑनलाइन खरीद कर सकते हैं, अपनी चीजें बेच सकते हैं सौदे कर सकते हैं, बैंकों से हर तरह का लेनदेन कर सकते हैं लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है । और वह है जोखिम । पिछले कुछ वर्षों से क्रेडिट कार्डों से संबंधित धोखाधड़ी और बैंकों के साथ ऑनलाइन कारोबार में खाता नंबर, कार्ड नंबर, पासवर्ड जैसी गोपनीय सूचनाएं लीक होने की जो घटनाएं और अपराध सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं । बैंकों से हम जो ऑनलाइन लेनदेन करते हैं या कर्ज के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं या ऑनलाइन शेयर कारोबार करते हैं ये सब संवेदनशील लेनदेन में गिने जाते हैं क्योंकि इसमें आप अपने खातों से संबंधित सारी जानकारी ऑनलाइन पर डालते हैं ।

सवाल आता है कि आखिर पहचान चोरी के लिए जिम्मेदार कौन है इसका सीधा सा जवाब यही है कि असुरक्षित तरीके से ऑनलाइन कारोबार ही हैकरों को मौका देता है । पहचान चोरी के ढ़ाई फीसदी से भी कम मामले हैं जो असुरक्षित तरीकों का नतीजा होते हैं। एक जानकार के अनुसार ऑनलाइन लेनदेन में धोखाधड़ी की संभावना एक फीसदी से भी कम रहती है । ऑनलाइन पर जितना कारोबार होता है उसमें ऐसे मामले एक फीसदी से भी कम आते हैं जो हैकरों के शिकार हों, पहचान चोरी के शिकार हों, वैसे ऑनलाइन कारोबार ज्यादा सुरक्षित है, इसमें आप कोई कागजी घपला नहीं कर सकते । ऑनलाइन बैंकिंग तो लोगों को धोखाधड़ी से बचाती है । ऑनलाइन लेनदेन में ग्राहक तुरन्त ही अपने खाते को चैक कर सकता है । कितना पैसा शेष है, कितना निकला, कितना जमा हुआ इन सबकी जानकारी क्लिक करते ही मिल जाती है, जबकि कागजी काम में धोखेबाजी का जोखिम ज्यादा रहता है । यह गलत धारणा है कि पैसा जब तिजोरी में रहता है तो यह ज्यादा सुरक्षित रहता है। बैंक ग्राहकों को यह महसूस कराना चाहते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग में भी उनका पैसा उतना ही सुरक्षित है जितना कि तिजोरी में या कहीं और बल्कि इससे भी ज्यादा ।

बैंक अपने ग्राहकों को ऑनलाइन सेवा का उपयोग करने के लिए काफी प्रेरित कर रहे हैं और इसके लिए ग्राहकों को इंसेंटिव भी दे रहे हैं, कुछ बैंकों ने तो ऑनलाइन सेवाएं देने की अपनी फीस तक खत्म कर दी है, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं को और ज्यादा आसान बनाने के लिए तरह-तरह के साफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं, जैसे क्विकिन प्रोग्राम का नया वर्शन आपको रद्द हुए चैक की इलैक्ट्रॉनिक इमेज बता देगा ।

ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेन को अगर सुरक्षित तरीके से करें तो यह एक बहुत बड़ी सुविधा है पहले आपको किसी दूसरे शहर में जाने पर नकदी की पर्याप्त व्यवस्था के साथ जाना पड़ता था जिसमें चोरी या जेब कट जाने का डर रहता था । अब एटीएम-सह-क्रेडिट कार्ड जेब में होना चाहिए, किसी भी शहर में कभी भी किसी भी एटीएम से कैश निकाल सकते हैं ।

ऑनलाइन बैंक जालसाजी के ज्यादातर मामले चालाकी से फंसाए जाने से संबंधित होते हैं इसमें ग्राहक सिर्फ ई-मेल देखते ही अनजाने में अपना खाता नंबर कार्ड नंबर पासवर्ड और निजी व गोपनीय जानकारियां दे देते हैं। और फिर इन्हें लेने वाला इनका दुरूपयोग कर लेता है । इस तरह की जालसाजी से बचाव के लिए कई इंटरनेट सेवा प्रदाता एंटीफिशिंग टूल मुहैया कराते हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने को सुरक्षित रख सकते हैं ।

वैसे सबसे अच्छा तरीका यह है कि नियमित रूप से अपना बैंक अकाउंट चैक करते रहें । बैंक के साथ जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी पीडीएफ फाइलों को सेव कर लें या उसका प्रिंट ले लें यदि आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट्स और पैरोल को सेव करके रखते हैं तो फिर सिस्टम को जरूर नियमित बैकअप देते रहिए । कई बैंक ऐसे हैं जो ऑटोमैटिक नोटिफिकेशन की सुविधा प्रदान करते हैं जिसमें कि बैंक आपको समय-समय पर सतर्क करता रहेगा । अगर आपके खाते में पैसा न्यूनतम निर्धारित राशि से नीचे चले जाता है या अनाधिकृत लेनदेन हो जाता है तो ऐसी सूरत में आपको अपने आप ही खबर मिल जाएगी अगर बैंकों में यह सुविधा हो तो इसे जरूर लेना चाहिए ।

कुल मिलाकर इन्टरनेट बैंकिंग बैंकों और ग्राहकों के लिए आधुनिक साइबर युग का अनमोल उपहार है । ■

पत्रकारिता

देहाती सरोकारों से कितना जुड़ा है मीडिया

—अरविंद कुमार सिंह*

संचार क्रांति के चलते पिछले बीस सालों में दुनिया जितनी तेजी से करीब आई है और जितने परिवर्तन हो रहे हैं, उतने पांच हजार सालों के इतिहास में नहीं हुए हैं। संचार क्रांति का ही असर है कि बहुत छोटे से दायरे में अरसे से अस्तित्व के लिए जूझनेवाले कई अखबार आज राष्ट्रीय अखबारों को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं । संचार क्रांति ने मीडिया को बहुत विकसित और संपन्न बना दिया है । आज का पत्रकार भी तीस-चालीस साल पहले जैसा पत्रकार नहीं रहा । वह आज पहले से काफी अधिक संपन्न और सुविधाओं से लैस है । अखबार भी पहले जैसे खुरदुरे नहीं हैं । उनके दाम भी कई सालों से ठहरे हैं और कई अखबारों के दाम तो उलटे घट गए हैं । देश के करीब हर राज्य में ग्रामीण इलाकों में अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं ने अपनी पहुंच बना ली है। टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल, फोन और संचार के कई साधन हमारे गांवों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं । इन साधनों ने हमें खबरों के जितना करीब पहुंचा दिया है, उतना पहले कभी नहीं हुआ । इसी संचार क्रांति का एक रूप कुछ साल पहले दिखा था जब पूरा देश चंद मिनटों में भगवान गणेशजी को दूध पिलाते पाया गया था । इसी क्रांति का असर था जब बलिया के सौरभ नामक एक युवक की परीकथा को बढ़ चढ़ कर दिखाने की ऐसी होड़ लगी कि किसी ने नासा या राष्ट्रपति भवन से स्पष्टीकरण की भी जरूरत नहीं महसूस की ।

मीडिया ताकतवर हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके साथ ही समाचारपत्रों और चैनलों ने कई लक्षित समूहों को ध्यान में रख कर नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। युवाओं और महिलाओं के लिए कालम से लेकर ज्योतिष, स्वास्थ्य और फैशन जैसे कई परिशिष्ट भी निकाले जा रहे हैं। भारत जैसे विशाल आबादी के देश में जहां हर तरीके का ग्राहक मौजूद हो, वहां ऐसा किया जाना स्वाभाविक है। पर सबसे चिंता की बात यह है कि देश में ग्रामीण विकास का क्षेत्र कभी भी मुख्यधारा की मीडिया की मुख्य चिंता का विषय नहीं बन पाया है ।

वास्तव में मीडिया का असली केंद्र महानगर और नगर ही हैं, ऐसे में ग्रामीणों की बहुत अधिक उपेक्षा हो रही है। भारत में शहरी आबादी 27.15 करोड़ की तुलना में ग्रामीणों की आबादी 74.07 करोड़ है । पर विशुद्ध व्यावसायिक नजरिए के चलते खासकर बड़े अखबार देहात की जितनी उपेक्षा कर सकते हैं, कर रहे हैं । कुछ सनसनीखेज देहाती अपराध कथाओं को छोड़ दें तो व्यापक जनमानस को प्रभावित करने वाले ग्रामीण अंचल से जुड़ी खबरें मीडिया की नजरों से ओझल हैं । इन अखबारों से गांव के लोग दुनिया भर की खबरें तो पा जाते हैं, पर अपने आसपास हो रहे बदलाव की खबरों से वे वंचित रहते हैं ।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्रामीण विकास में मीडिया बहुत कारगर हथियार बन सकता है, पर यह तकलीफ की बात है कि हाल के सालों में काफी साधनसंपन्न और विकसित हुए कई बड़े अखबार और चैनल अपनी इस भूमिका के प्रति बहुत उदासीन हैं । धीरे-धीरे खबरों का एक अलग तेवर दिख रहा है, अगर किसी सूबे के तबाह किसान हजारों की संख्या में दिल्ली में पहुंचते हैं तो अब इसे नोटिस में भी नहीं लिया जाता है, पर सीआईआई या फिक्की के नेता अगर चार लाइन की चिट्ठी भी सरकार को लिख दें तो वह हर जगह पहले पेज पर नजर आ सकती है । यहीं नहीं किसी कारोबारी घराने के विवाद को तो कुछ अखबारों में

*126, टाइप-4, स्पेशल, सेक्टर-8, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110022

चंद दिनों में इतनी जगह मिल जाती है । जितनी शायद साल भर में देहात को मिलती हो ।

महानगरों से निकलने वाले अखबारों से इस मामले में खास निराशा होती है। ये अखबार ही भारत सरकार से सबसे ज्यादा विज्ञापन हासिल करते हैं। पर देहातियों के साथ अगर कोई खड़ा दिखता है तो वह छोटे नगरों का अखबार है। पर उसकी पहुंच और पकड़ सीमित है और उसकी आवाज नीति निर्धारकों के पास तक नहीं पहुंचती है। रेडियो और दूरदर्शन जरूर बड़े अखबारों की तुलना में ग्रामीणों के लिए अधिक उपयोगी साबित हो रहे हैं । इसी तरह योजना, ग्रासरूट, कुरूक्षेत्र, खेती और उ.प्र. संदेश, कृषि चयनिका, फल-फूल, तथा कृषक समाचार जैसे प्रकाशन भी किसानों और देहाती जनमानस के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं । सरकारी प्रकाशनों में काफी महत्वपूर्ण और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया । अखबार ग्रामीण भारत, जो पंचायतों तक पहुंचता था वह हाल में वितरण बाधाओं के कारण बंद कर दिया गया ।

भारत में नियोजित विकास प्रक्रिया के चलते कई क्षेत्रों में तस्वीर बदली है । आज हमारी साक्षरता दर 65 प्रतिशत हो गयी है । यह एक बड़ी उपलब्धि है । पर गरीबी और विषमता भी बहुत बड़े स्तर पर विद्यमान है और कई सामाजिक सूचकांकों में प्रयास के बावजूद मामूली परिवर्तन ही हो पाया है । 1985-86 से अब तक 25,000 करोड़ रु. खर्च करके कुल 124 लाख मकान इंदिरा आवास योजना के तहत बने । पर जमीनी हालत यह है कि आज भी देहात में करीब पचास लाख परिवारों के पास सिर छिपाने के लिए छत नहीं है । वहां 3.11 करोड़ आवासीय इकाइयों की कमी है । 1.26 करोड़ आबादी प्रतीकात्मक मकानों में तथा 63 लाख लोग बेहद जर्जर मकानों में रह रहे हैं । यही नहीं भारत में कुल 8.25 लाख ग्रामीण बस्तियों में से करीब 3. 30 लाख बस्तियों के पास केवल मौसमी रास्ते ही हैं। देहाती आबादी का 39 फीसदी हिस्सा एक कमरे के मकान में रह रहा है । कुल 30.2 फीसदी के पास दो कमरे और 26.7 फीसदी के पास तीन कमरे के मकान हैं । देहात में कुल 81 फीसदी लोगों के पास अपनी पेयजल सुविधा नहीं है । शौचालय कुल 22 फीसदी लोगों के पास है। बिजली की हालत किसी से छिपी नहीं है, जिन गांवों में यह पहुंची भी है, वहां उसकी बेहद अविश्वसनीय आपूर्ति है ।

देश में ग्रामीण गरीबी आज भी चिंताजनक तसवीर पेश करती है । 1990 के दशक के शुरू में गरीबी 36 फीसदी से घटकर अब 26.1 प्रतिशत रह गयी है। पर यह आंकड़ा भी विवादों के घेरे में है । एक डालर से कम आय पर अपना गुजारा करने वाले व्यक्तियों की भारत में जितनी आबादी है, उस हिसाब से निर्धनता की दर 39 प्रतिशत मानी जा रही है । देश के आधे निर्धन जो 13.3 करोड़ लोग उ.प्र., बिहार और मध्य प्रदेश में रहते हैं और तीन चौथाई निर्धन गांवों में रहते हैं । इन सारे तथ्यों के आलोक में ग्रामीण विकास में मीडिया की भूमिका बहुत अहम हो जाती है ।

ग्रामीण विकास का सबसे अहम पक्ष है खेती बाड़ी की तरक्की। हाल के सालों में खेती को करारा झटका लगा है । सब्सिडी कम हो रही है और कृषि आदानों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं । ऐसे में कई इलाकों में खेती किसानों के लिए भारी घाटे का सौदा बन रही है । कई और बदलाव भी हाल के सालों में देहाती समाज में दिख रहे हैं, भारत की समूची श्रमशक्ति का करीब 60 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में ही काम कर रहा है और देश के 80 प्रतिशत निर्धन रोजी-रोटी के लिए खेती पर ही निर्भर है । ऐसे लोगों में अधिकतम छोटे किसान हैं, जिनके पास सीमित जोत है और उनकी श्रम उत्पादकता उनको केवल जिंदा रख सकती है। बेहतर जीवन नहीं प्रदान कर सकती हैं । इस तस्वीर के बीच में भूमिहीन किसान की दशा का सहज अंदाज लगाया जा सकता है, जिनकी आजीविका का स्रोत केवल मजदूरी ही है । यह बहुत सुखद बात है कि देश के चुनिंदा 200 जिलों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गयी है, अन्यथा आने वाले वर्षों में इस वर्ग का सबसे बुरा हाल होता ।

दसवीं योजना में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने की उच्च प्राथमिकता दी गयी है ताकि कृषि क्षेत्र वार्षिक चार प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल कर सके । पर अभी तक जो तस्वीर दिख रही है, वह बहुत आशाजनक नहीं है । कृषि की विकास दर लगातार झटका खा रही है । दसवीं योजना के तीन सालों में यह 1.2 रह गयी है । भूमंडलीकरण के इस

दौर ने भारत के किसानों को दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके लिए वे मानसिक तौर पर तैयार नहीं थे । न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली भी हाल के सालों में प्रभावित हुई है ऐसे में तमाम गरीब किसानों के पास कर्ज में डूबने के अलावा कोई ओर रास्ता नहीं रहा था । यही कारण है कि कई प्रांतों में किसानों ने बड़ी संख्या में आत्महत्याऐं तक की हैं । देहाती समाज का ताना बाना आज भी काफी मजबूत है, ऐसे में आत्महत्याओं की नौबत तक आना निश्चय ही बहुत गंभीर चिंता की बात है । यह सही है कि मीडिया ने आत्महत्याओं के मामले को मुखर किया और सरकार ने कृषि ऋण नीति को और उदार बनाया पर यह सारा काम करने में काफी देरी हुई ।

आजादी मिलने के समय हमको खाद्यान्न बाहर से मंगाना पड़ता था और हमारा कुल उत्पादन 1951 में करीब 51 मिलियन मी.टन था । यह आज 212 मिलियन मीटरी टन के रिकार्ड तक पहुंच गया है । खाद्यान्न के साथ बागवानी और अन्य क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है । आज हम आत्मनिर्भर होने के साथ निर्यात के पथ पर भी अग्रसर हैं । पर यह भी एक चिंताजनक पक्ष है कि देश के कई हिस्से में किसान पर बिचौलिए हावी हैं और उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाता है । मजबूरी में उसे अपनी फसलों को औने-पौने दामों में बेचना पड़ता है । ऐसा किसी और उत्पाद के साथ नहीं हो रहा है । ये सब गंभीर चिंता के विषय हैं, पर मीडिया को इसकी चिंता नहीं दिखती है ।

हाल के सालों में संचार क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है । पर इस क्रांति की रफ्तार असल में मुख्य रूप से शहरों के आसपास ही केंद्रित है । अकेले अप्रैल से दिसंबर 2004 के बीच भारत में 1.63 करोड़ फोन लगे जिसमें से 1.40 करोड़ मोबाइल थे । इसमें भी गांवों में लगे फोनों की कुल संख्या थी मात्र 7.65 लाख फोन भी लगे । फिर भी गांवों में संचार सुविधाएं विकसित हो रही हैं और गांव बदल रहे हैं । पहले गांवों की संचार दुनिया बहुत छोटी थी । हरकारा, चिट्ठी, रिश्तेदार, हाट-मेले और दूर दराज से आने वाले दुकानदार तथा साधू सन्यासी या फकीर ग्रामीणों तक खबरें पहुंचाते थे । मध्यकाल में अकबर जैसे बादशाह ने संदेश जल्दी से जल्दी हासिल करने के लिए कि उनकी बेगम को बेटा पैदा हुआ या बेटी, बहुत बड़ी संख्या में सैनिक तैनात किए थे । वे आवाज देकर एक दूसरे को संदेश आगे भेजते थे । इसी तरह 1857 में हुए भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की वास्तविक और विस्तृत रिपोर्ट तीन महीने के बाद लंदन पहुंची थी ।

समाचार पत्रों की भूमिका

शहरों में भले ही अखबारों और पत्रकारों को लेकर धारणाएं बदल रही हों पर देहात में आज भी छपे शब्दों को सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है । आम ग्रामीण की धारणा है कि अगर छपा है तो गलत हो ही नहीं सकता है । इस विशाल भरोसे के बावजूद बहुत कम अखबार ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाकों की आवाज बन रहे हैं । यह अलग बात है कि इलेक्ट्रानिक मीडिया के विस्तार के बावजूद अखबारों का प्रसार भी लगातार बढ़ रहा है । टेलीविजन चैनलों के जरूर कुछ अखबारों का राजस्व प्रभावित किया है, पर बड़े अखबार इससे एकदम प्रभावित नहीं हुए हैं । देश में विभिन्न श्रेणी के कुल 55 हजार से ज्यादा अखबार निकल रहे हैं जिनकी गली कूचों तक पहुंच है । उ. प्र. में ही अकेले 2.8 करोड़ अखबार बिक रहे हैं ।

आरएनआई की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रानिक मीडिया की चुनौती का अखबारों के प्रसार पर कोई असर नहीं पड़ा और विस्तार से खबरें जानने का साधन आज भी अखबार ही बने हुए हैं । यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि बड़े अखबार और चैनल महानगरों या उसके आसपास ही केंद्रित हैं । पर नीति निर्धारकों की पहली पसंद यही बने हैं । हमारे यहां कंप्यूटर साठ के दशक में आये पर अब वे कस्बे और देहात तक में पहुंचते जा रहे हैं । संचार हाट भी कस्बों तक पहुंच बना रहे हैं । सभी प्रमुख हिंदी अखबारों की अपनी वेबसाइट भी बन गयी है, जिसके पाठक भी लगातार बढ़ रहे हैं ।

इन बड़े अखबारों और खास तौर पर राष्ट्रीय अखबारों में देहाती जनता की लगातार उपेक्षा हो रही है और ग्रामीण विकास के मुद्दे हाशिए पर रहते हैं । यह अलग बात है कि आजादी के आंदोलन और आजादी के बाद चले किसान आंदोलनों में कई अखबारों ने बहुत महत्व की भूमिका निभाई । 1987-88 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान

3492 HA/06—8P

आंदोलन में अमर उजाला ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी । अमर उजाला प्रबंधन ने सरकारी कोपभाजन बन कर भी तब किसानों के सरोकारों से जुड़ने का फैसला किया । उसने पश्चिमी उ.प्र. में किसानों की समस्याओं और आंदोलन की पृष्ठभूमि को बहुत बेबाकी से उठाया । इसके चलते अन्य अखबारों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तक को गांवों तक पहुंचने को मजबूर होना पड़ा था । पर यह तेवर केवल आंदोलन तक ही बना रहा । इसके बाद जो फालोआप होना था, वह नहीं हुआ ।

यह चिंताजनक पक्ष है कि आज अखबारों पर व्यावसायिकता लगातार हावी होती जा रही है और वे सामाजिक सरोकारों से कटते जा रहे हैं । अखबार केवल उत्पादन बनता जा रहा है । इसके साथ ही अखबारों में एक अजीब सी अंधी दौड़ शुरू हो गयी है । अपराध के महिमामंडन की होड़ में गांवों की सफलता की कहानियां और देहाती समाज की दिक्कतें गायब हो गई हैं । केवल सनसनी फैला कर ही मीडिया अपना कर्तव्य नहीं निभा सकता है ।

आज देश के सर्वाधिक बिक्रीवाले 10 प्रमुख समाचार पत्रों में दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, मलयाला मनोरमा, दैनिक थांती, अमर उजाला, इनाडु, लोकमत, मातृभूमि, हिंदुस्तान, टाइम्स आफ इंडिया आते हैं, एनआरएस सर्वे 2003 में 25 संस्करणों के साथ जागरण के पास 1.57 करोड़ पाठक हो गए हैं और दैनिक भाष्कर के पाठकों की संख्या 1.36 करोड़ हो गई है । अमर उजाला के पास भी करीब 86 लाख पाठक हो गए हैं । कुछ साल पहले तक यूपी के अखबार माने जाने वाले जागरण और अमर उजाला तथा म.प्र. के अखबार के रूप में मशहूर दैनिक भाष्कर ने देश के कई हिस्सों में और देहात में अपनी पैठ बनाई है ।

इनका असर भी काफी है । पर इनमें से ज्यादातर अखबारों में राजनीति, अपराध और अन्य गतिविधियों को सर्वाधिक जगह मिल रही है । इन अखबारों के तमाम परिशिष्ट भी निकल रहे हैं, पर खेती बाड़ी और ग्रामीण विकास पर अगर अखबारों में सही तरीके से जानकारी मिल रही है और देहाती दुनिया से जुड़े अनुसंधानों की जानकारी दी जा रही है तो वे हिंदू और ट्रिब्यून और कुछ क्षेत्रीय अखबारों में ही दी जा रही हैं ।

संचार माध्यमों में हिंदी और भारतीय भाषाएं बेहद ताकतवर होती जा रही है। आंध्र प्रदेश के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर अखबार और टीवी समूह इनाडु टेलीविजन ने हिंदी में भी अपना चैनल शुरू किया और केरल के सबसे लोकप्रिय समूह मलयाला मनोरमा भी किसी न किसी बहाने हिंदी में अपना असर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है । इन दोनों समूहों की अपनी खास विश्वसनीयता है । हिंदी की पकड़ भी बहुत तेजी से बढ़ी है । आज दुनिया के किसी कोने में घटी घटना दूसरे कोने तक पहुंच ही नहीं जाती बल्कि सबको प्रभावित भी करती है । यह संचार माध्यमों का ही असर था कि अमेरिका में आतंकवादी हमलों से लेकर भारतीय संसद पर किए गए हमलों की खबरें दुनिया के ज्यादातर लोगों को चंद मिनटों में मिल गईं और आतंक के खिलाफ विश्व जनमत बनाने में मदद मिली ।

पिछले तीन दशकों में जनसंचार माध्यमों का बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है और भूमंडलीकरण ने दुनिया की सरहदों को समाप्त सा कर दिया है । देश में हिंदी भाषी इलाकों में साक्षरता के बढ़ने के कारण संचार माध्यमों ने हिंदी पर और जोर दिया है । हिंदी अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं की पहुंच ऐसे इलाकों में भी बढ़ी है, जहां पहले उसका दायरा बहुत सीमित था, आज पंजाब में हिंदी के कई अखबार चल निकले हैं तथा बंगाल और असम में भी हाल के सालों में जो हिंदी के अखबार निकले उनकी खासी प्रसार संख्या हो गयी है ।

दूरदर्शन

भारत में जनसंचार माध्यमों में आज भी आकाशवाणी, दूरदर्शन और समाचार पत्रों का मुख्य स्थान बना हुआ है । हिंदी भाषी आबादी देश की कुल आबादी के आधे से भी ज्यादा है । भारत में जो राज्य अहिंदी भाषी हैं, वहां भी हिंदी के जानकारों की संख्या बहुत अधिक है । रेडियो, टेलीविजन और संचार माध्यमों में हिंदी के बड़ी संख्या में दर्शक और श्रोता हैं ।

आज के संचार माध्यमों में छोटा परदा काफी प्रभावी है । संचार माध्यमों में वह भले ही सबसे आगे न हो पर बाकी को यह पीछे धकेल रहा है । हमारे यहां पहला

टेलीविजन केंद्र दिल्ली में सितंबर 1956 में शुरू हुआ और उसका कुल दायरा 24 किलोमीटर तक सीमित था पर आज पूरा देश इसके दायरे में है । दूरदर्शन संकेत सारे देश में उपयुक्त डिस एंटीना का उपयोग करके उपग्रह या केबल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध है । संचार माध्यमों की तीनों बुनियादी अवधारणाओं मनोरंजन, सूचना और शिक्षण तीनों में टीवी खरा उतरा है ।

आज हमारे गांवों में भी टीवी का खासा प्रसार हुआ है तथा कई कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हुए हैं । पर बिजली की समस्या के चलते गांवों में काफी दिक्कत आ रही है । इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च आन मास मीडिया के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में कहा गया कि 2003 में अप्रैल माह में देश में कुल 32.07 फीसदी गांवों में टीवी की पहुंच हो गई थी, जबकि यह 2001 में 30.68 फीसदी थी । जिन गांवों तक टीवी का प्रसार हो गया उनमें 46.73 फीसदी घरों में टीवी सेट स्थापित हो चुक थे । पर सिक्किम में 7.38 और केरल में 83.51 फीसदी सेट घरों में पहुंचे ।

मगर देहाती समाचार चैनलों को देखने से बचते हैं । समाचार आधारित कार्यक्रमों में उनके लिए कुछ खास नहीं होता है । इसी नाते ग्रामीण दर्शकों पर वे बहुत सीमित प्रभाव डाल रहे हैं । पर ग्रामीण विकास से जुड़े कई समाचार तथा विकास गाथाएं दूरदर्शन पर जरूर दिखती हैं और लोगों तक असर भी डालती हैं ।

पर यह उल्लेखनीय है कि टेलीविजन चैनलों के समाचार आधारित कार्यक्रम गांव के लोगों को नहीं लुभा रहे हैं । वे इस मामले में अखबारों को ही सर्वाधिक विश्वसनीय मानते हैं और विस्तार से समाचार उसी में तलाशते हैं । पर यह दुर्भाग्य है कि देहाती लोग जिस माध्यम को सर्वाधिक विश्वसनीय मानते हैं, वे ही उनका ध्यान नहीं रखते हैं । पर यह भी ध्यान देने की बात है कि ग्रामीण योजनाओं की केवल सतही जानकारी ही टीवी से मिल पाती है । देहातियों को सबसे ज्यादा फिल्में और सीरियल पसंद हैं । कृषि कार्यक्रम के दर्शक स्वाभाविक तौर पर गांवों में सर्वाधिक हैं ।

1955 में दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क की पहुंच वाले 24.7 करोड़ दर्शकों में से 8.8 करोड़ ग्रामीण थे । मगर इस दौरान देहाती दर्शकों की संख्या 70 फीसदी बढ़ी, 2002 तक ग्रामीण दर्शकों की संख्या बढ़ कर 12 करोड़ और 2003 के राष्ट्रीय पाठकगण सर्वेक्षण में बढ़कर 14.30 करोड़ हो गयी । प्रसार भारती ने 21 जनवरी 2004 से किसान चैनल शुरू किया । यही नहीं उन 15 राज्यों में जहां टीवी कवरेज राष्ट्रीय औसत से कम है, वहां पर गांवों में सार्वजनिक संस्थानों जैसे आंगनवाड़ियों, स्कूलों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायतों तथा सहकारी समितियों में 10,000 केयू बैंड डिस एंटीना सेट को मुफ्त स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है । जो तस्वीर दिख रही है, उसे और बेहतर बनाया जा सकता है, अगर दूरदर्शन और टीवी चैनल ग्रामीण भारत पर फोकस करके कुछ ठोस पहल करें ।

आकाशवाणी

दूरदर्शन तथा हाईटेक चैनलों की तुलना में आकाशवाणी का महत्व आज भी देहात में सबसे अधिक बरकरार है । गावों में अभी भी 90 फीसदी लोग आकाशवाणी के समाचार तथा कार्यक्रमों से ही ज्ञान और मनोरंजन हासिल करते हैं । ग्रामीण विकास में रेडियो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ।

भारत में रेडियो का इतिहास 1924 में शुरू होता है । आजादी मिलने के समय देश में छह रेडियो स्टेशन तथा 18 ट्रांसमीटर थे । तब देश की 11 प्रतिशत आबादी और मात्र 2.5 प्रतिशत क्षेत्र इसके प्रसारण दायरे में आता था । आज रेडियो नेटवर्क में 215 स्टेशन और 337 ट्रांसमीटर हैं । देश की 99.13 प्रतिशत जनसंख्या और 91.42 प्रतिशत क्षेत्र इसके दायरे में आता है । शार्ट वेव सेवा के जरिए आकाशवाणी कवरेज पूरे देश में पहुंच गया है । भारतीय रेडियो आज 24 भाषाओं और 146 बोलियों के माध्यम से 97 फीसदी लोगों तक पहुंच रहा है । यह एक ताकतवर माध्यम है और राष्ट्रीय निर्माण तथा ग्रामीण विकास में बेहद अहम भूमिका निभा सकता है । रेडियो के खेती संबंधी कार्यक्रमों ने कई ऐसे अभियान चलाए हैं जो सफल रहे और ग्रामीण विकास के लिए बहुत मददगार रहे । हरित क्रांति की सफलता तथा गुजरात में क्षेत्र क्रांति में संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हरित क्रांति में बौनी प्रजातियों ने अनूठी भूमिका निभाई थी और इन प्रजातियों को लोकप्रिय बनाने का काम

आकाशवाणी ने किया था । और तो और इन प्रजातियों का नाम ही रेडियो प्रजाति पड़ गया । इससे देहाती दुनिया में रेडियो की लोकप्रियता का सहज अंदाज लगाया जा सकता है ।

सभी आकाशवाणी केंद्र ग्रामीण विकास, खेती बाड़ी और घरों के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं और गांव देहात अरसे से रेडियो के एजेंडे में रहा है । किसानों तथा अन्य वर्गों को इसका फायदा भी पहुंचा है । रेडियो में स्थानीय जरूरतों और सर्वेक्षण पर आधारित, विशेष लक्षित श्रोता होते हैं तथा ऐसे समय तय किए गए ताकि वे उनको सुन सके ।

भारत में रेडियो को एक नियमित आय प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 1924 में डाक विभाग द्वारा रेडियो लाइसेंस जारी कर फीस वसूलने का काम शुरू हुआ था । लाइसेंस प्रणाली 1985 तक चलती रही । वैसे तो 31 जुलाई 1924 से मद्रास प्रेसीडेंसी रेडियो क्लब ने छोटे-मोटे कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया था पर भारत रेडियो का नियमित प्रसारण 23 जुलाई 1927 से बंबई से इंडियन ब्राडकास्टिंग कंपनी द्वारा शुरू किया था । बाद में बीबीसी की तकनीकी मदद से भारत में रेडियो के विकास के कई प्रयास हुए। गांवों में रेडियो की लोकप्रियता बढ़ने के नाते ही तीसरी पंचवर्षीय योजना में रेडियो लाइसेंसों को और सरल तथा उदार बनाया गया और लाइसेंस जारी करने की सुविधा उपडाकघर स्तर तक प्रदान कर दी गई । 1 मई 1961 से सरकार ने दूरदराज गांवों के अतिरिक्त विभागीय डाकघरों को भी रेडियो लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया । रेडियो की लोकप्रियता दूर देहात तक बढ़ने के नाते सरकार ने लाइसेंस प्रणाली में कई सुधार किए । देहातों में रेडियो को और विस्तार देने के लिए रेडियो लाइसेंस उदार किया गया तथा 15 रु. सालाना की रेडियो फीस घटा कर 1957 से 10 रु. कर दी गई । इसी के साथ सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए सस्ते 120 तक के रेडियो पर शुल्क 15 से घटा कर सालाना सात रुपए कर दिया और यह व्यवस्था भी बनाई कि अगर किसी घर में 2-3 रेडियो सेट है तो फिर 2.50 प्रति सेट की दर से लाइसेंस फीस ली जाए । भारत में 1970 के अंत तक रेडियो लाइसेंसों की संख्या 1.17 करोड़ हो गई और 1980 के अंत तक बढ़ कर 1.78 करोड़ हो गई । 1981-82 तक रेडियो लाइसेंस 2.05 करोड़ और टेलीविजन लाइसेंस 15.47 लाख हो गई । एफएम रेडियो यान निजी रेडियो बड़े शहरों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है । कुछ बड़े अखबार समूहों ने इनका स्वामित्व ले लिया है, कारों, बसों और लोकल ट्रेनों में एफएम काफी लोकप्रिय हो रहा है, पर इसका सरोकार देहात से नहीं है। गावों में आकशवाणी ही सेवा प्रदान कर रही है । 90 फीसदी स्थान संगीत के लिए है तो बाकी के लिए जगह कहां है । एफ एम की पहुंच अभी सीमित है जबकि आकाशवाणी सर्वाधिक इलाकों में है । एफएम अपसंस्कृति को बढ़ावा दे रहा है । मगर 10वीं योजना में देश में 70 नए एफएम रेडियो स्टेशनों की स्थापना का प्रस्ताव है तथा 150 एफएम अल्प शक्ति ट्रांसमीटर भी स्थापित करने की योजना है । 70 नए एफएम स्टेशनों में यूपी से गाजीपुर, बांदा और लखीमपुर खीरी शामिल है । इसी के साथ कई सामुदायिक रेडियो भी चालू हो रहे हैं ।

मीडिया का असर

हाल के सालों में देहाती इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं में मीडिया ने बहुत अहम भूमिका निभायी है । हालांकि इस भूमिका में भी होड़ और प्रतिस्पर्धा का कारण अधिक नजर आता है, पर जो भी हो, इसका असर जरूर दिखा । मीडिया द्वारा हालात की गंभीरता को बेबाक से उठाने के नाते निम्नलिखित मामलों में सरकार और समाज दोनों पर बहुत व्यापक असर पड़ा–

1. बिहार, उत्तरांचल, गुजरात, लातूर और हाल का कश्मीर का भूकंप
2. 2002-03 का सूखा और आंध्र प्रदेश तथा पंजाब में किसानों की आत्महत्या
3. कश्मीर में बर्फबारी से तबाही
4. कारगिल की लड़ाई के दौरान गोलीबारी से प्रभावित स्थानीय गांवों की दशा ।
5. गुजरात की बाढ़
6. सूनामी संकट

सूनामी बेशक बहुत बड़ी खबर थी और पूरी दुनिया उसे देखना चाहती थी । इसी नाते सूनामी कवरेज के लिए

3492 HA/06—9A

बीबीसी और सीएनएन से लेकर कई चैनलों ने दर्जनों टीमें प्रभावित इलाकों में भेजी । सैटेलाइट फोन तथा अपलिंकिंग ने खबरों की पहुंच आसान की और यही कारण था कि विदेशी सहायता के हाथ बढ़ने के बावजूद स्थानीय व्यापक समर्थन के सहारे ही हम सूनामी की मार से उबरने में कामयाब रहे । मीडिया ने लोगों को इतना झकझोर दिया कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष में सीमित समय में 829 करोड़ रु. की भारी सहायता राशि प्रदान की । इतनी बड़ी राशि आज तक किसी भी अपील पर नहीं आई ।

सरकार की अपील पर करीब एक लाख लोगों और संस्थाओं ने इतनी सहायता दे दी कि प्रधानमंत्री को अपील निकाल कर धन्यवाद ज्ञापन करना पड़ा । सहायता राशि आम किसानों, मजदूरों, स्कूली बच्चे, अध्यापक सरकारी कर्मचारी से लेकर सभी ने प्रदान की । देश के तमाम हिस्सों से सहायता के लिए रोज 2,000 मनीआर्डर 10,000 पत्र आ रहे थे । सभी जानते हैं कि सूनामी की चपेट में सर्वाधिक तटीय इलाकों के मछुआरे और देहाती लोग ही आए थे । पर तमाम ऐसे इलाकों के लोगों ने सहायता के लिए हाथ बढाया जिन्होंने अपने जीवन में कभी समंदर भी नहीं देखा है । कई समाचार पत्रों ने इस मौके पर बहुत सराहनीय भूमिका निभाई । यही आलम हाल में कश्मीर घाटी में आए भूकंप को लेकर दिख रहा है ।

केरल में एक घटना का उल्लेख यहां प्रासंगिक है । लातूर में भूकंप की तबाही के बाद मलयाला मनोरमा के द्वारा वहां एक गांव बसाने के लिए एक मुहिम चलाई । यह धन उसने आम जनता से वसूला और अखबार के जिला और कस्बा कार्यालयों में पैसे देने वालों की कतारें लगी थी । निम्न आय के सबसे ज्यादा दानदाताओं में शामिल थे जो एक से 10 रुपए देते थे । इतनी राशि इकट्ठा हो गई कि मनोरमा को सूचित करना पड़ा कि अब और राशि की जरूरत नहीं है । यही हालत कई मौके पर जागरण, अमर उजाला तथा हिंदुस्तान जैसे अखबारों के कोषों की हुई । कई और अखबारों ने ऐसा किया । लेकिन केवल प्राकृतिक आपदा में ही जागना उचित नहीं है । ग्रामीण समाज की कई विसंगतियां हैं जिसे दूर करके विकास में अखबार और अन्य माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ।

डाकघर-ग्रामीणं विकास का प्रभावी माध्यम

बहुत से लोगों को इस बात से असहमति हो सकती है, पर डाकखानों ने ग्रामीण विकास में बहुत अहम भूमिका निभाई है । एक लंबे समय देहात तक चिट्ठियां ही सारी खबरों को पहुंचाती रही है । और वे तमाम बदलावों को प्रेरक बनी हैं । डाक विभाग ने अरसे से मुद्रित पुस्तकों, पंजीकृत समाचार पत्रों को दुर्गम देहाती इलाकों तक पहुंचा कर ग्रामीण विकास में जो सराहनीय कार्य किया है, उसकी और कोई मिसाल नहीं है । अखबार देहाती इलाकों और खास कर दुर्गम इलाकों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए खर्च करने से बचते रहे हैं ।

वहीं दूसरी ओर डाक विभाग ने वीपीपी (वैल्यू पेयेबल सिस्टम) से लोगों में किताबें मंगाने और पढ़ने की आदत विकसित हुई और देहातों में तमाम सामाजिक आर्थिक बदलाव आए । गांव के तमाम अपढ़ लोगों को चिट्ठियों ने साक्षर बनने की प्रेरणी दी । आज भी अखबारों और पुस्तकों को गांव-गांव पहुंचाने में डाक विभाग करीब 125 करोड़ रुपए सालाना सहायता दे रहा है ।

1911 की जनगणना में कहा गया है कि बनारस डिवीजन में इतनी बड़ी संख्या में रोजगार के लिए पलायन हुआ कि शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा, जिसका कोई न कोई सदस्य कलकत्ता, हावड़ा, असम, बंबई, बिहार या उड़ीसा में रोजगार के लिए न गया हो । कालरा से 1901–10 के बीच 13 लाख लोग मरे । 1876–79 चीन के अकाल में 130 लाख लोग मर गए । लगातार अकाल से भी तमाम जगहों पर पलायन हुए पर इनकी असली खबरें लोगों तक और देहातियों तक केवल पत्रों ने पहुंचाई ।

1854 में जब भारत में एकीकृत डाक व्यवस्था शुरू हुई तब साक्षरता नाम की थी और 90 फीसदी लोग देहात में रहते थे । तब मद्रास कूरियर अखबार में सरकारी आदेश छपते थे लिहाजा इसे सरकार ने डाक से मुफ्त भेजने की छूट प्रदान की गई । मार्च 1820 में लंदन के एक पत्रकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के इलाके में एक साल तक मुफ्त डाक भेजने की सुविधा प्रदान की गई थी । देश के तमाम इलाकों में 1857-58 में ही करीब 6 लाख अखबार डाक से भेजे

3492 HA/06—9B

जा रहे थे । डाक विभाग ने रियायती इनलैंड प्रेस टेलीग्राम 1 जनवरी 1882 से शुरू किया, जिससे पहली बार समाचारों की गति बढ़ी । भारत में 1871 तक पंजीकृत अखबार थे 430 जिसमें से सर्वाधिक 233 भाषाई थे । इनको डाक से भेजने की छूट दी गई ।

1857 में गवर्नर जनरल लार्ड केनिंग ने प्रेस एक्ट खास तौर पर उन भाषाई अखबारों को कुचलने के लिए बनाया था जो आग उगल रहे थे । उस दौरान क्षेत्रीय अखबार गांव-गांव में चर्चा का केंद्र बन रहे थे और उनका प्रसार बढ़ रहा था । पर आज के हिसाब से देखें तो 1880 तक अखबारों का कुल प्रसार महज 1,50,000 ही हो पाया था । पर एक अखबार की पहुंच बहुत बड़ी आबादी तक थी । संयुक्त प्रांत में 1918 में कुल अखबारों की संख्या 18 थी और उनका प्रसार 24,000 था जो 1921 तक बढ़ कर 82 हजार हो गया और पत्रों की संख्या भी 93 हो गई । हालांकि तब संयुक्त प्रांत की आबादी साढ़े चार करोड़ थी । पर 1923 में प्रताप की प्रसार संख्या 14,000 हो गई । इन अखबारों को देहात तक पहुंचाने में डाक विभाग की खास भूमिका रही और डाकिया हाकर नेटवर्क का काम करते रहे ।

ग्रामीण विकास पर फोकस जरूरी

आज भारत की देहाती दुनिया तेजी से बदल रही है । आज गांव बहुत बड़ा बाजार बन रहा है । इसी नाते अखबारों को गांवों में उपभोक्ता वस्तुओं के प्रचार के लिए करोड़ों रुपए के विज्ञापन भी मिल रहे हैं । मगर मीडिया ग्रामीण विकास में वह भूमिका नहीं निभा पा रहा है, जो वह निभा सकता है । अगर ग्रामीण विकास राष्ट्रीय एजेंडे में सर्वोच्च वरीयता पा रहा है तो मीडिया को भी इसमें अपेक्षित भागीदार बनना चाहिए । इसके लिए गांवों और कस्बों के स्तर पर काम कर रहे पत्रकारों को विशेष तौर पर दीक्षित करने की जरूरत है और नीति निर्धारकों को भी यह तय करने की जरूरत है कि वे देहाती इलाकों के लिए भी जगह दें । राजस्थान पत्रिका का एक कालम अरसे से चल रहा है, चलो गांव की ओर । यह किसी भी गांव को पूरी तरह समझने का बहुत मजबूत माध्यम बन गया है और सरकारी मशीनरी से लेकर अनुसंधानकर्ताओं के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहा है । अगर सभी प्रमुख अखबार एक गांव को ही केंद्र बना कर रोज थोड़ी सी जगह प्रदान करने लगें तो ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं । ■

(पृष्ठ 13 का शेष)

है । उनके व्यक्तित्व में विशिष्ट प्रकार का वलय है जो हर व्यक्ति को उनकी ओर आकर्षित करता रहता है। कभी-कभी कुछ विद्वानों को लेकर सामान्य व्यक्ति आतंकित सा हो जाता है कि पता नहीं उनकी छोटी बात को कैसा प्रतिसाद मिलें। लेकिन डॉ. रेड्डी संवाद करते हुए हर व्यक्ति को जो सम्मान देते हैं, इससे उनके व्यक्तित्व की ऊंचाई उजागर होती है। उनका भरा-पूरा परिवार और परिवार का वातावरण यह स्पष्ट करता है कि जो अवदान उन्होंने साहित्य को दिया उतना ही ध्यान उन्होंने अपने परिवार पर भी दिया है।

नए लेखकों के लिए उनके मन में हमेशा उत्साहजनक आस्था होती है और उनकी रचनाओं को लेकर वे हमेशा उत्सुक रहते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि किस रचना-बीज में कितनी ऊर्जा है। किस तरह वह अंकुरित होगा और उसकी व्याप्ति क्या होगी। वे अपने सानिध्य में आने वाले हर रचनाकार को प्रेरित करते हैं और उनमें संभावनाएं जगाते हैं। वही व्यक्तिपूर्ण माने जाते हैं जिनसे मिलकर, मिलने वाले यह समझें कि उसने अपने भीतर कुछ नया हासिल किया हैं। कुछ पाया है और जिनसे मिले हैं उनके बारे में मिलने वाले की श्रद्धा बढ़ती चली जाए। डॉ. बालशौरि रेड्डी का चुंबकीय व्यक्तित्व ऐसा ही है कि मिलने वाले व्यक्ति फिर-फिर मिलने की चाह लेकर उन तक पहुंचते हैं और अपने व्यक्तित्व में एक विशिष्ट विकास हासिल करते हैं।

दक्षिण भारत राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में उनकी उपस्थिति हिंदी की संभावनाओं को दीप्तिमान करती रहती है। विभिन्न कार्यक्रमों, आयोजनों, समाराहों में भी हिंदी को प्रचारित-प्रसारित करते रहने के लिए वे अपना सब कुछ अर्पित करते हैं। हिंदी के ऐसे पुरोधा-प्रचारक, लेखक, संपादक और समाजोन्मुख राष्ट्रीय व्यक्तित्व से मिलना अपने आपमें एक सुखद स्थिति होती है। ऐसी स्थिति का गवाह होने का मुझे अवसर मिला इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। उनकी नई-नई कृतियों से लाभान्वित होने की सहज कामना मेरे मन में सदैव रहती है। ■

विज्ञान

लोकप्रिय विज्ञान लेखन का फलक एवं स्वरूप

—डॉ. दिनेश मणि, डी. एस-सी.*

कहना न होगा कि हजारों वर्ष तक विज्ञान ने बहुत कम प्रगति की क्योंकि लोगों को प्रकृति का अध्ययन करने के लाभों की जानकारी नहीं थी और उन्होंने इसके लिए कोई सुनियोजित प्रयास भी नहीं किया। वे अधिकतर केवल सहज बोध, विश्वास रहस्योद्घाटन तथा सत्ता के आदेश से निर्देशित होते थे। प्राकृतिक घटनाओं को ईश्वर द्वारा नियंत्रित अलौकिक घटनाएं मानने का रिवाज था। धीरे-धीरे जैसे-जैसे मनुष्य की बुद्धिमता का विकास हुआ, उसने दावे के साथ अपनी बात रखना तथा आम मान्यताओं को संदेह से देखना तथा उनके औचित्य के बारे में प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। प्रकृति की घटनाओं का निकट से अध्ययन करके और उन पर उनसे जुड़ी परिस्थितियों पर गहराई से विचार करके मानव ने अनेक प्रचलित धारणाओं को सही किया और प्रकृति के नियमों की कार्यशैली से संबंधित नए तथ्यों की खोज की।

विज्ञानिक विचारधारा ऊपर से नीचे की ओर बहने वाली है। उच्च स्तरीय ज्ञान का सहजीकरण करके ही लोकप्रिय साहित्य का सृजन किया जाता है। अत: लोकप्रिय विज्ञान लेखकों/पत्रकारों को उच्च स्तर से विचार लेकर उन्हें सामान्य स्तर तक लाना होता है। इसके लिये आवश्यक शर्तों में विदेशी भाषाओं का ज्ञान, उन भाषाओं के उपलब्ध साहित्य का देशी भाषा में अनुवाद करने की क्षमता, विदेशी शब्दों को सर्वमान्य देशी पर्यायों का ज्ञान प्रमुख है। तथा उच्च स्तरीय विज्ञान का लोकप्रियकरण हो सकता है।

लोकप्रियकरण सूचक है व्यापक बनाने के सद्प्रयासों का। अत: सामान्यजन जो कि अपने चारों ओर दिखने वाली वस्तुओं या घटित होने वाली घटनाओं को जानने में रूचि रखते हैं अर्थात् जो जिज्ञासु हैं उन तक विज्ञान को पहुंचाना विज्ञान का लोकप्रियकरण है। फलस्वरूप लोकप्रियकरण के लिए आवश्यक है कि लोकरूचि से परिचित हुआ जाए। ऐसी भाषा के माध्यम से कितना और कैसा ज्ञान परोसा जाए? यह लेखक के विषय-ज्ञान तथा लेखन शैली पर निर्भर करेगा।

लोक का सामान्य अर्थ साधारण आम जन-जनता, कम पढ़े लिखे लोग के रूप में कर सकते हैं। जो कथन या विचार या भाव ऐसे प्राणी समूह की समझ में आ जाए, वे लोक-गम्य कहे जाएंगे और लोक में ऐसे विचारों की व्याप्ति या पहुंच लोकगम्यता कही जाएगी। जब हम विज्ञान की लोकगम्यता की बात करते हैं तो हमारा संकेत उन समस्त साधनों की ओर रहता है जिनके माध्यम से विज्ञान का प्रसार हो सकता है। विज्ञान की उपयोगिता सर्वविहित है। विज्ञान भौतिक उपलब्धियों के लिए सतत् प्रयत्नशील रहता है। हम चाहते हैं कि संसार का प्रत्येक प्राणी इस ज्ञानराशि से सुपरिचित हो तो, यह जान ले कि यह ब्रह्माण्ड नियमों से बंधा है, नियमों का अनुसरण करके ऊर्जा का सम्प्रयोग किया जा सकता है, चन्द्रलोक की यात्रा की जा सकती है, मानव द्वारा मानव का संहार हो सकता है।

विज्ञान को लोकगम्य इसलिए भी बनाना है कि जनता में हीन भावना व्याप्त है, वह धार्मिक अन्धविश्वासों से चालित होती है। जब विशुद्ध ज्ञान की बात आती है तो वह हिचकती है, अपने अज्ञान को समझ रखती है, फिर अपने को विज्ञान की प्रगति से असंबद्ध रखना चाहती है। वह विज्ञान के करामातों की प्रशंसक है और ध्वंसलीला की निंदक भी। ठीक है। पर एक दूसरे से सुनकर नहीं, समझकर ही उसे ऐसा करना चाहिए। इसके लिए उसे शिक्षित करना होगा। यह शिक्षा स्कूली सर्टीफिकेट वाली न होकर चलती भाषा में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विषयों की जानकारी प्रस्तुत करने के रूप में होगी। निश्चय ही ऐसी शिक्षा में पत्र-पत्रिकाएं अत्यंत सहायक होगी। चित्रकूट, रेडियो, टेलीविजन भी कम उपयोगी साधन नहीं है। प्रदर्शनियां तथा व्याख्यान भी लाभदायक होंगे। परन्तु प्रश्न है कि इन्हें किस

*पूर्व संपादक, विज्ञान, मासिक पत्रिका 47/29, जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद-211002

प्रकार से सुनियोजित ढंग से क्रियान्वित किया जाए । आज स्थानीय व क्षेत्रीय स्तर पर अनेक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। ये प्रकाशन अपने में छोटे से छोटे गांव व स्थान की समस्याओं, परिस्थितियों व जानकारी से संबंधित समाचार फीचर, लेख, रिपोर्ट व साक्षात्कार आदि साहित्य प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं । वे छोटी-छोटी बातों को भी पर्याप्त महत्व देते हैं तथा छोटी से छोटी जगह पर भी अपने प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहते हैं लेकिन अक्सर देखने में आता है कि छोटे शहर, कस्बों या गांवों में इन पत्र-पत्रिकाओं को प्रशिक्षित या नियुक्त प्रतिनिधि नहीं मिल पाते और इन्हें कभी-कभी प्रशिक्षित व अनिपुण लोगों से भी काम चलाना पड़ता है और इन प्रकाशनों के भरपूर प्रयासों के बाद भी इनमें स्तरीय सामग्री प्रकाशित नहीं हो पाती ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसा वातावरण तैयार हो जिसमें साहित्यकार विज्ञान साहित्य का सृजन करने को प्रवृत्त हो । साहित्य की प्रत्येक विद्या-कविता, कहानी, नाटक, लेख, फीचर, समाचार आदि सभी में विज्ञान का समावेश हो । जबकि स्थिति यह है कि आज जीवन से जुड़े विषयों के वैज्ञानिक पहलुओं पर न के बराबर ही साहित्य सृजन हो रहा है जबकि कुछ सामान्य विषयों पर सृजन की बाढ़ सी आई हुई है, इस प्रकार साहित्य में एक प्रकार का असंतुलन बना हुआ है । इस असंतुलन को दूर करने व साहित्य में विज्ञान को उचित स्थान देने के लिए सुनियोजित प्रयासों की आवश्यकता है। आज के साहित्याकारों व विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के विशेषज्ञों को साथ मिलकर सोचना और प्रयास करने होंगे । तभी साहित्य में अन्य परम्पराओं के समान ही विज्ञान साहित्य की भी परम्परा स्थापित होगी । इसी संदर्भ में यह भी होना चाहिए कि स्थान-स्थान पर कुछ कवि, लेखक, पत्रकार, चित्रकार आदि एकत्र होकर उपलब्ध स्थानीय विशेषज्ञों व वैज्ञानिकों के साथ विभिन्न स्थानीय व वैज्ञानिक विषयों पर परिचर्चा, गोष्ठी, सर्वेक्षण, अध्ययन व विश्लेषण आदि कार्यों को करें और विज्ञान पत्रकारिता व विज्ञान सृजन की संभावनाओं व आवश्यकताओं का पता लगाएं और आपस में संपर्क बनाए रखकर साहित्य सृजन करें । विज्ञान लेखकों को अधिक से अधिक विषयों का थोड़ा-थोड़ा और कुछ विषयों का अधीकाधिक ज्ञान प्राप्त करने की विलक्षण जिज्ञासु होने की और घटनाओं तथा उनके कारणों व परिणामों की उधेड़ बुन में रात दिन लगे रहने की आवश्यकता होती हैं । अच्छे लेखन के लिए विचारों में प्रौढ़ता का होना अति आवश्यक है । विचारों की प्रौढ़ता की सबसे बड़ी परीक्षा इस बात में होती है कि उसे सुनने पढ़ने वाले के मन और बुद्धि पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है । विचारों की प्रौढ़ता वस्तुत: इसमें देखी जानी चाहिए कि कोई व्यक्ति धारणाओं और पूर्वाग्रहों से पिन्ड छुड़ाकर वास्तविकता को समझने की कितनी कोशिश करता है। वास्तविकता को समझने का उसका आधार कितना मजबूत है और अंत में वास्तविकता को पकड़कर उसे कितनी ईमानदारी से प्रस्तुत करता है । उसके विचारों की प्रौढ़ता की परीक्षा इस बात से भी होगी कि बंधनों के बावजूद वह किस चातुर्य से उन्हें व्यक्त करता है । आदर्शोन्मुख, कृतसंकल्प तथा कर्त्तव्यनिष्ठ होने और बने रहने कि लिए और भी बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। एक साधारण ज्ञान वाला व्यक्ति भी आदेशोन्मुख, कृतसंकल्प और कर्त्तव्यनिष्ठ हो सकता है । किंतु इन सब में विचारों की भी नितांत आवश्यकता होती है, विचारों में प्रौढ़ता लानी पड़ती है । विचारों में प्रौढ़ता आती है, अध्ययन मनन और चिन्तन से । यहां एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि अधिक से अधिक ग्रन्थ पढ़ लेना और अधिक से अधिक बातें सुन लेना ही अध्ययन नहीं है । यदि किसी ने किताबें तो बहुत पढ़ी हैं और उन्हें लगभग रट भी लिया है किंतु उन पर अपना भी मस्तिष्क नहीं लगाया है यानी कुछ मनन और चिन्तन नहीं किया तो उसकी तुलना में रट्टू तोते से की जाएगी । केवल अध्ययन से जानकारी मात्र होती है। उस जानकारी की सत्यता और असत्यता या अपूर्णता का अनुभव मनन और चिन्तन से ही हो सकता है।

जब हम वर्तमान और भविष्य पर दृष्टि रखने, उनकी गति और स्वरूप को समझने तथा समाज की नाड़ी पर हाथ रखने की बात करते हैं तो इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। इसके लिए अधिक से अधिकतर अध्ययन, मनन और चिंतन करना पड़ता है और अपनी विश्लेषणशीलता तथा समालोचनात्मक दृष्टि तेज करनी पड़ती है ।

स्मरण रहे, नई पीढ़ी को मान्यता प्राप्त करने के लिए अपने संघर्ष में तभी सफलता मिल सकती है जब वह युग के साथ आई नई मान्यताओं और विशेषताओं को स्वयं ठीक से समझ कर औरों को साधिकार समझा सके । यों ही यह समझ बैठना कि नई पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति पुरानी पीढ़ी के किसी भी व्यक्ति से आगे होगा, एक बहुत बड़ा भ्रम ही नहीं, मूर्खता भी है । हर नए लेखक को यह ध्यान में रखना होगा कि कुछ ऊंचे आदर्श जो किसी युग में स्थाई हो जाते हैं, यो ही पुराने नहीं पड़ जाते । ■

संस्कृति

शब्द ब्रह्म की उपासना

—प्रो. शशिकांत पशीने 'शाकिर'

विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती है । भाषा का प्रयोग हम सामाजिक संदर्भों में करते हैं तथा भाषा हमारे परिवेश को उद्‌घाटित करती है। भाषा का कोई न कोई विशिष्ट प्रयोजन होता है। यदि वह प्रयोजन की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है तो वह भाषा नहीं मानी जाएगी। मानक भाषा के शब्द, वाक्य रचना और उसकी व्याकरणीयता लेखक और पाठक दोनों के अंतरंग में निहित होती है।

शब्द की शक्ति अपार है, इसलिए शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। शब्द की सार्थकता अर्थ का ज्ञान कराने में है। अर्थ प्रकट करने की दृष्टि से शब्द इतना विलक्षण है कि कभी वह अकेला ही अनेक अर्थ प्रकट कर देता है तो कभी एक ही अर्थ के लिए अनेक शब्दों के विकल्प प्रस्तुत कर देता है। कभी थोड़े से विकार से ही भिन्न-भिन्न अर्थ प्रकट करता है, तो कभी पूरे वाक्यांश को ही अपने में समेट लेता है। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। प्राय: शब्द अर्थवान ही होते हैं और अर्थ के आधार पर ही शब्द की अनेक रूपी पहचान होती है। हम प्राय: शब्दों के समानार्थी शब्द दे देते हैं पर किसी शब्द का अर्थ कोई दूसरा शब्द नहीं होता। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से वास्तव में कोई भी दो शब्द पूर्णतया समानार्थी अथवा पर्यावाची नहीं होते। प्रत्येक शब्द की अपनी छटा होती है, जो उसे अन्य शब्दों से भिन्न बनाती है। इसलिए शब्दों के शुद्‌ध रूप, उनके अर्थ और प्रयोग को सुनिश्चित करना आवश्यक होता है, क्योंकि वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भावों की अभिव्यक्ति होती है तथा विचारों का आदान-प्रदान भी होता है।

मानक हिंदी के निरंतर विकसित और व्यापक होते आधुनिक रूप में अरबी, फारसी (उर्दू), अंगरेजी आदि के हजारों प्रचलित शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं। हमें इन शब्दों के शुद्‌ध रूप, सटीक अर्थ एवं उचित प्रयोग की संपूर्ण जानकारी का होना अनिवार्य है। शब्दों के अशुद्‌ध रूप, गलत अर्थ तथा अनुचित प्रयोग भाषा, शैली, और प्रवहमानता में विकार उत्पन्न करते हैं। इन्हीं दोषों को दूर करने के उद्देश्य से इस लेख में कुछ प्रमुख मुद्‌दों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

मात्रा दोष का रहना :–

हिंदी में कई ऐसे शब्द हैं जिनमें ह्रस्व या दीर्घ मात्राएं लगाने से अर्थ ही बदल जाता है, जैसे–किला (गढ़)–कीला (खूंटा), गिरि (पर्वत)–गिरी (बीज का गुदा), कलि (झगड़ा, कलियुग)–कली (अधखिला फूल), चिर (पुराना)–चीर (वस्त्र), फुट (एक नाम)–फूट (भेद-भाव), बलि (कुर्बानी)–बली (बलवान), बहु (अधिक)–बहू (पुत्र-वधु), मिल (कारखाना)–मील (आधा कोस), सुर (स्वर)–सूर (अंधा), सुरमा (नेत्र-अंजन)–सूरमा (बलवान), वसुदेव (श्री कृष्ण के पिता)–वासुदेव (श्री कृष्ण), घट (घड़ा)–घटा (बादल)–घाट (नदी किनारा) आदि।

सूक्ष्म निरीक्षण का अभाव :–

उसी प्रकार कुछ वर्णों में इतना सूक्ष्म अंतर है कि सही वर्ण न लिखने से अर्थ बदल जाता है, जैसे–घर (मकान)–धर (धारण करने वाला), घनी (घनी झाड़ी)–धनी (धनवाला), पता (पत्र पर लिखा हुआ)–पत्ता (पेड़ का पत्ता), वाद (तर्क-वितर्क)–बाद (पीछे), वात (हवा)–बात (वार्तालाप), वट (बरगद)–बट (रास्ता), बाढ़ (सैलाब)–बाड़ (झाड़ बंदी), विधा (प्रकार)–विद्या (ज्ञान) आदि।

गलत वर्ण का प्रयोग :–

कुछ शब्दों में 'श', 'ष' तथा 'स' वर्ण के बदलाव से भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, जैसे–कोश (शब्दकोश)–कोस (लगभग दो मील), कशिश (आकर्षण)–कसीस (नीलाथोथा), सर (तालाब)–शर (बाण), सूर (अंधा)–शूर (वीर) आदि।

अशुद्‌ध रूप में शब्दों का प्रयोग :–

शब्दों का उचित ज्ञान न होने के कारण भी कई लोग कुछ शब्दों को गलत रूप में लिखते हैं, जैसे–

(1) **शृंगार :–**

इस शब्द को लोग अक्सर श्रृंगार लिखते हैं, जो गलत है। 'ऋ' स्वर की मात्रा लगाने में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। श्+ऋ=शृ

*नामदेव महाराज मंदिर के पास, गाडगे नगर, अमरावती-444 603 (महाराष्ट्र)

3492 HA/06—10B

होता है। 'श' को 'श्र' भी लिखा जाता है, जैसे—श्वास की श्वास और विश्व को विश्र्व भी लिखते है। 'श्र' एक वर्ण नहीं है बल्कि संयुक्त वर्ण है। यह 'श्' तथा 'र' का योग है। इसलिए श्रृंगार लिखना अशुद्ध है । इसे शृंगार या शृंगार ही लिखना चाहिए।

(2) **व्यंग्य** :–

कई बार लोग इसे व्यंग लिखते हैं। व्यंग का मतलब होता है अंगरहित या विकलांग, जबकि व्यंग्य का अर्थ है गूढ़ार्थ या ताना।

(3) **लक्ष्य** :–

यही सही शब्द है किंतु इसे भी लक्ष लिख दिया जाता है। लक्ष का अर्थ है लाख या चपड़ा जबकि लक्ष्य का अर्थ है उद्देश्य या निशान।

(4) **द्वंद्व (द्वंद्व)** :–

इसका अर्थ है संघर्ष या उपद्रव। इसे भी द्वंद (द्वंद) लिख दिया जाता है जो त्याज्य है।

(5) **गण्यमान्य** :–

यह शब्द 'गण्य' (समाज में) मान्य (मानने योग्य) के योग से बना है जिसका भावार्थ है प्रतिष्ठाप्राप्त। किंतु गलत शब्द 'गणमान्य' ही खूब प्रचलन में है। गण शब्द का अर्थ है एक वर्ण, गिरोह या समूह।

(6) **छटा** :–

लोग अक्सर छटवां लिखते हैं। पांच से पांचवां, सात से सातवां शब्द बनेगा किन्तु छ: (छह) से छटवां कैसे बनेगा। छ: से छटा शब्द ही बनेगा। इसलिए छठा लिखना चाहिए, न कि छटवां।

(7) **खंडहर** :–

इसका अर्थ है भग्नावशेष। किंतु लोग इसे खंडहर लिखते हैं। यह शब्द 'खण्ड' से नहीं बना है। इसलिए इसे खंडहर ही लिखना चाहिए।

(8) **अनेक** :–

यह एक का बहुवचन है, किंतु इसे पुन: बहुवचन बनाकर अनेकों के रूप में प्रयोग किया जाता है जो सर्वथा गलत है।

(9) **अनुसार** :–

इसका अर्थ है मुताबिक़। कई बार यह अपने पहले आए हुए शब्द से संधि करते हुए वाक्य से वाक्यानुसार, प्रथा से प्रथानुसार का रूप लेता है। किंतु लोग विधि-से विधिनुसार, प्रगति से प्रगतिनुंसार लिखते हैं, जो गलत है। इन्हें क्रमश: विधि के अनुसार, प्रगति के अनुसार ही लिखना चाहिए।

(10) **लोग** :–

समाचार पत्रों में कई बार 'लोग बाग एकत्रित हुए' ऐसा लिखा होता है। बाग का अर्थ है लगाम। लोग शब्द के साथ 'बाग' जोड़ने में कोई औचित्य ही नहीं। 'लोग' शब्द ही पूरा अर्थ वहन करता है।

अशुद्ध शब्दों का निर्माण :–

भाषा को सरल बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत आजकल अशुद्ध शब्दों का निर्माण व प्रचलन दिखाई देता है। उदहरणार्थ :–

(1) **राजनैतिक** :–

व्याकरण के नियमानुसार नीति से नैतिक विशेषण बनता है, किंतु राजनीति से राजनैतिक विशेषण नहीं बनेगा। राजनीति से राजनीतिक विशेषण बनता है। इसलिए राजनैतिक ग़लत है, सही राजनीतिक ही होगा।

(2) **उग्रवाद, उग्रवादी** :–

'वाद' या 'वादी' किसी संज्ञा शब्द में लगता है न कि विशेषण में। अत: 'वाद' 'उग्रता' में लगेगा तथा शुद्ध शब्द होगा उग्रतावाद या उग्रतावादी। उग्रवाद का अर्थ होगा, वह वाद जो उग्र है।

(3) **जाने** :–

लोग 'न जाने' की बजाय केवल 'जाने' लिखकर ही काम चलाने लगे हैं। वास्तव में यह अपूर्ण है तथा त्याज्य है।

(4) **दायित्व** :–

'दायी' का अर्थ होता है देनेवाला, प्रदान करने वाला। संस्कृत शब्द 'दायी' के पूर्व उत्तर शब्द जोड़कर उत्तरदायी शब्द बना है जिसका मतलब हुआ उत्तर देनेवाला । 'दायित्व' भाववाचक संज्ञा है। अगर उत्तरदायित्व से उत्तर शब्द हटा दिया जाए तो कर्म की अपेक्षा अपूर्ण रहती है। प्रश्न निर्माण होगा कि किस वस्तु का दायित्व? अर्थात् अर्थ अपूर्ण है। अत: पूरा शब्द उत्तरदायित्व ही लिखना चाहिए।

(5) **नुकसानदायक, नुकसान रहित :–**

अरबी अथवा फ़ारसी और हिंदी शब्दों का मेल नहीं किया जाता। नुक्सान अरबी शब्द है जबकि दायक या रहित हिंदी। दोनों भिन्न भाषाएं हैं। इनके शब्दों का योग न करना ही उचित है। इसलिए हानिकर, हानिप्रद, हानिरहित, नुकसानदेह लिखना चाहिए।

(6) **गलत अनुवाद :–**

(1) **उन्होंने जोड़ा**–अंगरेजी शब्द "He added" का अनुवाद पत्रकार अक्सर 'उन्होंने जोड़ा' इस रूप में करते हैं। यह सिर्फ शब्दानुवाद हुआ। हिंदी में इसका सही अनुवाद होगा उन्होंने आगे कहा।

(2) **बिंदुवार या क्रमिकवार :**–अंगरेजी शब्द "Pointwise" का अनुवाद बिंदुवार या क्रमिकवार इस रूप में लोग करते हैं। 'वार' यह फारसी शब्द है। फारसी और हिंदी का योग कैसा? इसे 'क्रमिकरूप से' अथवा 'तर्तीबवार' लिखना चाहिए।

(3) **योगा, केरला, कृष्णा :**–अंगरेजी, जर्मन आदि भाषाओं में अकारांतता व्यक्त करने के लिए उनके अंत में ए (A) जोड़ देते हैं, जैसे—Rama, Krishna, Kerala, Yoga. लोग हिंदी में अनुवाद करते समय 'ए' को अक्सर 'आ' में लिखते है,–जैसे–रामा, कृष्णा, केरला, योगा। अनुवाद करने में अगर ऐसा 'आ' हमेशा लगता रहा तो कुछ दिनों में लोग राम को भी रामा तथा भरत को भरता कर देंगे।

नुक़्ता लगाने से अर्थ-भेद :–

अरबी-फ़ारसी (उर्दू) में जिन पांच वर्णों में नुक़्ता (नुक़्त:) लगाया जाता है–वे हैं– क़, ख़, ग़, ज़ और फ़। इन वर्णों में नुक़्ते लगाने से उच्चारण तो बदलता ही है, साथ ही शब्दों के अर्थ भी बदल जाते है।, जैसे– कमर (कमर, कटी) तथा क़मर (चंद्र), खार (क्षार, राख) तथा ख़ार (कांटा, शूल), खाना (भोजन करना) तथा ख़ाना (स्थन या घर), बाग (लगाम, रास) तथा बाग़ (उपवन, वाटिका), फन (नाग का फन) तथा फ़न (हुनर, कला) कॉफी (कहवा, काफी) तथा काफ़ी (बहुत, पर्याप्त), राज (राज्य या राजा) तथा राज़ (रहस्य, भेद), जलील (पूज्य, श्रेष्ठ) तथा ज़लील (तुच्छ, बदनाम), ज और ज़ में अर्थ का अनर्थ हो जाता है।

उर्दू शब्दों के लिंग व वचन :–

कुछ लोग अरबी-फ़ारसी(उर्दू) के शब्दों के लिंग अथवा वचन की अपूर्ण जानकारी के कारण उन्हें हिंदी भाषा के पर्यायी शब्दों के लिंग अथवा वचन के रूप में ही प्रयोग में लाते हैं, जैसे–सफ़ीना इसका अर्थ है नाव, नैया, कश्ती। ये तीनों पर्यायी शब्द स्त्री लिंगी है, इसलिए बहुधा लोक सफ़ीना शब्द को भी स्त्री लिंग के रूप में लिखते हैं, जबकि सफ़ीना शब्द पुल्लिग है। अर्थात् सफ़ीना डूबती नहीं है, डूबता है। क़ुरान शब्द भी पुल्लिग है। लोग रामायण की तरह ही इसे भी स्त्री लिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। अर्थात् रामायण अच्छी है तथा क़ुरान अच्छा है। उसी प्रकार गुंचा फ़ारसी शब्द है जिसका अर्थ है कली । गुंचा शब्द पुल्लिग है। कली खिलती है लेकिन गुंचा खिलता है ।

उसी प्रकार उर्दू में शब्दों के बहुवचन निराले ही अंदाज़ में होते हैं, जैसे–लफ़ज (एक वचन)–अलफ़ाज़ (बहुवचन); वक्त (एक वचन) औक़ात (बहुवचन); जज़्बा (एक वचन); जज़्बात (बहुवचन); वली (एक वचन); अवलिया (बहुवचन) । इसकी जानकारी न होने के कारण लोग अल्फ़ाज़ों, जज़्बातों आदि प्रयोग में लाते हैं । अगर चाहे तो इन्हें हिंदी की बहुवचन प्रक्रिया के अनुरूप लफ्ज़ों अथवा जज़्बों लिखा जा सकता है, लेकिन अल्फ़ाज़ें या जज़्बातों लिखना गलत है।

शब्दों की अधूरी जानकारी :–

शब्दों के अर्थों की अधूरी जानकारी होने पर अक्सर शब्दों का गलत प्रयोग होता है, जैसे–

(1) **मुक़ाबिल:–**

इसका अर्थ है प्रत्यक्ष में, सामने या सम्मुख। इसलिए यह कहना कि आप मुकाबिल हैं मेरे सामने–गलत है। सही प्रयोग होगा–आप मेरे मुकाबिल हैं, क्योंकि मुकाबिल शब्द में सम्मुख होने का भाव पहले ही अंतरहित है।

(2) **बावजूद :–**

इसका मतलब है यद्यपि, इतना होने पर भी। अर्थात् 'भी' शब्द, इसमें पहले ही सम्मिलित है। इसलिए बावजूद शब्द के बाद 'भी' शब्द का प्रयोग त्याज्य है।

(3) **उम्मीद :–**

इसका अर्थ है भरोसा या आशा। उम्मीद शब्द का प्रयोग अभीष्ट अर्थ में होता है, जैसे–मुझे पास होने की उम्मीद है। इसलिए यह कहना कि रास्ते

के खड्ढों में लोगों के गिरने की उम्मीद है–अनुचित है । ऐसी जगह उम्मीद के बजाय 'आशंका' शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। उम्मीद शब्द का प्रयोग उसी प्रकार का है, जैसे कि जीने के लिए संघर्ष किया जाता है, न कि मरने के लिए ।

(4) मातम :–

इसका अर्थ है मृत्युशोक या विलाप । कई बार मातम शब्द का प्रयोग 'मातम छा गया' इस रूप में किया जाता है, जो मातम शब्द के वास्तविक अर्थ की दृष्टि से अनुचित है, त्याज्य है। मातम कभी छाया नहीं करता अथवा होता नहीं है। मातम सीना पीटकर किया जाता है, अर्थात् सीना पीटकर मातम व्यक्त किया जाता है ।

(5) नमाज़ अता करना :–

'अता करना' का मतलब है प्रदान करना, दान देना, कृपापूर्वक देना, पुरस्कार स्वरूप देना। जबकि 'अदा करना' का अर्थ है ऋण चुकाना, कर्तव्य या कर्म को पूरा करना, फ़र्ज़ पूरा करना। नमाज़ खुदा को कृपापूर्वक दी नहीं जाती बल्कि खुदा की असीम कृपा के लिए निवेदित की जाती है। अत: नमाज़ अता करना यह शब्द प्रयोग गलत है नमाज़ हमेशा अदा की जाती है।

(6) नवाज़े गए :–

आजकल इस शब्द का प्रयोग बहुत प्रचलन में है जो गलत है। नवाज़ना फारसी शब्द है जिसका अर्थ है कृपा करना या दया करना । गरीबनवाज़ शब्द का अर्थ है गरीबों पर दया करने वाला। लोग अक्सर पुरस्कार से नवाज़े गए बोलते या लिखते हैं। पुरस्कार देकर क्या उन पर कृपा की गई या दया दिखाई गई है? इसलिए यह शब्द प्रयोग सही नहीं है । वास्तव में पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया या अलंकृत किया गया–ऐसा शब्द प्रयोग होना चाहिए ।

(7) लगभग :–

इस शब्द की अर्थत: जरूरत किसी स्थूल संख्या के दोनों ओर कुछ कम-ज्यादा अनिश्चितता दिखाने के लिए होती है। लोग 'लगभग' का कई जगह फालतू प्रयोग करते हैं, जैसे–लगभग सौ से अधिक लगभग बावन परिवार, देश में लगभग पंद्रह-बीस दल हैं। इन सभी में 'लगभग' का प्रयोग फालतू है, निरर्थक है।

(8) दरअसल में:–

दरअसल का अर्थ है असल में । अर्थात् दरअसल शब्द में पहले ही 'में' निहित है । इसलिए दरअसल में लिखना गलत है। दरअसल अथवा असल में लिखना सही है ।

(9) की बजाय :–

'की बजाय' लिखना गलत है। हमेशा 'के बजाय' लिखा जाना चाहिए, क्योंकि बजाय का अर्थ है–'के बदले में'।

(10) क्योंकि :–

कुल लोग 'क्योंकि' शब्द का ग़लत जगह प्रयोग करते हैं। जब वाक्य के प्रथम भाग में 'कारण' या 'वजह से' या 'लिए' जैसा शब्द आ चुका हो, तब 'क्योंकि' नहीं बल्कि 'कि' लिखना चाहिए, जैसे–मैं इस कारण (वजह से, या लिए) सोया क्योंकि में थका था । यह अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा–मैं इस कारण (वजह से, या लिए) सोया कि मैं थका था ।

अप्रचलित शब्दों का प्रयोग :–

हिंदी में अरबी के लगभग ढ़ाई हजार तथा फ़ारसी के साढ़े तीन हज़ार शब्द प्रचलित हैं। वे हिंदी में घुल-मिल गए हैं। उनका व्यवहार होता रहता है तथा वे अटपटे नहीं लगते। इनके बावजूद अरबी-फारसी के नए-नए अप्रचलित शब्दों को भरना हिंदी को खराब करना है तथा उस शब्द के अर्थ की महत्ता को कम करना है, क्योंकि हम उस शब्द के सटीक अर्थ व प्रयोग से पूर्व-परिचित नहीं होते हैं। उदाहरणार्थ :–

(1) गमज़दा माहौल :–

ग़म यानी दु:ख तथा ज़दा यानी मारा हुआ अर्थात् अर्थ हुआ गम का मारा हुआ, जैसे–वह आदमी गमज़दा नज़र आता है। इसलिए माहौल के साथ गमज़दा शब्द प्रयोग और वह भी हिंदी में सही नहीं है। 'शोकग्रस्त' के लिए सही उर्दू शब्द है 'गमगीन'। सीधे-सादे शब्दों में शोकाकुल या शोक-संतप्त वातावरण लिखना उचित होगा ।

(2) असलह :–

यह सिलह शब्द का बहुवचन है, जिसका मतलब है अस्त्र-शस्त्र या हथियार । बहुत से पत्रकार अस्त्र-शस्त्र शब्द के बजाय असलहा शब्द को भी बहुवचन करके असलाहों या असलहे

3492 HA/06—11A

लिखकर अर्थ समझने में अनावश्यक बाधा उत्पन्न कर देते हैं ।

(3) **शिरकत करना :–**
'कार्यक्रम में लागों ने शिरकत की' हिंदी में ऐसा शब्द प्रयोग अटपटा सा लगता है। इसे बड़े आसानी से 'शिरकत की' के बजाय शरीक हुए, शामिल हुए या सम्मिलित हुए कहा जा सकता है ।

(4) **मुतल्लिक :–**
इसका शुद्ध रूप है मुत'अल्लिक। यह अरबी का शब्द है। इस अप्रचलित शब्द को विकृत करके हिंदी में चलाने से तो अच्छा है कि हम संबंधित, संबंधी, विषयी जैसे शब्दों का प्रयोग करें।

(5) **मुहैया करना :–**
यह अरबी शब्द है जिसका मतलब उपलब्ध, प्राप्त, एकत्र जरूर होता है किंतु हिंदी में साधन जुटाना, साधन का जुगाड़ करना आदि शब्दों के प्रयोग से बात अधिक स्पष्ट होती है।

(6) **रफ्तानी :–**
हिंदी में यह कहना कि 'चावल की रफ़्तानी पर रोक' बड़ा विचित्र सा लगता है। 'चावल के निर्यात या निकासी पर रोक' लिखकर इसे सरल तथा स्पष्ट बनाया जा सकता है।

(7) **खूँरेजी :–**
शुद्ध फारसी शब्द है खूँरेज़ी–खूँ=रक्त तथा रेज़ी=निर्दयता, क्रूरता, रक्तपात । अर्थात् खूँरेजी का अर्थ हुआ–क्रूरता से खून बहाना । हिंदी शब्दों के साथ खूँरेज़ी शोभा नहीं देता । इसे सरलता से 'रक्तपात' लिखा जा सकता है, और लिखना भी चाहिए ।

(8) **खिलाफत :–**
सही अरबी शब्द है खिलाफत, जिसका अर्थ होता है प्रतिनिधित्व अथवा उत्तराधिकार । लोग इसका प्रयोग विरोध करने के अर्थ में करते हैं, जो बिल्कुल गलत है । विरोध करने के लिए वास्तविक शब्द है मुखालफत करना । इसलिए गलत शब्द प्रयोग से अच्छा है कि हम विरोध, प्रतिरोध शब्द द्वारा अपना मत स्पष्ट रूप से व्यक्त करें ।

(9) **जहर खुरानी :–**
सही फारसी शब्द है 'जहर खूरी' जहर यानी विष तथा खूरी यानी खाना अर्थात जहर खाकर आत्महत्या करना । किंतु लोग इसे विष खिलाना अथवा जहर देना के रूप में प्रयुक्त करते हैं जो अनुचित है । हिंदी के उचित शब्दों का चयन करके अपने भाव स्पष्ट प्रकट करना हमेशा बेहतर होता है ।

(10) **अमली जामा पहनाना :–**
यह अरबी का मुहावरा है । इसे हिंदी में प्रयोग करने के बजाय भावार्थ में 'व्यावहारिक रूप देना', 'क्रियान्वित करना' लिखना अधिक उचित है ।

अरबी-फारसी (उर्दू) शब्दों का प्रयोग करना अनुचित नहीं, किंतु केवल उन्हीं शब्दों, मुहावरों और प्रयोगों का, जो हिंदी में पहले से घुल-मिल गए हैं तथा जिनसे सामान्य जन अच्छी तरह से परिचित हैं । अप्रचलित शब्दादि का प्रयोग करके अभिव्यक्ति को अधिक क्लिष्ट बना देना, हिंदी के स्वरूप को नष्ट करना तथा अर्थों की भाव-भंगिमा बिगाड़ना उचित नहीं है । यदि विदेशी शब्दों से इतना ही प्रेम है तो फिर उचित तथा सही अर्थ और प्रयोग वाले शब्दों का चयन करना चाहिए । किसी भी भाषा के शब्द हिंदी में घुल-मिल कर, हिंदी के नियमों में ढल कर हिंदी को कमजोर नहीं बना सकते । ऐसी हर अभिव्यक्ति को हिंदी में स्थान देना चाहिए जो किसी भी हिंदी भाषी की जबान पर ज्ञान और सम्मान के साथ चढ़ चुकी हो । उसी प्रकार यदि किसी विशेष वस्तु या भाव के लिए उपयुक्त एवं प्रचलित शब्द न मिले तो फिर दूसरी भाषा से शब्द लेना ठीक है किंतु अपनी भाषा में उचित शब्द होते हुए उनका त्याग करना और दूसरी भाषाओं से अनावश्यक क्लिष्ट शब्द लाकर उन्हें अपनी भाषा में प्रतिस्थापित करना कदापि उचित नहीं ।

हमें यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस भाषा और जिस शब्दावली को हम त्याग देते हैं, उसमें निरूपित ज्ञान भी हमारे लिए अपरिचित हो जाता है तथा हम अपने ज्ञान के साथ-साथ अपनी अस्मिता को भी खो बैठते हैं ।

संदर्भ सूची

(1) अपनी हिंदी सुदृढ़ कीजिए : चालीस नियम, डॉ. रमेश चंन्द्र महरोत्रा, नर्मदा, अंक 6 पृ. 16–20.

(2) समाचार पत्र और हिंदी की स्थिति, डॉ. नरेंद्र कोहली, राष्ट्रभाषा, अप्रैल 2004, पृ. 10-11.

(3) समाचार पत्रों की भाषा, डॉ. लक्ष्मीशंकर गुप्त, हिंदी साहित्य चिन्तन, पृ. 692–700. ■

3492 HA/06 11B

राजभाषा संबंधी गतिविधियां

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

कार्यालय, महाप्रबंधक/राजभाषा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

12 अप्रैल, 2006 को पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री सतीश कुमार विज की अध्यक्षंता में सरकारी कार्यों में हिंदी प्रयोग प्रसार की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संपन्न हुई ।

बैठक को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक श्री सतीश कुमार विज ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे में हिंदीमय कार्य संस्कृति के अनुरूप समस्त कार्यालयी कार्य हिंदी में करना न केवल हमारे नैतिकता का तकाजा है बल्कि कार्य की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से आवश्यक भी है । मुझे यह कहने में तनिक भी संदेह नहीं है कि यह रेलवे, गृह मंत्रालय एवं रेलवे बोर्ड द्वारा की गई अपेक्षाओं के अनुरूप अपने दायित्व के निर्वहन में न केवल सफल रही है अपितु अन्य रेलों की तुलना में अपना अग्रणी स्थान बनाए हुए है । इस रेलवे पर राजभाषा हिंदी के सराहनीय प्रयोग के मूल्यांकन स्वरूप वर्ष 2004 के लिए माननीय रेलमंत्री जी के स्तर से राजभाषा शील्ड प्राप्त हुई ।

समिति को अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि नवम्बर 2005 में संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के दौरान समिति के माननीय सदस्यों द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे पर हो रहे हिंदी प्रयोग की प्रगति की जिस प्रकार से सराहना की गई, उससे न केवल हमारा उत्साहवर्धन हुआ है, अपितु हमारे दायत्वों में भी वृद्धि हुई है । हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम संसदीय समिति को दिए आश्वासनों के प्रति निरन्तर जागरूक रहें और निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में किसी भी प्रकार की शिथिलता से बचें । मैं चाहूंगा कि हिंदी प्रयोग के क्षेत्र में पूर्वोत्तर रेलवे जिस शिखर पर पहुंच चुका है, उसमें कोई गिरावट न आने पाये ।

मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री वी. के. जायसवाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यद्यपि मुख्यालय एवं मंडलों में हिंदी का प्रयोग निर्धारित मानक के अनुसार हो रहा है । कुछ मदों में हम लक्ष्य को अभी प्राप्त नहीं कर पाए हैं जिसके लिए हमें प्रयास करना है । विशेष रूप से इज्जतनगर एवं लखनऊ मंडल का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उन्होंने कहा कि स्टेशन संचालन नियम से संबंधित लंबित कार्य को शीघ्र पूरा करते हुए स्टेशनों पर इसे कंप्यूटरीकृत द्विभाषी रूप में उपलब्ध करा दें ।

अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री राकेश त्रिपाठी ने बैठक का संचालन करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे पर हो रहे हिंदी प्रयोग प्रसार की समीक्षा करते हुए, प्रगति विवरण प्रस्तुत किया । इस बैठक में मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष एवं मंडलों के अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रतिनिधि अधिकारी उपस्थित थे । बैठक के अंत में श्री वीरेन्द्र कुमार, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी ने सभी आगत जनों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया ।

कार्यालय महाप्रबंधक (राजभाषा), दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डनरीद, कोलकाता-700043

क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 79वीं बैठक दिनांक 3-7-2006 को महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे, श्री विजय कुमार रैना की अध्यक्षता में संपन्न हुई । महाप्रबंधक ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सभी विभागाध्यक्षों का आह्वान किया कि वे प्रत्येक माह कुछ ठोस कदम उठाएं जिससे हिंदी को बढ़ावा मिल सके । उन्होंने इस बात की और संकेत किया कि जो कर्मचारी हिंदी जानते हैं, उनसे हिंदी में काम कराया जाए । हिंदी जानने वाले बहुत कम कर्मचारी हिंदी में काम कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि

आजकल अंग्रेजी का प्रचलन कंम्प्यूटर पर काफी अधिक बढ़ा है और राजभाषा को अंग्रेजी के प्रचलन की धारा के विपरीत चलकर आगे बढ़ाना है । इसके लिए जरूरी है कि कंप्यूटरों के प्रोग्रामों का यथासंभव द्विभाषीकरण किया जाए तथा अनुवाद पैकेज तैयार किए जाएं । उन्होंने कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी ईमेल स्तर तक प्राप्त करने का आग्रह किया । उन्होंने यह भी कहा कि राजभाषा नियमों एवं रेलवे बोर्ड के निदेशों का अनुपालन सभी अधिकारी स्वत: एवं खुशी-खुशी करें ।

श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, संसद एवं सदस्य, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछली बैठक की तुलना में यह बैठक बहुत अच्छी रही है और हिंदी की प्रगति में सुधार हुआ है । उन्होंने भाषा-विज्ञान के सत्य का उदघाटन करते हुए कहा कि भाषा अन्त:प्रेरणा एवं माहौल से बनती है न कि भाषा का विकास आरोपण से होता है । उन्होंने पत्रिकाओं के प्रकाशन में राजभाषा संबंधी जानकारी तथा प्रशासनिक एवं तकनीकी शब्दों के हिंदी रूपान्तर देने तथा अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों का हूबहू प्रयोग करने का भी सुझाव दिया ।

मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री एल. सी. मजूमदार ने बैठक में वर्ष 2006-2007 के वार्षिक कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य मदों धारा 3(3) मूल पत्राचार, हिंदी नोटिंग, हिंदी डिक्टेशन, हिंदी निरीक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुपालन पर सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया ।

कार्यालय महाप्रबंधक (राजभाषा), पूर्व रेलवे, 17 नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001

क्षेरेराकास की तिमाही बैठक 15-6-2006 को महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे श्री सुरेन्द्र सिंह खुराना की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक के मुख्य अतिथि सांसद, राज्यसभा माननीय श्री वशिष्ठ नारायण सिंह थे । म.प्र. एवं समिति अध्यक्ष ने माननीय सांसद श्री वशिष्ठ नारायण सिंह एवं उपनिदेशक/राजभाषा, रेलवे बोर्ड श्री सतीश कटारा की बैठक में उपस्थिति पर हर्ष व्यक्त करते हुए उम्मीद की कि इन महानुभावों के मार्ग दर्शन से रेलवे पर हिंदी का प्रयोग बढ़ाने में अवश्य मदद् मिलेगी । महाप्रबंधक ने आगे कहा कि सरकार की राजभाषा नीति साम और दाम की है, किंतु नियमों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करना/कराना भी इस नीति का अटूट अंग है । अत: सरकार की इस नीति के अनुपालन के प्रति प्रशासन के हर स्तर पर सच्ची जागरूकता लाने के लिए हमें सतत प्रयासरत रहना चाहिए ।

कंप्यूटरों की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए महाप्रबंधक ने सारगर्मित स्वर में कहा कि कंप्यूटर हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं एवं कंप्यूटरों को हिंदी के काम में साधक बनना है, बाधक नहीं । इसलिए जो काम द्विभाषी या हिंदी में करना कानूनन जरूरी है, वे काम कंप्यूटर के जरिए भी, द्विभाषी/हिंदी में किए जाने चाहिएं। इसके लिए समुचित द्विभाषी समाधान कंप्यूटर पर उपलब्ध कराया जाना जरूरी है ।

उन्होंने कहा कि रेलवे के अधिकांश कार्मिक हिंदी जानते हैं । अब हमें हिंदी जानने वाले इन कार्मिकों को वास्तव में हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करना है । इस प्रयोजन के लिए निम्नांकित उपाय किए जा सकते हैं :

1. भारत सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ अधिकाधिक पात्र कार्मिकों को देना ।
2. कंप्यूटर प्रयोक्ताओं के लिए कंप्यूटर पर हिंदी कार्य के अभ्यास सत्रों का संचालन ।
3. हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन तथा डैस्क प्रशिक्षण।
4. हिंदी विषयक लक्ष्य/महत्वपूर्ण जानकारियां पोस्टर के रूप में कार्यालय/अधिकारी कक्षों में प्रदर्शित करना ।

महाप्रबंधक ने कहा कि प्रधान कार्यालय के विभागों में राजभाषा अधीक्षकों/सहायकों की पूर्णकालिक/अंश कालिक सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं । ये कार्मिक उक्त विभागों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए क्या मात्रात्मक/गुणात्मक योगदान दे रहे हैं, इस बात की गहन समीक्षा राजभाषा विभाग द्वारा की जाए तथा समीक्षा परिणाम अगली बैठक में रखे जाएं।

महाप्रबंधक जी ने कहा कि हिंदी, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण दिलवाने के विशेष प्रयास किऐ जाने चाहिएं । इस प्रयोजनार्थ, मुख्यालय, मण्डलों एवं कारखानों में इन प्रशिक्षणों के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएं ।

भाषा का संबंध हृदय से है। विभिन्न साहित्यिक व सांस्कृतिक अनुष्ठान जैसे, गोष्ठियां, काव्य संध्या, गीत-संगीत कार्यक्रम आदि सम्पन्न किए जाने चाहिएं । इससे हिंदी के प्रति हमारा भावनात्मक लगाव और अधिक गहरा होगा । इन कार्यक्रमों से हिंदी को रेलवे के कामकाज का अभिन्न अंग बनाने में भी हमें मद्द मिलेगी ।

कार्यालय महाप्रबंधक (राजभाषा), पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर

क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 14वीं बैठक दि. 26-6-2006 को महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर श्री के. सी. जेना की अध्यक्षता में संपन्न हुई ।

महाप्रबंधक श्री के. सी. जेना ने प्रेक्षक सदस्य के रूप में शामिल श्री अब्दुल बारी, अब्दुल समद मनीयार एवं श्री माधव सिन्हा का स्वागत करते हुए बताया कि विगत तिमाही की तुलना में इस तिमाही में हिंदी पत्राचार के प्रतिशत में सराहनीय बढ़ोत्तरी हुई है । राजभाषा अधिकारी के पदों को भरने की प्रक्रिया लगभग पूरे होने तथा पुस्तकालयों में निरंतर सुधार आदि मदों को इंगित करते हुए उन्होंने सभी से धारा 3(3) का कड़ाई से पालन करने और स्वयं हिंदी में कार्य कर अन्य के लिए उदाहरण पेश करने को कहा ।

समिति ने पिछली बैठक (24-3-2006) के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की । तत्पश्चात् समिति के सदस्य सचिव उप मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री मेहरबान सिंह नेगी ने पिछली बैठक के प्रमुख निर्णयों के अनुपालन की स्थिति समिति के समक्ष प्रस्तुत की ।

माननीय प्रेक्षक सदस्य श्री मनीयार ने अध्यक्ष महोदय सहित सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए बताया कि श्री माधव सिन्हा ने सार्थक बातें बताई हैं । हम लोगों को हिंदी के प्रयोग-प्रसार के लिए काम करते रहना है । उन्होंने शिमला बैठक का हवाला देते हुए बताया कि उन्होंने वहां भी बताया था कि रेलवे बोर्ड से निकलने वाले राजपत्र या सूचना आदि हिंदी में निकाले जाएं । उन्होंने आगे बताया कि पूर्व मध्य रेल पर हिंदी में काफीकार्य किए जा रहे हैं, यह एक प्रसन्नता की बात है । अब लग रहा है कि यहां राजभाषा की काफी प्रगति हो रही है ।

माननीय प्रेक्षक महोदय श्री माधव सिन्हा ने उपस्थित सदस्यों का अभिवादन करते हुए बताया कि वे आंकड़ों को ज्यादा महत्व नहीं देते । इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यदि आंकड़ों में संतुलन न हो तो उसके कारणों से संबंधित एक शार्ट नोट नीचे लगा देना चाहिए । उन्होंने आगे बताया कि रेलवे के कार्य दो भागों में बंटे हैं–एक जनसाधारण का कार्य और दूसरा आंतरिक कार्य । जनसाधारण के कार्यों के तहत आरक्षण चार्ट, उद्घोषण आदि जैसे कार्यों में राजभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त उन्होंने सरकारी सेवकों की मनोवृत्ति में बदलाव लाने की आवश्यकता पर जोर दिया । उन्होंने बताया कि सरकारी कामकाज में सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए । उन्होंने प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता पर जोर दिए जाने एवं उद्घोषणा में सुधार किए जाने की बात बताई । इसके साथ ही साथ उन्होंने इस रेल पर राजभाषा के प्रयोग-प्रसार में हुई प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की ।

भारतीय प्रसारण निगम दूरदर्शन केंद्र, नई दिल्ली

दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 13-7-2006 को दोपहर 12.00 बजे निदेशक श्री शरद दत्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।

हिंदी अधिकारी ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया ।

हिंदी अधिकारी ने बताया कि शब्दावली छप कर तैयार है । इस पर निदेशक महोदय ने कहा कि दिनांक 21-7-2006 को प्रात: 11.00 बजे शब्दावली का विमोचन कर दिया जाए । उपर्युक्त तिथि को निदेशक महोदय के कक्ष में शब्दावली का विमोचन किया जाएगा ।

हिंदी अधिकारी ने बताया कि प्रशासन अनुभाग के कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाना अपेक्षित है । इस पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी ने सुझाव दिया कि आगामी माह के मध्य में कार्यशाला का आयोजन किया जाए ।

तिमाही के दौरान 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों में भेजे जाने वाले हिंदी पत्रों की प्रतिशतता में गिरावट पर सदस्यों ने चिंता

व्यक्त की । हिंदी अधिकारी ने बताया कि 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में शत प्रतिशत पत्र हिंदी में ही भेजा जाना चाहिए ।

दूरदर्शन महानिदेशालय में सहायक निदेशक (रा.भा.)श्री रमेशचन्द्र बंसल ने पिछली तिमाही बैठक में कहा था कि वे केंद्र में हिंदी में कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु कंप्यूटर कार्यशाला के आयोजन में सहयोग करेंगे किंतु अपरिहार्य कारणों से ऐसा संभव नहीं हो सका । हिंदी अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में भाषा एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण रोस्टर को अद्यतन किया जा रहा है । इसके उपरांत समय-समय पर कंप्यूटर एवं भाषा प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया जाएगा ।

आकाशवाणी, कटक

श्रीमती रश्मि प्रधान, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, कटक की अध्यक्षता में दिनांक 17-7-2006 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक संपन्न हुई ।

अप्रैल-जून, 2006 तिमाही की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई । हिंदी में मूल पत्राचार लक्ष्य से कम होने के कारण इस पर चर्चा हुई । पत्राचार में वृद्धि के लिए अध्यक्ष महोदया ने सभी अनुभाग अधिकारियों से आग्रह किया कि अग्रेषण पत्र हिंदी में भेजा जाए एवं आवश्यकता पड़ने पर हिंदी अनुभाग से सहायता ली जाए ।

हिंदी प्रशिक्षण के बारे में चर्चा हुई। हिंदी अधिकारी ने सभा को अवगत कराया कि मई, 2006 में आयोजित परीक्षा में इस कार्यालय से दो कर्मचारी प्राज्ञ एवं एक कर्मचारी प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण किये हैं । जुलाई-नवम्बर, 2006 सत्र के लिए 7 कर्मचारियों को विभिन्न कक्षा हेतु नामित किया गया है ।

हिंदी पखवाड़ा के बारे में चर्चा हुई । सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पखवाड़े के दौरान हिंदी आलेखन टिप्पण, निबंध, अनुवाद, स्वरचित कविता पाठ एवं आशुभाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा ।

हिंदी कार्यशाला के आयोजन के बारे में चर्चा की गयी। हिंदी अधिकारी ने कहा कि हिंदी पखवाड़े के दौरान दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा ।

हिंदी पत्रिका "चन्द्रभागा" के बारे में यह निर्णय लिया गया कि पत्रिका को पूर्व वर्षों की भाँति नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति स्तरीय बनाया जाएगा । अध्यक्ष महोदया ने कहा कि "चन्द्रभागा" पत्रिका के लिए लेख आदि का आह्वान करते हुए एक परिपत्र निकाला जाए एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य कार्यालयों को लेख भेजने के लिए पत्र भेजा जाए ।

दूरदर्शन केंद्र, हैदराबाद

दिनांक 2-5-2006 को शाम 4.00 बजे केंद्र के निदेशक श्री डी. प्रसाद राव की अध्यक्षता में उनके ही कक्ष में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई ।

सदस्य सचिव ने बताया कि कार्यालय में धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले लगभग सभी कागजात द्विभाषी रूप में ही जारी किए जा रहे हैं । इस पर अध्यक्ष महोदय ने बताया कि भविष्य में भी इसी तरह पालन किया जाना चाहिए ।

सदस्य सचिव ने बताया कि गत तिमाही में पत्राचार का प्रतिशत 32% था । जबकि हमारा कार्यालय 'ग' क्षेत्र के अंतर्गत आने से हमें कम से कम 55% पत्राचार हिंदी में करना है। इस पर प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि प्रशासन अनुभाग से 'क' 'ख' 'ग' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले लगभग सभी पत्रों पर हस्ताक्षर हिंदी में ही किए जा रहे हैं परंतु इसकी प्रविष्टि केवल अंग्रेजी के प्रेषण रजिस्टर में ही किया गया जिनकी गिनती हिंदी पत्राचार में नहीं किया जा रहा है । यदि इनकी गिनती हिंदी पत्राचार में की जाए तो हिंदी पत्राचार का प्रतिशत 40% से 45% के लगभग होगा ।

सदस्य सचिव ने बताया कि वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हमें 20% प्रविष्टियां हिंदी में ही करना है तथा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाने पर उन्होंने सुझाव दिया कि सेवा पंजियों में सभी छोटी-छोटी प्रविष्टियां हिंदी में ही लिखे जाएं अथवा हिंदी में उनके स्टॉप बनवा लिए जाएं तो 20% का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे । प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि उनके अनुभाग में कर्मचारी अधिक से अधिक कार्य हिंदी में ही कर रहे हैं ।

भारतीय प्रसारण निगम, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी, मुंबई

हिंदी कार्यान्वयन समिति की बैठक दि. 5-5-2006 को 11.00 बजे श्रीमती सी. एस. कुमुदम

सहायक केंद्र निदेशक के कमरे में उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई ।

बैठक के आरंभ में अध्यक्ष महोदया ने सबका स्वागत किया । तत्पश्चात् बैठक की कारवाई सर्वसम्मति से आरंभ हुई।

पिछली तिमाही में कंप्यूटरों में हिंदी सॉफ्टवेयर डालने हेतु प्रधान लिपिक को आदेश दिया गया था परंतु अभी तक इस कार्य को पूरा नहीं किया गया है । अध्यक्ष महोदया ने प्रधान लिपिक को एक बार फिर इस संबंध में आदेश दिया है ।

अध्यक्ष महोदया ने तिमाही, अर्ध-वार्षिक व वार्षिक प्रगति रिपोर्ट समय पर महानिदेशक को भेजने हेतु प्रधान लिपिक को निर्देश दिया । टंकण की समस्या के कारण हिंदी में कार्य करने से बाधा आ रही है अत: उन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए प्रधान लिपिक को हिंदी टंकण कार्य हेतु पैनल बनाने का आदेश दोहराया ।

हिंदी टिप्पणी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष भर में हिंदी में टिप्पणी में लिखे गए शब्दों की संख्या को नोट करने हेतु रजिस्टर बनाया जाता है, व अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाता है, जिसके आधार पर 20000 से अधिक हिंदी शब्दों के प्रयोगकर्ता को एक मुश्त राशी प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है ।

भारतीय प्रसारण निगम, दूरदर्शन केंद्र, राजकोट

समिति की बैठक दिनांक 18 जुलाई 2006 को श्री एम.एच. रोहित, केंद्र अभियन्ता, दूरदर्शन केंद्र राजकोट की अध्यक्षता में संपन्न हुई । केंद्र अभियंता ने बैठक की अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि वे सभी सदस्य अपने अनुभाग में हिंदी में कार्य करें ।

अध्यक्ष ने गंभीर रूप से सूचित किया हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि को ट्रेनिंग देना अति आवश्यक है, उच्च श्रेणी लिपिकों और आशुलिपिकों को ट्रेनिंग में भेजने की कार्यवाही की गई और उसे राजभाषा विभाग द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, एन.पी.टी.आई.सी. डेक के माध्यम से हिंदी में कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम 2006-2007 के लिए नामांकित किया गया । पिछली बैठक में ग्रंथपालिका को भी आदेश दिया गया था कि हिंदी पुस्तकें की खरीद की जाए और कम से कम 50 प्रतिशत हिंदी पुस्तकें खरीदी जाएं। ग्रंथपालिका ने पुस्तक की खरीद कर ली है और अब पुस्तक की खरीद में कार्यालय में उपयोग में आने वाले पुस्तक की खरीदी ही ज्यादा की जाए इस बात के लिए श्री करणसिंह सोलंकी, कार्यक्रम निष्पादक ने अपना सुझाव दिया ।

भारतीय प्रसारण निगम, आकाशवाणी, अहमदाबाद

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक संयुक्त रूप से दिनांक 29-6-2006 को श्रीमती साधना भट्ट, केंद्र निदेशक आकाशवाणी, अहमदाबाद की अध्यक्षता में 5.00 बजे अपराह्न शुरू हुई ।

अध्यक्ष महोदया ने कहा हिंदी पत्राचार बढ़ाने में कहां मुश्किल आ रही है, उसे ढूंढ कर उसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए । श्री दिलीप पाठक, कार्यक्रम निष्पादक ने बताया कि उनके अनुभाग में एक कंप्यूटर उपलब्ध करवाया जाए ताकि उनके अनुभाग में हिंदी के कामकाज में बढ़ोतरी हो सके । श्री सादिक नूर पठाण, कार्यक्रम निष्पादक ने सुझाव दिया कि कार्यक्रम निष्पादक को कार्यक्रम अधिशासी के नाम से बुलाया जाए ।

अध्यक्ष महोदया ने कहा हमें वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार पूरा वर्ष अपना कामकाज राजभाषा में करके लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिएं । ख क्षेत्र से 90 प्रतिशत हिंदी पत्राचार के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अत: सभी अपने-अपने अनुभागों में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करें । हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाएं । हिंदी में डिक्टेशन देने वाले अधिकारी, अधिकाधिक हिंदी टिप्पणी लिखने वाले सदस्यों को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे ।

अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में काम करने में झिझक दूर करने के लिए समय-समय पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है । अगली हिंदी कार्यशाला हिंदी पखवाड़े के दौरान चलाया जाना निश्चित किया गया ।

अध्यक्ष महोदया ने हिंदी में काम करने में सुविधा हेतु छोटी-छोटी पोकेट डिक्शनेरी कार्यालय की ओर से वितरित

करने के लिए लेखाकार को निर्देश दिए। उसके लिए गुजरात सरकार, प्रकाशन विभाग से संपर्क किया जा सकता है। अगर बजट की सुविधा उपलब्ध हो तो राजभाषा में कार्य करने में उपयोगी पुस्तकें जैसे कार्यालय सहायिका वितरित की जा सकती है।

कार्यालय आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, गाजियाबाद

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गाजियाबाद की माह 1 जनवरी, 2006 से 31 मार्च, 2006 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दि. 11-5-2006 को पूर्वाह्न 16.00 बजे अपर आयुक्त (का. एवं सर्त.) महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

अपर आयुक्त (का. एवं सर्त.) महोदय द्वारा आयुक्तालय, गाजियाबाद के मण्डलों एवं शाखाओं से प्राप्त माह 1 जनवरी, 2006 से 31 मार्च, 2006 तक की 'हिंदी तिमाही प्रगति आख्याओं' की समीक्षा की गई। जिसमें मण्डल कार्यालयों एवं शाखाओं से संबन्धित सभी अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिया कि वे अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें तथा अपने अधीनस्थों को भी यह निर्देश दें कि अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें जिससे कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, क्योंकि यह आयुक्तालय 'क' क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, अत: सभी कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने का लक्ष्य शतप्रतिशत प्राप्त करना है।

जिन अनुभागों में हिंदी में कार्य करने का लक्ष्य कम है उन्हें अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए हिदायत दी गयी है जिससे अगली तिमाही में कम से कम 75 प्रतिशत तत्पश्चात् शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना है।

आयुक्त महोदय द्वारा माह फरवरी, 2006 में आयुक्तालय में पदस्थापित वर्ग 'घ' कर्मचारियों को छोड़कर 287 कर्मचारियों/अधिकारियों को हिंदी में शतप्रतिशत कार्य करने हेतु नामित पत्र जारी किये गये। परंतु सभी मंडलों एवं शाखाओं से प्राप्त प्रतिशत से पता चलता है कि कर्मचारी/अधिकारीगण आयुक्त महोदय के द्वारा जारी पत्र का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं कर रहे हैं जिसका पूर्णत: अनुपालन किया जाये।

माह 1 जनवरी, 2006 से 31 मार्च, 2006 तक की तिमाही रिपोर्ट में हिंदी का मूल पत्राचार 54.47 प्रतिशत रहा है, जो कि पिछले तिमाही से थोड़ा ज्यादा पाया गया। इसके लिए अपर आयुक्त (का. एवं सर्त.) अध्यक्ष महोदय ने संतोष प्रकट करते हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने तथा पत्रावलियों में टिप्पणी 75 प्रतिशत से अधिक हिंदी में लिखने का निर्देश दिया। उन्होंने अगली तिमाही में पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश दिया साथ ही सभी अधिकारियों को भविष्य में हिंदी कार्यान्वयन में अपना सहयोग जारी रखने को कहा गया। अन्त में बैठक का समापन धन्यवाद के साथ हुआ।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय ई.डी.सी. कॉम्पलेक्स पाटो पणजी गोवा-403001

31-3-2006 को समाप्त हो गयी तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तारीख 19-4-06 को अपराह्न 5.00 बजे श्री अरुण कुमार पाटनी, संयुक्त आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, गोवा पणजी की अध्यक्षता में मुख्यालय पणजी गोवा के कार्यालय में आयोजित की गई।

बैठक में समीक्षा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने जिस किसी भी अनुभाग में हिंदी का प्रयोग अपेक्षाकृत कम हो रहा उन अधिकारियों को निदेश दिया कि वे अपने हिंदी कामकाज का प्रतिशत बढ़ाएं। प्राप्त पत्राचारनुसार सांशक आंकड़े संबंधित रजिस्टर के साथ जांच पड़ताल के पश्चात् ही लेने का तय किया गया था। कुछ अनुभाग से सिर्फ हिंदी पत्राचार के आंकड़े दिए गए, प्रतिशत के लिए अंग्रेजी पत्राचार के आंकड़े भी होना जरूरी है। अंग्रेजी पत्राचार के अग्रेषण पत्र हिंदी में दिये जा सकते हैं। इसके लिए संबंधित अनुभाग प्रमुख अधिक कोशिश करें। हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु प्रयास यह कि–सभी अनुभाग प्रमुख हिंदी में आवक, जावक, रजिस्टर अलग से रखें। भाषात्तर के लिए भेजे गये पत्राचार की नोंद भी अलग रजिस्टर में रखें। भाषातर हेतु आए पत्रों का उचित रिकार्ड हिंदी के आवक रजिस्टर में रखना आवश्यक है। राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत, इससे अनुभाग प्रमुखों को एक ही नजर में अनुभाग के पत्राचार की स्थिति ज्ञात होगी। इसलिए सभी संबंधी अनुभाग प्रमुख अधिकारी अपने हस्ताक्षर के अंतर्गत रिपोर्ट सही समय पर सही में हिंदी अनुभाग को

प्रस्तुत करें । अब तक दो बार रिपोर्ट विलंब हो गई हैं और रिपोर्ट सही नहीं पाई गई । इसी कारण अगली तिमाही रिपोर्ट में सतर्क रहकर प्रस्तुत करें। अनुभाग अधिकारी जिनके हस्ताक्षर से रिपोर्ट भेजी गयी है, वह आंकड़ों एवं अन्य मदों की सत्यता हेतु जिम्मेदार रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय ने सभी अनुभाग प्रमुखों को निदेश दिया कि हर अनुभाग के आंकड़े विभाग प्रमुख स्वयं के हस्ताक्षर से हर महीने की 5 तारीख तक हिंदी अनुभाग में प्रस्तुत करें । ताकि हिंदी विभाग महीने की 10 तारीख से पहले ब्यौरा आयुक्त महोदय के अवलोकन हेतु प्रस्तुत कर सके ।

हर अनुभाग से मासिक रिपोर्टों के साथ संलग्न अग्रेषण पत्र (Covering Letter) हिंदी में भेज दें या द्विभाषी रूप में प्रस्तुत करें । आयुक्तालय का इससे हिंदी प्रतिशत बढ़ सकता है । जरूरत के अनुसार हिंदी अनुभाग की सहायता भी ले सकते हैं ।

टाइपिंग किए हुए प्रोफार्मा संगणक मशीन में डाले जा सकते हैं, उसी में आवश्यक बदल करते हुए हिंदी में नया संबंधित महीने की आवश्यक रिपोर्ट में तबदील करके प्रस्तुत कर सकते हैं ।

सहा. लेखा मुख्यालय में वेतनपर्ची के अलावा बहुत सारे काम काज किए जाते हैं, सभी में बढ़ोतरी की जा सकती है । चर्चा के दौरान पाया गया कि दोनों मंडल का प्रशासन और मार्मागोवा प्रशासन भी तथा लेखा संबंधी कार्य हिंदी में नहीं हो रहा है । दोनों मंडल के और मार्मागोवा के उपाआयुक्त इस विषय पर विशेष ध्यान देंगे ।

स्थापना आदेश, परिपत्र, सार्वजनिक सूचना, व्यापार सूचना, स्थायी आदेश, व्यक्तिगत सुनवाई, प्रस्तावना (Adj. Preamble) मासिक स्टेटमेंट, सामायिक रिपोर्ट, प्राप्त सूची, अनुसंस्मरण, शून्य रिपोर्ट, ज्ञापन आदेश में हिंदी जारी किया जाना आवश्यक है ।

पेट्रोल बिल, टेलीफोन बिल, किरकोल बिल आदि की मंजूरी हेतु नोटिंग्स हिंदी में ही किए जाएं । मुख्यालय के हर अनुभाग सभी मंडल और परिक्षेत्र से भेजे जाने वाले सारे लिफाफे पर हिंदी पते (Address) डालकर भेज सकते हैं। अगर ऐसा किया तो उस दिन के आंकड़ों की संख्या बढ़ जायेगी ।

नई खोली जाने वाली फाईल्स के विषय, संदर्भ, फाईल संख्या संबंधित सभी रजिस्टर आदि यदि संभव हो तो पत्राचार का कामकाज हिंदी में कर सकते हैं।

कार्यालय आयुक्त केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, भोपाल

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय भोपाल की मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समीति की तिमाही बैठक दिनांक 7-7-2006 को आयुक्त महोदय श्री नारायण बसु की अध्यक्षता में आयोजित की गई । अध्यक्ष महोदय ने समीक्षा में दिनांक 1-4-2006 से 30-6-2006 की तिमाही हिंदी प्रगति पर संतोष व्यक्त किया व हिंदी लक्ष्य 100 प्रतिशत करने हेतु प्रयास जारी रखने हेतु निर्देशित किया । इस हेतु सभी अनुभाग प्रमुख यह देखें की हर समय हिंदी में पावती/मानक प्रारूप अग्रेषण पत्र हिंदी में ही जारी किए जाएं आवक जावक शाखा में हिंदी/अंग्रेजी पत्रों हेतु अलग-अलग रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखे जाएं ।

सभी प्रभाग एवं मुख्यालय के अनुभाग प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर 03 तारीख तक हिंदी प्रगति विवरणी मुख्यालय हिंदी शाखा में प्रस्तुत करें जिसमें मुख्यालय की हिंदी प्रगति विवरणी महानिदेशक निरीक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली को 07 तारीख तक अवश्य भेजी जा सके । हिंदी प्रगति विवरणी के विलंब से प्राप्त होने व भेजने पर अध्यक्ष महोदय ने नाराजगी व्यक्त की निरीक्षण महानिदेशालय के पत्र संख्या 4031/12/2005 दिनांक 30-05-2006 के अनुसार वर्ष 2006-07 हेतु राजभाषा नीति कार्यान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हिंदी पत्राचार बढ़ाया जाए । अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि विभागीय हिंदी पत्रिका प्रयास का प्रकाशन दिसम्बर माह तक किया जाए इस संबंध में श्री ए. के. दुबे अधीक्षक (आयुक्त शाखा) को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है कि वे रचनाएं/संदेश आमंत्रित करें व यह प्रयास करें कि अधिक से अधिक रचनाएं पत्रिका में प्रकाशन हेतु प्राप्त हो सकें । मुख्यालय भवन में एक बोर्ड लगाया जाए जिसमें प्रतिदिन इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी अपना आज का विचार हिंदी में व्यक्त कर सकें ।

कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त, पंचकूला

मुख्य आयकर आयुक्त हरियाणा क्षेत्र पंचकूला की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2006-07 की पहली जून तिमाही की बैठक 29-6-2006 को दोपहर 12.30 बजे श्री जसपाल सिंह आयकर आयुक्त एवं राजभाषा अधिकारी की अध्यक्षता में आयकर आयुक्त महोदय के कमरे में आयोजित की गई।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि 'क' क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य अनुसार कार्यालय में हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता कम है । इसे और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है । उन्होंने कहा कि यदि सभी कंप्यूटरों पर हिंदी टाईपिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो सभी कंप्यूटरों पर 'लीप आफिस' लोड करवाया जाए और मानक मसौदों के प्रारूप कंप्यूटरों में सुरक्षित रखे जाएं ताकि उन प्रोफार्मों का हिंदी रूपाँतर प्रयोग में लाया जा सके । इसके अतिरिक्त अनुस्मारक पत्र के नमूने भी कम्प्यूटरों में लोड कर लिए जाएं तथा आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग भी हिंदी में किया जाए अध्यक्ष महोदय ने यह भी चाहा कि निर्धारण के क्षेत्र में 154 तथा 156 के नोटिस तथा अन्य नोटिस जो द्विभाषी हैं उनका हिंदी रूपांतर प्रयोग में लाया जाए तथा जो नोटिस तथा निर्धारण आदेश अथवा रिफण्ड आदेश आदि कंपयूटर से बनाए जाते हैं और वह अंग्रेजी में हैं, उनके साथ अग्रेषण पत्र (Forwarding letter) हिंदी में बनवा कर वे हिंदी में जारी किए जाएं ताकि हिंदी में अधिक से अधिक कार्य हो सके तथा हिन्दी में पत्राचार की प्रतिशतता को बढ़ावा मिल सके । उक्त पत्र को कम्पयूटर में सुरक्षित भी रख लिया जाए ।

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. मुख्यालय, सैक्टर-33, फरीदाबाद

निगम मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2006-07 की पहली तिमाही बैठक 13 जून, 2006 को आयोजित की गई । इस बैठक की अध्यक्षता श्री उपेन्द्र चोपड़ा, महाप्रबंधक (मानव संसाधन, कारपोरेट संचार व राजभाषा) व अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने की । सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया । तत्पश्चात् सदस्य सचिव ने बैठक की कार्रवाई शुरू करते हुए पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर हुई अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

इस बैठक में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राजभाषा हिंदी में काम करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है । उन्होंने बैठक में उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी विभागाध्यक्षों को अपने स्तर से पहल करके अपने अधीनस्थ कार्मिकों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । उन्होंने कहा कि अक्सर तत्काल किस्म के कार्यों को हम अंग्रेजी में करके शीघ्र पूरा करना चाहते हैं । किंतु हमें ऐसी मानसिकता एवं व्यवस्था बनानी होगी कि हिंदी में अंग्रेजी की अपेक्षा ज्यादा तेजी से काम किया जा सके । इस संदर्भ में उन्होंने सुझाव दिया कि कार्यालय में प्रायः उपयोग में लाए जाने वाले मानक पत्रों/मसौदों का विभागीय तौर पर अनुवाद करके उपयोग में लाना चाहिए इससे न सिर्फ हिंदी में पत्राचार बढ़ेगा अपितु सहजता और शीघ्रता से हिंदी में काम करने में सुविधा भी होगी । अध्यक्ष महोदय के इस सुझाव का सभी ने स्वागत किया ।

इसके बाद प्रबंधक (राजभाषा)-प्रभारी डॉ. राजबीर सिंह ने निगम मुख्यालय के विभागों और पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से हिंदी कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत किया । हिंदी पत्राचार की समीक्षा करते हुए उन्होंने 80 प्रतिशत से अधिक हिंदी में पत्राचार करने वाले विभागों की सराहना की तथा निर्धारित लक्ष्य तक हिंदी पत्राचार बढ़ाने के लिए कारगर प्रयास करने पर जोर दिया । इसके अतिरिक्त हिंदी टाइपिंग जानने वाले कर्मचारियों से कंप्यूटरों पर नियमित रूप से मुख्यतः हिंदी टाइपिंग का कार्य कराने का भी अनुरोध किया ।

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. तीस्ता चरण-V जल विद्युत परियोजना, बालुटार, सिंगताम (पूर्वी सिक्किम)-737134

तीस्ता चरण-V जल विद्युत परियोजना, बालुटार, (पूर्वी सिक्किम) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2005-06 की चौथी व अन्तिम तिमाही बैठक श्री एस के मित्तल, महाप्रबंधक व अध्यक्ष, रा.भा.का.स. की अध्यक्षता

(शेष पृष्ठ 71 पर)

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

तूतीकोरिन

नगर-राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 17वीं बैठक दिनांक 29 जून 2006 को केनरा बैंक की चिदंबर नगर शाखा कार्यालय के सभागृह में श्री वी.वी. एस. रामाराव महाप्रबंधक भारी पानी संयंत्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई । इस 17वीं बैठक में राजभाषा विभाग से प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम 2006-2007 में 'ग' क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों के बारे में, हिंदी कार्यशालाओं में नामांकन, धारा 3(3), कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति नराकास हिंदी प्रतियोगिताओं के आयोजन, गृहपत्रिका नगराभिनंदन के प्रकाशन एवं बजट संबंधी चर्चा के साथ-साथ नराकास राजभाषा शील्ड संबंधी रिपोर्टों पर भी विस्तृत चर्चा की गई । बैठक में कोचीन से पधारे श्री पी. विजयकुमार ने विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त तिमाही/छमाही रिपोर्टों की समीक्षा करके बताया कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों बैंकों में राजभाषा संबंधी सभी नियम, समान रूप से लागू हैं जिनका कार्यान्वयन करना, कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी है । चाहे कार्यालय किसी भी प्रदेश या राज्य में स्थित हो । साथ ही उन्होंने यह भी कहा की इन बैठकों में सभी कार्यालय प्रमुख अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें जिसमें इन बैठकों में चर्चा किए गए मामलों पर तुरंत निर्णय किया जा सके ।

नराकास अध्यक्ष श्री वी.वी. रामाराव ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि तूतीकोरिन स्थित नराकास कार्यालयों में हिंदी की स्थिति संतोषजनक नहीं है फिर भी हम धीरे-धीरे सामूहिक प्रयासों से इनके कार्यान्वयन को बढ़ावा दे सकते हैं । उन्होंने कार्यालय प्रमुखों से आग्रह किया की उन्हें इस बारे में प्रयत्न करना होगा जिससे उनके अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारी भी हिंदी में काम करने को प्रेरित हों ।

तृश्शूर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तृश्शूर की 37वीं बैठक दिनांक 29-5-2006 के 3.00 बजे अपराह्न लघु उद्योग सेवा संस्थान, तृश्शूर के निदेशक महोदय व समिति के अध्यक्ष श्री लैंबर्ट जोसफ़ की अध्यक्षता में संस्थान के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई ।

निदेशक व समिति के अध्यक्ष महोदय श्री लैंबर्ट जोसफ़ ने अध्यक्षीय उद्‌बोधन प्रस्तुत किया । अपने संबोधन में राजभाषा के रूप में हिंदी की अहं भूमिका पर जोर देते हुए, तत्संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति में सभी के सतत सहयोग के लिए आग्रह किया । जिन सदस्य कार्यालयों में राजभाषा/हिंदी अधिकारी का पद उपलब्ध/संस्वीकृत नहीं है, वहां किसी वरिष्ठ अधिकारी को राजभाषा अधिकारी के पद पर नामित करने के संबंध में उन्होंने जोर दिया तथा आशा की कि संबंधित कार्यालयों ने अपेक्षित कार्रवाई कर उस संबंध में समिति के कार्यालय को सूचित किया होगा । राजभाषा के रूप में हिंदी के कार्यान्वयन पर भाषण देते हुए अध्यक्ष महोदय ने इस बात की प्रशंसा की कि लघु उद्योग सेवा संस्थान तृश्शूर सरकारी कामकाज में हिंदी का यथासंभव प्रयोग किया जा रहा है ।

कारैकुडी

दिनांक 4 मई, 2006 को अलगप्पा सम्मेलन कक्ष, सी.ई.सी. आर.आई., कारैकुडी में समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार शुक्ला, निदेशक सी.ई.सी.आर.आई. की अध्यक्षता में संपन्न हुई । उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिंदी की विशिष्टता पर प्रकाश डालते हुए हिंदी संघ की राजभाषा बनने की पृष्ठभूमि के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी । उन्होंने कहा कि ऐसा मंच सदस्य कार्यालयों के बीच प्रभावी प्रोत्साहन देगा और उनके कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों के बीच राजभाषा हिंदी की ओर अनुकूल वातावरण सृजित करेगा । राजभाषा विभाग से पधारे श्री पी. विजयकुमार, अनुसंधान अधिकारी (कार्या.) ने रिपोर्टों की समीक्षा करते हुए बताया कि बहुत से कार्यालय राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का उल्लंघन कर रहे हैं । जो दस्तावेज द्‌विभाषी रूप से जारी किए जाने चाहिए, वे सिर्फ अंग्रेजी में जारी किये

जा रहे हैं उन्होंने यह भी बताया कि कार्यालय में प्रयुक्त सभी रबड़ की मुहरें, धातु की सीलें, फाइल कवर, नाम पट्ट, बोर्ड, एटीएम कार्ड, आदि द्विभाषी रूप में होने चाहिए । हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में ही दिया जाना चाहिए । हर तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक को अनिवार्य रूप से आयोजित करनी चाहिए तथा बैठक के कार्यवृत्त की प्रतियां क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोच्चिन तथा अध्यक्ष, नराकास को अग्रेषित करनी चाहिए। कार्यालय के सभी कंप्यूटरों को द्विभाषी में कार्य करने योग्य सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिएं । अंत में उन्होंने कहा कि नराकास बैठकों में कार्यालय प्रमुख अथवा सक्षम अधिकारी मुख्य रूप से भाग लें । अधीनस्थ कर्मचारियों को बैठक में भाग लेने हेतु नामोनित करने से प्रभावी निर्णय लेने में कठिनाइयाँ महसूस होती हैं ।

भुवनेश्वर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केंद्रीय सरकारी कार्यालय व उपक्रम) भुवनेश्वर की अर्धवार्षिक बैठक दिनांक 29-06-2006 को राजस्व विहार स्थित आयकर भवन के सम्मेलन कक्ष में समिति के अध्यक्ष एवं मुख्य आयकर आयुक्त, ओड़िशा श्री सुभाष चन्द्र सेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई । इस बैठक में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में श्री वेद प्रकाश गौड़, उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व), कोलकाता ने भी भाग लिया । क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, पूर्व क्षेत्र के उप निदेशक श्री वेद प्रकाश गौड़, ने इस अवसर पर उपस्थित कार्यालय प्रधानों को संबोधित करते हुए राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन पर जोर दिया । उन्होंने 40 प्रतिशत से कम हिंदी पत्राचार करने वाले कार्यालयों से हिंदी पत्राचार पर विशेष जोर देने का अनुरोध किया एवं तिमाही प्रगति रिपोर्ट को भरने में अनेक कार्यालयों द्वारा हुई भूल को देखते हुए उन्होंने अध्यक्ष महोदय से एक नगर स्तरीय कार्यशाला आयोजित करने का अनुरोध किया जिसमें आवधिक रिपोर्टों को तैयार करने से संबंधित विषय शामिल हों । उन्होंने कहा कि हिंदी का प्रयोग देश के हर भाग से बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और ओड़िशा में हिंदी के प्रचार प्रसार तथा प्रयोग की स्थिति 'ग' क्षेत्र में काफी अच्छी है । उन्होंने आशा व्यक्त की कि नए अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में भुवनेश्वर के केंद्रीय कार्यालयों व उपक्रमों में हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा । उन्होंने अंग्रेजी की मानसिकता से मुक्त होकर हिंदी में कार्य करने का संकल्प लेने को कहा तथा आशा जताई कि हम अपनी भाषा को सम्मान देकर अपना काम हिंदी में करने लगेंगे वह दिन दूर नहीं जब हम विश्वगुरू का खोया हुआ सम्मान हासिल कर सकेंगे ।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में समिति के अध्यक्ष एवं मुख्य आयकर आयुक्त, भुवनेश्वर श्री सुभाष चन्द्र सेन ने उपस्थित सदस्यों को बधाई देते हुए और आभार प्रकट करते हुए कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति में छोटे बड़े सभी कार्यालयों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है । उन्होंने समिति के कार्यकलापों एवं केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच के आपसी सहयोग एवं समन्वय की प्रशंसा की तथा समिति के कामकाज पर संतोष प्रकट किया । उन्होंने कहा की कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, बल्कि यह कठिनाई सिर्फ हमारे मन में है जो इच्छाशक्ति की कमी है । हम अन्य भारतीय भाषाओं का समादर करते हुए अगर अपने और कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का प्रयोग करते हैं तो कहीं पर कोई कठिनाई नहीं होगी । उन्होंने धारा 3(3) के बारे में कहा कि इस धारा के अंतर्गत आने वाले कागजातों को द्विभाषी रूप में जारी करने में प्रारंभ में कुछ कठिनाई हो सकती है परंतु बाद में यह हमारी आदत में शामिल हो जाएगी और इसका अनुपालन बिना कठिनाई के स्वत: होने लगेगा । उन्होंने उपस्थित सदस्यों से ध्यान देकर सावधानीपूर्वक रिपोर्ट तैयार करने का सुझाव दिया ताकि उसमें होने वाली छोटी-छोटी गलतियों से बचा जा सके ।

शिलांग

दिनांक 23 जून, 2006 को ब्रिगेडियर ओ.पी. गुरूंग की अध्यक्षता में महानिदेशालय असम राइफल्स शिलांग के सम्मेलन कक्ष में नराकास शिलांग की प्रथम बैठक हुई । बैठक की अध्यक्षता करते हुए ब्रिगेडियर गुरूंग ने बताया कि हिंदी को राजभाषा के तौर पर नराकास शिलांग स्तर पर प्रयास सराहनीय है । स्थानीय लोगों में हिंदी की समस्या है, क्योंकि कुछ लोग हिंदी बिल्कुल ही नहीं जानते हैं । विगत जनवरी महीने में टॉलिक शिलांग को द्वितीय पुरस्कार मिला है । यह आप सबके सहयोग का ही परिणाम है । पिछली बैठक में भी मैंने यह बताया था कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपने

निरीक्षण के दौरान टॉलिक शिलांग के कार्यों की सराहना की थी । इसलिए हमें चाहिए कि हम हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए तथा इस बैठक के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास करें, जिससे हमें अच्छे परिणाम मिल सकें ।

मैं पुरस्कार विजेताओं को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग और अच्छा काम करेंगे । वैसे तो राजभाषा शील्ड योजना में शामिल सभी कार्यालयों के कार्यों की, मैं सराहना करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो कार्यालय किसी वजह से कुछ अंकों से पीछे रह गए हैं, वे थोड़ा और प्रयास करके अगली बार यह पुरस्कार अवश्य जीतेंगे ।

आप सभी के सहयोग से नराकास स्तर पर हिंदी पत्रिका 'पूर्व प्रहरी' का प्रकाशन हुआ है । मैं आशा करता हूँ कि इसका प्रकाशन अनवरत जारी रहेगा । इसकी प्रतियां सदस्य कार्यालयों को भेजी जाएंगी । पत्रिका के विषय में आप सबको यह सूचित करना है कि यह पत्रिका पहली बार प्रकाशित हुई है और इसके लिए अंशदान भी कम ही प्राप्त हुए हैं । यदि हमें रचनाएं/अंशदान कम मिलेगा, तो पत्रिका की गुणवत्ता प्रभावित होगी । इसलिए आगामी अंक में विषय वस्तु और अधिक शामिल करने होंगे । अत: सभी सदस्यों/कार्यालयों से अनुरोध है कि अगले अंक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा रचनाएं भेजें, जिससे पत्रिका की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके ।

अंत में, इस बात के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ कि हम सब एक टीम के तौर पर एकजुट होकर कार्यरत हैं । हम सब भारतीय हैं । हमें अपनी राजाभाषा पर गर्व होना चाहिए । हमारे लिए अन्य भाषाओं की जानकारी भी जरूरी है, लेकिन अपनी भाषा को वरीयता देनी चाहिए । हम सभी को राजभाषा हिंदी को और आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए तथा राजभाषा का सम्मान करना चाहिए ।

अमृतसर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अमृतसर की वर्ष 2006-07 की प्रथम बैठक 25 अप्रैल, 2006 को 3.00 बजे बाद दोपहर, केंद्रीय विद्यालय नं. 1, अमृतसर छावनी के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई । इस बैठक की अध्यक्षता श्री कुलदीप सिंह, आयकर आयुक्त, अमृतसर-1 ने की । राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गाजियाबाद से श्री जसवंत सिंह विशेष रूप से इस बैठक में उपस्थित हुए । अमृतसर नगर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, निगमों उपक्रमों आदि से बड़ी अधिक संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों ने इस बैठक में भाग लिया ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गाजियाबाद से श्री जसवंत सिंह ने बैठक की कार्यवाही की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा में बताई गई कमियों को दूर करने में कार्यालय-अध्यक्ष स्वयं रुचि लें । उनके अनुसार इस बैठक में राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्रतिनिधित्व कम रहा है । सदस्य कार्यालय के अध्यक्ष भी कम संख्या में उपस्थित रहे । उन्होंने सदस्य-सूची को अद्यतन करके अनुपस्थित कार्यालयों से पत्राचार करने का सुझाव दिया । इस बात पर भी बल दिया गया कि राजभाषा विभाग के अनुदेशों अनुसार कार्यालय-प्रमुख/कार्यालय-अध्यक्ष या अन्य वरिष्ठतम अधिकारी ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लें । क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कारों में शामिल होने के बारे उन्होंने उपस्थित सभी सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया कि बीते वित्तीय वर्ष 2005-06 संबंधी 04 तिमाहियों की प्रगति रिपोर्ट सीधे क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग गाजियाबाद को भिजवा दें ।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री कुलदीप सिंह, आयकर आयुक्त ने राजभाषा विभाग से विशेष रूप से पधारे श्री जसवंत सिंह का अभिनन्दन किया । उन्होंने इस बैठक को अत्यंत व्यवस्थित ढंग से आयोजित करने तथा विद्यालय के बच्चों द्वारा स्वागत गान और समूह गान प्रस्तुत करने के प्रति प्रिंसीपल, केंद्रीय विद्यालय-1, अमृतसर छावनी व उनकी पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया । उन्होंने टिप्पणी की कि, हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना, कार्यालय की मोहरें/साइन-बोर्ड/नेमप्लेटें द्विभाषी रूप से बनवाना इत्यादि ऐसी बातें है जो थोड़ा अधिक ध्यान देकर कार्यालय-अध्यक्ष, पूरी करवा सकते हैं । यदि कार्यालय-अध्यक्ष समीक्षा के दौरान बताई गई कमियों को दूर करने हेतु थोड़े अधिक प्रयास करें तो राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए निर्धारित लक्ष्यों को आसानी से पूरा किया जा सकता है ।

चंडीगढ़ (बैंक)

वर्ष 2005-06 के दौरान समिति अपने कार्यक्षेत्र में सक्रियतापूर्वक काम करती रही है । नवंबर-2005 में साँस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया । मार्च, 2006 में देहरादून में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में भारत सरकार की क्षेत्रीय राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत नराकास ने वर्ष 2004-05 के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है । मार्च, 2006 में नराकास कवि गोष्ठी और अभी पिछले माह कवि सम्मेलन संपन्न हुआ । इसके अतिरिक्त वर्ष भर में सदस्य कार्यालयों ने पूरी निष्ठा के साथ 9 विभिन्न अंतर बैंक हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया । नराकास की वार्षिक पत्रिका "बैंक प्रभा" के आठवें अंक का प्रकाशन जारी है । बीते वर्ष "उच्चाधिकारियों के लिए राजभाषा संगोष्ठी" सम्पन्न करके एक और नई उपलब्धि नराकास के खाते में जोड़ी गई है । इस अवधि में "श्रेष्ठ साहित्य सार-संग्रह" प्रकाशित करके आपकी नराकास ने और एक अभिनव परियोजना को कार्यरूप दिया है जिसकी व्यापक सराहना हुई है । इन सब प्रयासों के परिणामस्वरूप पूरे वर्ष नगर भर में राजभाषा संबंधी आयोजनों का प्रेरणादायी वातावरण बना रहा है । गत वर्ष हमने "श्रेष्ठ साहित्य संग्रह" का प्रकाशन किया है । इस संग्रह में हिंदी तथा अन्य भाषाओं की 41 पुस्तकों का परिचयात्मक सारांश सम्मिलित है जो विभिन्न सदस्य कार्यालयों द्वारा उपलब्ध किया गया है । यह अपने प्रकार का पहला ऐसा ठोस प्रयास है जिसका उद्देश्य अच्छा साहित्य पढ़ने की ओर लोगों को प्रेरित करना है । श्री चोपड़ा ने कहा कि यह संकलन वर्ष 2005-06 में चंडीगढ़ बैंक नराकास की श्रेष्ठ और अनुपम उपलब्धि है ।

चंडीगढ़ बैंक नराकास की आगामी परियोजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए श्री चोपड़ा ने इस अवसर पर बताया कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार और गाँव के समग्र विकास हेतु खुड्डा लाहौरा गाँव का नराकास द्वारा अंगीकरण किया गया है । वहाँ निकट भविष्य में नराकास की ओर से पुस्तकालय और वाचनालय स्थापित करने तथा गाँव के विद्यालयों में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित करने का विचार है इसके अतिरिक्त इस वर्ष से सीबीएसई की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में नगर में हिंदी में सर्वाधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने, नियमित साँस्कृतिक संध्या के अतिरिक्त एक और साँस्कृतिक संध्या आयोजित करने एवं उच्चाधिकारियों तथा राजभाषा अधिकारियों के लिए राजभाषा ज्ञान/बैंकिंग ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करने की योजना है । इसी प्रकार नराकास परिवार के रचनाधर्मी सदस्यों की कविताओं का एक संग्रह भी प्रकाशित किया जा रहा है ।

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गाजियाबाद के सहायक निदेशक श्री जसवंत सिंह ने इस अवसर पर राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न नवीनतम निर्देशों और आदेशों पर संक्षेप में प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ साहित्य संग्रह प्रकाशित करने का सुंदर प्रयास और निश्चय ही चंडीगढ़ बैंक नराकास जैसी श्रेष्ठ संस्था को और शोभायमान करता है । इसके लिए अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्य कार्यालय, सकंलन-कर्त्ता सदस्य-सचिव और योगदान-कर्ता सहकर्मी बधाई के पात्र हैं । चंडीगढ़ बैंक नराकास देश की सर्वाधिक प्रगतिशील नराकासों में से एक है और जिस कुशलता और निष्ठा भावना से इसका संचालन किया जा रहा है । इसके लिए संयोजक कार्यालय-पंजाब नैशनल बैंक की भूमिका सर्वाधिक सराहनीय है । यहाँ के आयोजनों की चर्चा विभिन्न स्थानों पर होती रहती है । उन्होंने सभी उपस्थितों से यह भी अनुरोध किया कि वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम 2006-07 के लक्ष्य पिछले दो वर्षों के स्तर पर ही रखे जाने के फलस्वरूप अब आँकड़ों की गुणवत्ता सुधारने पर पूरा जोर दिया जाए ।

चंडीगढ़

चंडीगढ़ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 23-5-2006 को सांय 3.00 बजे किसान भवन, सैक्टर-35, चंडीगढ़ में आयेजित की गई । बैठक की अध्यक्षता श्रीमती एस. के. औलख, मुख्य आयकर आयुक्त, उ.प. क्षेत्र, चंडीगढ़ ने की । बैठक में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व श्री राम निवास शुक्ल, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) ने किया ।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री राम निवास शुक्ल, उपनिदेशक ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि "आज की बैठक बड़े व्यवस्थित ढंग से आयोजित की गई है । यह समिति देश की श्रेष्ठ समितियों में से एक मानी जाती

है । राजभाषा विभाग के अधिकारी अक्सर चंडीगढ़ की समिति के कार्यों के उदाहरण अन्य जगहों पर जाकर देते हैं । सराहनीय प्रयासों के लिए मैं अध्यक्ष महोदया को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ । इस समिति के सदस्य कार्यालयों में बहुत अच्छा कार्य हिंदी में हो रहा है लेकिन फिर भी इसे और बढ़ाने की संभावना बनी रहती है । सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाना हम सबका दायित्व है जिसके लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना है ।"

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्रीमती एस. के. औलख जी ने कहा कि "आज की इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थित बहुत ही प्रंशनीय है । इतने वरिष्ठ अधिकारियों का इस बैठक में उपस्थित होना ही इस बात का प्रमाण है कि समिति के सदस्यों की राजभाषा के प्रति कितनी रुचि है । समिति के हर कार्य में सभी सदस्यों का बढ़-चढ़ कर सहयोग मिलता है । यह शायद यहां के पानी का ही असर है और यहाँ की मिट्टी की खुशबू ही ऐसी है कि जो भी यहां आता है वह किसी भी जिम्मेवारी को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहता है । अभी हमने इस वर्ष किए जाने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की है । प्रत्येक सदस्य इन कार्यक्रमों को अपने यहाँ करवाने के लिए तत्पर है । यहां पर किसी कार्यक्रम को आयोजित करने में कोई समस्या नहीं है । अत: हम निश्चय ही वर्ष के दौरान अच्छे कार्यक्रम आयोजित करने में सफल होंगे ।

हमारे सदस्य कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है । प्रत्येक कार्यालय अपने-अपने स्तर पर अपने-अपने ढ़ंग से राजभाषा के कार्य को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है इसलिए हमारे कार्यालयों में राजभाषा का बहुत अच्छा प्रयोग हो रहा है । लेकिन फिर भी हमें यह प्रयास करना है कि जिस स्तर तक हम पहुंच गए हैं वहां से हम निरंतर आगे बढ़ते रहें । पहले अंग्रेजी बोलना फैशनेबल हुआ करता था लेकिन अब हिंदी बोलना फैशनेबल है । आम आदमी के मन से भी अंग्रेजी गायब हो रही है । अंग्रेजी का प्रयोग अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है । मुझे आशा है कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं अपने पत्राचार और नोटिंग में हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हुए इसका गौरव बढ़ाते रहेंगे । आज जिन प्रतियोगियों और अधिकारियों ने पुरस्कार प्राप्त किए हैं वे बधाई के पात्र हैं । पुरस्कारों से आपस में प्रतिस्पर्धा की भवना आती है जिससे हम अपनी क्षमताओं को और अच्छे ढंग से दिखाने में सफल होते हैं । मैं आप सबको यहां आने के लिए भी धन्यवाद देती हूँ ।"

पुणे

पुणे स्थित सभी सरकारी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 33वीं बैठक गुरुवार दि. 29 जून, 2006 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के उप महा-प्रबंधक श्री विकास छापेकर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के पश्चिमी कार्यान्वयन कार्यालय के सहायक निदेशक श्री आर. एस. रावत, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) डॉ. दामोदर खडसे, हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक श्री राजेंद्र प्रसाद वर्मा उपस्थित थे। हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक श्री राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने सदस्य कार्यालयों को सूचित किया कि उनके कार्यालय द्वारा दि. 3-7-2006 से हिंदी प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ के वर्ग चलाए जा रहे हैं व सदस्य कार्यालय अपने संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। श्री वर्माजी ने यह भी सूचित किया किया कि संबंधित कर्मचारियों को हिंदी टंकण व आशुलिपि का भी प्रशिक्षण दिलाना अनिवार्य है व यह सुविधा भी उनके केंद्र में उपलब्ध है।

राजभाषा विभाग के सहायक निदेशक श्री आर.एस. रावत ने सदस्यों का मार्गदर्शन करते हुए समिति को राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़ी सभी समस्याओं के निराकरण का एक मंच बताया। उन्होंने समिति की बैठकों में कार्यालय अध्यक्षों की उपस्थिति पर बल देते हुए यह आग्रह किया कि रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण में यथार्थता बरती जाए। श्री रावत ने कहा कि आज बाजार, उत्पादन व मांग की पूर्ति हेतु हिंदी एक आवश्यकता बन गयी है। अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करते हुए श्री विकास छापेकर ने कहा कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने राष्ट्रीयकरण से लेकर उदारीकरण तक के दौर तक सरकार द्वारा सौंपे गये विभिन्न दायित्वों का निर्वाह बड़ी सूझबूझ के साथ किया है और राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के प्रति भी सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक कटिबद्ध हैं। उन्होंने समिति के मंच पर यह विचार करने की आवश्यकता पर

बल दिया कि हिंदी के प्रयोग से व्यवसाय व लाभ में वृद्धि कैसे हो सकती है। उन्होंने व्यावसायिक वृद्धि हेतु हिंदी में छुपी अपार संभावनाओं को तलाशने की जरूरत पर बल दिया।

डलहौजी

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निदेशों के अनुपालन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति डलहौजी की पहली छमाही बैठक नराकास के अध्यक्ष एवं कार्यपालक निदेशक क्षेत्र-II श्री एम. के. रैना की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में चंबा, डलहौजी, खैरी व बनीखेत स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों जैसे बैंक, केंद्रीय विद्यालय, डलहौजी छावनी, विशेष अनुसंधान ब्यूरो, विशेष ब्यूरो, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, आयकर विभाग व एनएचपीसी की सभी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के समस्त प्रमुखों ने भाग लिया ।

बैठक में विशेष रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक (तकनीकी) श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके साथ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर), गाजियाबाद से उप-निदेशक (कार्या.) श्री रामनिवास शुक्ल भी सम्मिलित हुए। नराकास, डलहौजी के अस्तित्व में आए 16 वर्षों के इतिहास में यह पहला अवसर था जब भारत सरकार के इतने उच्च अधिकारियों द्वारा इस बैठक में भाग लिया गया। उप-निदेशक (कार्यान्वयन) श्री शुक्ल ने राजभाषा के विकास में नराकास की उपयोगिता पर चर्चा करते हुए नराकास की सफलता के लिए आवश्यक आठ मदों की विस्तार से जानकारी दी तदोपरांत सभी सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत की ।

निदेशक (तकनीकी) श्री विनोद कुमार ने अपने अभिभाषण में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना सभी का कर्त्तव्य है और इस क्षेत्र में जितने भी कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन आते हैं उन्हें इस बैठक में आवश्यक रूप से भाग लेना चाहिए। उन्होंने नराकास, डलहौजी की बैठक में कुछ सदस्य कार्यालयों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए कहा की इस संबंध में इन कार्यालयों से आवश्यक पत्राचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने तकनीकी क्षेत्र में राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे कार्यों एवं विभिन्न नवीन साफ्टवेयरों की जानकारी दी।

अध्यक्ष एवं कार्यपालक निदेशक श्री रैना ने अपने संबोधन में कहा कि राजभाषा के विकास के लिए एनएचपीसी कृतसंकल्पित है और इस क्षेत्र में भी राजभाषा के विकास के लिए वह कार्य करती रहेगी। बैठक में नराकास शील्ड 2005 भी प्रदान की गई जिसमें सेवा जलविद्युत परियोजना को प्रथम, बैरास्यूल पावर स्टेशन को द्वितीय एवं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की खैरी इकाई को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया।

उदयपुर

दिनांक 27 जून 2006 को नराकास की बैठक भारतीय खान ब्यूरो के सभागार में श्री नरेन्द्र कुमार खेराड़ा, निदेशक, खान सुरक्षा निदेशालय, उदयपुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। श्री सुनील सरवाही, उप-निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भोपाल बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री मनोज कुमार रजक, उपायुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, उदयपुर बैठक के विशिष्ट अतिथि थे।

उप-निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भोपाल श्री सुनील सरवाही ने कहा कि भाषा का प्रश्न वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दिनोंदिन गंभीर होता जा रहा है ऐसे में कार्यालय प्रधान का राजभाषा संबंधी किसी भी बैठक में भाग लिया जाना आवश्यक है, ऐसा न किया जाना उदासीनता का प्रतीक है।

अध्यक्ष श्री नरेन्द्र कुमार खेराड़ा ने कहा कि सदस्य कार्यालयों द्वारा निरन्तर कामकाज में हिंदी का प्रसार तेजी से हो रहा है यद्यपि अब भी वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयासरत रहने की दृढ़ आवश्यकता है एवं उन कार्यालय प्रतिनिधियों को, जो कि त्रै-मासिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित नहीं भेज रहे हैं यह स्मरण कराया कि प्रगति रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें दिये जाने वाले आँकड़े सही एवं तथ्यगत होने चाहिए तथा इसे आवश्यक समझा जाकर अनिवार्यत: भिजवाए जाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम राजभाषा हिंदी का ज्यादा से ज्यादा कार्य कर

संविधान के दायित्व को निभाए तथा वार्षिक कार्यक्रम में दर्शाए गए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भरसक प्रयास किए जाएं इस हेतु कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा हिंदी में कार्य करने की परिपाटि आरम्भ की जाए जिससे अधीनस्थों को भी हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने की प्रेरणा मिल सके। साथ ही समिति के सभी सदस्यों से निवेदन किया कि वे अपने-अपने कार्यालयों की प्रगति रिपोर्ट सही तरीके से तथ्यगत आँकड़ों के साथ सही रूप में भर के भेजें ताकि कार्यों का सही आकलन किया जा सके। कार्यालय में हिंदी की अच्छी प्रगति होते हुए भी यदि हम प्रगति रिपोर्ट को सही रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो प्रगति रिपोर्ट की उपादेयता खत्म हो जाती है।

जयपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केंद्रीय कार्यालय) जयपुर की 50 वीं अर्द्धवार्षिक बैठक दिनांक 7 अप्रैल, 2006 को अपरान्ह: 3 बजे कार्यालय के मनोरंजन कक्ष में आयोजित की गई । इस बैठक में जयपुर नगर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयाध्यक्ष/प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए।

अध्यक्ष, माननीय, श्री चन्द्र लाल जी, ने बैठक में उपस्थित कार्यालयाध्यक्ष / प्रतिनिधिगण एवं राजभाषा प्रतिनिधि सरवाही जी का स्वागत करते हुए आगे कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में 2 बैठकें होती हैं। यह बैठकें हमें यह अवसर देती हैं कि हम हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में आने वाली समस्याओं का आपस में विचार विमर्श कर समाधान ढूंढने का प्रयास करें। अपनी बात को आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न सदस्य कार्यालयों के छमाही प्रगति प्रतिवेदन इस कार्यालय के राजभाषा कक्ष में प्राप्त होते हैं और इनकी समीक्षा के दौरान अक्सर यह देखा गया है कि हिंदी में शत-प्रतिशत पत्राचार का जो लक्ष्य निर्धारित है उनका पालन सदस्य कार्यालयों द्वारा किया जाता है। लेकिन शायद नियमों की जानकारी के अभाव में, प्रतिवेदन में उन्हें सही प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अत: इस बैठक को हम और अधिक प्रभावी तभी बना सकते हैं जब हम हिंदी के प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा कर उनमें आने वाली किसी भी प्रकार की शंका का निराकरण इस बैठक के माध्यम से कर लें। इस संदर्भ में भी मैं श्री सरवाही जी का धन्यवाद करता हूँ कि वे इन बैठकों में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर हमें यह अवसर देतें हैं कि हम उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें । आगे उन्होंने कहा कि हमें नगर के एक तिहाई (1/3)भी केंद्रीय कार्यालयों से प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं और काफी कार्यालयों द्वारा इन बैठकों में अपनी भागीदारी नहीं दी जाती है। अत: यहां मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो कार्यालय छमाही प्रगति प्रतिवेदन नहीं भेजते हैं वे कृपया भिजवाएं तथा अनुपस्थित सदस्य कार्यालय के प्रमुख भी अपनी उपस्थिति दें ताकि इस प्रकार की बैठकों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विचार विमर्श किया जा सके।

उप निदेशक (कार्यान्वयन), मध्य क्षेत्र भोपाल एवं राजभाषा प्रतिनिधि श्री सुनील सरवाही जी ने अपने वक्तव्य की शुरूआत प्रसन्नता के आभास से की । उन्होंने कहा कि एक बार फिर इस बैठक में आप सभी से मिलकर विशेष प्रसन्नता का आभास हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मैं राजभाषा विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूँ कि आप इस बैठक में उपस्थित हुए। ऐसी बैठकों में हम उस लक्ष्य के ऊपर चर्चा करते हैं जिस लक्ष्य की प्राप्ति परोक्ष रूप से कम लगती है । हम जो भी प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें और अधिक समेकित किए जाने की आवश्यकता है।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2004-05 के दौरान केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, राजभाषा विभाग की ओर से उन्हें पुरस्कृत किया गया । मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए आयुक्त महोदय को बधाई देता हूँ क्योंकि इस मध्य क्षेत्र में जितने केंद्र सरकार के कार्यालय हैं । उनका मूल्यांकन केवल एक श्रेणी में होता है। यह तीसरा स्थान लगभग 7000-8000 कार्यालयों के बीच है। यहां मैं अध्यक्ष महोदय को भी बधाई देना चाहूंगा कि उनके मार्ग दर्शन में नगर समिति ने कीर्तिमान प्राप्त किया है।

इटारसी

नगर स्थित केंद्रीय कार्यालय के मध्य राजभाषा कार्यान्वयन एवं प्रचार प्रसार तथा समन्वय एवं समीक्षा हेतु डॉ. रामसनेही महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी की अध्यक्षता में सदस्य कार्यालय

प्रमुख उपस्थित हुए। अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि हम राजभाषा के कार्यान्वयन एवं प्रचार-प्रसार हेतु भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्‌वारा तैयार किए गए कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने हेतु एकत्रित हुए हैं तथा इसके समुचित कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बैठक में कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति एवं सजग भागीदारी की सराहना करते हुए इसकी आवश्यकता पर जोर देते हुए अध्यक्ष ने कहा कि इससे न केवल राजभाषा की प्रगति होगी अपितु आपसी विचार-विमर्श द्‌वारा हम एक दूसरे कार्यालयों की विशेष उपलब्धियों से भी अवगत होंगे । उन्होंने गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्‌वारा वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्य किसी भी प्रकार की सहायता, सहयोग एवं सुझाव की आवश्यकता हेतु सचिवालय के तत्पर मार्गदर्शन का वादा किया।

गुड़गाँव

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गुड़गाँव की पहली और वर्ष 2006-2007 की पहली छमाही की बैठक श्री राजेन्द्र प्रसाद जी, माननीय आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय, दिल्ली-III , राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 24 मई, 2006 को अपराह्न 3.00 बजे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गुड़गाँव के सभागार में संपन्न हुई ।

नराकास, गुड़गॉव की यह पहली बैठक थी । अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री जसवंत सिंह, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर), राजभाषा विभाग, द्‌वारा नराकास एवं राजभाषा संबंधी महत्वपूर्ण नियमों/आदेशों के बारे में विस्तार से बताया गया उन्होंने यह बताया कि:--

(i) सभी प्रमुख नगरों में जहां केंद्रीय सरकार के 10 या इससे अधिक कार्यालय हैं वहां नराकास का गठन जरूरी है ताकि नगर के अलग-अलग कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, उनका परस्पर आदान-प्रदान कर, संघ की राजभाषा संबंधी महत्वपूर्ण नीतियों/आदेशों का अनुपालन किया जा सके।

(ii) हरेक छमाही सहित प्रत्येक वर्ष नराकास की दो बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएं।

(iii) नराकास की बैठकों में राजभाषा अधिनियम/नियम और सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में भारत सरकार द्‌वारा जारी आदेशों एवं हिंदी के प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा, कार्यालयों द्‌वारा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु किए जाने वाले उपयों पर विचार, हिंदी के संदर्भ साहित्य, टाइपराइटरों, टंककों, आशुलिपिकों आदि की उपलब्धता की समीक्षा और हिंदी संबंधी प्रशिक्षणों से जुड़ी समस्याओं व उसकी व्यवस्था पर विचार किया जाना अपेक्षित है।

(iv) बैठक में नगर स्थित केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के अध्यक्ष द्‌वारा स्वयं तथा उनके द्‌वारा नामित राजभाषा अधिकारी का इन बैठकों में भाग लेना अपेक्षित है । विशेष परिस्थितियों में अन्य किन्हीं वरिष्ठ अधिकारी को इस बैठक में भाग लेने के लिए नामित किया जा सकता है । बैठक में सभी कार्यालयों की सहभागिता अनिवार्य है ।

(v) नराकास सचिवालय को नगर स्थित सभी कार्यालयों द्‌वारा हिंदी संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भरकर उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित होता है । श्री जसवंत सिंह जी द्‌वारा आगे यह बताया गया कि राजभाषा विभाग द्‌वारा संघ की राजभाषा नीति के सफल व प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पूरे देश भर को आठ क्षेत्रों में विभाजित किया गया है । इस क्षेत्र का क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय गाजियाबाद में है जिसके अंतर्गत 42 नराकास हैं । क्षेत्रीय कार्यालय द्‌वारा नराकास की संस्तुति से क्षेत्र के बैंकों, उपक्रमों व संगठनों को राजभाषा नीति के सर्वोत्तम अनुपालन के लिए वर्ष में क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया जाता है । अलग-अलग नराकास को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाता है । क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को भी हिंदी संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजा जाना अपेक्षित होता है । हरेक कार्यालय को राजभाषा नियम, 1970 के 10 (4) के तहत हिंदी में कार्य करने के लिए अधिसूचित होना जरूरी है । कोई कार्यालय तभी अधिसूचित होता है । जब वहाँ के 80 प्रतिशत कर्मचारियों को

कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो । अत: सभी कार्यालय के अध्यक्षों की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने-अपने कार्यालयों को अधिसूचित करवाने के लिए अपने-अपने नियंत्रक मुख्यालय/विभाग/मंत्रालय से संपर्क करें ।

करनाल

28 जून, 2006 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, करनाल की 43वीं अर्द्धवार्षिक समीक्षा दिनांक 28-06-2006 को अपराह्न 14.30 बजे लघु उद्योग सेवा संस्थान, करनाल के सभागार में आयोजित की गई । बैठक का शुभारम्भ प्रतिनिधि, गृह मंत्रालय, श्री राम निवास शुक्ल, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उ. प्र.) गाजियाबाद ने अपने संबोधन में कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एक संयुक्त मंच है । जिसके माध्यम से नगर के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की दशा व दिशा सुनिश्चित होती है । उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी प्रशासनिक प्रधानों की उपस्थिति नितांत आवश्यक है क्योंकि इसमें ठोस निर्णय लिए जाते हैं ।

किसी भी कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति उस कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान द्वारा दर्शाई जा रही प्रतिबद्धता व नीरसता का ही परिचायक होती है । उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक प्रधान एवं राजभाषा अधिकारी राजभाषा रूपी रथ के दो पहिए हैं । इनमें जितना संतुलन होगा, राजभाषा रूपी रथ उतना ही गतिमान होगा । असंतुलन की स्थिति में राजभाषा रूपी रथ गतिमान हो ही नहीं सकता ।

उन्होंने श्रेष्ठ नराकास समिति के लिए निर्धारित मानदंडों पर प्रकाश डाला और कहा कि राजभाषा छमाही रिपोर्टों में कमियों को प्रेरणा के तौर पर लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए । संकोच न करें । आंकड़े पारदर्शी हो और संसदीय राजभाषा समिति के अनुसार नियमित रूप से तिमाही बैठकें आयोजित करें । हिंदी कार्यशालाओं का विषय औचित्यपूर्ण सिद्ध हो, ऐसा होना चाहिए । उन्होंने धारा 3(3) और नियम 10(4) एवं 8(4) के बारे में बताया और अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा ।

कर्णोदय पत्रिका के आठवें अंक के विमोचन पर श्री शुक्ल ने कहा कि इससे करनाल नगर में स्थित किसी भी कार्यालय के रचनाकार की रचनाधर्मिता को एक सशक्त आधार मिलेगा जिससे एक ओर राजभाषा हिंदी अपने गंतव्य की ओर अग्रसर होगी तो दूसरी ओर पत्रिका में समाहित रचनाओं से अन्य पाठकों एवं अन्य कार्मिकों में राजभाषा के प्रयोग के प्रति मानसिकता में गुणात्मक परिवर्तन आ सकेगा ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री सुरेश यादवेन्द्र ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि करनाल स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, उपक्रमों, निगमों में राजभाषा हिंदी के प्रति रूझान में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है । यह इस बैठक में उपस्थित प्रशासनिक प्रधानों की संख्या से जाहिर होता है ।

उन्होंने आगे कहा कि इसी कारण से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, करनाल को उत्तर क्षेत्र के सात राज्यों में प्रथम पुरस्कार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है । पुरस्कार प्राप्त करने के बाद हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस पुरस्कार की गरिमा को बरकरार रखें और छमाही बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई उसी तरह करें जैसे अपने मूल कार्य में रूचि लेकर करते हैं । उन्होंने कहा कि विदेशी कम्पनियां अपने उत्पादों को देश में बेचने के लिए हिंदी का सहारा ले रही हैं । हमारी जनता हमें अपनी भाषा में काम करने के लिए दबाव डाल सकती है । अत: हमें अपनी राजभाषा का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है ।

दिल्ली (उपक्रम)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली की 23वीं बैठक व गृह पत्रिका पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 27-06-2006 को पूर्वाह्न 11.30 बजे स्कोप ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया । इस समारोह में श्री देवदास छोटराय, सचिव (राजभाषा), भारत सरकार मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे । बैठक की अध्यक्षता नराकास (उपक्रम), दिल्ली के अध्यक्ष श्री टी. शंकरलिंगम, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड ने की ।

अपने अध्यक्षीय भाषण में नराकास (उपक्रम) दिल्ली के अध्यक्ष तथा एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री टी. शंकरलिंगम जी ने कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में हिंदी पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । इसके माध्यम से कर्मचारियों को हिंदी में लिखने और छापने का अवसर मिलता है । उसके साथ ही कार्यालय में हिंदी का वातावरण भी बनता है । किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी भाषा और संस्कृति होती है । देश की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों ने हिंदी को अपनाया था । भारतीय भाषाओं के शब्दों को अपनाते हुए हिंदी को एक सरल और सहज भाषा बनाना हम सबका दायित्व है ।

राजभाषा हिंदी के अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के लिए राजभाषा विभाग के मार्ग दर्शन में पूरे देश की नराकास महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं । राजभाषा के प्रति निष्ठा से काम करने की भावना से ही नराकास (उपक्रम), दिल्ली ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है । आशा है इस दिशा में हम सब मिलकर और भी उत्साह से काम करेंगे ।

समारोह के मुख्य अतिथि श्री देवदास छोटराय, सचिव (राजभाषा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्रिका प्रकाशन के लिए पुरस्कृत, उपक्रमों को बधाई दी और सभी उपक्रमों को अगले वर्ष इसमें और अधिक उत्साह से भाग लेने को कहा । उन्होंने पत्रिका को सृजनशीलता का सशक्त माध्यम कहा । उन्होंने कहा कि इस समय देशभर में 250 से भी अधिक नराकास हैं । शीर्ष स्तरीय समिति होने के नाते इनसे अनेक अपेक्षाएँ होती हैं । हमें इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एकजुट होकर कार्य करना है । दिल्ली की नराकास राजभाषा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है और इसे एक सफल परिपाटी कायम करनी है जिसे अपनाकर देश भर की नराकास राजभाषा लक्ष्यों को पूरा कर सकती हैं । इन बैठकों में कार्यालय के प्रभारियों को अवश्य भाग लेना चाहिए इससे समिति की गरिमा बढ़ेगी और इससे हम दृढ़ता से राजभाषा को उसकी गरिमा प्रदान कर सकेंगे ।

उन्होंने तकनीकी विषयों पर हिंदी में संगोष्ठी आयोजित करने पर भी बल दिया । साथ ही स्तरीय गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन की आवश्यकता को भी रेखांकित किया । उन्होंने राजभाषा विभाग की ओर से भी गृह पत्रिका पुरस्कार योजना लागू करने की घोषणा की ।

शक्तिनगर (सोनभद्र)

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, शक्तिनगर (सोनभद्र) की प्रथम बैठक एनटीपीसी-सिंगरौली के महा-प्रबंधक श्री राजेन्द्र कुमार गौड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई । श्री गौड़ ने सभी सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों/प्रति-निधियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजभाषा नीति का कार्यान्वयन परस्पर सहयोग की भावना से सुनिश्चित किया जायेगा । उन्होंने सभी सदस्य कार्यालयों की हिंदी प्रगति का जायजा लेते हुए राजभाषा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भरसक प्रयास करने को कहा ।

इस अवसर पर श्री गौड़ ने स्टेशन की वार्षिक हिंदी पत्रिका शक्तिस्वर के छठे अंक का विमोचन करते हुए कहा कि नराकास के माध्यम से भी हम इस प्रकार की गृह पत्रिकाओं को प्रकाशित कर सभी सदस्य कार्यालयों की हिंदी गतिविधियों एवं साहित्यिक प्रतिभाओं की रचनाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं । बैठक के दौरान नराकास के तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम, हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण, हिंदी प्रतियोगिताएं, हिंदी कार्यशालाएं आदि के आयोजन पर भी आम सहमति व्यक्त की गई ।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, उप महाप्रबंधक (राजभाषा), एनटीपीसी, केंद्रीय कार्यालय ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की रूपरेखा एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए वार्षिक राजभाषा लक्ष्य: 2006-07 की मदों पर चर्चा की और राजभाषा प्रावधानों के अनुपालन हेतु विशेष कार्य योजना बनाने की सलाह दी । उप महाप्रबंधक (तकनीकी सेवाएं) श्री एस.के. दत्ता ने अपने उद्‌बोधन में राजभाषा हिंदी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए सिंगरौली स्टेशन की राजभाषा प्रगति पर प्रकाश डाला ।

उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) ने राजभाषा प्रचार-प्रसार एवं उपबंधों के अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हुए उपस्थितों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की । बैठक का कार्यवाही एवं संचालन सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री अतरसिंह गौतम द्वारा किया गया ।

पानीपत

नगर राजभाषा कार्यान्वयन, समिति, पानीपत की वर्ष 2006 की दूसरी बैठक दिनाँक 17-07-2006 को श्री चक्रपाणी मनोहरन, अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पानीपत रिफाइनरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में राजभाषा विभाग के उप निदेशक (कार्या.) श्री रामनिवास शुक्ल, मुख्य अतिथि के रूप में तथा मुख्यालय के डॉ. मणिक मृगेश वरि. प्रबन्धक भी उपस्थित थे ।

राजभाषा विभाग के उप निदेशक (कार्या.) श्री रामनिवास शुक्ल ने प्रत्येक कार्यालय से अनुरोध किया कि वे तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से उनके कार्यालय में भेजा करें । उन्होंने विभिन्न कार्यालयों में हो रहे हिंदी कार्यान्वयन की स्थिति पर संतोष प्रकट करते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर संभव उपाय करें :

(i) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गठन एवं तिमाही बैठकों का नियमित आयोजन ।

(ii) तिमाही प्रगति रिपोर्ट (तथ्य परक आंकड़े गंभीरता से) ।

(iii) 10(4) में अधिसूचित तथा राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत कर्मचारियों तथा विभागों को आदेश ।

(iv) वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन हेतु हर संभव प्रयास करें ।

(v) हिंदी दिवस/ सप्ताह को छोड़कर हिंदी की अन्य महीनों में हिंदी का कार्यक्रम आयोजित करें ।

(vi) हिंदी अनुभाग के समुचित संसाधन उपलब्ध कराएं जाएं ।

श्री चक्रपाणी मनोहरन अध्यक्ष ने नराकास समिति की गतिविधियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सदस्य कार्यालयों से हिंदी कार्यान्वयन की दिशा में जाँच बिंदुओं का कड़ाई से अनुपालन, राजभाषा नियमों/अधिनियमों का अनुपालन, राजभाषा नियम 10(4) के अन्तर्गत कार्यालय अधिसूचित तथा नियम 8(4) के अंतर्गत कर्मचारियों को व्यक्तिगत आदेश जारी करना इत्यादि के अनुपालन वास्ते हर संभव प्रयास करने का अनुरोध किया ।

मंडी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मंडी की आठवीं बैठक दिनांक 26-07-2006 को सांय चार बजे आयकर अपर आयुक्त, मंडी श्री सुनील वर्मा की अध्यक्षता में विस्को रिजोर्टस के सभा कक्ष में आयोजित की गई ।

आयकर कार्यालय, मंडी में हिंदी की प्रगति के बारे में अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस कार्यालय में इस तिमाही में 98 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में हुआ । इस कार्यालय को राजभाषा नियम 10(4) में अधिसूचित हो जाने के बाद 8(4) में 7 अनुभागों/मदों को शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है । सभी कंप्यूटरों पर लीप साफ्टवेयर लोड किया गया है, सभी फार्म, नामपट्ट, मोहरे इत्यादि द्विभाषी हैं । कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से हो रही हैं । कार्यालय में हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं । श्री शर्मा ने समिति को बताया कि उनके कार्यालय में हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाता है तथा अंग्रेजी पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही देने का प्रयत्न किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्बोधन में बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अनुरोध किया कि सभी कार्यालय प्रमुखों को बैठक में आना चाहिए क्योंकि बैठक में लिए गए निर्णयों को कार्यालय प्रमुख ही अपने-अपने कार्यालयों में लागू करवाने में सक्षम होते हैं । भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा गठित यह एक महत्वपूर्ण समिति है । संसदीय राजभाषा समिति द्वारा सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी में लेखन कार्य विधि संबंधी कार्यों में राजभाषा हिंदी की स्थिति सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग हेतु प्रचार, प्रसार, सरकारी कामकाज में प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों से जुड़े प्रकाशनों की हिंदी में उपलब्धता राज्यों में राजभाषा हिंदी की स्थिति, वैश्वीकरण और हिंदी कम्प्यूटरीकरण एक चुनौती से संबंधित प्रतिवेदन का सातवां खंड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया था । जिस संबंध में समिति की सिफारिशें गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 13 जुलाई, 2005 के का.ज्ञा. सं. 11011/15/2003-रा.भा. अनुसार जारी की गई थी । इसकी मद सं. 16.5 (ज) में

स्पष्ट निर्देश है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से बैठकों में कार्यालय प्रधान स्वयं उपस्थित हों मद सं 16.5 (झ) अनुसार नराकास की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की उच्च स्तर पर पूर्ण निष्ठा से निगरानी और समीक्षा की जाए । जिन कार्यालयों ने बैठक में भाग नहीं लिया उनके प्रति अध्यक्ष महोदय ने अप्रसन्नता व्यक्त की तथा इसे गम्भीरता से लिया । इसके साथ ही सुझाव दिया कि यदि भविष्य में कोई सदस्य कार्यालय अनियमितता बरतेगा तो उसके मुख्यालय/ राजभाषा विभाग को इस संबंध में लिख दिया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि हिंदी हमारी अस्मिता की वागधारा, सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक विरासत की संरक्षिका है । यह हमारी राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता और मेल मिलाप की भाषा है यह सांस्कृतिक चेतना को भी अभिव्यक्त करती है । एक विदेशी भाषा में राष्ट्र की आत्मा का, उसकी संस्कृति की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती । हिंदी का प्रयोग धीमी गति से बढ़ाना हमारी मानसिकता है । जिस दिन हमारी मानसिकता हिंदी के प्रति सकारात्मक हो जाएगी उसी दिन से हिंदी अपनी सम्मानजनक स्थिति प्राप्त कर लेगी ।

रायपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन, समिति, रायपुर की 55वीं बैठक दिनांक 29 जून, 2006 को 16:00 बजे माननीय श्री विनोद कुमार गोयल, आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, रायपुर की अध्यक्षता में केंद्रीय उत्पाद शुल्क भवन, टिकरापारा, रायपुर के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई ।

पूरी चर्चा पर अपनी राय व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमें देखना चाहिए कि आजादी के 50 साल बाद भी हम कहां हैं । हिंदी हमारी भाषा है। बचपन से ही हम हिंदी में लिख-पढ़ रहे हैं । हिंदी में याद की गई बात को हम जल्दी नहीं भूलते जबकि अन्य भाषा के माध्यम से सीखी हुई चीज हम जल्दी भूल जाते हैं । अत: हिंदी में काम करना कोई कठिन कार्य नहीं है । केवल हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए । उन्होंने आगे कहा कि इस बैठक में सदस्य कार्यालयों के समुचित प्रतिनिधित्व एवं कुछ कार्यालयों के प्रतिनिधियों द्‌वारा उठाए गए विभिन्न मुद्‌दों को देख कर उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई कि राजभाषा हिंदी के प्रति हम कितने जागरुक हैं ।

हिंदी की प्रगति के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी आज बाजार की आवश्यकता बनते जा रही है, कंप्यूटर एवं संचार माध्यम उसे इसीलिए अपना रहे हैं कि वह उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने में समर्थ साबित हो रही है । ऐसे में सरकारी स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देना केवल सरकारी अपेक्षाओं की पूर्ति ही नहीं बल्कि समय की एक आवश्यकता भी है ।

हिंदी पत्रिका "छत्तीसगढ़ दर्पण" के लिए रचनाओं के संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा उन्होंने कहा कि समिति के अन्तर्गत कुल 57 कार्यालय हैं । यदि प्रत्येक कार्यालय एक-एक भी रचना भेजे तो पर्याप्त संख्या में रचनाएं उपलब्ध हो सकती हैं । छत्तीसगढ़ राज्य अपने प्राकृतिक संपदा के लिए प्रसिद्‌ध है । यहां अनेक दर्शनीय स्थान हैं जिन पर लेख आदि तैयार किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रशासन भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील है । ऐसे में छत्तीसगढ़ दर्पण के लिए रचनाओं की कमी नहीं हो सकती । ■

जब तक इस देश का राजकाज अपनी भाषा में नहीं चलेगा तब तक यह नहीं कह सकते कि देश में स्वराज्य है ।

(मोरारजी भाई देसाई)

(ग) कार्यशालाएं

क्षेत्रीय आयुक्त का कार्यालय, कोयला खान भविष्य निधि क्षेत्र-2, नगर निगम भवन, रांची-834001

कोयला खान भविष्य निधि कार्यालय में कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 26-6-2006 को एक "हिंदी कार्यशाला" का आयोजन किया गया जिसमें रांची स्थित तीनों क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया ।

उद्घाटन भाषण में क्षेत्र-I के क्षेत्रीय आयुक्त श्री पी. मल्लिक ने कहा कि ऐसी कार्यशाला का आयोजन से न केवल राजभाषा के प्रचार-प्रसार में वृद्धि होगी बल्कि आपसी विचार-विमर्श से राजभाषा हिंदी में कार्य करने में होने वाली परेशानियों का भी हल निकाला जा सकता है । क्षेत्र-III के क्षेत्रीय आयुक्त श्री ए. के. सिन्हा ने राजभाषा से संबंधित नियमों एवं भारत सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को विस्तार से बताया । श्री राजेश सिन्हा, वरीय अनुवादक ने सरकारी पत्रों के विभिन्न रूपों, टिप्पणियां लिखने के तरीके आदि का विस्तृत वर्णन किया । उन्होंने राजभाषा नीति के तहत अधिकारियों/कर्मचारियों को मिलने वाली प्रोत्साहन योजनाओं से भी सभी को अवगत कराया । कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग के संबंध में आपस में विचार-विमर्श के दौरान अनेक अधिकारियों/कर्मचारियों ने भी अपना सुझाव प्रस्तुत किया जिसमें सर्वश्री रविभूषण, स.आ.-I श्री एस.आर. शुक्ला, स.आ.-I बबन प्रसाद, आर.के. बरियार, कमेश्वर प्रसाद, इन्द्रजीत सिंह, आर.मी. तिवारी, चांद अहमद, मुस्तफा खान आदि प्रमुख थे ।

कार्यक्रम के अंत में श्री प्रवीर कृष्ण चौधरी, क्षेत्रीय आयुक्त ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि रांची स्थित तीनों क्षेत्रीय कार्यालय में अधिकतर कार्य राजभाषा हिंदी में हो रहे हैं परंतु इसे और अधिक बढ़ाया जाना है। उन्होने हिंदी भाषा की महत्ता को बतलाते हुए कहा कि अमेरिका जैसा देश भी इस भाषा के महत्व को स्वीकार करता है और इसीलिए राष्ट्रपति बुश के सचिवालय में हिंदी सीखने के लिए एक विभाग भी कार्यरत है ।

दूरदर्शन केंद्र : भुवनेश्वर

दूरदर्शन केंद्र, भुवनेश्वर में दिनांक 21-6-2006 एवं 22-6-2006 को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । केंद्र अभियंता नेहा स्वामी ने इस कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा की हिंदी के प्रयोग में झीझक सबसे बड़ी बाधा है । इसे दूर करने पर हिंदी का प्रयोग करना काफी आसान हो जाएगा । इस कार्यशाला में आईडीबीआई के राजभाषा, प्रबंधक श्री आर.पी.सिंह ने व्याख्याता के तौर पर पधार कर कर्मचारियों को टिप्पण, आलेखन का अभ्यास कराया । उन्होंने आमतौर पर होने वाले लिंगगत त्रुटियों को सुधारने के कुछ साधारण नियम बताए । कार्यशाला में कल 14 अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिस्सा लिया ।

सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय में दिनांक 18 से 21 जुलाई, 2006 तक चार दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में बल मुख्यालय के विभिन्न निदेशालयों तथा सीमा सुरक्षा बल के दिल्ली स्थित कार्यालयों के 5 अधिकारियों और 21 कर्मचारियों ने भाग लिया । कार्यशाला की अवधि प्रतिदिन 5 घंटे की थी ।

शुभारंभ समारोह में श्री पी.के. मिश्रा, उप महानिरीक्षक (प्रशासन) ने बहुत ही सारगर्भित एवं प्रेरक वक्तव्य देते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में बताया । उन्होंने स्वयं अपना उदाहरण रखते हुए कहा कि मैं अहिंदी भाषी क्षेत्र उड़ीसा से हूँ । मुझे हिंदी में काम करने में बड़ा गर्व और सम्मान महसूस होता है । आप सभी को भी हिंदी में काम करने में हीन भावना नहीं, गर्व महसूस होना चाहिए । अपनी निष्ठा और लगन से संघ की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का भी उन्होंने अनुरोध किया ।

इस कार्यशाला के दौरान संघ की राजभाषा नीति, अधिनियम व नियम, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं, पत्राचार के विभिन्न स्वरूप, तिमाही प्रगति रिपोर्ट को भरना, वार्षिक कार्यक्रम, दैनिक प्रयोग में आने वाली छोटी-2 टिप्पणियाँ, मानक हिंदी वर्तनी तथा पारिभाषिक शब्दावली आदि विषयों पर व्याख्यान दिए गए तथा दैनिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाक्यांशों का अभ्यास भी कराया गया ।

कार्यशाला का समापन समारोह दिनांक 21 जुलाई, 2006 को श्रीमती वीणा भटनागर, सहायक निदेशक (राजभाषा) की अध्यक्षता में संपन्न हुआ । उन्होंने सभी प्रतिभागियों के साथ कार्यशाला की उपयोगिता पर चर्चा की और प्रभावी कार्यान्वयन की समस्याएं एवं समाधान पर गहनता से प्रकाश डालकर प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य व उसे कार्यान्वित करने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका, दायित्व, जिम्मेदारी एवं राष्ट्रीय कर्त्तव्य के प्रति सभी का ध्यान आकर्षित किया । उन्होंने अपनी मानसिकता बदलने और इच्छा शक्ति रखने का भी आग्रह किया । सभी समृद्ध प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला को अत्यंत लाभदायक बताते हुए समय-समय पर इस प्रकार की कार्यशाला के आयोजन की आवश्यकता प्रकट की ।

आकाशवाणी : पणजी (गोवा)

गोवा राज्य स्थापना दिवस 30 मई, 2006 को आकाशवाणी, पणजी में त्रिदिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन केंद्र निदेशक श्री के. राजन ने किया । अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री राजन ने कहा कि हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की संपर्क भाषा है, भारत सरकार की राजभाषा है वही हिंदी अब विश्वभाषा का स्वरूप ले रही है । हिंदी का विशाल साहित्य, भाषा वैज्ञानिक गुण, सहजता, कंप्यूटर में उपयोगिता, सिनेमा आदि के कारण अब हिंदी विश्वभाषा बन रही है । श्री राजन ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आकाशवाणी पणजी में राजभाषा में रूप में हिंदी का उत्कृष्ट क्रियान्वयन हो रहा है जिसके फलस्वरूप भारत सरकार राजभाषा विभाग की ओर से आकाशवाणी, पणजी को मार्च, 2006 में पश्चिम 'ग' क्षेत्र का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था । इसके साथ ही एक प्रचार माध्यम के रूप में भूमिका निभाते हुए आकाशवाणी, पणजी के फोन-इन तथा अन्य कार्यक्रमों में हिंदी का प्रयोग हमारे उद्घोषकों द्वारा इतने सुंदर ढंग से किया जाता है कि हिंदी की मधुरता और सहजता अहिंदी भाषियों को आकर्षित करती है और हिंदी के प्रति अभिरूचि बढ़ाते हुए हिंदी का राष्ट्रभाषा स्वरूप सिद्ध करती है । श्री वी.एन. पागे, सहायक केंद्र अभियंता, श्री अनिल श्रीवास्तव, सहायक केंद्र निदेशक और श्री वेणिमाथव बोरकार, सहायक केंद्र निदेशक ने अपने संबोधन में इस बात पर बल दिया कि कार्यालयीन कार्यों और सामाजिक व्यवहार में भारतीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ाना चाहिए । संपर्क भाषा और राजभाषा हिंदी की गतिशीलता पर हर्ष प्रकट किया गया । मुख्य अतिथि श्रीमती सुधा सुरेश आमोणकर ने कहा कि भाषा दिलों को जोड़ती है और हिंदी तो नम्रता से भरी हुई भाषा है । हिंदी किसी प्रांत की भाषा नहीं, हिंदी भारत की वाणी है । इसमें सामासिक संस्कृति को व्यक्त करने की शक्ति है । प्रचार माध्यमों ने हिंदी को विश्वभाषा बनाने में क्रांति लाई है । श्रीमती आमोणकर ने दूसरी भाषाओं से शब्द ग्रहण कर हिंदी को और भी समृद्ध किए जाने पर बल दिया । उन्होंने कहा कि हिंदी आत्मा की भाषा है । भारतीय भाषाओं के साहित्य से हमें व्यापक दृष्टिकोण मिलता है जो कि भक्ति काल से ही भारत की हर भाषा के साहित्य में निहित है ।

प्रसार भारती, भारतीय प्रसारण निगम, आकाशवाणी : नागपुर

आकाशवाणी, नागपुर में मंगलवार दिनांक 1 अगस्त, 2006 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । आकाशवाणी, नागपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का शुभारंभ, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं अधिक्षण अभियंता श्री मोहन सिंह की उपस्थिति में सपन्न हुआ । केंद्र निदेशक श्री गुणवंत थोरात विशेष रूप से उपस्थित थे । यह कार्यशाला आकाशवाणी नागपुर के राजपत्रित अधिकारी एवं विभाग प्रमुखों के लिए आयोजित की गई ताकि अधिकारियों में भी राजभाषा हिंदी के प्रति लगाव एवं भाषा का समुचित भंडारण हो ।

कार्यशाला का मार्गदर्शन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हिंदी शिक्षण योजना, डाक लेखा कार्यालय, नागपुर के सहायक निदेशक प्रोफेसर सोमपाल सिंह ने किया । कार्यक्रम का संचालन प्रभारी हिंदी अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी श्री रज्जब उमर द्वारा किया गया ।

अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में अधिक्षण अभियंता श्री मोहन सिंह ने धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात हिंदी में ही जारी किए जाने पर बल दिया और अंत में कहा कि कार्यशाला में केवल भाग लेने से हमारा उद्‌देश्य पूर्ण नहीं होता वरन् हिंदी में शतप्रतिशत काम करना भी अनिवार्य है ।

प्रोफेसर सोमपाल सिंह ने राजभाषा के संदर्भ में हिंदी की सही वर्तनी और शुद्‌ध उच्चारण के विविध अनुषंगी पक्षों पर अपने ओजपूर्ण विचार प्रस्तुत किए । उनका विषय था "भारतीय भाषाओं का ध्वनितत्व" उन्होंने भारतीय भाषा के स्वर एवं व्यंजन के बारे में समस्त अधिकारियों को जानकारी दी ।

महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु. बल

महानिदेशालय, भा.ति.सी. पुलिस द्‌वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं सरकारी काम हिंदी में करने में कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए केंद्रीय अभिलेख कार्यालय के लिपिकीय प्रशिक्षण स्कूल, तिगड़ी में बल की विभिन्न इकाइयों आदि से आए 15 है.कां./ सी.एम.के लिए 12 से 15 जून, 2006 तक "चार पूर्ण कार्य दिवसीय हिंदी कार्यशाला" आयोजित की गई ।

श्री नन्द लाल, अपर उप महानिरीक्षक (प्रशासन) ने अपने स्वागत संबोधन में आशा प्रकट की कि हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन से हर स्तर पर सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा और कार्मिकों की हिंदी में काम करने में आने वाली कठिनाइयां भी कम होंगी । उन्होंने अवगत कराया कि इस कार्यशाला में हिंदी से जुड़े विभिन्न विषयों की व्यावहारिक कक्षाओं को भी आयोजित किया गया और सभी प्रशिक्षणार्थियों ने इसमें उत्साह और रूचि से भाग लेकर कार्यशाला को सफल बनाया । उन्होंने परिणाम की घोषणा की और समस्त प्रशिक्षणार्थियों को बधाई दी ।

मुख्य अतिथि ने सर्वप्रथम सभी को कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि महानिदेशालय स्तर पर बल के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की हिंदी के प्रयोग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने हेतु नियमित रूप से इन कार्यशालाओं का आयोजन राजभाषा अनुभाग द्‌वारा किया जा रहा है ।

उन्होंने बताया कि हिंदी देश के अलग-अलग भागों में भिन्न-भिन्न माध्यमों से प्रचलित है और इसका किसी न किसी रूप में ज्ञान हर किसी को है । दक्षिण भारत में जहां हिंदी मातृभाषा नहीं है और न मुख्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है वहां संगीत या फिल्मों के माध्यम से हिंदी का प्रयोग होता है । इसी प्रकार, उत्तर-पूर्व में हर प्रांत की अलग भाषा है, फिर भी वहां हिंदी फिल्में देखी जाती हैं । जब महात्मा गांधी जी ने हिंदी समितियां बनाई थीं तो उस समय हिंदी के वाचनालय स्थापित किए गए थे ।

मुख्य अतिथि ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी कार्य में हिंदी के सरल शब्दों का प्रयोग करें । साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शब्दावली में कुछ शब्द कठिन हैं परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उनका प्रयोग न करें क्योंकि शब्द को प्रयोग करने से ही वह प्रचलन में आता है और हम उसे समझ सकते हैं । साथ ही उन्होंने शब्दों की एकरूपता पर भी बल दिया । उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षणार्थियों ने कार्यशाला में काफी सीखा होगा और अगर कुछ कमी रह गई हो तो उसे अपने प्रयासों से सीखें और स्वध्याय बनाए रखें । इससे शब्दों की जानकारी होगी । इसी प्रकार, पुराने साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ने से भी काफी जानकारी मिलेगी । उप महानिरीक्षक (प्रशासन) ने कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों, विशेषकर परीक्षा में प्रथम एवं द्‌वितीय स्थान प्राप्त कार्मिकों को बधाई दी ।

भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन, तमिलनाडु

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन में दिनांक 26 एव 27 जून, 2006 को एक दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला का उद्‌घाटन भारी पानी संयंत्र के नव नियुक्त महाप्रबंधक श्री वी.वी.एस. रामाराव ने किय । हिंदी कार्यशाला में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले भारी पानी संयंत्र एवं तूतीकारीन स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों जिसमें तटरक्षक अवस्थान, सीएमएफआरआई, इण्डियन ओवरसीज बैंक, एम.एम.डी., नाभिकीय ईंधन सम्मिश्रण से कुल 19 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया । कार्यशाला का उद्‌घाटन करते हुए महाप्रबंधक श्री वी.वी.एस. रामाराव ने कहा कि भारी पानी

संयंत्र, तूतीकारिन द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए राजभाषा के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु भारी पानी बोर्ड से द्वितीय पुरस्कार के रूप में उसे राजभाषा शील्ड प्राप्त हुई एवं हमारे 'ग' क्षेत्र के लिए यह गौरव का विषय है अर्थात 'ग' क्षेत्र के लिए यह प्रथम पुरस्कार के रूप में माना जाना चाहिए । हम नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाएँ, वैज्ञानिक संगोष्ठी के आयोजन के साथ-साथ, हिंदी प्रतियोगिताएँ, कवि गोष्ठियाँ, गृहपत्रिकाओं का प्रकाशन व हिंदी प्रशिक्षण पर भी जोर दे रहे हैं । उन्होंने इस प्रयास हेतु हिंदी अनुभाग को बधाई दी ।

भारी पानी संयंत्र, तालचेर

राजभाषा नियमों तथा संयंत्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन करते हुए भारी पानी संयंत्र, तालचेर में दिनाँक 27 जुलाई, 2006 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन समारोह दिनाँक 27-7-2006 को प्रात: 10.30 बजे प्रशिक्षण कक्ष में किया गया । इस समारोह की अध्यक्षता श्री पी.आर. महान्ति अध्यक्ष, राभाकास, भापासं, तालचेर ने की ।

अध्यक्ष, राभाकास, भापासं, तालचेर ने 11वीं हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन किया तथा अपने उद्बोधन में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को इस कार्यशाला का लाभ उठाते हुए अपने सरकारी कामकाज में यथासंभव हिंदी का प्रयोग करने का तथा राजभाषा हिंदी को उनका यथोचित स्थान दिलाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया ।

इस कार्यशाला में संयंत्र की राजभाषा समन्वयन समिति के 8 सदस्यों तथा विभिन्न अनुभागों से नामित 14 कार्मिकों ने भाग लिया ।

इस कार्यशाला में श्री वि.वि. कुलकर्णी, सहायक निदेशक (रा.भा.), भापासं (कोटा) द्वारा "संघ की राजभाषा नीति" तथा "मानक वर्तनी", श्री मनोज शर्मा, सहायक निदेशक (रा.भा.) भापासं (तूतीकोरिन) द्वारा "हिंदी वाक्यों में अशुद्धियाँ" तथा "विभागीय गतिविधियाँ" और श्री धनेश परमार द्वारा "हिंदी में विभिन्न पत्राचार विषयों" पर विद्वतापूर्ण व्याख्यान दिए गए ।

समापन समारोह के साथ संपन्न इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए अध्यक्ष, राभाकास, भापासं, तालचेर ने सभी प्रतिभागियों को इस कार्यशाला से प्राप्त ज्ञान को अपने दैनंदिन कार्यालयीन कार्यों में प्रयोग करने तथा अपने सहकर्मियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया ।

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे के कर्मचारियों को द्विभाषी टंकण कार्य करने हेतु प्रेरित तथा मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से दिनांक 23-6-2006 को द्विभाषी सॉफ्टवेयर पर कार्यशाला आयोजित की गई थी ।

द्विभाषी सॉफ्टवेयर पर कार्यशाला में 11 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया । इसमें 10 अवर श्रेणी लिपिक और 1 उच्च श्रेणी लिपिक उपस्थित रहे । इस कार्यशाला में श्री उग्रसेन सिंह, हिंदी अनुवादक ने द्विभाषी टंकण, कुंजीपटल : फोनेटिक, टाइपराइटर, इनस्क्रीप्ट, कस्टम, इज्म सॉफ्टवेयर की विस्तृत जानकारी, शब्दकोष और हिंदी के पर्यायवाची शब्द आदि के प्रयोग संबंधी जानकारी दी । साथ ही एक्सेल, पसवर पॉइंट में किस तरह से हिंदी में काम किया जा सकता है, इसकी विस्तार से जानकारी दी । साथ ही उन्हें संगणकों पर द्विभाषी सॉफ्टवेयर के साथ दैनिक कार्यालयीन कामकाज हिंदी में किस तरह से किया जाए इसका अभ्यास भी करवाया । अनुसंधान शाला के इन्टरनेट पर उपलब्ध हिंदी पत्रों के मसौदे, तकनीकी शब्दावलियाँ, जलवाणी, पदनाम, प्रभागों/अनुभागों के नाम, सरकारी कार्यालयों के नाम आदि उपलब्ध सामग्री का दैनिक कार्य में प्रयोग किया जा सकता है । इसके अलावा दैनिक कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के कार्य को बढ़ावा देने से संबंधित वेबसाइट के बारे में जानकारी दी ।

न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार केंद्रीय न्यायालयिक संस्थान, प्लॉट नं. 2, दक्षिण मार्ग, सेक्टर-36ए, चंडीगढ़-160036

केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ के प्रशासनिक कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में दैनिक कार्यों को अधिकाधिक सम्पन्न करने के लिए तथा उनके हिंदी

भाषा से सम्बन्धित ज्ञान को और अधिक प्रखर करने के लिए दिनांक 21, 22 जुलाई, 2006 को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

इस कार्यशाला में 18 प्रशासनिक कर्मचारियों ने भाग लिया, हिंदी अनुवादक व सदस्य सचिव श्री राजन तनवर ने कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत किया एवं कार्यशाला में चर्चित किए जाने वाले विषयों की जानकारी दी । इस कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. सुरेन्द्र शर्मा, सहायक निदेशक हिंदी, मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, सेक्टर-17, द्वारा किया गया ।

इस दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान प्रशासनिक कर्मचारियों को विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए गए । जिनमें मुख्य रूप से राजभाषा नीति क्या है? कार्यालय में इसके अनुपालन को सुगम करने के उपाय, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, हिंदी टिप्पण एवं आलेखन, हिंदी पारिभाषिक शब्दावली, हिंदी में पत्राचार, हिंदी में कार्य के दौरान आने वाली कठिनाइयों का समाधान, हिंदी में कार्य के दौरान व्याकरण की सामान्य जानकारी एवं सभी पूर्व चर्चित विषयों पर सामूहिक चर्चा की ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (मुख्यालय) कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (मुख्यालय) के कृषि भवन में कार्यरत कनिष्ठ श्रेणी लिपिकों/वरिष्ठ श्रेणी लिपिकों के लिए भारत सरकार की राजभाषा नीति संबंधी नियम और अधिनियम तथा हिंदी टिप्पण, प्रारूप लेखन तथा मूल पत्राचार विषय पर दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला 19 और 20 अप्रैल, 2006 को कृषि भवन के कमरा नं. 112 में आयोजित की गई । निदेशक (राजभाषा) श्री हरीश चन्द्र जोशी ने दिनांक 19 अप्रैल को अर्थात् पहले दिन अपने उद्बोधन में प्रतिभागियों को राजभाषा के महत्व को समझाने, राजभाषा में अपना कार्य करने में आने वाली झिझक से निपटने में हिंदी अनुभाग की सहायता लेने और कार्यशाला में मिलने वाली प्रशासनिक शब्दावली का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया । उन्होंने अनुरोध किया कि हिंदी कार्यशाला के बाद अपना अधिक से अधिक कार्य राजभाषा में अवश्य करें । श्री सुरेन्द्र प्रसाद उनियाल, वरिष्ठ सहायक निदेशक (राजभाषा) ने प्रतिभागियों को हिंदी में टिप्पण, प्रारूप लेखन और मूल पत्राचार पर संबोधित किया और अभ्यास भी करवाया । डॉ. भीष्म पाल शर्मा, वरिष्ठ सहायक निदेशक (रा.भा.) ने प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे हिंदी में टिप्पण, प्रारूप लेखन और मूल पत्राचार करके राजभाषा कार्यान्वयन में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं तथा परिषद में राजभाषा कार्यान्वयन की गति को एक नई दिशा दे सकते हैं ।

दिनांक 20 अप्रैल, 2006 को राजभाषा नीति संबंधी नियम और अधिनियमादि पर श्री प्रेमसिंह, उप निदेशक (राजभाषा कार्यान्वयन), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ने प्रतिभागियों को बहुत ही सुंदर और सरल रूप में भारत सरकार की राजभाषा नीति पर प्रकाश डाला तथा राजभाषा नियमों और अधिनियमों की जानकारी देते हुए प्रतिभागियों को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि लोग अपना सरकारी काम इन नियमों और अधिनियमों को ध्यान में रखकर करेंगे तो उच्च अधिकारीगण भी इसमें अपना योगदान देंगे ।

आई.डी.बी.आई., भुवनेश्वर

आई.डी.बी.आई. भुवनेश्वर में विगत दिनों एक 06-सत्रीय 03-दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन बैंक के उप महाप्रबंधक श्री बी. धर ने किया । उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिंदी के प्रयोग पर बल देते हुए हिंदी में काम करने के आसान तरीकों को अपनाने की सलाह दी । उन्होंने प्रतिभागियों को हिंदी शुरू करने पर बल देते हुए आगे कहा कि हम इस काम को शुरू करें, आसान लगेगा ।

कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि व प्रथम सत्र के अतिथि वक्ता श्री ब्रजनाथ मिश्र, सहायक निदेशक (हिंदी), केंद्रीय भविष्य निधि, भुवनेश्वर ने हिंदी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कार्यालय में हिंदी के प्रयोग पर बल दिया और हिंदी कार्यान्वयन, हिंदी पुरस्कार, हिंदी-शील्ड आदि विषयों पर अपने उद्गार व्यक्त किए । बाद में उन्होंने 'कामकाजी हिंदी और कार्यालय में उसका प्रयोग (अभ्यास सहित)' विषय पर भी व्याख्यान दिये ।

संचालक व प्रबंधक (हिंदी) श्री आर.पी. सिंह ने प्रतिदिन हिंदी-लाभ प्राप्त करने का आह्वान किया । उन्होंने आज की समसामयिक हिंदी की चर्चा की तथा उसकी

संवैधानिक उपयोगिता पर बल देते हुए इसे कार्यालय में व्यवहार में लाने का अनुरोध किया तथा कार्यशाला का विवरण पेश किया । श्री सिंह ने प्रोत्साहन देने के लिए सम्बन्धित तीन पुरस्कारों की भी घोषणा की ।

बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति : तिरुवनन्तपुरम

सदस्य बैंकों के अधिकारियों को राजभाषा संबंधी नियमों, अधिनियमों के अनुपालन व उत्तरदायित्व का बोध कराने के लिए बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति : तिरुवनन्तपुरम के तत्वावधान में केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम में दिनांक 11-05-2006 एवं 12-05-2006 को एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला का उद्घाटन न.रा.का.स. (बैंक) का अध्यक्ष और केनरा बैंक के उप महाप्रबंधक श्री पी. मोहनन् ने किया । श्री अजय मलिक, उप-निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (का.), कोच्चि, मुख्य अथिति रहे । श्री वी. आर. शेणाय्, सहायक महाप्रबंधक, केनरा बैंक और सदस्य बैंकों के हिंदी अधिकारीगण उद्घाटन सत्र में उपस्थित थे ।

श्री अजय मलिक ने राजभाषा नीति एवं भारत सरकार की अपेक्षाओं पर सत्र लिया । उन्होंने राजभाषा नीति की विस्तृत व्याख्या की एवं राजभाषा अधिनियम, नियम व आदेशों के कार्यान्वयन की अनिवार्यता तथा महत्ता पर प्रकाश डाला । कार्यशाला में संकाय सदस्यों ने विभिन्न विषयों जैसे हिंदी पत्राचार एवं टिप्पण, बैंकिंग शब्दावली, व्याकरण, अनुवाद, द्विभाषी सॉफ्टवेयर आदि के बारे में सहभागियों को अभ्यासपरक मार्गदर्शन दिया ।

कार्यशाला में विविध सदस्य बैंकों से कुल 17 अधिकारियों ने भाग लिया ।

केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर

दिनांक 14-08-2006 को संस्थान के अधिकारी संवर्ग के पदधारियों के लिए एक पूर्ण-दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में कुल 15 पदधारी प्रशिक्षित किए गए । कार्यशाला में कुल 06 कक्षाएं संचालित की गई ।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉ. एस.के. दास महोदय ने किया । उन्होंने अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में कार्यशाला की आवश्यकता व महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कार्यशाला पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के तरह ही लाभकारी होता है और इससे अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कार्य राजभाषा हिंदी में निष्पादित करने में प्रेरणा व प्रोसाहन के साथ-साथ एक नई दिशा प्राप्त होती है । इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभागियों से यह भी अनुरोध किया कि वे अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में निष्पादित करें । उक्त कार्यशाला में व्याख्याता के रूप में श्री वेद प्रकाश गौड़, उप निदेशक (कार्या.) राजभाषा विभाग, कोलकाता ने कहा कि हिंदी एक सरल एवं सहज भाषा है और सतत अभ्यास के जरिये इसे सहजतापूर्वक अपनाया जा सकता है । उन्होंने यह भी कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पदधारियों को हिंदी के प्रति व्याप्त झिझक को दूर करना है । तत्पश्चात्, उनके द्वारा कार्यशाला में राजभाषा नियम एवं अधिनियम तथा "टिप्पण-लेखन व आवतियों के निष्पादन की प्रकिया," "पत्राचार के विविध स्वरूप एवं तत्संबंधी कार्रवाई", "तकनीकी शब्दावली एवं उनके प्रयास" तथा राजभाषा नीति एवं इसके अनुपालन जैसे विविध विषयों पर व्याख्यान के साथ-साथ उन विषयों को सहजतापूर्वक हिंदी में प्रस्तुत करने की सरल पद्धति पर प्रकाश डाला गया । सर्वशेष में उन्होंने उक्त विषयों से जुड़े विविध पहलुओं पर एक जांच परीक्षा का भी आयोजन किया जिसमें सभी प्रतिभागीगण ने उत्सुकता के साथ में भाग लिया ।

एन.टी.पी.सी. लि., विशाखापट्टणम

भारतीय विद्युत क्षेत्र की नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड की विशाखपट्टणम (आंध्र प्रदेश) स्थिति सिम्हाद्रि थर्मल पावर प्रोजेक्ट में संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन में कार्यालय में राजभाषा के विस्तृत प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत दिनांक 10-8-2006 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई । कार्यपालक एवं अकार्यपालक कर्मचारियों के लिए संयुक्त रूप से आयोजित इस एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री एस. सी. पाण्डेय, महाप्रबंधक महोदय ने किया । श्री पाण्डेय ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों तथा हिंदी कार्यशाला के प्रतिभागियों को संबोधित

करते हुए कहा कि हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन अनुवाद सुविधा काफी मददगार होगी। इसकी सहायता से अपनी जगह बैठे-बैठे राजभाषा अनुभाग से हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद प्राप्त किया जा सकता है।

उद्घाटन के उपरांत डॉ. टी. महादेव राव, उप-प्रबंधक (राजभाषा), एच.पी.सी.एल. विशाखापट्टणम ने अपने व्याख्यान सत्र में राजभाषा नीति, नियम एवं अन्य संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी और शब्दावली पढ़ाई। अपराह्न के सत्र में श्री एस. सुब्रमण्यम, राजभाषा पर्यवेक्षक द्वारा हिंदी में पत्राचार तथा टिप्पण लेखन पर पढ़ाया गया।

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुख्यालय, मुम्बई में दिनांक 6-7-2006 एवं 7-7-2006 को कॉर्पोरेशन के उप प्रबंधकों एवं सहायक प्रबंधकों के लिए दो एक दिवसीय हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न अनुभागों के 33 अधिकारियों ने भाग लिया।

श्री डी. धनशेखरन, उप महाप्रबंधक (प्रशिक्षण), जो मूलतः दक्षिण भारत से हैं, ने स्वागत भाषण हिंदी में दिया और उपस्थित प्रतिभागियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी को संविधान के प्रति अपने दायित्व को पहचानने और उसका अनुपालन करके कार्यशाला के उद्देश्य को सार्थक करने के लिए कहा। तदुपरांत श्री वी के. सक्सेना, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) ने कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को कॉर्पोरेशन में राजभाषा संबंधी गतिविधियों एवं उपलब्धियों के संबंध में एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया और उनसे अनुरोध किया कि राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में और ऊंचाइयां हासिल करने में वे अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। इसके बाद श्री स्वपन कुमार घोष, निदेशक (मानव संसाधन) ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए बताया कि कॉर्पोरेशन राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास कर रहा है और हमारे यहां कार्यरत कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी के क्षेत्र में विशिष्ट कार्यों के लिए कार्पोरेशन ही नहीं बल्कि अन्य संस्थानों से भी पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया है। इससे राजभाषा के प्रति हमारा उत्तरदायित्व तो सिद्ध होता ही है, साथ ही कॉर्पोरेशन की भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। अतः हम सभी को राजभाषा कार्यान्वयन में अपना सहयोग देना चाहिए और इसके लिए राजभाषा अनुभाग की मदद ली जा सकती है। उन्होंने प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया और कार्यशाला के व्याख्यानों का लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया।

श्री मोहन लाल सोनी, प्रबंधक (राजभाषा) ने प्रतिभागियों को पारिभाषिक शब्दावली की महत्ता बताते हुए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली की जानकारी दी। दूसरे सत्र में श्रीमती ममता एस कुमार, हिंदी अधिकारी, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, मुंबई ने प्रतिभागियों से कार्यालय पद्धति पर चर्चा करते हुए उन्हें टिप्पण एवं आलेखन लिखने की पद्धति बताई और इस बात पर विशेष बल दिया कि टिप्पण एवं आलेखन की रूपरेखा हिंदी में ही बनाएं और सरल शब्दों का प्रयोग करें। श्री नरसिंह राम, सहायक निदेशक (राजभाषा), निर्माण सेवा एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय, मुंबई ने प्रतिभागियों को टिप्पण एवं आलेखन का अभ्यास कराया।

प्रतिभागियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से राजभाषा नीति से संबंधित एक लिखित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रखा गया था और सबसे ज्यादा अंक पाने वाले तीन कर्मचारियों को समापन सत्र में श्री सुशील कुमार अग्रवाल, अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन प्रबंधन) एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कर कमलों द्वारा प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कार तथा सभी प्रतिभागियों को कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी प्रमाण पत्र दिया गया और साथ ही यह अनुरोध भी किया कि जब हम हिंदी फिल्में देखते हैं, हिंदी गाने सुनते हैं, हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में सोचते हैं तो हम हिंदी में काम भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजभाषा की प्रगति के लिए सार्थक प्रयास किए जाएं और पूर्ण सहयोग दिया जाए। प्रतिभागियों ने प्रतिक्रिया पत्रक में अपने विचार प्रकट किए और कार्यशाला को उत्साहवर्धक एवं आत्मविश्वास में वृद्धि हेतु उपयोगी माना।

कार्यालय कार्यपालक निदेशक क्षेत्र-II, बनीखेत, जिला चंबा (हि.प्र.)

1 जुलाई, 2006 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन माननीय कार्यपालक निदेशक क्षेत्र-II श्री एम. के. रैना ने दीप प्रज्जवलित करके किया । इस अवसर पर बोलते हुए श्री रैना ने कहा कि राजभाषा हिंदी को कार्यालयी कार्यों में अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए सभी को व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने होंगे । उन्होंने हिंदी कार्यशालाओं को सार्थक बनाने के लिए सभी से अपना अधिकाधिक कार्यालयी कार्य हिंदी में करने का आह्वान किया । इससे पूर्व उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए श्री दिनेश त्रिपाठी, प्रमुख (भू-विज्ञान एवं पर्यावरण) एवं प्रभारी राजभाषा ने वैश्वीकरण के दौर में हिंदी को विकसित भाषा बनाने पर बल देते हुए सभी से अपील की कि हिंदी को वास्तविक रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है । कार्यशाला में व्याख्यानदाता के रूप में डॉ. करण शर्मा, प्राचार्य डी.ए.वी. कॉलेज, बनीखेत को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था । उन्होंने हिंदी के साहित्यिक पक्ष पर प्रकाश डालते हुए हिंदी साहित्य के महत्व पर प्रकाश डाला । उन्होंने हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में तथा कार्यालय कार्यों में प्रयोग करने के लिए अपने सुझाव दिए । इस अवसर पर श्री नानक चंद, प्रबंधक (राजभाषा) ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के प्रयोग के संबंध में फैले भ्रम को दूर करने का प्रयास किया तथा राजभाषा के प्रयोग का महत्व समझाते हुए अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने की अपील की । उन्होंने राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, संविधान, सामान्य टिप्पणियां, प्रारूपण एवं मानक हिंदी वर्तनी के बारे में भी विस्तारपूर्वक अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया । कार्यशाला में 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद

निगम मुख्यालय में नियमित रूप से प्रति माह एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाती है, जिससे कार्मिकों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके । इसी क्रम में दिनांक 28-6-2006 को विभिन्न विभागों में कार्यरत हिंदी समन्वयकों के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के 21 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री जी.पी. पटेल, महाप्रबंधक (कोर ग्रुप) ने किया । उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि हिंदी हमारे देश की जन-जन की भाषा है । इसका महत्व और सम्मान देश ही नहीं विदेश में भी बढ़ा है । हमारे निगम में भी विद्युत उत्पादन के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में सभी कार्मिक अपना निष्ठा से योगदान दे रहे हैं । यह कंप्यूटर का युग है इसलिए राजभाषा का प्रचार कम्प्यूटर के माध्यम से भी बढ़ाया जाना है । इस दिशा में भी हमारा निगम आगे बढ़ रहा है । यह समन्वयकों की कार्यशाला है जिसमें अपने-अपने विभागों में राजभाषा हिंदी के कार्य की जिम्मेदारी आप सभी की है । मुझे खुशी है कि हमारे निगम के प्रयासों को संसदीय समिति द्वारा सराहा गया है तथा समय-समय पर उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मान व पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं । उन्होंने प्रतिभागियों का आह्वान किया कि वे हिंदी के प्रचार-प्रसार में प्रतिबद्धता से अपना योगदान दें ।

इस अवसर पर श्री डी.एस. चौहान, प्रमुख (मा.सं. व राजभाषा) ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया । उन्होंने अपने संबोधन में राजभाषा हिंदी के महत्व को रेखांकित करते हुए निगम में राजभाषा कार्यकलापों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कार्यशालाओं के आयोजन, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों, हिंदी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण, विभागीय बैठकों आदि के माध्यम से गैर-तकनीकी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी में कार्य बढ़ा है । उन्होंने प्रतिभागियों की राजभाषा के विकास में भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अधिक से अधिक हिंदी में कार्य करने का आह्वान किया । उन्होंने राजभाषा कार्यान्वयन में निगम की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि हमारे निगम को वर्ष 2002-2003 के लिए द्वितीय एवं वर्ष 2004-05 के लिए प्रथम एनटीपीसी राजभाषा शील्ड से नवाजा गया है । यह शील्ड विद्युत मंत्रालय के अधीन सबसे अच्छा कार्य हिंदी में करने वाले कार्यालय को दी जाती है । इस पर सभी प्रतिभागियों ने इस उद्घोषणा का करतल ध्वनि से स्वागत किया ।

प्रबंधक-प्रभारी (राजभाषा) डॉ. राजबीर सिंह ने इससे पूर्व मुख्य अतिथि श्री जी.पी. पटेल, महाप्रबंधक (कोर ग्रुप), श्री डी.एस. चौहान, प्रमुख (मानव संसाधन व राजभाषा) एवं उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 1991 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 70 प्रतिशत से अधिक लोग हिंदी जानते व बोलते हैं, जबकि अंग्रेजी को मातृभाषा मानने वालों की संख्या मात्र एक लाख अठहत्तर हजार है। आज हिंदी का प्रसार हिंदीतर भाषी क्षेत्र तमिलनाडु में भी बढ़ा है। यहां राजभाषा हिंदी के सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध यह राज्य हिंदी की दृष्टि से राष्ट्रीय धारा से जुड़ गया है। नागालैंड में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण अनिवार्य किया गया है। उन्होंने हिंदी कार्यशालाओं के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए निगम में चलाए जा रहे हिंदी प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी भी दी।

प्रबंधक (राजभाषा) श्री पी.डी. मिश्रा ने वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि निगम में राजभाषा में कार्य को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। निगम में अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं, जिनका लाभ हिंदी में अधिकाधिक कार्य करके उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन को सहज और सुचारू बनाने के लिए मुख्य अतिथि महोदय ने न सिर्फ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, बल्कि राजभाषा के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान देकर उन्होंने स्वयं एक मिसाल कायम की है। हम उनके हृदय से आभारी हैं।

कार्यशाला के प्रथम सत्र का संचालन पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया में प्रबंधक (राजभाषा) के पद पर कार्यरत श्रीमती नीलम शर्मा ने किया। श्रीमती शर्मा ने उपस्थित प्रतिभागियों को राजभाषा नीति एवं कार्यान्वयन के विविध पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि उच्च स्तर के अधिकारी राजभाषा हिंदी में काम करने की पहल करेंगे तो उनके अधीनस्थों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हम सभी को लगातार प्रयास करने चाहिएं। कठिनाईयों से बिना घबराए एक राष्ट्रीय कर्तव्य और महती उद्देश्य को सामने रख कर राजभाषा हिंदी में निष्ठा से कार्य करना चाहिए।

कार्यालय के दूसरे सत्र में श्री विपुल रस्तोगी, प्रमुख, लिंग्वा सॉल्यूशन्स ने उपस्थित प्रतिभागियों को हिंदी साफ्टवेयर-आईएसएम के सहज उपयोग की जानकारी दी तथा इसके नए वर्जन से भी अवगत कराया। कार्यशाला में तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मों में अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध कराने के बारे में विचार-विमर्श किया गया।

इस कार्यशाला के अंत में सभी प्रतिभागियों से हिंदी विभाग के अधिकारियों ने विस्तृत विचार-विमर्श भी किया और सभी विभागों में हिंदी प्रयोग बढ़ाने का संकल्प लिया गया। कार्यशाला का संचालन डॉ. सोना शर्मा, उप प्रबंधक (राजभाषा) ने किया।

लोकताक पावर स्टेशन, मणिपुर

वार्षिक कार्यक्रम 2006-07 की अनुपालना में श्री सन्तोष बरला, सहायक प्रशा. अधिकारी, हिंदी अनुभाग के नेतृत्व में लोकताक पावर स्टेशन के प्रशिक्षण कक्ष में दिनांक 29-6-2006 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अभियंता का कार्यालय, सिविल, वित्त, मां. सं. सा., लाईन, यांत्रिक, मेडिकल, पावर हाऊस, भंडार, क्रय, सतर्कता आदि विभिन्न विभागों से कुल 21 कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला का उद्घाटन लोकताक पावर स्टेशन के माननीय मुख्य अभियंता व राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री एम. लालमणि सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार से लोकताक पावर स्टेशन को "ग" क्षेत्र के लिए निगम कार्यालय, फरीदाबाद और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इम्फाल द्वारा वर्ष 2004 के लिए द्वितीय पुरस्कार मिला था, उसी प्रकार सभी दैनिक कार्यालयीन कार्यों को हिंदी में ही करके वार्षिक कार्यक्रम 2006-07 के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और तभी हम वर्ष 2005 के लिए पुरस्कार भी पाने के हकदार हो सकते हैं। अत: निरन्तर प्रयास करते रहें।

श्री लूकस गुड़िया, वरिष्ठ प्रबंधक (मा. सं. सा.) कार्यशाला के मुख्य फैकल्टी थे। उन्होंने अपने उद्घोषण में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्साहित करते हुए कहा कि :

"रोज कुछ न कुछ करोगे, तिल-तिल भी चलना जारी रखोगे, तो मंजिल पा जाओगे"।

इस स्लोगन के आह्वान के साथ श्री आर. के. राधामोहन सिंह, हिंदी सहायक द्वारा निर्मित स्लाईड वार्षिक कार्यक्रम 2006-07 भाग-I के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदुओं पर विश्लेषण करते हुए हिंदी सीखने और हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया ।

वार्षिक कार्यक्रम 2006-07 भाग-II में पूरे वर्ष में किए जाने वाले "हिंदी का समयबद्ध कार्यक्रम" के विषय में श्री सन्तोष बरला, सहा. प्रशा. अधिकारी ने विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए आग्रह किया कि हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना हम सभी का संवैधानिक दायित्व है अत: हमें मिल-जुल कर समयबद्ध कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करना चाहिए ।

सभी प्रतिभागियों ने प्रशिक्षकों की सराहना करते हुए इस प्रकार की हिंदी कार्यशाला आयोजित किए जाने की प्रशंसा की । अन्त में हिंदी अनुभाग द्वारा सभी प्रतिभागियों का कार्यशाला के सफल आयोजन में सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया गया ।

एन.एच.पी.सी. लि. चंडीगढ़

क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ द्वारा संपर्क कार्यालय, शिमला में 14 जुलाई, 2006 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला के आयोजन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ से श्री देशराज, वरिष्ठ पर्यवेक्षक (राजभाषा) को भेजा गया था । कार्यशाला का उद्घाटन श्री अनिल कुमार त्रिखा, मुख्य अभियंता ने किया । उन्होंने अपने उद्बोधन में हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे अपना सरकारी कामकाज अधिक से अधिक हिंदी में ही करें । हिंदी एक समृद्ध और सरल भाषा है । तत्पश्चात् श्री देशराज को हिंदी कार्यशाला की कार्रवाई शुरू करने को कहा गया । इस कार्यशाला में 8 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

श्री देशराज ने अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हुए कहा कि हिंदी को सहजता से बोला, समझा और लिखा जाता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं उसे हिंदी में आसानी से लिखा जाता है । यहीं से हिंदी में कार्य करने की शुरूआत की जा सकती है । हमारे मन में गलती का कोई संकोच नहीं होना चाहिए । लिखने की कोशिश करिए शब्द अपने आप मिलते जाते हैं । आज की कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सहज व सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए सरकारी कार्य हिंदी में ही करें ।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में श्री देशराज ने नोटिंग हिंदी में लिखना, आवेदन पत्र, कार्यालय आदेश, परिपत्र और रिपोर्ट आदि हिंदी में कैसे लिखी जाएं का अभ्यास कराया। दूसरे सत्र में व्यक्तिगत दावों के फार्म हिंदी में भरना, तिमाही प्रगति रिपोर्ट का फार्म हिंदी में भरना, क, ख और ग क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी तथा हिंदी भाषा पर प्रकाश डाला । तीसरे सत्र में प्रशासनिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले प्रचलित वाक्यांश, मिलते-जुलते शब्द तथा शब्द एक अर्थ अनेक विषयों पर चर्चा की । कार्यशाला के चौथे सत्र में प्रतिभागियों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई । इस प्रतियोगिता में जो जानकारियां पहले तीन सत्रों में दी गई थीं उन पर आधारित प्रश्न पूछे गए । प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया । श्री अनिल कुमार त्रिखा, मुख्य अभियंता स्वयं पूरी कार्यशाला में उपस्थित रहे और प्रतियोगिता में भी भाग लिया ।

अंत में प्रतिभागियों की ओर से श्री विश्वामित्र कालिया, सहायक प्रबंधक ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि इस कार्यालय में यह पहली कार्यशाला है। इससे पहले इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है । हमें जो जानकारियां मिली हैं इनसे हमें हिंदी में अपना काम करने में काफी मदद मिलेगी । कार्यशाला के दौरान हमारी बहुत सी शंकाओं का समाधान भी हुआ है । इस कार्यशाला के लिए हम क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के आभारी हैं ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मंगलूर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मंगलूर के तत्वावधान में, हिंदी दिवस समारोह-2006 के उपलक्ष्य में, दिनांक 30 अगस्त, 2006 को, कार्पोरेशन बैंक द्वारा अपने कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में एक दिवसीय संयुक्त हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में कुल 57 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 31 प्रतिभागी नराकास मंगलूर के सदस्य कार्यालयों से थे तथा 26 प्रतिभागी कार्पोरेशन बैंक से थे । उपस्थित प्रतिभागियों की सूची संलग्न है ।

श्री एन. सनल कुमार, प्रबंधक (राभा), कार्पोरेशन बैंक द्वारा सभी प्रतिभागियों के स्वागत के साथ कार्यशाला का शुभारंभ हुआ । कार्यशाला के दौरान राजभाषा हिंदी से संबंधित व्यापक विषयों पर सत्र चलाये गए । नराकास के सदस्य कार्यालयों से आए हिंदी अधिकारियों एवं राजभाषा प्रभारियों ने विभिन्न सत्रों का संचालन किया ।

पूर्वाह्न प्रथम सत्र में श्रीमती वनिता गडियार, प्रबंधक (राभा), केनरा बैंक ने प्रतिभागियों को राजभाषा नियम एवं अधिनियमों का परिचय दिया । तत्पश्चात् भारत संचार निगम लिमिटेड कार्यालय की श्रीमती जयलक्ष्मी, सहायक निदेशक (राभा) द्वारा कार्यालय में उपयोग में लाए जाने वाले सामान्य टिप्पण एवं प्रारूपण की जानकारी देते हुए प्रतिभागियों से अभ्यास करवाया । पूर्वाह्न के अंतिम सत्र में नाबार्ड के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र से पधारे श्री रामन जगदीशन, सहायक निदेशक (राभा) द्वारा सामान्य एवं कार्यालयीन अनुवाद का परिचय देते हुए प्रतिभागियों से अनुवाद अभ्यास करवाया ।

भोजनोपरांत मध्याह्न सत्र में श्री बी. प्रकाश पई, हिंदी अधिकारी नव मंगलूर पत्तन न्यास द्वारा वार्षिक कार्यक्रम 2006-07 का परिचय देते हुए विभिन्न मानदंडों के तहत लक्ष्य प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन भी दिया गया । तदन्तर कार्पोरेशन बैंक के श्री सुरेश कुमार, प्रबंधक (राभा) द्वारा प्रशासनिक शब्दावली पर प्रतिभागियों को अभ्यास करवाया गया । अंतिम सत्र में डॉ. बी. आर. पाल, हिंदी अधिकारी, एम. आर. पी. एल. द्वारा हिंदी भाषा, व्याकरण एवं वाक्य संरचना विषय में प्रतिभागियों की शंकाओं को दूर करते हुए व्याकरण के नियमों का परिचय दिया गया । सभी प्रतिभागियों ने कार्यशाला के सभी सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया । ■

(पृष्ठ 48 का शेष)

में दिनांक 27-03-2006 को संपन्न हुई । इस बैठक में सभी विभागों/परिसरों/कार्यालयों के विभागाध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव श्री अजय कुमार बक्सी, प्रबंधक (राजभाषा) उपस्थित हुए ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राजभाषा नीति का कार्यान्वयन एक अतिमहत्वपूर्ण विषय है । जहां एक ओर हम सब परियोजना को निर्धारित समय से पहले पूरा करने के लिए जिस तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं, वैसी ही तत्परता राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए भी आवश्यक है । हमें आप सभी से इसकी पूर्ण अपेक्षा है ।

परियोजना में राजभाषा के प्रयोग में वृद्धि लाए जाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से राजभाषा से संबंधित विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई, यथा वर्ष 2006-07 में मासिक हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन, मासिक विभागीय बैठकों का आयोजन, प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को हिंदी दिवस के रूप में पालन और सभी विभागों/परिसरों द्वारा इन दिनों को निष्पादित कार्यों का निरीक्षण हेतु समिति का गठन, परियोजना में तैनात अशिक्षित कर्मचारियों को साक्षर बनाए जाने संबंधी योजना मई, 2006 से चालू किया जाना, कार्यालयों में राजभाषा की प्रगति का निरीक्षण हेतु समिति का गठन, परियोजना के प्रत्येक विभाग/परिसर/कार्यालय में राजभाषा संबंधी कार्य देखने के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जाना, वर्ष 2006-07 में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु तैयार की गई कैलेण्डर पर चर्चा आदि प्रमुख विषयों के अलावा विद्युत मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 09-12-2005 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर चर्चा की गई और अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना में लागू होने वाली मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए । समिति को यह सूचित किया गया कि हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली द्वारा माह मई में ली जाने वाली हिंदी प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ की परीक्षाओं में इस परियोजना से 26 हिंदीतर भाषी अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित होंगे ।

उपरोक्त के अलावा केंद्रीय विद्यालय, बालुटार में प्रतिदिन आज का संदेश लिखवाए जाने का निर्णय लिया गया, जिसकी सूचना प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय, बालुटार को भिजवा दी गई है और कार्यान्वयन प्रारंभ करा दिया गया है । ■

(घ) हिंदी दिवस

राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित "हिंदी दिवस समारोह"

"राजभाषा सरल होनी चाहिए जो हृदय से निकलकर हृदय तक पहुंचे" –शिवराज पाटील

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी दिवस समारोह, 2006 का भव्य आयोजन विज्ञान भवन में किया गया । समारोह के दौरान विज्ञान भवन में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटील जी ने नौ क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुदित कविताओं के संकलन "अन्तर्गत" का विमोचन किया । यह संकलन अनुवाद के महत्व को उजागर करने की दृष्टि से आयोजित अनुवाद प्रक्रिया संगोष्ठियों की परिणति के रूप में प्रकाशित किया गया है । इसी के साथ उन्होंने उड़िया, असमिया, मराठी और मणिपुरी भाषा के "लीला" प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रम का वर्ल्ड वाइड वेब पर लोकार्पण किया । इस समारोह में श्री पाटील ने राजभाषा विभाग की महत्वाकांक्षी परियोजना "श्रुतलेखन" सॉफ्टवेयर का भी प्रमोचन किया । इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बोलने के साथ ही हिंदी टेक्स्ट अपने आप टाइप हो जाता है । इस तरह का सॉफ्टवेयर विश्व में पहली बार हिंदी में उपलब्ध करवाया जा रहा है । श्री पाटील ने इस अवसर पर इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार और हिंदी गृह पत्रिका पुरस्कार का भी वितरण किया । इस अवसर पर गृह मंत्री जी ने कहा कि राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए नई टेक्नालॉजी का उपयोग किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हिंदी का प्रचार-प्रसार अधिक व्यापक और कारगर होगा । उन्होंने आह्वान किया कि सभी लोग उपलब्ध टेक्नालॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग करें । हिंदी की लोकप्रियता के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज अधिकतर टी.वी. चैनल हिंदी में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं । इस प्रकार वे हिंदी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । राजभाषा विभाग के इस समारोह की सार्थकता की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि यदि इस समारोह से हमारे अंदर की ऊर्जा प्रज्वलित हो जाए तो समझिए कि हमारा आयोजन सार्थक है । श्री पाटील ने देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी में अनुवाद के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के आदान-प्रदान पर भी जोर दिया । इस बात पर भी जोर दिया कि भाषा के संवर्धन का कार्य सहृदयता से होना चाहिए।

अपने अध्यक्षीय भाषण में गृह राज्य मंत्री श्री माणिक राव गावीत ने कहा कि भाषा व्यक्ति की नहीं संपूर्ण राष्ट्र की भी पहचान होती है । उन्होंने आगे कहा कि हिंदी के विकास के लिए हमें अन्य भाषाओं के शब्दों को अपनाना होगा, तभी इसका संपूर्ण विकास होगा ।

राजभाषा विभाग के सचिव श्री देवदास छोटराय ने अपने स्वागत भाषण में राजभाषा विभाग की उपलब्धियों और भावी कार्ययोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि विभाग केंद्रीय हिंदी समिति के मार्गदर्शन में राजभाषा विषयक नीतियों को मूर्तरूप देता है तथा संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के विभिन्न खंडों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश प्राप्त कर उन्हें कार्यान्वित करता है । उन्होंने कहा कि राजभाषा के प्रचार प्रसार और उन्नयन के लिए राजभाषा विभाग ने पुस्तक प्रकाशन की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रथम प्रकाशन "अन्तर्गति" का आज गृह मंत्री जी ने विमोचन किया है ।

झांसी मंडल, उत्तर मध्य रेलवे

21 मार्च, 2006 को श्री यू. के. सिंह, मंडल रेल प्रबंधक की मुख्य आतिथ्य में झांसी मंडल पर राजभाषा सप्ताह 2005-06 का आयोजन किया गया । सर्वप्रथम श्री यू.के.सिंह, मंडल रेल प्रबंधक द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण करके राजभाषा सप्ताह का शुभारम्भ किया गया । इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुझे आज राजभाषा सप्ताह का उद्घाटन करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है । हिंदी हमारी राजभाषा है इसी प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा सप्ताह का आयोजन किया जाता है और आयोजन करके यह स्मरण किया जाता है कि हमें राजभाषा के क्षेत्र में कितनी प्रगति करनी है और कौन-कौन से आयाम हमें प्राप्त करने हैं । इसी दिशा में हमारे लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन्हें हमने किस सीमा तक पूरा किया है, इस और विशेष ध्यान देना होता है ।

राजभाषा सप्ताह के दौरान अधिकारियों, वरिष्ठ पर्यवेक्षकों, कर्मचारियों की हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण आलेखन, हिंदी वाक हिंदी आशुलिपि हिंदी टंकण एवं राजभाषा प्रश्न मंच आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । सभी प्रतियोगिताओं के प्रथम, द्वितीय तृतीय एवं सांत्वना स्थान प्राप्त करने वाले वरिष्ठ पर्यवेक्षकों एवं कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक द्वारा पुरस्कृत किया गया इसके साथ ही साथ जिन पर्यवेक्षकों एवं कर्मचारियों ने पूरे वर्ष अपना कार्यालयीन काम हिंदी में करते हुए राजभाषा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, उन्हें भी इस मंडल पर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा पुरस्कृत किया गया । राजभाषा सप्ताह के समापन के अवसर पर कुल 82 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया । इसी प्रकार वर्ष भर में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने के लिए वरि. मंडल विद्युत इंजी. (टीआरओ) को मंडल रेल प्रबंधक की विभागीय शील्ड तथा उत्कृष्ट स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन की शील्ड ललितपुर की समिति को प्रदान की गई ।

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक रोड

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में दिनांक 14-9-2006 को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया । कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री प्रकाश नारायण, महाप्रबंधक, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ने की । हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की तरह मुद्रणालय में राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु जल्द हिंदी शब्द लेखन, संकेत पहेली, प्रश्नोत्तरी (क्वीज), गायन, चित्रकला, अन्तर्विभागीय राजभाषा शील्ड प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें 81 कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया । इस बार प्रतियोगिताओं के लिए मुद्रणालय के सभी अनुभागों से कर्मचारियों ने भाग लिया । प्रतियोगितावार अनुभागों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया ।

समारोह के आरम्भ में गणमान्य अतिथियों ने वृक्षारोपण किया । समारोह में वक्ताओं ने हिंदी के महत्व, उसे अधिक सरल और लचीला बनाने पर बल दिया गया और आम अधिकारी और कर्मचारी की हिंदी में काम करने की मानसिकता को बनाने संबंधी उपायों पर अपने विचार रखे तथा इसी दिशा में हमेशा कार्य करते रहने की सलाह दी ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

फिल्म प्रभाग, नई दिल्ली में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन दिनांक 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2006 तक किया गया। इस अवधि में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में कामकाज करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पखवाड़ा के मुख्य समारोह का आयोजन आज दिनांक 28-9-2006 को किया गया। जिसके मुख्य अतिथि प्रसिद्ध पत्रकार एवं साहित्यकार श्री प्रवीण उपाध्याय जी थे।

श्री प्रवीण उपाध्याय ने अपने भाषण में बताया कि हिंदी से प्यार करने का अर्थ दूसरी भाषाओं का विरोध नहीं है परन्तु हिंदी, देश की संपर्क भाषा है और यही राजभाषा भी है। अत: इसी प्रगति में देश का सम्मान एवं प्रगति निहित है।

श्री पी. के. साहा, निर्देशक जो स्वयं हिंदीतर क्षेत्र से आते हैं, ने अपने संक्षिप्त अध्यक्षीय भाषण में बताया कि प्रारम्भ में जिन क्षेत्रों में हिंदी का विरोध होता था, वहां भी धीरे-धीरे लोगों ने हिंदी को स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी बताया कि फूलों को माला का रूप देने के लिए एक सूत्र में पिरोने की जरुरत होती है। बिना सूत्र के फूल, माला नहीं बन सकते। उसी प्रकार भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों को एक गौरव पूर्ण स्थान दिलाने के लिए राजभाषा हिंदी के सूत्र में बांधना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह भाषा संपूर्ण भारत में समझी और बोली जाती है।

कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय)

दिनांक 1 सितम्बर, 2006 से 15 सितम्बर, 2006 के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत दिनांक 1, 4, 5 एवं 6 सितम्बर, 2006 को अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक चार दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें राजभाषा नीति के अनुपालन की कठिनाइयाँ एवं समाधान, हिंदी में टिप्पण-आलेखन एवं मूल पत्राचार, मानक हिंदी वर्तनी और हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट आदि विषयों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दिनांक 7 सितम्बर, 2006 को हिंदी टंकण प्रतियोगिता, 8 सितम्बर, 2006 को हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता, 11 सितम्बर, 2006 को हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता, दिनांक 12 सितम्बर, 2006 को हिंदी निबंध प्रतियोगिता, दिनांक 13 सितम्बर, 2006 को आशु-भाषण प्रतियोगिता तथा दिनांक 14 सितम्बर, 2006 को राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह दिनांक 15 सितम्बर, 2006 को कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) के तृतीय तल पर स्थित हॉल में अपराह्न 4.00 बजे आयोजित किया गया। इस अवसर पर सदस्य महोदया, क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) एवं उप-सचिव (प्रशा.) का स्वागत करते हुए सर्वप्रथम सहायक निदेशक (रा.भा.) श्री शैलेश कुमार सिंह ने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। उसके बाद वरिष्ठ अनुवादक द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर जारी माननीय गृहमंत्री जी के संदेश का वाचन किया गया। तदुपरान्त अवर सचिव (भा. मु.) द्वारा वर्ष 2005-2006 के सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई तथा आयोग (मु.) के स्थापना-I अनुभाग की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी उपलब्धियों की जानकारी दी गई ।

सदस्य महोदया श्रीमती प्रतिभा मोहन ने अपने कर कमलों से हिंदी में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई तथा आयोग (मु.) के स्थापना-I अनुभाग को शील्ड एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया। इसके साथ ही उन्होंने वर्ष 2005-06 के नकद पुरस्कार विजेताओं को प्रमाणपत्र देने के पश्चात् हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित किए गए विविध प्रतियोगिताओं के विजेता अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों से सम्मानित किया।

सदस्य महोदया ने अपने संक्षिप्त संबोधन में सर्वप्रथम हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई दी तथा यह आशा व्यक्त की कि ये अपना अधिकाधिक दैनिक कामकाज हिंदी में करेंगे। इस संबंध में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हमें हिंदी में कामकाज को केवल हिंदी पखवाड़े तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि अपने दैनिक कामकाज में इसका निरन्तर प्रयोग करते रहना चाहिए, केवल तभी हम संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुरूप हिंदी को उचित स्थान दे पाएंगे। अंत में, उप-सचिव (प्रशा.) महोदय ने इस अवसर पर सदस्य महोदया के प्रति उनके मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया और यह आशा व्यक्त की कि आयोग के सभी कार्यालय एवं अनुभाग अपने दैनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग निरन्तर बढ़ाएंगे।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल महानिदेशालय

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस महानिदेशालय द्वारा 01 से 15 सितम्बर, 2006 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी पखवाड़े के शुभारंभ पर, 01 सितम्बर, 2006 को भा. ति.सी. पुलिस बल के महानिदेशक श्री वि. कु. जोशी, भा. पु.से. की ओर से बल के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अपील जारी की गई जिसमें उन्होंने भा.ति.सी. पुलिस बल के सभी सदस्यों को "हिंदी पखवाड़ा" के शुभारंभ पर शुभकामनाएं प्रेषित की और बल के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों से स्वेच्छा व समर्पित भावना से राजभाषा नीति को गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों से स्वयं हिंदी में अधिकाधिक कार्य कर अपने अधीनस्थों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने की अपील की। साथ ही यह आशा व्यक्त भी की कि सभी इस संवैधानिक दायित्व का पालन पूर्ण निष्ठा एवं लगन से करते रहेंगे।

2. राजभाषा हिंदी में सरकारी काम-काज को प्रोत्साहित करने एवं इसके प्रति अधिकारियों एवं कर्मचारियों में रुचि पैदा करने के लिए हिंदी पखवाड़े के दौरान राजभाषा हिंदी संबंधी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं ।

हिंदी पखवाड़े का "पुरस्कार वितरण समारोह" "हिंदी दिवस" के दिन अर्थात् 14 सितम्बर, 2006 को आयोजित किया गया। महानिदेशक, भा.ति.सी. पुलिस बल के शासकीय दौरे पर दिल्ली से बाहर होने के कारण, समारोह के मुख्य अतिथि श्री आर.आर. भटनागर, भा.पु.से., ने "हिंदी दिवस" के अवसर पर माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज वि. पाटील द्वारा जारी संदेश से सभी को अवगत कराया। इसके बाद, पुरस्कृत कर्मियों द्वारा हिंदी में कंठस्थ सस्वर कविता पाठ किया गया। तत्पश्चात् मुख्य अतिथि ने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार, प्रमाणपत्र तथा सहायक साहित्य भेंट किया। इसके अलावा, हिंदी में टिप्पण एवं आलेखन (नोटिंग/ड्राफ्टिंग) को बढ़ावा देने के लिए लागू प्रोत्साहन योजनाओं के विजेताओं को भी प्रमाणपत्र एवं सहायक साहित्य वितरित किया गया।

इसके साथ ही उन्होंने भा. ति. सी. पुलिस निदेशालय के अनुभागों/शाखाओं में सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में एक स्वस्थ्य प्रतियोगिता की भावना पैदा करने के लिए लागू "विभागीय राजभाषा चलशील्ड प्रतियोगिता" के तहत बड़े अनुभागों में "अभियांत्रिकी अनुभाग" और छोटे अनुभागों में "पशुचिकित्सा शाखा" के प्रभारी अधिकारियों को अपने-अपने वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर "विभागीय राजभाषा चलशील्ड", प्रमाणपत्र तथा बृहत प्रशासन शब्दावली की एक-एक प्रति प्रदान की गईं ।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में हिंदीतर भाषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को अपनी हार्दिक बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में और अधिक प्रतियोगी भाग लें जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो और अधिकाधिक प्रतियोगी पुरस्कृत हों। उन्होंने हिंदी में काम-काज करने की मानसिकता बनाने की अपेक्षा प्रकट की और सरकारी काम में हिंदी के सरल एवं सुबोध शब्दों के प्रयोग पर बल दिया ।

मुख्यालय, मुख्य अभियंता, सेवक परियोजना, पिन-931 714, द्वारा 99 सेना डाकघर

दिनांक 01 सितम्बर से 14 सितम्बर 2006 तक हिंदी दिवस/पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस/पखवाड़े का उद्घाटन परियोजना के मुख्य अभियंता महोदय, ब्रिगेडियर बी डी पांण्डे, सेना मंडल ने दिनांक 01 सितम्बर 2006 को 10.30 बजे दीप जलाकर किया।

इस दौरान तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला, हिंदी तथा हिंदीतर भाषी (अन्य भाषा-भाषी) कर्मचारियों के लिए हिंदी से संबंधित हिंदी निबंध, हिंदी नोटिंग/ड्राफ्टिंग, हिंदी टंकण तथा हिंदी में अधिक काम का अलग-अलग आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के दोनों ग्रुप में प्रथम, द्वितीय तृतीय तथा सांत्वना पुरस्कार के पात्र प्रतियोगियों को समापन समारोह के दौरान 14 सितम्बर 2006 को ब्रिगेडियर बी. डी. पांण्डे, सेना मंडल, मुख्य अभियंता, सेवक परियोजना ने नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए।

इस अवसर पर मुख्य अभियंता महोदय ने कहा कि "हिंदी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करने का उद्देश्य हिंदी में काम को बढ़ाना है। हिंदी में सरकारी काम करने की लगन को पूरे साल बनाए रखें तथा अपना अधिक से अधिक दैनिक कार्य हिंदी में करने की पूरी कोशिश करें तभी इस प्रकार के आयोजनों को सफल माना जा सकेगा।"

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा

14 सितंबर 2006 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन परंपरागत रूप से पर्याप्त उत्साह एवं सोल्लास संपन्न किया गया। इस आयोजन को स्थाई स्मृति प्रदान करने के लिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संयंत्र के महा-प्रबंधक एवं राभाकास के अध्यक्ष महोदय श्री ए. भौमिक तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों ने संयंत्र क्षेत्र में पौधारोपण किया। इस आयोजन की उल्लेखनीय विशेषता अधिकारियों/कर्मचारियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। संपूर्ण कार्यक्रम की व्यवस्था प्रशासन अधिकारी श्री आर.पी. आचार्य के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुई ।

महाप्रबंधक महोदय श्री भौमिक ने अपने संदेश में कर्मचारियों में राजभाषा के प्रचार-प्रसार की प्रेरणा देते हुए अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करने का आग्रह किया। यूरोप का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यूरोप के सभी देशों की रचना भाषा के आधार पर हुई है।

इजराइल का उल्लेख करते हुए उन्होंने व्यक्त किया कि जब यहूदी लोग वहां आए तो उनकी भाषाएं भिन्न थी परंतु एक भाषा अपनाते हुए आज हिब्रू उनकी एकमात्र मात्रा बन गई है। इसी प्रकार हम भी हिंदी को भारत की एक भाषा बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से करनी होगी। धीरे-धीरे ही सही हम मंजिल की ओर बढ़े तो लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष रूप से झिझक छोड़कर हिंदी में कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विदेशों से संपर्क की भाषा अंग्रेजी हो सकती है परंतु हिंदी हमारी राजभाषा के साथ-साथ कार्यरूप में भी परिलक्षित

होनी चाहिए तथा इसके लिए सभी के सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़ कर भाग लेने के आह्वान तथा आयोजन की सफलता की कामना करते हुए उन्होंने अपना भाषण संपन्न किया।

आकाशवाणी केंद्र, नगांव (असम)

14 सितंबर 2006 को "हिंदी दिवस" पालन किया गया जिसमें समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा अपने-अपने विचार और सुझाव दिये।

सभापति के भाषण में, आकाशवाणी केंद्र के सहायक केंद्र निदेशक श्री अवंनी रंजन पाठक ने सभी कर्मचारियों को सरकारी कामकार्य हिंदी में करने का अनुरोध किया।

मुख्य अतिथि के रूप में दूरदर्शन केन्द्र, नगांव के सहायक अभियंता श्री प्रवीण भाटिया ने कहा कि हिंदी सीखने के बहुत तरीके हैं जैसे हिंदी सिनेमा, दैनिक अखबार इत्यादि।

केंद्र के कार्यक्रम निष्पादक श्री जीवन चन्द्र शर्मा ने आकाशवाणी के इतिहास और हिंदी भाषा का प्रयोग सम्बन्धी जानकारी दी।

केंद्र के हिंदी प्रभारी और कार्यक्रम निष्पादक (इंचार्ज) श्री सुमित चक्रवर्ती ने हिंदी दिवस के सुअवसर पर सभी को हिंदी में बोलने और लिखने के लिए संकल्प करने का अनुरोध किया।

अंत में केन्द्र के सहायक अभियंता श्री शम्भू शर्मा ने समस्त उपस्थितजनों का आभार व्यक्त कर इस आयोजन को सफल बनाने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किये।

आकाशवाणी पणजी (गोवा)

भारतीय भाषाओं के विकास पर केंद्रित हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन 4 सितंबर 2006 को केंद्र निदेशक श्री के. राजन ने किया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए श्री राजन ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य की रचना हुई है जो हमारी उदात्त संस्कृति का परिचय देते हैं। श्री राजन ने प्रचार माध्यम के रूप में आकाशवाणी पणजी के प्रसारण मे हिंदी और कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी के उत्तम प्रयोग पर प्रकाश डाला।

हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण-आलेखन, हिंदी टाइपिंग और हिंदी सुलेख प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। आकाशवाणी पणजी में हिंदी दिवस समारोह में अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए केंद्र निदेशक श्री के. राजन ने ये विचार रखे। "हमारी सभ्यता के उषाकाल से भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीयता के स्वर गूंज रहे हैं। हिंदी भारत सरकार तथा कई राज्यों की राजभाषा होने के साथ एक संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और विश्वभाषा के रूप में मानवता की सेवा कर रही है" हिंदी दिवस समारोह के मुख्य अतिथि श्री सुरेश अमोनकर ने भारतीय भाषाओं की एकता को चित्रित किया जिनसे विश्व में प्रेम और सद्भाव का प्रसार हो रहा है। उन्होंने अपने व्याख्यान में भारतीय भाषाओं का विकास, संत कवियों की रचनाओं में मानवतावादी मूल्यों की विवेचना की। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के मध्यकालीन संत कवियों की हिंदी रचनाओं का पाठ करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी सदियों से राष्ट्रभाषा रही है।

आकाशवाणी, पटना

14 सितम्बर, 2006 को कार्यालय के क्लब भवन में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ सरस्वती वन्दना से हुआ। इसके पश्चात् कार्यालय के हिंदी अनुवादक श्री अनूप कुमार सिन्हा ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यालय के सहायक केंद्र निदेशक श्री सुरेश पाण्डेय ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन के समय केंद्रीय तथा सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इसके राजभाषीय स्वरूप पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कार्यालयीन कामकाज को राजभाषा हिंदी में निष्पादित करने पर बल दिया। समाचार संपादक श्री अरूण कुमार वर्मा ने इस अवसर पर राजभाषा नीति पर प्रकाश डालते हुए हिंदी में अधिकाधिक कार्यालयीन कामकाज को संपादित करने का संकल्प लेने का आग्रह किया। हिंदी अनुवादक श्री अनूप कुमार सिन्हा ने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणामों की घोषणा की तथा कार्यालय के वरीयत अधिकारीगण नामत: श्री प्रदीप कुमार मित्र केंद्र निदेशक, श्री एच. के. सिन्हा अधीक्षण अभियंता, श्री अरूण कुमार वर्मा, समाचार संपादक तथा श्री रविशंकर सहायक केंद्र निदेशक के कर कमलों से प्रत्येक प्रतियोगिता वर्ग के प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। केंद्र निदेशक श्री प्रदीप कुमार मित्र ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में हिंदी भाषा की संप्रेषणीयता पर प्रकाश डालते हुए

अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी के विकास के लिए अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने की अपील की।

आकाशवाणी केंद्र, नांदेड

आकाशवाणी केन्द्र नांदेड महाराष्ट्र में दिनांक 5 सितम्बर, 2006 से 19 सितम्बर 2006 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यालय में विभिन्न कार्यक्रम, कार्यशाला एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

दिनांक 19 सितम्बर, 2006 को हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह कार्यक्रम स्मरणीय रहा। इस कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में नगर से दो महिला अतिथि श्रीमती मुंदडा एवं श्रीमती बहेती को आमंत्रित किया गया। सबसे पहले भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें समय पर भाषण देने हेतु सभी कर्मचारियों को बुलाया गया एवं विभिन्न विषय चिटठीयों के मार्फत देकर उन्हें अपने विचार भाषण के रूप में रखने को कहा गया सभी कर्मचारियों ने अपने विचार व्यक्त किए एवं प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान पाया । इसके अलावा मुख्य अतिथि ने कार्यालय में चल रही हिंदी प्रगति व्यवस्था को देखकर काफी प्रशंसा की एवं अपने भाषण में हिंदी के जन्म से लेकर आज तक की अवस्था पर विशेष दृष्टी डाली जिसे सुनकर सभी कर्मचारी मंत्रमुग्ध हो गए। केंद्र प्रमुख श्री भीमराव शेलके ने केंद्र में चल रही हिंदी प्रगति पर अपने विचार व्यक्त किया एवं साथ ही ली गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणाम भी घोषित किए ।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, प्रधान कार्यालय ने दिनांक 27 सितम्बर, 2006 को हिंदी दिवस पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। समारोह की अध्यक्षता श्री एम. बी. सामंत, महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं) ने की। कार्यक्रम के आरंभ में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. अनिल के. खंडेलवाल जी की हिंदी दिवस संबंधी सीडी प्रदर्शित की गई एवं वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम का हिंदी दिवस संबंधी संदेश पढ़ा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार, गृह मंत्रालय के सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र के प्रभारी श्री आर.एस. रावत उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में एम.एस. यूनिवर्सिटी, बड़ौदा के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. विष्णु विराट चतुर्वेदी, अतिथि वक्ता के रूप में उपस्थित रहे।

श्री एम.बी. सामंत ने स्टाफ सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा "हिंदी में कार्य करना न केवल हमारी संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि हिंदी में काम करना राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करना है।" उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी में कार्य करने में देश का विकास निहित है। इस अवसर पर उन्होंने पुरस्कार विजेताओं एवं छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले स्टाफ सदस्यों के बच्चों को बधाई दी।

मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री रावत जी ने कहा कि हाल में बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बड़ौदा को 'ख' क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी शील्ड प्राप्त हुई है तथा इसका संयोजक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस उपलब्धि हेतु विशेष रूप से बधाई का पात्र है । उन्होंने आगे बताया कि जिस तरह स्वतंत्रता दिवस लगभग 60 वर्षों से मनाया जा रहा हैं, उसी तरह हिंदी दिवस का आयोजन भी उस ऐतिहासिक दिन का स्मरण कराता है जिस दिन हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया था।

कार्यक्रम में अतिथि वक्ता के रूप में उपस्थिति एम. एस. यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष श्री विष्णु विराट जी ने कहा कि हिंदी की प्रवृत्ति लुभावनी है एवं इसमें उदारवादी चेतना निहित है। इस भाषा को तो विदेशी चैनल तक अपना रहे हैं क्योंकि हिंदी के द्वारा ही उन्हें बाजार मिल रहा है। यह सर्वाधिक बोली/समझी जाने वाली लोकतंत्र की भाषा है। उन्होंने बड़े रोचक ढंग से (कविताओं के माध्यम से) सउदाहरण हिंदी भाषा के विशाल शब्द भंडार को प्रमाणित किया।

केनरा बैंक अंचल कार्यालय, चंडीगढ़

15 अगस्त, 06 से 14 सितंबर, 2006 तक हिंदी माह मनाया गया। इस अवधि में कर्मचारियों के लिए कुल 12 आकर्षक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस का मुख्य समारोह 14 सितंबर, 2006 को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर दैनिक ट्रिब्यून के मुख्य संपादक श्री नरेश कौशल, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। श्री नरेश कौशल ने देश में भाषा की स्थिति पर प्रकाश

डालते हुए विश्वास व्यक्त किया कि "वर्तमान पीढ़ी अपने दायित्वों को समझते हुए आनेवाली पीढ़ी को भाषायी आजादी दिलवाने की दिशा में नए आयाम देगी। शब्द एक सहज प्रक्रिया है इसे जटिल बनाने का प्रयास करना भाषा को आम लोगों से दूर ले जाने का प्रयास होगा। किन्तु साथ ही भाषा की मौलिकता पर प्रहार भी उसके साथ अन्याय होता है। अत: इसका संतुलन बनाए रखना चाहिए।" केनरा बैंक द्वारा इस क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि केनरा बैंक ने अब-तब राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में विशेष नाम अर्जित किया है, आने वाले समय में भी बैंक, निश्चित रूप से नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और अन्य संस्थाओं एवं बैंकों के लिए अनुकरणीय भूमिका निभाएगा। श्री कौशल ने राजभाषा अधिकारियों का आह्वान करते हुए उन्हें समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हिंदी का प्रयोग हमें निजी संस्थाओं व विदेशी कंपनियों से सीखना चाहिए। विदेशी कंपनियां हिंदी का दोहन करके अपना लाभ कर रही हैं और हम अभी दिवस और माह मनाने में ही अपने उत्तरदायित्व को पूरा समझते हैं। हिंदी कार्यान्वयन के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है।

समारोह की अध्यक्षता केनरा बैंक के महाप्रबंधक श्री वाई एल मदान ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री मदान ने कहा कि "जन्म दिन मनाना हमारी समृद्ध परंपरा है हिंदी दिवस मनाया जाना इसी परंपरा की एक सुदृढ़ कड़ी है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। साथ ही अपेक्षा की कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर कार्यक्रम चलते रहने चाहिए जिससे कर्मचारियों में अपनी भाषा के प्रति रुचि बढ़ेगी व अपनेपन की भावना का विकास होगा। आज के इस दौर में कंप्यूटर में अधिक से अधिक हिंदी प्रयोग, इसके आधुनिक रूप को विकसित करेगा।

राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद

राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केंद्र में 7 सितंबर, 2006 से 14 सितंबर, 2006 के दौरान हिंदी सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर क्रमश: अनुवाद, श्रुत-लेखन, निबंध लेखन, आशु-भाषण, चुटकुले, जोड़ी बनाओ तथा तंबोला (संख्याओं का हिंदी में वाचन) प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिनमें वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक सभी संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया।

14 सितम्बर, 2006 को हिंदी सप्ताह का समापन समारोह संपन्न हुआ। केंद्र के निदेशक डॉ. एन. सीताराम द्वारा हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं एवं सहभागियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सहभागिता पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

डॉ. एन. सीताराम ने हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हिंदी का महत्व तो उस समय ही उजागर हो गया, जब वह स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख हथियार रही। तत्पश्चात् स्वतंत्र भारत में उसे राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि हमें शोध-परिणामों को ज्यादा से ज्यादा हिंदी में प्रकाशित करवाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कृषकों को उसका लाभ पहुंच सके। श्री महेश कुमार द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात् राष्ट्रगान के साथ समारोह संपन्न हुआ। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन श्री महेश कुमार द्वारा किया गया।

आर आर एल, जोरहाट

14 सितम्बर, 2006 को क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आरआरएल) जोरहाट के विशाल सभागार में हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। समारोह की मुख्य अतिथि डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालय के असमीयां भाषा के प्रोफेसर निराजना महंत बेजबोरा थी। श्रीमति बेजबोरा असमियां भाषा विभाग में तुलनात्मक साहित्य की प्रोफेसर हैं, इन्होंने हिंदी में एम. ए. एवं डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। वस्तुत: उन्हे हिंदी एवं असमियां दोनों भाषा एवं साहित्य का सर्वोत्तम ज्ञान है। अतिथि के रूप में इन्होंने कहा कि हिंदी भारत की भाषाई पहचान है, हमें अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए, साथ-साथ अपनी भारतीय अस्मिता और पहचान को बुलंद करने के लिए हिंदी भाषा सीखनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी को नमन करते हुए कहा कि विश्व आज एक गांव के रूप में उभर रहा है, ऐसे में अपनी पहचान खोने की चिन्ता ज्यादा हो रही है। उनके अनुसार भारत सरकार हिंदी में तकनीकी शब्दों के निर्माण एवं कार्यालयों में राजभाषा के व्यापक प्रयोग के लिये सतत प्रयत्नशील है।

अन्य वर्षों की तरह इस वर्ष भी भारत सरकार के राजभाषा नीति के तहत प्रयोगशाला में राजभाषा हिंदी के

प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य 7 से 14 सितम्बर तक राजभाषा सप्ताह मनाया गया। कार्यालयीन प्रयोग में राजभाषा हिंदी के प्रचलन को विकसित करने के क्रम में इस सप्ताह के अंतर्गत कई हिंदी प्रतियोगिताएं एवं हिंदी कार्यशाला आयोजित किए गए। कार्यालयीन स्टाफ के बीच आयोजित प्रतियोगिताओं के अंतर्गत हिंदी श्रुत लेखन एवं हिंदी लेख-लेखन आयोजित कराया गया। स्टाफ के बीच एक रुचिकर कार्यक्रम विज्ञान प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

प्रमाणपत्र एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का संचालन यहां के राजभाषा प्रभारी श्री अजय कुमार ने किया। भारत सरकार के हिंदी शिक्षण योजना द्वारा संचालित प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ अनिवार्य हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। हिंदी सप्ताह में आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में उच्चस्थ अंक प्राप्त कर्मचारियों/अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, 5/1, ग्रान्ट लेन, कोलकाता-12

हिंदी दिवस समारोह (14 सितम्बर) हर्षोल्लास से मनाया गया। सितम्बर माह के इस कार्यक्रम में सभी डिवीजनों से अनुरोध किया गया कि वे दफ्तर के काम-काज में सरल हिंदी का प्रयोग करते हुए काम बढ़ाएं।

इस अवधि में हिंदी नोटिंग/ड्राफ्टिंग, निबंध, आशु वाक् एवं अंत्याक्षरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदी में एक भव्य नारे का अनावरण एवं प्रदर्शन किया गया। साथ ही, हिंदी पत्र पत्रिकाओं की एक राजभाषा प्रदर्शनी लगाई गई।

प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए।

सैंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन आफ इंडिया लि., नई दिल्ली

कॉरपोरेशन के मुख्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर 1 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2006 तक हिंदी मास का आयोजन किया गया। भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री, वस्त्र मंत्री तथा वस्त्र सचिव द्वारा जारी संदेश की प्रतियां सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए कार्यालय में वितरित की गईं, उनके सम्मुख पढ़ी गई तथा शाखाओं को परिचालित की गईं। हिंदी दिवस के अवसर पर प्रबंध निदेशक ने एक संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने सभी कर्मचारियों से न केवल सरकारी कामकाज में बल्कि दैनिक कार्यों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करते हुए हिंदी का गौरव बढ़ाने और इसके प्रचार-प्रसार करने में अपनी महती भूमिका निभाने का आह्वान किया।

कार्यालय हिंदी मास के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया :

सभी प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार वितरण समारोह 29 सितम्बर, 2006 को सम्पन्न हुआ। कॉरपोरेशन की अध्यक्षता श्रीमती गुलशन नन्दा के कर-कमलों से पुरस्कार वितरण किए गए। समारोह में अपने संदेश में अध्यक्ष महोदया ने विजेताओं को हार्दिक बधाई दी तथा कहा कि हमें हिंदी में ही सोचना और लिखना होगा तभी हिंदी मौलिक रूप से व्यक्त की जा सकती है। उन्होंने प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों की भागीदारी को दखते हुए आशा व्यक्त की कि इस बार के प्रतिभागी और पुरस्कार विजेता अपने अन्य सभी साथियों को अगले वर्ष हिंदी प्रतियोंगिताओं में भाग लेने को प्रेरित करेंगे और हिंदी में कार्य करने की अपनी निरंतरता बनाए रखेंगे।

समारोह में विजेताओं के अतिरिक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य प्रतियोगिताओं के निर्णायक तथा हिंदी कक्ष के कर्मचारी सम्मिलित हुए। इस प्रकार हिंदी मास, 2006 का आयोजन हर्षोल्लास एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को-द-गामा

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के कर्मचारी कल्याण केंद्र कक्ष में दिनांक 12 सितम्बर, 2006 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया।

ले. कर्नल. टी.एम.शर्मा, उप महाप्रबंधक (प्रशा) ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया तथा उन्होंने हिंदी के महत्व के बारे में संक्षिप्त में बताया। श्री एस.बी. प्रभुदेसाई, सहा प्रबंधक (राजभाषा) ने गोशिलि में संपन्न हिंदी कार्यकलापों

के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। समारोह के अवसर पर भाषण देते हुए श्री जे. आर. एन. डायस महाप्रबंधक (का. एवं प्र.) ने हिंदी दिवस मनाने के महत्व के बारे में बताया ।

कमां. एच. सी. गांधी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन तथा वृद्धि करने हेतु अच्छा वातावरण बनाए रखना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा महत्व हिंदी को देना चाहिए एवं कार्यालयीन कार्यों में इसका उपयोग करना चाहिए।

श्री वी. के. झा अपने भाषण में हिंदी दिवस मनाने का कारण, इसके महत्व आदि के बारे में बताया और कहा कि, लोग अपने कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों के साथ सरल हिंदी में बातचीत शुरू करनी चाहिए एवं अपने हस्ताक्षर हिंदी में करना चाहिए। हिंदी अन्य भाषाओं से बहुत सरल है एवं अब हिंदी का उपयोग करने दृढ़ संकल्प लेने का समय आ गया है।

डा. बी. के. शर्मा ने कहा, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इसका आदर करना चाहिए। हमें इसका उपयोग सरकारी तौर पर करना चाहिए एवं धीरे-धीरे हिंदी में पत्रचार के स्तर को बढ़ाना चाहिए।

पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि., गुवाहाटी

दिनांक 18-9-2006 का क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया । निगम की प्रबंध निर्देशक श्री आर. एस. चामकुम, ने दीप प्रज्वलित कर परंपरागत ढंग से हिंदी दिवस समारोह उद्घाटन किया। इस समारोह के दौरान "राष्ट्रीय एकता" के विषय पर भाषण, भजन, और संगीत परिवेषन किया गया । इस कार्य सूची में निगम के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया । कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नगद राशि से प्रोत्साहित किया गया।

उपरोक्त कार्यक्रम के बाद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि कार्यालय में पूरी निष्ठा के साथ अधिक से अधिक कार्य राजभाषा हिंदी में निष्पादन करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगा।

समारोह के अंत में प्रबंध निदेशक ने अपने वक्तव्य में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते सरकारी नियमों को पालन करने में प्राथमिकता देनी चाहिए। कार्यालय में ज्यादा से ज्यादा काम राजभाषा हिंदी में होना चाहिए । राजभाषा हिंदी में काम करना इच्छा-अनिच्छा की बात नहीं है। ये राष्ट्रीय भावना और एकता पर जुड़े हुए संविधान की मर्यादा से है। फिर उन्होंने आशा व्यक्त किया कि पूरे वर्ष में सभी कर्मचारी हिंदी में काम करने में रुचि लेकर काम करेंगे और अगली बार ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी हिंदी समारोह में भाग लेकर राजभाषा को आगे लाने में सहयोग करेंगे।

क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय रेशम बोर्ड, 342-347 (दूसरा तल) ए-विंग, अगस्त क्रान्ति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

दिनांक 11-09-2006 को हिंदी सप्ताह का प्रारम्भ प्रात: 11.00 बजे कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में किया गया। सप्ताह प्रारम्भ समारोह का संचालन श्री आर.डी. सिंह, उप सचिव (तक.) ने किया तथा इसमें संयुक्त सचिव (तक.) सहित कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्री आर.डी. सिंह, उप सचिव (तक.) ने समारोह प्रारम्भ करते हुए सभी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत किया तथा हिंदी सप्ताह के कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। श्री कुलदीप राज शर्मा, संयुक्त सचिव (तक.) एवं अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय रेशम बोर्ड, नई दिल्ली ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि राजभाषा हिंदी भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में संपर्क और संप्रेषण की भाषा के रूप में कार्य कर रही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सरकारी कार्यालयों में इसे ही कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकारा तथा भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के साथ-साथ राजभाषा का दर्जा किया । देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में भी हिंदी के माध्यम से जनसाधारण में चेतना का संचार हुआ जिसके परिणामस्वरूप लोगों ने एक जुट होकर न केवल स्वतंत्रता का स्वप्न देखा अपितु उसे साकार भी किया। आवश्यकता है कि अपने दैनिक सरकारी कार्य के साथ साथ अपने सभी कार्यक्षेत्रों में इसका अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करते हुए इसका गौरव बढाऐं।

केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर (प.बं.)

दिनांक 1-9-2006 से 14-9-2006 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। दिनांक 14-9-2006 को हिंदी पखवाड़ा का मुख्य समारोह का आयोजन किया गया ।

दिनांक 1-9-2006 को हिंदी पखवाड़ा का शुभारम्भ किया गया । दिनांक 2-9-2006 को शब्दावली प्रतियोगिता, दिनांक 4-9-2006 को निबध प्रतियोगिता, दिनांक 5-9-2006 को टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिता, दिनांक 6-9-2006 को सुलेख एवं श्रुतिलेख प्रतियोगिता, दिनांक 7-9-2006 को वाद-विवाद प्रतियोगिता, दिनांक 8-9-2006 को कविता-आवृत्ति प्रतियोगिता, दिनांक 11-9-2006 को वाक् प्रतियोगिता (ग्रुप डी के लिए) एवं दिनांक 12-9-2006 को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता में औसत 25-26 अधिकारियों/ कर्मचारियों ने भाग लिया। हिंदी पखवाड़ा का मुख्य समारोह एवं भारतीय भाषाओं का सौहार्द दिवस दिनांक 14-9-2006 को मनाया गया।

मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए श्री एस.सी.लाल, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय, बहरमपुर ने कहा कि हिंदी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो सभी को एक सूत्र में बांधे रखती है। यह हमारी राष्ट्रभाषा है और इसकी विशिष्टता है कि यह आसानी से बोली और समझी जा सकती है। अत: उन्होंने सभी को अपने कामकाज में हिंदी को अपनाने की अपील की । इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श्री अरुण कुमार सिंह, द्वितीय कमान, 62 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, रोशनबाग, मुर्शिदाबाद एवं श्री जी. के. मिश्रा, प्राचार्य नवोदय विद्यालय, बहरमपुर हिंदी को सरल व सहज बताते हुए यह उद्गार व्यक्त किया कि हिंदी एक संपर्क भाषा है जो सभी भाषाओं को एक साथ जोड़ती है। हिंदी के विकास के लिए अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को भी यथावत् अपनाने में हमें कोई हिचक नहीं होना चाहिए।

इस अवसर पर संस्थान के श्री रामवृक्ष चौधरी, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने राजभाषा गतिविधियों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (वर्ष 2005-2006) भी प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने रिपोर्ट में संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम, धारा-3 (3) का अनुपालन एवं लक्ष्य से अधिक पत्राचार किए जाने की सूचना दी। साथ ही सभी से लगन एवं रुचि से सहयोग एवं कार्य करने का अनुरोध भी किया ताकि हिंदी के प्रचार-प्रसार को अधिक बल मिल सके।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर

राजभाषा पखवाड़ा 1 सितम्बर से 14 सितम्बर, 2006 तक हर्षोल्लास, के साथ मनाया गया।

दिनांक 4-9-2006 को हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कुल 12 प्रतिभागियों ने भाग लिया । दिनांक 6-9-2006 को हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कुल 14 प्रतिभागियों ने भाग लिया। दिनांक 8-9-2006 को वाक् प्रतियोगिता तथा दिनांक 12-9-2006 को अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

दिनांक 14-9-2006 को क्षेत्रीय निदेशक श्री सुभाष चन्द्र चक्रवर्ती की अध्यक्षता में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया।

उक्त विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि महोदय के कर-कमलों द्वारा नकद पुरस्कार प्रदान किए गए । इसके उपरान्त निगम के क्षेत्रीय निदेशक श्री सुभाष चन्द्र चक्रवर्ती ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि राजभाषा के आसन पर प्रतिष्ठित होने के साथ ही हिंदी संपूर्ण भारतवर्ष की संपर्क भाषा है तथा हिंदी के बगैर भारत आगे प्रगति नहीं कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों से अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने का आह्वान किया।

मुख्य अतिथि क्राइस्ट चर्च डिग्री कालेज, कानपुर की प्रवक्ता डॉ. सुजाता चतुर्वेदी ने इस अवसर पर अपने वक्तव्य की शुरुआत 'हिंदी है हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा' पंक्ति से करते हुए कहा कि चाहे हम लाख हिंदी दिवस या पखवाड़े मना लें परन्तु जब तक यह भावना मन में नहीं आएगी, हिंदी का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर विशेष चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि देवनागरी लिपि अपनी वैज्ञानिकता के कारण ही संसार की अन्य लिपियों की तुलना में सहज व असानी से सीखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम हिंदी भाषी हैं। अंत में, वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि यह युग वैश्वीकरण का है। अत: सभी भाषाएं जानते हुए भी हमें अपनी भाषा एवं संस्कार को सुरक्षित रखना चाहिए तथा अपनी भाषा बोलने या लिखने में हमें किसी की शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। ■

संगोष्ठी/सम्मेलन

केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, कोलकाता

बैंक के शताब्दी वर्ष के सिलसिले में केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, कोलकाता ने भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व क्षेत्र) के मार्गदर्शन में 24 अप्रैल 2006 को कोलकाता में एक "राजभाषा सेमीनार" आयोजित किया ।

"राजभाषा कार्यान्वयन–नई नज़र, नई डगर" विषय पर आयोजित इस सेमीनार में कोलकाता, भुवनेश्वर, दुर्गापुर तथा दिल्ली स्थित विभिन्न बैंकों, उपक्रमों, भारत सरकार के कार्यालयों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सदस्य-सचिवों सहित लगभग 25 प्राधिकारियों ने अपने पर्चे प्रस्तुत किए ।

दीप प्रज्ज्वलन और केनरा बैंक के संस्थापक श्री अम्मेबाल सुब्बाराव पई के चित्र के माल्यार्पण के साथ सेमीनार का उद्घाटन श्री अनिल गिरोत्रा, महाप्रबंधक, केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, कोलकाता ने किया । अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री अनिल गिरोत्रा ने बैंक के सौ वर्ष पूरे होने के सुअवसर पर राजभाषा से जुड़े इस आयोजन को समीचीन मानते हुए बताया कि केनरा बैंक अपने शुरुआती वर्षों से ही ग्राहकों के साथ जुड़ने के लिए हिंदी का प्रयोग करता आ रहा है ।

अपने अध्यक्षीय संबोधन के पश्चात् श्री अनिल गिरोत्रा ने "राजभाषा कार्यान्वयन–नई नज़र, नई डगर" विषय पर पॉवर पाइंट के माध्यम से अपना पर्चा प्रस्तुत करते हुए बैंकिंग के संदर्भ में अपना पक्ष रखा और बताया कि बैंकिंग सेवा को ज्यादा-ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हिंदी की जरूरत है, हिंदी अच्छी ग्राहक सेवा के लिए बहुत जरूरी है और वर्तमान में हिंदी को मार्केटिंग तथा टेकनालॉजी से जोड़ कर सफलता पाई जा सकती है ।

मुख्य अतिथि श्री वी. पी. गौड़, उपनिदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, (पूर्व क्षेत्र) कोलकाता ने अपने शताब्दी वर्ष पर राजभाषा सेमीनार आयोजित करने के लिए केनरा बैंक की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए हर्ष व्यक्त किया कि पूर्व क्षेत्र में पहली बार बैंक, उपक्रमों और सरकारी कार्यालयों को एक मंच पर लाने के उनके विचार को बहुत ही अल्प समय में मूर्त रूप देकर केनरा बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है, उन्होंने प्रतिभागियों से सेमीनार के विषय पर गम्भीर चिन्तन व मनन का आग्रह किया ।

विशिष्ट वक्ता के रूप में अपने विचार रखते हुए श्री आर. सी. सक्सेना, डी आई जी, बी एस एफ ने बल दिया कि राजभाषा कार्यान्वयन की नई नज़र और नई डगर नई पीढ़ी को हिंदी सिखाने में निहित है ।

इसी मत को आगे बढ़ाते हुए युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे नेहरू युवा केंद्र, नई दिल्ली के श्री राजेश कुमार जादोन ने युवा शक्ति में ही भारत के भविष्य की बात कही और विचार व्यक्त किया हिंदी का भविष्य भी देश के युवावर्ग के हाथों में है ।

श्री बनबिहारी साहू, भारतीय स्टेट बैंक, भुबनेश्वर तथा सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) भुबनेश्वर ने अपने विचार रखते हुए कहा कि राजभाषा के नियमों के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए ।

श्री नन्द कुमार मिश्र, दुर्गापर स्टील प्लांट, दुर्गापुर तथा सदस्य-सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दुर्गापुर ने राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन की तकनीक निर्धारित करने पर बल दिया ताकि राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारी एक विशेषज्ञ के रूप में एक समान और एक ही पद्धति को अपनाते हुए कार्यान्वयन का कार्य कर सकें ।

श्री के. एन. यादव, स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया, कोलकाता तथा सदस्य-सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन

समिति (उपक्रम), कोलकाता ने हिंदी के बदलते स्वरूप को अपनाने को हिंदी की सफलता से जोड़ा ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा, आंध्रा बैंक, कोलकाता ने कहा कि "तकनीक हमें बदलेगी" । हिंदी–क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग बिना बैंकों का काम संभव नहीं है ।

सुश्री मलीना भट्टाचार्य, बी एस एन एल, कोलकाता ने राजभाषा कार्यान्वयन की सफलता में उच्चाधिकारियों की भूमिका को अहम मानते हुए, उन्हें राजभाषा नियमों से बखूबी प्रशिक्षित कराने की जरुरत पर बल दिया ।

चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, सुश्री सुस्मिता भट्टाचार्य, अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, (पूर्व क्षेत्र), कोलकाता ने राजभाषा कार्यान्वयन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तारीक और फटकार दोनों ही को जरुरी बताया ।

सुश्री गायत्री चक्रवर्ती, एंड्रू यूल एंड कं. लि., कोलकाता ने अनुवाद पर निर्भरता को कम से कम करने की जरुरत पर बल दिया ।

श्री क्षेत्र पाल शर्मा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कोलकाता ने अपने विचार रखते हुए कहा कि राजभाषा नियमों की जानकारी को अधिकाधिक सरकारी कर्मचारियों के बीच प्रचारित किए जाने की आवश्यकता है ।

श्री मणिशंकर त्रिपाठी, बीको लॉरी लि., कोलकाता ने कहा कि सरकारी कामकाज में सरल हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की जरुरत है ।

सुश्री वंदना जैन, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोलकाता ने भी ऐसी हिंदी के प्रयोग पर बल दिया जो दूसरों को आसानी से समझ में आ सके ।

डॉ जगदीश लाल, आकाशवाणी, कोलकाता ने कहा कि सकारात्मक सोच में ही राजभाषा कार्यान्वयन की सफलता निहित है ।

श्री राजेन्द्र पंडित, राइफल फैक्ट्री, इछापुर ने हिंदी को रोजी-रोटी से जोड़ने पर बल दिया ।

श्री नवीन कुमार प्रजापति, दामोदर वैली कार्पोरेशन, कोलकाता ने भी हिंदी के प्रयोग में आसान से आसान शब्दों के इस्तेमाल पर बल दिया ।

श्री प्रमोद कुमार मदान, सिंडीकेट बैंक, कोलकाता ने राजभाषा कार्यान्वयन को राष्ट्रीय सेवा योजना (एन एस एस) के नियम "तुम नहीं–मैं" से जोड़ते हुए, हिंदी का प्रयोग पहले "तुम नहीं मैं करुंगा" का मत प्रस्तुत किया ।

श्री प्रभु प्रसाद साव, स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया, कोलकाता ने भी अनुवाद के बजाय रोजमर्रा उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी के ही अधिकाधिक प्रयोग की बात कही ।

श्री टी आर आर्य, भारतीय खाद्य निगम, कोलकाता ने भी उच्चाधिकारियों को राजभाषा कार्यान्वयन की आवश्यकता समझने को जरुरी बताया ।

श्री राजेश चतुर्वेदी, भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता ने भी आम बोलचाल की भाषा को ही कामकाज की भाषा बनाने का विचार रखा ।

श्री ओमप्रकाश एन एस, केनरा बैंक, भुबनेश्वर ने अपने विचार रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने में ही नए रास्तों की बात कही ।

श्री एस डी ओझा, बीएसएफ, कोलकाता तथा श्री आशुतोष प्रसाद, पंजाब नेशनल बैंक, कोलकाता ने भी चर्चा में भाग लेते हुए कंप्यूटरीकरण और तकनीक में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की बात कही ।

सेमीनार के अंत में श्री के वी प्रभाकर राव, सहायक महाप्रबंधक, केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, कोलकाता ने सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए और सेमीनार को सफल बनाया, श्री राव ने उन संस्थाओं के प्रति भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने अपने प्रतिभागियों को सेमीनार में उपस्थित रहने की अनुमति देकर केनरा बैंक का मान बढ़ाया ।

सेमीनार की कार्रवाई का संचालन श्री निरुपम शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक, केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, कोलकाता ने किया ।

केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर-1

केनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जयपुर के तत्वावधान में राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया । संगोष्ठी का विषय "विज्ञापनों में हिंदी का स्वरूप–बैंकिंग के परिप्रेक्ष्य में" रहा । संगोष्ठी में सर्वप्रथम सहायक महाप्रबंधक श्री सी रमेश ने उपस्थित मीडिया जगत की हस्तियों, राजस्थान के नामी कवि और हिंदी के प्रखंड पंडितों तथा अध्यक्ष, बैंक नराकास जयपुर को शाल पहना कर सम्मानित किया । अपने स्वागत भाषण में उन्होंने कहा कि टालिक ने जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है उसके उत्तर में इस राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया है । उन्होंने उपस्थित मुख्य अतिथि राजस्थान के जाने माने कवि एवं चिंतक श्री विजेंद्र और अन्य विचारकों का स्वागत करते हुए केनरा बैंक द्वारा राजस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में प्रभावी कदमों की जानकारी दी । मुख्य अतिथि एवं सभा के अध्यक्ष ने अपनी अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में अलग अलग वर्ग और अलग–अलग भाषाएं हैं । हमें जिस भाषा को संवारना है या जीवंत भाषा को तलाशना चाहते हैं तो हमें सभी वर्गों-समूह को समझना होगा । वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा श्री रमेश चंद ने सर्वप्रथम चर्चा के लिए अपना पेपर प्रस्तुत किया जिसमें संगोष्ठी के मूल विषय "विज्ञापनों में हिंदी का स्वरूप–बैंकिंग के परिप्रेक्ष्य में" पर उपस्थित विद्वानों के लिए आधार मिला कि इस बदलते परिवेश में हम किस भाषा का प्रयोग करें । क्या हिंदी के इस नए रूप से हमारे देश का सामाजिक माहौल तो नहीं बिगड़ रहा । समाचार जगत में या विज्ञापनों में जो हिंदी देखने को मिल रही है उससे भाषा के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा ।

सर्वप्रथम जोधपुर के जयनारायण विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉ सूरज पालीवाल ने अपने संबोधन में विज्ञापनों द्वारा हिंदी को तोड़ने के कुचक्र की बात कही । उन्होंने कहा कि बोलचाल की भाषा को खत्म किया जा रहा है और उस पर अंग्रेजियत हावी हो रही है । उन्होंने भाषा की संवेदनशीलता को बचाते हुए उसकी रचनात्मकता को बढ़ाने की बात कही जिससे सरलता और सहजता के साथ हम अभिव्यक्त कर सके क्योंकि भाषा के साथ रचनात्मकता और संवेदनशीलता बहुत जरूरी है । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से जातीय संस्कारों और बोलचाल की भाषा को नष्ट किया जा रहा है । भूमंडलीयकरण भाषा, संस्कृति और इतिहास को रौंद रहा है ।

दैनिक राजस्थान पत्रिका के डिप्टी संपादक श्री शाहिद मिर्जा ने कहा कि विज्ञापन का संबंध बिक्री से है । विज्ञापन की भाषा वैश्वीकरण की भाषा बन गई है जिससे उपभोक्ताओं को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया जा रहा है । वैश्वीकरण से उपभोक्तावाद हावी हो गया है । भाषा के मायाजाल से उपभोक्ताओं को मूर्ख बनाया जा रहा है । उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों की बात मन को कचोटती है फिर भी हमें अपनी तहजीव और संस्कृति को बचाते हुए भारतीय माता जिंदा रखने की बात के लिए भी सोचना होगा । वरिष्ठ पत्रकार प्रेमचंद गांधी ने, एसबीबीजे के अनिल टॉक, राजकीय महाविद्यालय अलवर के प्रोफेसर डॉ जीवन सिंह संपादक दैनिक भाष्कर श्री राजेंद्र बोहरा ने भी अपने-अपने विचार विज्ञापन में हिंदी के स्वरूप पर रखे ।

संगोष्ठी में यह बात निष्कर्ष के रूप में उभर कर सामने आई कि उपभोक्तावादी संस्कृति में भाषा का अवमूल्यन हो रहा है । अब परंपरागत भाषा को छोड़कर भाषा के नए स्वरूप को चुनने और अपनाने की आवश्यकता है । केनरा बैंक के शताब्दी वर्ष के विज्ञापन पर सभी विचारकों ने प्रसन्नता जाहिर की किंतु दैनिक भाष्कर के संपादक श्री राजेंद्र बोहरा ने कहा कि हमें अनुवाद की भाषा से बचना होगा । अपने अध्यक्षीय निचोड़ में श्री विजेंद्र ने कहा कि समाज भाषा को ग्रहण करता है । वह निरर्थक शब्दों को स्वीकार ही नहीं करता । साहित्य से सृजनशील भाषा सामने आ रही है इसलिए विज्ञापनों की भाषा से घबराने की बात नहीं है । सृजनशील भाषा समाज में हमेशा जीवन्त रहेगी । हिंदी में बहुत समर्थ है ।

इस संगोष्ठी का सफल संचालन केनरा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा श्री रमेश चंद और नराकास जयुपर के सदस्य सचिव डॉ हरियश राय ने किया ।

विजया बैंक, राजभाषा प्रभाग, प्रधान कार्यालय, बेंगलूर

विजया बैंक प्रधान कार्यालय में बैंक के राजभाषा अधिकारियों का सम्मेलन दि. 24-7-2006 से दि. 25-7-2006 तक संपन्न हुआ । सम्मेलन का उद्घाटन बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री प्रकाश पी. मल्या ने किया । श्री हरिप्रकाश शेट्टी, महा प्रबंधक (राजभाषा) ने अपने स्वागत भाषण में सभा का स्वागत किया । इस अवसर पर बैंक के अध्यक्ष महोदय ने हिंदी-भाषी प्रयोग पर बल देते हुए आग्रह किया कि बैंकिंग की मुख्य धारा से संबंधित कार्यों की अद्यतन जानकारी सदा प्राप्त करते हुए शाखा के प्रत्येक अनुभाग व प्रशासनिक कार्यालय के हर स्थान पर हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में राजभाषा अधिकारी अपना कर्मठ योगदान सुनिश्चित करें । उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि राजभाषा अधिकारी बैंक की पुस्तक-लेखन-पुरस्कार योजना का फायदा उठाते हुए बैंकिंग विषय पर मौलिक हिंदी पुस्तक लिखें । उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राजभाषा अधिकारी दिल और दिमाग लगाकर काम करेंगे और प्रतिष्ठित इंदिरागांधी राजभाषा शील्ड प्राप्त करेंगे । अखिल भारत स्तर के इस वार्षिक सम्मेलन में राजभाषा अधिकारियों को संबोधित करते हुए बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री टी. वल्लियप्पन ने अपना अभिमत व्यक्त किया कि सरल और सुबोध हिंदी का प्रयोग होना बहुत ही जरूरी है । इसी अवसर पर हिंदी भाषा को अपनी मातृभाषा के परिप्रेक्ष्य में ठीक-ठीक समझने की आवश्यकता पर भी उन्होंने प्रकाश डाला । उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि राजभाषा हिंदी बैंकिंग क्षेत्र में और लोकप्रिय होगी । बैंक में हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है श्री एन. गोपाल शेट्टी, सहायक महा प्रबंधक ने, संवैधानिक अपेक्षा के परिप्रेक्ष में सन् 1980 में ही राजभाषा अनुभाग का सृजन हो जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने गत 26 वर्षों में हुई प्रगति का संक्षिप्त परिचय देते हुए वर्तमान में बैंक द्वारा 'ख' व 'ग' क्षेत्र में पत्राचार लक्ष्य प्राप्त हो जाने में कर्मचारियों के योगदान से सभी को अवगत कराया । प्रशिक्षण-पक्ष पर उन्होंने कहा कि 'क' व 'ख' क्षेत्र में कार्यरत सभी कर्मचारियों को कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है ।

सम्मेलन के उत्तरार्ध के समीक्षा-सत्र में निष्पादन-समीक्षा के साथ-साथ पत्राचार, आंतरिक कामकाज, प्रशिक्षण महाविद्यालय में हिंदी-प्रयोग, कंप्यूटरीकृत शाखाओं द्वारा हिंदी-प्रयोग आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा के दौरान अपने अभिमत प्रकट करने हेतु उन्होंने राजभाषा अधिकारियों से आग्रह किया ।

श्रीमती गोरी, वी.एम., प्रबंधक (राजभाषा) ने उपस्थित सभी भाषा-प्रेमी व सेवकों के प्रति आभार प्रकट किया ।

सूचना प्रौद्योगिकी विषयक राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून के राजभाषा अनुभाग तथा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में संस्थान में आयोजित सूचना-प्रौद्योगिकी विषयक राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया । इस अवसर पर समारोह के अध्यक्ष के रूप में बोलते हुए प्रो. सूरजभान सिंह, पूर्व अध्यक्ष, वै. त. श. आयोग ने कहा कि कंप्यूटर के इस युग में भाषा के मानदंड तथा शब्दावली निर्माण के सिद्धांत टूट रहे हैं । इसका कारण यह है कि कंप्यूटर में मानकीकृत, एकार्थी और एकरूप लिपि वाली भाषा व शब्दावली की आवश्यकता होती है । अंग्रेजी अपनी इसी विशेषता के कारण विश्व-भाषा बनी है । भाषा में अब शब्द सरलता की अपेक्षा करते हैं चूंकि कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयोक्ता ही केंद्र बिंदु है । इस युग में भाषा को मनुष्य के साथ-साथ मशीन की मागों को भी पूरा करना है । प्रो. सूरजभान ने भाषा और कंप्यूटर विज्ञान के संयोग से जन्मे नए विज्ञान अर्थात् 'कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स' की भी चर्चा की ।

समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रो. शंकर बुंदेले, अध्यक्ष हिंदी विभाग, अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती ने भाषा के प्रयोजनमूलक स्वरूप को केंद्र बिंदु बनाते हुए कहा कि

इस रूप में भाषा को मस्तिष्क की भाषा बनना होता है, न कि हृदय की भाषा । इसलिए संप्रेषणीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए । उन्होंने कहा कि देखा गया है कि हिंदी सॉफ्टवेयरों की उपलब्धता के बारे में अज्ञान के कारण हिंदी का प्रयोग पिछड़ा है और इस संगोष्ठी में ऐसे सॉफ्टवेयरों की जानकारी दी जाएगी ताकि लोग उनके प्रयोग के प्रति प्रेरित हों । उन्होंने यह भी कहा कि भापेसं द्वारा प्रकाशित 'विकल्प' पत्रिका को उनके विश्वविद्यालय में अनुवाद के पाठ्यक्रम में एक उदाहरण-सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ।

संगोष्ठी के संयोजक एवं संस्थान के वरिष्ठ हिंदी अधिकारी डॉ. दिनेश चमोला ने कहा कि हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के ज्ञान-विज्ञान के संप्रेषण के माध्यम से ही भारतीय आत्मा व जन-मानस तक पहुंचा जा सकता है । आज अभिव्यक्ति व शब्दावली के रूप में हिंदी भाषा में पर्याप्त सामर्थ्य है कि वह विश्व की भाषाओं से होड़ ले । आवश्यकता प्रभावी तरीके से अपने विषय को हिंदी व भारतीय भाषाओं में रखने की है ।

आयोग के वैज्ञानिक अधिकारी श्री दीपक कुमार ने शब्दावली के मानकीकरण और सभी विज्ञानों, विशेषत: इंजीनियरी, चिकित्सा और कृषि विज्ञान के क्षेत्रों के ज्ञान को हिंदी में उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे आयोग के प्रयत्नों की जानकारी दी । उन्होंने बताया कि कार्यशालाओं व संगोष्ठियों के माध्यम से मानकीकृत शब्दावली के प्रयोग का मार्ग ढूंढा जाता है । आयोग अन्य भारतीय भाषाओं में शब्दावली निर्माण के लिए भी प्रयासरत है ।

तकनीक सत्रों में प्रो. आर पी श्रीवास्तव, पूर्व डीन, बिहार विश्वविद्यालय, प्रो. शंकर बुंदेले, डीन, अमरावती विश्वविद्यालय, डॉ. सुरेंद्र पाठक, प्रभारी, पत्रकारिता, माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, डॉ. देवव्रत ओझा, गाजियाबाद, श्री सत्यपाल अरोड़ा, दिल्ली, डॉ. जयंती प्रसाद नौटियाल, मंगलौर, श्री ए पी श्रीवास्तव, अभियांत्रिकी तथा प्रबंधन सलाहकार, दिल्ली डॉ. एस एस भट्ट, प्रो. गणित, उड़ीसा, श्री जय सिंह, नई दिल्ली ने जहां सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विविध पहलुओं पर सूचनात्मक एवं प्रभावी प्रस्तुतियां दी वहीं संस्थान के वैज्ञानिकों में डॉ. लालजी दीक्षित, श्री निशान सिंह, डॉ. एच यू खान, डॉ. एस के सिंघल/डॉ. के ए सुब्रहमण्यन, डॉ. डी के अधिकारी एवं सुश्री स्मिता दरमोड़ा, डॉ. ए दत्ता आदि ने अपने-अपने क्षेत्रों में हो रहे अनुसंधान एवं शोध कार्यों में प्रयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीकी आदि पर प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रकाश डाला ।

इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ. मधुकर ओंकारनाथ गर्ग ने कहा कि आज सूचना प्रौद्योगिकी से जहां जीवन के हर क्षेत्र में गति आई है वहीं जो कार्य आज से कुछ ही वर्ष पूर्व बहुत विलंब से संपन्न होते थे वे सूचना प्रौद्योगिकी के चलते पलक झपकते ही संपन्न हो रहे हैं । बात चाहे ज्ञान-विज्ञान की हो अथवा वैज्ञानिक क्षेत्रों में किए जा रहे अनुसंधान की, हर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से विश्व के दूरस्थ क्षेत्रों में सुलभ होने वाले ज्ञान-विज्ञान को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है । आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है । इसके उपरांत डॉ. गर्ग ने सभी प्रतिभागियों एवं विशेषज्ञों को प्रमाण-पत्र वितरित किए ।

धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करते हुए संस्थान के प्रशासन नियंत्रक श्री स्वतन्त्र कुमार सदाना ने कहा कि इस प्रकार की संगोष्ठियां कर्मचारियों में विज्ञान के साथ-साथ राजभाषा के प्रेम को जगाने वाली सिद्ध होती है । इस संगोष्ठी में संस्थान तथा देश के लगभग 100 विद्वानों, वैज्ञानिकों, संपादकों, विशेषज्ञों व प्रतिभागियों ने भाग लिया । इस आयोजन को सफल बनाने में राजभाषा अनुभाग के कर्मचारियों के साथ-साथ संस्थान के कई अन्य अनुभागों के कर्मचारियों ने भी सक्रिय सहयोग दिया ।

एनटीपीसी शक्तिनगर में आंचलिक कवि सम्मेलन संपन्न

सिंगरौली विद्युत्गृह के वनिता भवन में आयोजित आंचलिक कवि सम्मेलन का उद्घाटन महाप्रबंधक श्री राजेन्द्र कुमार गौड़ ने दीप प्रज्जवलित करके किया । कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे श्री आर. के. गौड़ को अपर महाप्रबंधक (प्रचा. एवं अनु.) श्री वाई. वी. राव तथा उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री सतीशचन्द्र सोनी ने

(शेष पृष्ठ 90 पर)

पुरस्कार

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति हैदराबाद–सिकंदराबाद द्वारा "हिंदी प्रश्न मंच का आयोजन"

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति हैदराबाद–सिकंदराबाद (केंदीय सरकार के कार्यालय) के तत्वावधान में रेल निलयम प्रेक्षागृह में मंडल रेल प्रबंधक, हैदराबाद मंडल, दक्षिण मध्य रेलवे के सौजन्य से "हिंदी प्रश्न मंच" का आयोजन किया गया इसका उद्घाटन दक्षिण मध्य रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री पी.सी. कुमार ने दीप प्रज्जवलित कर किया उन्होंने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि नराकास की बैठकों के साथ–साथ इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन से राजभाषा के प्रयोग-प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा सकता है ।

सदस्य सचिव नराकास श्री के.पी. सत्यानंदन ने अपने संबोधन में कहा कि नराकास की बैठकों का आयोजन हम नियमित रूप से और कैलेण्डर के अनुसार करते है और बैठक में लिए गए निर्णयों को पूरा करने का भी हर संभव प्रयास किया जाता है । इस क्रम में आज समिति के तत्वावधान में इस "हिंदी प्रश्न मंच" का आयोजन किया जा रहा है । हमारा निरंतर यह प्रयास रहेगा कि हम इस प्रकार के आयोजन करते हुए राजभाषा के प्रति हमारे दायित्वों का निर्वाह करते रहें ।

समिति के एक सदस्य कार्यालय की प्रमुख श्रीमती वंदना सिंहल, मंडल रेल प्रबंधक, हैदराबाद मंडल जो स्वयं इस प्रश्न मंच की सूत्रधार है, ने प्रश्न मंच के आयोजन को रेखांकित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन से न केवल राजभाषा का प्रचार–प्रसार होता है बल्कि यह ज्ञानवर्धन भी करता है ।

"हिंदी प्रश्न मंच" में समिति के सदस्य कार्यालयों की लगभग 28 टीमों ने भाग लिया । देश की प्रमुख नदियों गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और तुंगभद्रा के नाम पर टीमों का नामकरण किया गया था ।

इस प्रश्न मंच में क्रमश: आईआईसीटी, अपर पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र केरिपुब एवं सिकंदराबाद मंडल, दक्षिण मध्य रेलवे की टीमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहीं । श्री अरूण कुमार मंडल, राजभाषा अधिकारी, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/दक्षिण मध्य रेलवे के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह संपन्न हुआ ।

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिये 12 मई, 2006 को आयोजित रिज़र्व बैंक द्विभाषी तथा हिंदी गृह-पत्रिका प्रतियोगिता-2004-2005

सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए रिज़र्व बैंक द्विभाषी तथा हिंदी गृह-पत्रिका प्रतियोगिता के अंतर्गत वर्ष 2004-05 (01 अप्रैल से 31 मार्च तक) के लिए मूल्यांकन समिति की बैठक 12 मई, 2006 को श्री हरिनंदन प्रसाद, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई की अध्यक्षता में भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में 15वीं मंज़िल पर स्थित सम्मेलन कक्ष-1 में अपराह्न 11 बजे आयोजित की गई।

वर्ष 2004-2005 की प्रतियोगिताओं के परिणाम तय करना–मूल्यांकन समिति का निर्णय

समिति को यह सूचित किया गया कि इस वर्ष द्विभाषी गृहपत्रिका के लिए कुल 15 प्रविष्टियां और हिंदी गृहपत्रिका के लिए कुल 11 प्रविष्टिया (जिसमें से एक प्रविष्टि को मात्र एक अंक प्रकाशित करने के कारण अपात्र घोषित किया गया) प्राप्त हुई हैं। समिति के सदस्यों ने प्रतियोगिता के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार पत्रिकाओं का मूल्यांकन किया।

मूल्यांकन समिति के निर्णय के अनुसार, वर्ष 2004-2005 (1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 तक) के लिए द्विभाषी और हिंदी गृहपत्रिकाओं के परिणाम निम्नानुसार तय किए गए:-

(i) द्विभाषी गृहपत्रिका प्रतियोतिा–2004-2005

बैंक/वित्तीय संस्था का नाम	पत्रिका का नाम	स्थान
देना बैंक	देना ज्योति	प्रथम
बैंक ऑफ बड़ौदा	बॉब मैत्री	द्वितीय
बैंक ऑफ इंडिया	तारंगण	तृतीय
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	यूनियनधारा	चतुर्थ
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	महाबैंक	चतुर्थ
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	श्री वयम्	चतुर्थ

(ii) हिंदी गृहपत्रिका प्रतियोगिता–2004-2005

इंडियन ओवरसीज बैंक	वाणी	प्रथम
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	इंदौर परिवार	द्वितीय
कार्पोरेशन बैंक	मंगला	तृतीय
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पीएसबी राजभाषा अंकुर	चतुर्थ
राष्ट्रीय आवास बैंक	आवास भारती	चतुर्थ
आंध्रा बैंक	राजभाषा सरिता	चतुर्थ

आर आर एल, जोरहाट को उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए लगातार तीसरी बार प्रथम पुरस्कार से सम्मानित

7 जुलाई 2006 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जोरहांट की 16वीं बैठक में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट को वर्ष 2005-06 के लिए राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु लगातार तीसरी बार प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राजभाषा विभाग, भारत सरकार के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा नराकास अध्यक्ष की और से डॉ. पी जी राव, निदेशक आर आर एल, जोरहाट को प्रदान किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सभी केंद्रीय कार्यालयों के प्रधान प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रतिनिधि राजभाषा विभाग ने उत्तर-पूर्व में अवस्थित इस प्रयोगशाला में इस प्रकार राजभाषा हिंदी के विकास को सराहा और इसे बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केंद्र, भंडारा (महाराष्ट्र) को भारत सरकार की राजभाषा नीति के सर्वोत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु पुरस्कार

क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र, भंडारा (महाराष्ट्र) को 'क' एवं 'ख' क्षेत्र स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची (झारखण्ड) के अधिनिस्थ/संबंद्ध कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के सर्वोत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2004-2005 का पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार में केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान राजभाषा चल शिल्ड एवं प्रमाणपत्र 9-5-2006 को संस्थान रांची (झारखंड) में, संस्थान के निदेशक डॉ. एन. सुर्यानारायण के कर कमलों द्वारा एक विशेष कार्यक्रम में प्रदान किया गया। चल शील्ड एवं प्रमाणपत्र क्षेत्रीय तयर अनुसंधान केन्द्र, भंडारा (महाराष्ट्र) के उपनिदेशक डॉ. एस. के. माथुर ने प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री कृष्णाकुमार दूबे, उपनिदेशक (राजभाषा) केंद्रीय रेशमबोर्ड, बैंगलूर तथा संस्थान के संयुक्त निदेशक श्री प्रभाकर कच्छाप (प्रशासन एवं वित्त) एवं श्री अशोक कुमार चौधरी (ई. टी. टी.) प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

डॉ. एस. के. माथुर ने इस पुरस्कार के लिए क्षे.त.अ.के. भंडारा के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया एवं आशा व्यक्त की है कि वे इसी प्रकार भविष्य में भी सकारात्मक सहयोग प्रदान करते रहेंगे ताकि केंद्र का नाम रोशन हो सके।

सनद रहे, डॉ. एस.के. माथुर को विगत पांच वर्षों से राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु नियमित रूप से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भंडारा (महाराष्ट्र) द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। ■

प्रशिक्षण

केनरा बैंक राजभाषा कक्ष, कर्मचारी अनुभाग (अ) अंचल कार्यालय, केनरा बैंक भवन एम. जी. रोड, तिरुवनन्तपुरम-695 039

केनरा बैंक, क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, तिरुवनन्तपुरम में दिनांक 26-5-2006 एवं 27-5-2006 को एक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री वी आर शेणाय्, सहायक महाप्रबंधक ने किया । उद्घाटन भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदी प्रशिक्षणों का मूल उद्देश्य व्यवहारिक एवं अभ्यास परक मार्गदर्शन देना है ताकि कर्मचारियों की हिंदी में काम काने की झिझक और संकोच को दूर किया जा सके। उद्घाटन सत्र में उपस्थित सभी कर्मचारियों ने अपना परिचय हिंदी में दिया।

प्रशिक्षण के दौरान अनुवाद की प्रक्रिया व सिद्धांत, देवनागरी लिपि और मानक वर्तनी, बैंकिग शब्दावली, हिंदी में पत्राचार आदि के अभ्यास के साथ व्यवहार तथा बैंक के दैनिक कार्य में प्रयुक्त हाने वाले वाक्यांशों का अभ्यास भी कराया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में केनरा बैंक के तिरुवनन्तपुरम अंचल में कार्यरत 25 अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को आवश्यक संदर्भ साहित्य भी वितरित किये गये।

गुवाहाटी रिफाइनरी में पाँच दिवसीय संक्षिप्त हिंदी अनुवाद प्रशिक्षण पाठयक्रम संपन्न

गुवाहाटी रिफाइनरी के सौजन्य से तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली की सहयोग से दिनांक 12-06-06 से 16-6-06 तक गुवाहाटी रिफाइनरी के प्रशिक्षण केंद्र में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), गुवाहाटी के सदस्य कार्यालयों के सदस्यों के लिए पाँच दिवसीय संक्षिप्त हिंदी अनुवाद प्रशिक्षण पाठयक्रम का आयोजन किया गया। दिनांक 12 जून को आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में गुवाहाटी रिफाइनरी के उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री संजय पी बरदलै, मुख्य मानव संसाधन प्रबंधक श्री टी बालाकृष्ण, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरों नई दिल्ली और कोलकाता के संकाय सदस्य क्रमश: श्री इन्द्रजीत चावला और श्री सतीश कुमार पाण्डेय उपस्थित थे।

इस मौके पर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से आए श्री चावला जी ने अपने विचार रखते हुए कार्यालयी अनुवाद की उपयोगिता के बारे में दो शब्द कहे। उन्होंने अनुवाद करते समय लक्ष्य भाषा एवं स्त्रोत भाषा के भाषिक संकल्पनाओं को ध्यान में रखने पर भी बल दिया। इस पाँच दिवसीय पाठयक्रम में भारत सरकार की राजभाषा नीति और अनुवाद की व्यवस्था, अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद के सिद्धांत, देवनागरी लिपि, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, कार्यालयी अभिव्यक्तियों का अनुवाद, कार्यालयी भाषा, विदेशी अभिव्यक्तियों तथा पारिभाषिक शब्दावली आदि विभिन्न विषयों पर गहन जानकारी दी एवं प्रतिभागियों से अनुवाद का अभ्यास भी कराया नराकास के विभिन्न सदस्य कार्यालयों जैसे-ओरिएण्टल इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नगॉव पेपर मिल, नीपको, हडको, निपसीड, दूरदर्शन, जीवन बीमा निगम, जी एस पी एल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, आई ओ सी गुवाहाटी रिफाइनरी तथा मार्केटिंग डिविजन, नेरामेक, एफ सी आई, आर ई सी, राष्ट्रीय बीज निगम एग्रिकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. तथा कोल इंडिया के हिंदी प्रचार-प्रसार से जुड़े कुल 33 अधिकारी तथा कर्मचारियों ने उक्त प्रशिक्षण में भाग लिया।

दिनांक 16 जून को आयोजित समापन सत्र में गुवाहाटी रिफाइनरी के महाप्रबंधक श्री जी भानुमूर्ति,

उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री संजय पी बरदलै, मुख्य प्रबंधक (प्रशिक्षण व प्रबंधन सेवाएं) श्री आर. के. शर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर अध्यक्ष, न रा का स (उ) तथा महाप्रबंधक श्री जी. भानुमूर्ति के करकमलों द्वारा गुवाहाटी रिफाइनरी की तकनीकी पुस्तिका इंडमैक्स मैनुअल का लोकार्पण किया गया।

समापन सत्र में नराकास अध्यक्ष तथा महाप्रबंधक श्री जी भानुमूर्ति ने अपने संक्षिप्त भाषण में सभी से आग्रह किया कि प्रतिभागिगण इस पाठयक्रम से मिली जानकारियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में प्रयुक्त कर राजभाषा को बढ़ावा दें। उन्होंने बड़ी मात्रा में उपस्थित प्रतिभोगियों की उपस्थिति पर संतोष व्यक्त किया । श्री भानुमूर्ति जी ने केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से आए संकाय सदस्यद्वय श्री इंद्रजीत चावला और श्री सतीश कुमार पांडेय जी के अनुभवी शिक्षण पद्धति द्वारा पाँच दिन के इस पाठयक्रम को अत्यंत रोचक व क्रियाशील बनाए रखने के लिए प्रशंसा की।

इस मौके पर प्रतिभागियों द्वारा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से आए संकाय सदस्यों को असम के पारंपरिक तरीके से स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किए गए । तत्पश्चात् नराकास सदस्य कार्यालयों से आए 33 प्रतिभागियों को संक्षिप्त हिंदी अनुवाद पाठयक्रम का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। अंत में इस समस्त कार्यक्रम का संचालन कर रही गुवाहाटी रिफाइनरी के हिंदी अधिकारी सुश्री बिनीता ब्रह्म के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। ■

(पृष्ठ 86 का शेष)

अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया तथा आमंत्रित कवियों का स्वागत पुष्प गुच्छ से किया ।

कवि सम्मेलन का शुभारंभ विंध्यनगर से पधारी कवयित्री श्रीमती साधना शर्मा की वाणी वंदना से हुआ । श्रृंगार के श्रेष्ठ रचनाकार कृपाशंकर माहिर ने "बरसात का मौसम और रिमझिम फुहार हो" तथा विंध्यनगर के श्री रामनरेश ने देशभक्तिपूर्ण रचना प्रस्तुत की । हिंदी से पधारे हास्य के श्रेष्ठ रचनाकार श्री अजय चतुर्वेदी "कक्का" ने मैया मेरी बात सुनोगे पढ़कर लोगों को गुदगुदाया तो रिहंद के ही श्री रामप्रसाद यादव "श्यामल" ने सामाजिक विसंगितयों पर करारा प्रहार किया ।

विंध्यनगर की श्रीमती साधना शर्मा ने "कोई सूरत नहीं बन पायी है" से श्रोताओं को भाव विभोर किया । ग़जल विधा के श्री दीपक दुबे "दानिश" ने "डंका है हर तरफ जो गुनाहों की आन का, क्या हो अब इस प्रकाश में देशाभिमान का" का पाठ किया । सिंगरोली से पधारे व्यंग्य के सशक्त कवि श्री कमलेश्वर ओझा ने अपने उत्कृष्ट व्यंग्यों से श्रोताओं का खूब मनोरंजन किया । कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे श्री राजेन्द्र कुमार गौड़ ने कविता की उत्पति का उल्लेख करते हुए अपनी श्रेष्ठ रचना से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया ।

ओज के रचनाकार श्री शिवकरण दुबे "वेदराही" ने हिन्दी अभ्यर्थना में "मधु मकरन्द सी सुगंधि दायिंनी है "हिन्दी" का पाठ किया और मंच का सफल संचालन किया । सिंगरोली स्टेशन के श्रेष्ठ कवि सर्वश्री प्रमोद कुमार पाण्डेय, शोभनाथ सिंह यादव अंकुर, अविनाश वर्मा, डॉ. शिव बरन, राम नारायन दुबेले एवं गौरवी से पधारी कवयित्री श्रीमती संध्या पाण्डेय एवं रिहंद नगर के श्री विनय बीनू आदि रचनाकारों ने अपनी सामयिक रचनाओं से श्रोताओं का मनोरंजन किया ।

स्टेशन के उप महाप्रबंधक (प्रचा. एवं अनु.) श्री वाई. वी. राव, अपर महाप्रबंधक श्री आर. के. जैन, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री सतीशचन्द्र सोनी, श्री आर. एस. यादव, उप महाप्रबंधक (टीजी) सहित वनिता समाज की उपाध्यक्षा श्रीमती पदमाराव एवं भारी संख्या में शक्तिनगरवासी एवं अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे ।

कवि सम्मेलन में स्वागत संबोधन एवं धन्यवाद ज्ञापन स्टेशन के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री अतरसिंह गौतम ने हिन्दी कविता के सांस्कृतिक पक्ष की सबलता को दर्शाया । ■

आदेश-अनुदेश

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली का दिनांक 27 सितम्बर, 2006

का. का. ज्ञा. सं.12024/10/2006-रा.भा.(का-2)

कार्यालय ज्ञापन

विषय:– संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खण्ड-7 में की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के खण्ड-7 मद सं. 16.5 (झ) में निम्नलिखित की है:–

"नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की उच्च स्तर पर पूर्ण निष्ठा से निगरानी और समीक्षा की जानी चाहिए"

निर्णय:– संसदीय राजभाषा समिति की यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों के प्रमुख समिति के निर्णयों पर कार्यवाही की निगरानी व समीक्षा सुनिश्चित करें।

प्रतिवेदन के 7वें खण्ड पर राजभाषा विभाग के दिनांक 13-07-2005 के संकल्प संख्या 11011/5/2003-रा.भा. (अनु.) के तहत सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपेक्षित कारवाई करने के आदेश जारी हो चुके हैं।

भारत सरकार के सभी मत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपर्युक्त संस्तुति के संबंध में देश में स्थित अपने अधीनस्थ कार्यालयों आदि को अपेक्षित आदेश जारी करें कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैंठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की उच्च स्तर पर पूर्ण निष्ठा से निगरानी और समीक्षा करें। इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत करवा दें।

वी. के. श्रीवास्तव,
निदेशक (का.)
फोन : 24618967

पाठकों के पत्र

त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" का 110वां अंक मुंबई में आयोजित राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2004-05 के समय प्रदर्शनी स्टॉल से प्राप्त हुआ। हमारा सौभाग्य है चूंकि जब इसे पढ़ा तो संपादकीय पढ़कर ही आत्मा गद्‌गद् हो गई। राष्ट्र की महाविभूतियों द्वारा हिंदी के उज्ज़वल भविष्य को पूर्ववत् ही अनुमानित करना एवं हिंदी के अविस्मरणीय एवं सदैव उज्ज़वल्यमान नक्षत्रों सुश्री अमृता प्रीतम तथा श्री निर्मल वर्माजी के दु:खद देहावसान की खबर से शुरु करना एक सच्ची श्रद्धांजली स्वस्थ एवं अपेक्षित परम्परा का द्योतक है। इस तरह की नैतिकता का बोध सर्वत्र होना चाहिए। पत्रिका का सादगीपूर्ण मुद्रण, वैविध्यपूर्ण विषय-सामग्री एवं उच्च कोटि के लेखकों के लेख इसे गरिमामयी, बहुआयामी, प्रेरक स्वपूरित एवं रोचक बनाने में सिद्धता को प्रमाणित करते हैं। कार्यालयीन प्रयोग की दृष्टि से राजभाषा हिंदी की प्रयोगगत कठिनाईयों का भाषिक पक्ष एवं अनुवाद और भाषाओं का व्यतिरेकी अध्ययन प्रासंगिक एवं व्यावहारिक प्रतीत होते हैं।

'राजभाषा भारती' के प्रकाशन से जुड़े संपादक, उप संपादक तथा उनके सभी सहयोगियों के मुख्य आयकर आयुक्त, अहमदाबाद, राजभाषा अनुभाग एवं मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं ।

–मनमोहन नागर, सहायक निदेशक (रा.भा.), मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, राजभाषा अनुभाग, प्रथम तल, नवदीप भवन, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380014

राजभाषा भारती का एक सौ ग्यारहवाँ अंक प्राप्त हुआ। सभी रचनाएँ पठनीय और सराहनीय हैं। संपादक का एक-एक शब्द हमें सोचने का निमंत्रण देता है। इसके अतिरिक्त चिंतन, साहित्यिकी और अन्य स्तंभों के अंतर्गत सम्मिलित सभी लेख अच्छे हैं। राजभाषा संबंधी गतिविधियों की जानकारी उपयुक्त और प्रेरणादायी हैं।

शुभकामनाओं के साथ !

–रज्जब उमर, कार्यक्रम अधिकारी एवं प्रभारी हिंदी अधिकारी, प्रसार भारती, भारतीय प्रसारण निगम, आकाशवाणी, नागपुर

राजभाषा भारती 111वाँ अंक प्राप्त हुआ जिसके लिए हार्दिक धन्यवाद। संपादकीय प्रेरणाप्रद है। पत्रिका के सभी लेख उच्च कोटि के हैं। उनमें भी कुछ अपनी अलग पहचान रखते हैं– डॉ. राजेन्द्र प्रताप सिंह का "राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राष्ट्रभाषा दर्शन", प्रो. कु. कमलिनी का "संपर्क भाषा, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा हिंदी" व श्री मदन गुप्ता का "भाषा संसारम"। ऐसी उपादेय व ज्ञानवर्द्धक सामग्री के चयन के लिए संपादक व उनके सहयोगी बधाई एवं साधुवाद के पात्र हैं।

–गजानन्द गुप्त, मन्त्री, राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद्, 19-37946, शमशीरगँज, हैदराबाद-500053

आपके द्वारा प्रकाशित पत्रिका "राजभाषा भारती" का अंक प्राप्त हुआ । पत्रिका प्रेषित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

इस पत्रिका का हमने न सिर्फ अवलोकन किया बल्कि एक-एक लेख, आलेख पर चिंतन भी किया। माननीय गृहमंत्री जी के संदेश से लेकर आदेश-अनुदेश तक के सभी आलेख बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक है, इतना ही नहीं राजभाषा के प्रचार-प्रसार में भी सहायक सिद्ध होंगे। खास करके न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी का आलेख–राष्ट्रभाषा हिंदी, गिरधारीलाल जी का साहित्यिक लेख कलम का सिपाही: प्रेमचंद्र, पर्यावरण पर प्रदूषण का आक्रमण और समस्याओं का निराकरण, बाल अधिकारों को प्राप्त सांविधानिक सुरक्षा एवं जनसंख्या वृद्धि--एक विस्फोट इत्यादि आलेख विचारोत्तेजक हैं।

इस पत्रिका से जुड़े संपादक मंडल को हमारी ओर से हार्दिक बधाई।

–एम.एच.जोशी, प्रबंधक (का.एवं औ.सं.), भारतीय जीवन बीमा निगम, राजकोट मंडल कार्यालय, "जीवन प्रकाश" टेगोर मार्ग, पो.बो.नं.208, राजकोट-360001

आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका "राजभाषा भारती" का एक सौ ग्यारहवां अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका में समाहित रचनाएँ रोचक, ज्ञानवर्धक एवं सारगर्भित हैं। प्रो. बृज गोपाल शुक्त– डॉ एस. अखिलेश द्वय का आलेख "मानवाधिकार और पुलिस" सूचनाप्रद और पठनीय है। डॉ. रवि शर्मा का लेख "जागी आधी आबादी" डॉ. मधुबाला का "संचार माध्यम दे रहे हैं, हिंदी भाषा को नई दिशा" एवं डॉ. वीरेन्द्र सक्सैना का चिंतन के अंतर्गत आलेख "उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम" उच्च स्तरीय हैं तथा इनके चयन और प्रस्तुतिकरण में संपादकीय कौशलता और सूझबूझ स्पष्टत: दृष्टिगोचर होती है। इस उत्कृष्ट अंक के प्रस्तुतीकरण के लिए संपादक मण्डल को हार्दिक बधाइयां ।

पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति हेतु शुभकामनाएं ।

–कल्याण अधिकारी, राजभाषा कक्ष, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान-302005

राजभाषा भारती के पिछले दो अंक 110 व 111 मिले । पढ़ कर लगा हिंदी की यह राजभाषा पत्रिका बेजोड़ व अनुपम है । अंक 110 में चिंतन के हिंदी संदर्भों के सभी लेख/आलेख उत्कृष्ट हृदयग्राही व प्रेरक थे, जिनमें लेखकों के विचार अनुकरणीय हैं, क्यों न हो, क्योंकि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, हिंदी देश की धड़कन है, हिंदी राष्ट्र की आत्मा है । ऐसे ही अंक 111 में चिंतन के सभी आलेख बड़े महत्वपूर्ण लगे । पर्यावरण, मानवाधिकार जीवन के जीवंत विषय हैं । दोनों अंकों में इन पर यथेष्ट सामग्री पढ़ने को मिली । हिंदी में विविध आलेखों की यह पत्रिका हिंदी की व्यापकता में अग्रणीय भूमिका निभाती प्रतीत होती है ।

–रामगोपाल "राही" गणेशपुरी लाखेरी-323615, जिला बूंदी (राजस्थान)

राजभाषा भारती अंक 111 (अक्तूबर-दिसम्बर, 2005) पढ़कर अति प्रसन्नता का अनुभव हुआ । हिंदी लागू करने के लिए यह एक सराहनीय प्रयास है । सभी रचनाएँ ज्ञानवर्धक हैं । राजभाषा संबंधी गतिविधियों की जानकारी प्रेरणास्रोत है । केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों का प्रकाशन केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए जानकारी का स्रोत है । अंक के प्रकाशन पर कोटि-कोटि शुभकामनाओं सहित आपके आगामी अंक की प्रतीक्षा में ।

–वीरेन्द्र सिंह, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, चौथी मंजिल, जस्सानी बिल्डिंग, अमृता एस्टेट, एम.जी.रोड, राजकोट-380009

आपके विभाग की त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" का 111वां अंक, अक्तूबर–दिसंबर, 2005 प्राप्त हुआ । एतदर्थ धन्यवाद । पत्रिका में प्रकाशित छायाचित्र आकर्षक है । राजभाषा गतिविधियों से समाहित आपकी पत्रिका रोचक व पठनीय है । केंद्रीय कार्यालयों में आयोजित बैठकें, हिंदी दिवस, कार्यशालाओं का विवरण संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया है जो प्रशंसनीय है । डॉ. वीरेन्द्र सक्सेना के लेख "उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम" में कुछ व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए हैं । श्री मदन गुप्त का लेख "भाषा संसारम" में शब्दों के विभिन्न अर्थों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है । डॉ. रवि शर्मा का लेख "जागी आधी आबादी" में नारी जागरण एवं महिला सशक्तीकरण के कुछ रोचक तथ्य दिए हैं । कुल मिलाकर संपूर्ण पत्रिका विविध रचनाओं को समावेश करती संपादक की कुशल क्षमता को दर्शाती है ।

उत्तम संपादन हेतु संपादक मंडल को बधाई तथा पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति हेतु शुभकामनाएँ ।

–राजेन्द्र खरे, वरिष्ठ लेखा अधिकारी/राजभाषा, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम का कार्यालय, मध्य प्रदेश, "लेखा भवन", ग्वालियर-474002

आपके विभाग द्वारा प्रकाशित राजभाषा भारती के अंक 110 (जुलाई–सितंबर, 2005) की एक प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद । पत्रिका में प्रकाशित सभी स्तम्भ बहुत अच्छा और ज्ञानवर्द्धक है । पत्रिका के निरंतर प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं ।

–एन. एन. नरेन्द्र, सहायक कार्य प्रबंधक/प्रशासन, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, हेवी अलॉय पेनीट्रेटर प्रोजेक्ट, तिरुच्चिरापल्ली-620025

"राजभाषा विभाग" का 111वाँ अंक पढ़ने का सुअवसर मिला । हार्दिक धन्यवाद ! चिंतन कॉलम में समाविष्ट लेख उच्चस्तरीय प्रतीत हुआ । विशेष रूप से डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत "राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राष्ट्रभाषा दर्शन" काफी सूचनाप्रद एवं रुचिकर लगा । संपादकीय में राजभाषा हिंदी के प्रगति वस्तुस्थिति का चित्रण हकीकत के काफी करीब नजर आया । साथ ही पत्रिका के माध्यम से देश में राजभाषा संबंधित गतिविधियों से भी मौका मिला ।

एक प्रेरणादायक, ज्ञानवर्द्धक पत्रिका के लिए पुन: साधुवाद ।

–राजेश कुमार सिन्हा, वरीय हिंदी अनुवादक, कोयला खान भविष्य निधि, क्षेत्र-2, नगर निगम भवन, राँची

"राजभाषा भारती" के अंक नियमित रूप से मिल रहे हैं । आभारी हूँ । जिस समर्पण भाव से इस राष्ट्रभाषा हिंदी, साहित्य, संस्कृति, पर्यावरण आदि के लिए सामग्री दे रहे हैं, वह स्तुत्य हैं । पर्यावरण-प्रदूषण की समस्या अति गंभीर है तथा पूरी मानव जाति के अस्तित्व से जुड़ी है, लेकिन आदमी स्वार्थवाद उसके खतरों से जानबूझ कर बेखबर बना हुआ है । अंक 110 में पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर श्री संजय चौधरी एवं डॉ. निलानंद चौधरी का लेख पर्यावरण से जुड़ी तमाम समस्याओं को सामने लाने और उनसे उत्पन्न खतरों से अवगत कराने में सफल रहा है । बधाई ।

–सूर्यकांत नागर "ज्ञानोदय", 81, बैराठी कॉलोनी क्र. 2, इंदौर-452014 (मध्य प्रदेश)

"राजभाषा भारती" का अंक 111 मिला । एतदर्थ हार्दिक धन्यवाद । विगत अंकों की भाँति प्रस्तुत अंक भी हिंदी के व्यापक क्षितिज और वर्तमान परिदृश्य को रेखांकित करता है । "चिंतन" स्तंभ के अंतर्गत डॉ. वीरेन्द्र सक्सेना का आलेख उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम की दशा-दिशा की पड़ताल करता है । लोकसभा गढ़वाली के समर्पित साहित्यकार डॉ. अचलानंद जखमोला के मार्गदर्शन में कोश निर्माण का निर्णय लिया गया है । सचमुच यह स्वागत योग्य व स्तुत्य कदम है । अन्य लोकसभा हितेषियों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए । महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने लोकभाषाओं अथवा बोलियों को धरनी की संज्ञा दी है । लोकभाषाओं से शब्द, संसकार, वचन-भंगिमा को ग्रहण व आत्मसात कर ही हिंदी समृद्ध, उन्नत, श्रीसंपन्न बनती है । डॉ. राजेन्द्र प्रताप सिंह का आलेख गांधी जी के राष्ट्रभाषा प्रेम व चिंतन को उद्घाटित करता है । अन्य आलेख एवं रचनाएं भी ज्ञानवर्द्धक व स्तरीय हैं ।

–डॉ. वीरेन्द्र कुमार सिंह, उप निदेशक (राजभाषा), केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, भूजल भवन, एन.एच. 4, फरीदाबाद

आपके विभाग से प्रकाशित हिंदी त्रैमासिक प्रत्रिका "राजभाषा भरती" का 111वाँ अंक प्राप्त हुआ । पत्रिका की संपूर्ण सामग्री रोचक, विस्तृत एवं ज्ञानवर्द्धक है । इसमें विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित रिपोर्टों, लेखों तथा साहित्यिक रचनाओं का अच्छा तालमेल है, जो नि:संदेह सराहनीय है ।

आशा है, पत्रिका इसी तरह से आकर्षक एवं संग्रहणीय बनी रहेगी ।

–जितेन्द्र कामरा, हिंदी अधिकारी, भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, कलम्बोली (हायवे), न्यू पनवेल, नवी मुंबई-410218

राजभाषा भारती भारत की राजभाषा हिंदी का मुखपत्र है । प्राय: जिसके हाथ में यह पत्रिका मिलती है, वह इसे रुचि के साथ पढ़ता अवश्य है । आपके कुशल संपादन में यह कार्य सुरुचि से हो रहा है । मेरा साधुवाद कृपया स्वीकार करें ।

–ईश्वरचंद्र मिश्र, प्रशिक्षण अधिकारी, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, पांचवाँ तल, (डी विंग), केंद्रीय सदन, कोरमंगला, बैंगलूर-5670034

MGIPRRND—3492 HA/06—4,000

विजय बैंक, प्रधान कार्यालय, बैंगलूर द्वारा आयोजित राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कार्यकारी निदेशक श्री टी. वल्लियप्पन ।

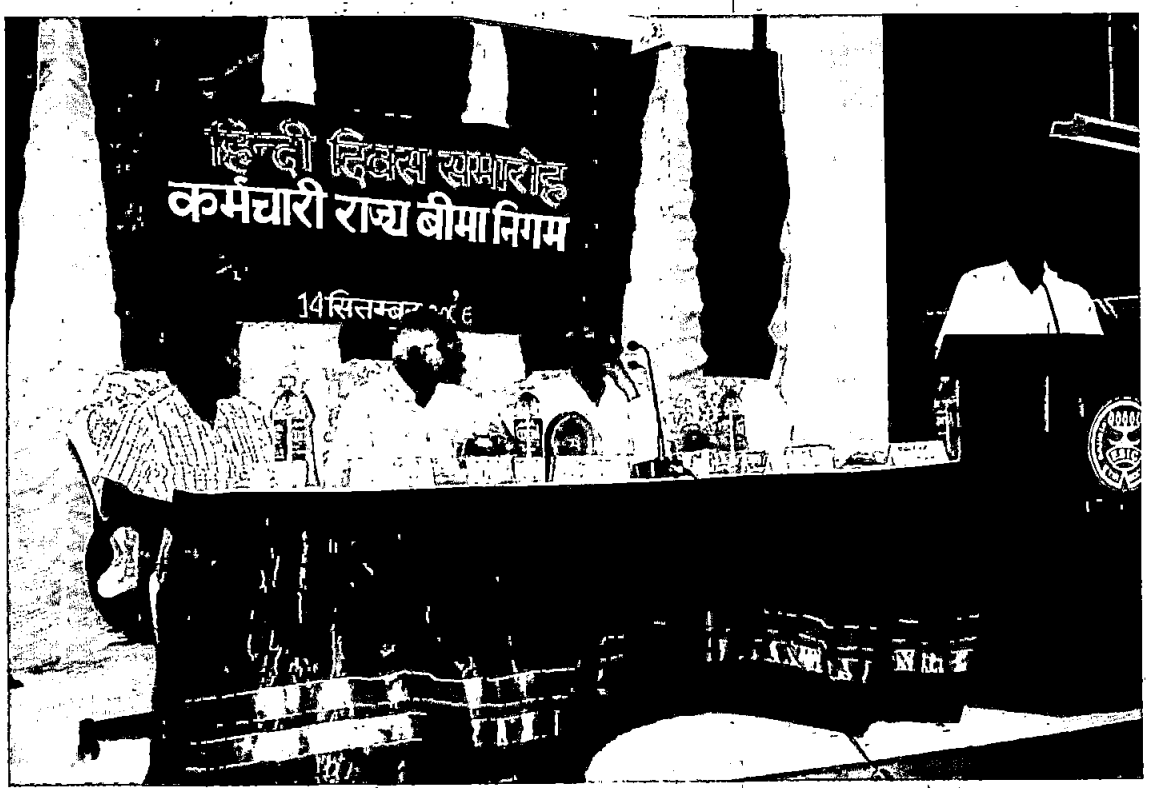

कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता में हिंदी दिवस समारोह की एक झलक ।

पं.सं. 3246/77
आई एस एम एन 0970-9398

राजभाषा नीति कविता रूप में

शिवराज, अनुभाग सहायक (हिंदी)
भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद्

सर्वांगीण विकास हो भारत का, संविधान की अभिलाषा है ।
जिसके अनुच्छेद 343 में हिंदी, संघ की राजभाषा है ।।
संविधान के निर्माताओं ने, बहुमत से इसे सुझाया था ।
इसको ही समझते हैं ज्यादा, इसलिए ये मन में आया था ।।

यही सोचकर हिंदी को इसकी, उचित जगह सौंपी जाए ।
लेकिन ध्यान रहे इसको किसी पर, जबर्दस्ती न थोपी जाए ।।
राजभाषा अमलीजामा पहनाने को, 1963 अधिनियम बनाया था ।
जिसकी अपेक्षा के अनुरूप इसको, कानूनी दर्जा मिल पाया था ।।

इसमें कुछ संशोधन करके, राजभाषा नियम, 1976 बनाया है ।
जिसके अंतर्गत प्रावधानों ने, हिंदी को बहुत बढ़ाया है ।।
जिसने इसकी उत्तरोत्तर प्रगति को, सही दिशा में मोड़ा है ।
अंग्रेजी के साथ हिंदी भी हो, धारा 3(3) को जोड़ा है ।।

निर्धारित प्रयोजनों की खातिर इसकी एक खासयित है ।
इसके अधीन अब सभी मदों को करना ही द्विभाषिक है ।।

जैसे-

संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं,
प्रशासनिक अन्य प्रतिवेदन, करार और संविदाएं ।
प्रेस विज्ञप्तियां, अनुज्ञप्तियां और निविदाएं,
अनुज्ञापत्र, टेंडर नोटिस और सामान्य सूचनाएं ।।

संसद के किसी सदन/सदनों के समक्ष,
रखी जाने वाली रिपोर्ट और सामग्री इसमें आती है ।
केवल अंग्रेजी का प्रयोग जो रोके, धारा 3(3) कहलाती है ।।
नियत लक्ष्य निर्धारित करके, रा. भा. वार्षिक कार्यक्रम बनाता है ।
इस हेतु क्या करना है अनिवार्य, हम सबको मार्ग दिखाता है ।।

अब समस्त भारत के कार्यालयों में, हिंदी पत्राचार स्वीकार्य है ।
निर्देश हैं ऐसे अब पावक को भी, हिंदी में उत्तर देना अनिवार्य है ।।
जागरूकता और प्रेम, प्रसार/प्रचार से ही ये संभव हो पाया है ।
काफी कार्य हो रहे हैं हिंदी में, यह सर्वत्र निगाह में आया है ।।
वैसे भी हिंदी शिक्षण/कार्य हेतु, कई प्रोत्साहन योजनाएं हैं ।
अभी और बढ़ेगी हर क्षेत्र में, यही प्रबल संभावनाएं हैं ।।

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 के लिए डॉ. राजेंद्र प्रताप सिंह, उप संपादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित ।